



सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2015 की संख्या 21  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

खण्ड II

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2015 की संख्या 21  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)  
खण्ड II

## विषय सूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पीएसयू	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन		vii
	कार्यकारी सार		ix
<b>अध्याय I</b>	<b>भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		
1.1	भूमि का गैर-नियमितीकरण तथा पट्टा विलेख के क्रियान्वयन में विलम्ब	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1
1.2	श्रतिपूति और रूकाई प्रभावों के प्रति परिहार्य व्यय	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	3
1.3	रेल वेंगन की खरीद पर निरर्थक व्यय	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6
1.4	बिक्री कर के भुगतान के लिए निधियों का अवरोधन	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8
1.5	सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति के बिना मूल्य भिन्न्ता के आहरण के कारण हानि	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	10
1.6	पर्याप्त वित्त के बिना आरंभ की गई परियोजना विस्तार गतिविधियों के कारण निष्फल निवेश हुआ।	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
1.7	निष्क्रिय निवेश	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	14
1.8	साल्ट रिफाइनरी में निरर्थक निवेश	सांबर साल्ट्स लिमिटेड	16

<b>अध्याय II</b>	<b>खनन मंत्रालय</b>		
2.1	ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट (ईबीएस) के क्रियान्वयन पर आईटी लेखापरीक्षा	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	20
2.2	धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन गतिविधियां	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	24
<b>अध्याय III</b>			
<b>पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>			
3.1	व्यर्थ व्यय	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	29
3.2	निर्धारित अवधि के अन्दर टैंकेज सुविधाओं के यांत्रिक समापन का पुनर्निर्धारण न होने के कारण परिहार्य व्यय	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	31
3.3	कर काटने की घटी हुई दर के संदर्भ में एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत करने में कम्पनी की विफलता के साथ संयोजित अपूर्ण निविदा दस्तावेज परिहार्य व्यय का कारण बने।	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	33
3.4	फ्लू गैस कूलर से परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	36
3.5	मानदण्डों से अधिक मूल तलछट तथा जल मात्रा वाले कच्चे तेल की बिक्री पर स्वीकृत छूट के कारण राजस्व हानि	ऑयल इंडिया लिमिटेड	38

3.6	देयताओं का परिहार्य पुर्वानुमान तथा चूककर्ता ठेकेदार के साथ निपटान करार में प्रतिकूल शर्तों की स्वीकृति के कारण तेल तथा गैस धारण के दो क्षेत्रों के विकास में परिहार्य व्यय करना	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	42
3.7	आयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड में सामान प्रबंधन माइयूल के कार्यान्वयन की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	52
3.8	पुनर्निर्माण के बावजूद जल इंजेक्शन प्लेटफार्म का कम-उपयोग	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	65
3.9	ठेका देने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव तथा मूल परियोजना में व्यवधान के कारण परिहार्य व्यय	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	68
3.10	तकनीकी रूप से अपात्र बोलीदाताओं की घटना पर पुनर्निविदाकरण के कारण अतिरिक्त व्यय	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	71
3.11	रियायती सीमाशुल्क न लेने के कारण अतिरिक्त व्यय	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	75
3.12	मरम्मत में असामान्य देरी और बताई गई ड्रिल साइटों तथा पहुँच मार्गों को छोड़ देने के कारण किराए का परिहार्य भुगतान	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	78
3.13	ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम देकर त्रुटिपूर्ण ठेकों और सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य की प्रगति से उनकी वसूली को जोड़ने के कारण ब्याज की हानि हुई	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	81

<b>अध्याय IV</b>	<b>विद्युत मंत्रालय</b>		
4.1	मीटरिंग एवं बिलिंग	दामोदर वेली कार्पोरेशन	85
4.2	इंजन अवरोधन प्रभारों की वसूली की हानि	दामोदर वेली कार्पोरेशन	95
4.3	अतिरिक्त यूआई प्रभारों के प्रति परिहार व्यय	दामोदर वेली कार्पोरेशन	97
4.4	गलत निर्धारण और ठेका एक वित्तीय रूप से कमजोर फर्म संयुक्त उद्यमों को ठेका देना	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	98
4.5	आरजीजीवीवाई के तहत सॉफ्ट लोन के वितरण के कारण ब्याज की हानि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	103
<b>अध्याय V</b>			
	<b>इस्पात मंत्रालय</b>		
5.1	संयुक्त उद्यम में सेल का निवेश	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	106
5.2	कोक ओवन बैटरीज का निष्पादन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	115
5.3	अंतरीय उत्पाद शुल्क पर ब्याज की वसूली न करना	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	124
5.4	विद्युत प्रभारों की कम वसूली	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	125
5.5	निधियों का अवरोधन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	128
5.6	आईएसपी/सेल में परिहार्य व्यय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	131
<b>अध्याय VI</b>			
	<b>कपड़ा मंत्रालय</b>		
6.1	निपटान में कमी के कारण हानि	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	134

<b>अध्याय VII</b>	<b>जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय</b>		
7.1	परियोजनाओं का बंद करने में असामान्य विलम्ब	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	137
<b>अध्याय VIII</b>	<b>लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीएसईज़ द्वारा हकदारियों और वसूलियों, शोधनमें अनियमितताएं सुधारों के भुगतान/</b>		
8.1	अर्ध-वेतन अवकाश/अर्जित अवकाश/बीमारी अवकाश के नकदीकरण सहित अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ पर नियोक्ता'के भाग के प्रतिअनियमित भुगतान	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	141
8.2	लेखापरीक्षा के अनुरोध पर वसूलियां	भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	146
8.3	लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सूधार/संशोधन	इंसमेंटेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड	146
<b>अध्याय IX</b>	<b>लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई</b>		147
	परिशिष्ट I		151
	परिशिष्ट II		152
	परिशिष्ट III		155
	अनुबंध		157

## प्राक्कथन

1. कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के उपबंधों के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है जिसकी टिप्पणियां सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनो में शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों में सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। पाँच ऐसे निगमो यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन सीएजी उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम यथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संबंध में सीएजी को निगम को शासित करने वाली संबंधित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट 1984 में यथा संशोधित सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के उपबंधों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
4. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को दो खण्डों में तैयार किया गया है। यह इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का खण्ड II है और इसमें सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 18 पीएसयूज से संबंधित 37 प्रथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। खण्ड I में सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 28 पीएसयूज से संबंधित 31 प्रथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित दृष्टान्त उन मामलों में से हैं जो 2013-14 और पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। कुछ मामलों में मार्च 2014 के बाद के लेन देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम भी उल्लिखित किए गए हैं।



5. इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या पीएसयू के सभी 'प्रसंग केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

6. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) अथवा उन विशिष्ट कारपोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 7 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 18 पीएसयूज से संबंधित 37 पृथक आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयू काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/ टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 27 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज के प्रबंधन को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त रूप से समाविष्ट किए गए हैं।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पीएसयूज से संबंधित हैं:

मंत्रालय/विभाग (शामिल संख्या)	पीएसयूज की संख्या	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
1. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम (बीएचईएल, सीसीआईएल, एचपीसीएल और एसएसएल)		8	6
2. खान (एचसीएल)		2	2
3. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (आईओसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी और ओपीएएल)		13	11

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

4. विद्युत (डीवीसी, पीजीसीआईएल और आरईसी)	5	2
5. इस्पात (सेल)	6	3
6. कपड़ा (एनटीसी)	1	1
7. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन (एनपीसीसीएल)	1	1
8. सीसीएसईज द्वारा हकदारियों के भुगतान में अनियमितताएं (बीपीसीएल, जीएआईएल और ईआईएल)	1	1
<b>जोड़</b>	<b>37</b>	<b>27</b>

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,854.78 करोड़ हैं।
5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:
  - ❖ नियमों, निदेशों प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें 12 पैराओं में ₹ 1,150.76 करोड़ की राशि शामिल है।
  - ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 13 पैराओं में ₹ 653.47 करोड़ की राशि शामिल है।
  - ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें सात पैराओं में ₹ 997.29 करोड़ की राशि शामिल है।
  - ❖ अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग जिनमें एक पैरा में ₹ 5.82 लाख शामिल है।
  - ❖ उद्देश्यों की प्राप्ति न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें चार पैराओं में ₹ 47.44 करोड़ की राशि शामिल है।
6. प्रतिवेदन में 4 पीएसयूज द्वारा की गई ₹ 27.59 करोड़ की वसूलियों से संबंधित एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर तीन पीएसयूज द्वारा किए गए संशोधन संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

**II इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैरों की मुख्य बातें निम्नवत हैं:**

1984 में शुरू किया गया वाटर इंजेक्शन प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के मुम्बई हाई नोर्थ फील्ड में मुख्य वाटर हब है। डब्ल्यूआईएन पुनर्निर्माण परियोजना के इसकी सहायक पाइपलाइनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के साथ संकालन ना करने और मुख्य इंजेक्शन पम्पों की मरम्मत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 726.50 करोड़ व्यय करने के बाद भी डिजाइन की गई वाटर इंजेक्शन क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

**(पैरा 3.8)**

ओएनजीसी (कम्पनी) ने गहरे पानी और छिछला पानी के तेल एवं गैस वाले क्षेत्रों के विकास के भाग के रूप में इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य के लिए नवम्बर 2004 में ठेका दिया था और बाद में (जून 2007) ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण ठेका को समाप्त कर दिया और ठेकेदार द्वारा दी गई निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पीबीजी) के नकदीकरण हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी थी। ठेकेदार ठेके को समाप्त करने और पीबीजी पर दावा करने के मामले को विवाचन हेतु ले गया (जून 2007)। कम्पनी ने भी अन्य बातों के साथ-साथ ठेकेदार के पास शेष बचे उपस्कर एवं सामग्री के संरक्षण को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मुम्बई में याचिका दायर की थी। कम्पनी ने पूर्ण परिश्रम किए बिना चूककर्ता ठेकेदार के साथ समझौता करार किया जिससे करार के कार्यान्वयन में यूएसडी 66.34 मिलियन (₹ 342.34 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के अलावा विवादों के 'न्यायालय से बाहर' समाधान के माध्यम से ठेकेदार को यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) की समझौता राशि के भुगतान के समय इसने केवल यूएसडी 0.7 मिलियन की छूट प्राप्त की थी जोकि अक्टूबर 2008 में इसके बार्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के उल्लंघन में थी। यह व्यय (₹ 342.34 करोड़) अनियमित था क्योंकि इसे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं था और यह कम्पनी के वित्तीय हितों में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने औजारों के किराए के भुगतान पर यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया था जिसे पहले ही समाप्त किए गए ठेका के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा पूरा किए गए कार्य के लिए भुगतान की गई राशि में शामिल किया गया था। तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास की परियोजना अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तारीख के प्रति पूरी नहीं हो सकी (जनवरी 2015) जबकि प्रतिवर्ष ₹ 1,500 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व अनुदग्रहीत रहे।

**(पैरा 3.6)**

*2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)*

वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित किए बिना नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने इस तथ्य की अवहेलना करते हुए पूर्व मालिक के साथ भूमि सहभाजन के लिए समझौता करार किया कि यह महत्वपूर्ण पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

*(पैरा 6.1)*

ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (कम्पनी) ने तीन ठेकेदार के साथ त्रुटिपूर्ण ठेके किए और मार्च 2009 से नवम्बर 2011 के दौरान समय आधारित तरीके से वसूली करने की बजाय सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ब्याज मुक्त अग्रिमों को विस्तारित किया गया इन अग्रिमों की वसूली को संबंधित परियोजना की प्रगति से जोड़ा और इस प्रकार अगस्त 2012 से अक्टूबर 2014 तक ₹ 49.63 करोड़ की ब्याज हानि हुई। इसके अलावा, कम्पनी को ब्याज हानि भुगतते हुए अक्टूबर 2014 तक ठेकेदार से ₹ 144.20 करोड़ के अग्रिमों की वसूली करनी थी।

*(पैरा 3.13)*

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ₹ 778.82 करोड़ के कुल निवेश के साथ 31 मार्च 2014 तक 23 संयुक्त उद्यम कम्पनियां (जेवीसीज) थीं। केवल सात पूर्ण रूप से प्रचालित थीं जिनमें से केवल तीन लाभ प्राप्त कर रही थीं। चार जेवीसी समाप्त की जा रही थीं। सेल ने जेपी सीमेंट लिमिटेड (जेसीएल) के साथ दो जेवीसीज, एक भिलाई में और दूसरी बोकारों में, का गठन किया था जो सीमेंट बनाने के लिए सेल के इस्पात संयंत्र में उत्पादित उप-उत्पाद स्लैग का उपयोग कर रहे थे। यह पाया गया कि एक करार के अंतर्गत सेल बाजार कीमत से काफी कम कीमतों पर जेवी को स्लैग की आपूर्ति कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप सेल को 2013-14 तक ₹ 156.58 करोड़ की हानि हुई।

*(पैरा 5.1)*

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 153.36 करोड़ की हानि वहन की क्योंकि इसने सुलभ ऋणों जो इसने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) के अंतर्गत दिए थे पर ब्याज अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को नहीं कहा।

*(पैरा 4.5)*

आधुनिक मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दामोदार वैली कार्पोरेशन (कार्पोरेशन) द्वारा किए गए ₹ 6.38 करोड़ का निवेश अनुत्पादक और अप्रभावी रहा जिसके

परिणामस्वरूप उद्देश्य पूरे नहीं हुए। निगम ने सीईआरसी द्वारा निर्धारित की गई टैरिफ याचिका की समय सीमा का पालन नहीं किया जो उपभोक्ताओं से देय पर्याप्त बकाया के संग्रहण के लिए कारणों में से एक या निगम ने विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनुमत किए गए अपने उपभोक्ताओं से वियोजन और पूनः योजन प्रभारों ( ₹ 4.33 करोड़ ) को एकत्र नहीं किया और उन अधिकतर एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर भी नहीं लगाए जिन्होंने विद्युत की वास्तविक खपत को सुनिश्चित करने से निगम को रोका था और इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 के दौरान विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 4.1)

ऑयल इंडिया लिमिटेड निर्धारित समय में कच्चा तेल आपूर्तियों में मूल तलछट एवं जल तत्व को नियंत्रित करने के लिए समय पर सुविधाएँ देने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 105.55 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(पैरा 3.5)

सेल द्वारा प्रचालित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में 33 कोक ओवन बैटरिज (सीओबीज) हैं। सीओबीज कोयले को कोक में बदलती हैं जोकि गर्म धातु के उत्पादन हेतु बलास्ट फर्नेस में उपयोग किया जाने वाले मुख्य ईंधन हैं।

यह देखा गया कि सीओबीज की मरम्मतों एवं रख-रखाव में विलम्बों के कारण उनका निष्पादन सेल द्वारा निर्धारित मानदंडों से काफी कम था। 2009-14 की अवधि के दौरान कोक के उत्पादन में कमी 3.320 एमटी तक थी। इसी प्रकार, कोक ओवन गैस की उपलब्धता में कमी थी, जोकि सीओबीज में कोयले के कार्बनाइजेशन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में सृजित होती है, इसके परिणामस्वरूप 2009-13 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात के 2.430 एमटी की उत्पादन हानि और ₹ 202.85 करोड़ की लागत पर फर्नेस ऑयल की अतिरिक्त खरीद हुई। यह भी देखा गया कि यहां तक कि जहां मरम्मत एवं नवीकरण किया गया था वहां भी सीओबीज का निष्पादन प्रत्याभूत निष्पादन मापदंडों से कम था।

(पैरा 5.2)

ओएनजीसी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल के कार्यान्वयन की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- डाटा की सटीकता और समय पर प्रगृहण को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रणों, वैधीकरण जांचों एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अपर्याप्तताएं थी। इसके परिणामस्वरूप, डाटा शुद्धता में कमी और गलत एमआईएस हुआ।

*2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)*

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों एवं उपयोक्ता की जागरूकता की कमी के परिणामस्वरूप स्टॉक निर्गम हुए, प्राप्तियां एवं खपत को समय पर प्रग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण गलत सामग्री लेखाकरण हुआ।
- परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन से संबंधित डाटा के सटीक एवं समय पर प्रग्रहण तथा कारबार प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण जांच और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों, स्टोर्स एवं स्पेयर का अपूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन, गलत एमआईएस और डाटा समरूपता का अभाव हुआ।
- सामग्री आवश्यकता योजना व्यक्तिपरक बनी रही क्योंकि इसे इआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भी हस्त्यरूप से किया जा रहा था।

*(पैरा 3.7)*

हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की लागत के प्रति ₹ 13.22 करोड़ निवेश करने के बाद ऑरेकल ई-बिजनस सूट आर12 इआरपी प्रणाली कार्यान्वित की थी। तथापि, यह देखा गया कि आईटी प्रणाली ने आईटी नीतियों एवं लोजिकल एक्सेस नियंत्रण को दस्तावेजीकृत नहीं किया। मास्टर डाटा की गुणवत्ता भी खराब पाई गई थी। हमने वित्तीय अभिलेखों में मानवीय हस्तक्षेप की अपेक्षा रखने वाली अचल सम्पत्तियों के मूल्यहास की प्रयोज्यता पर प्रणाली में कमियां और भुगतान मॉड्यूल के कार्यान्वयन में विलम्ब देखें।

*(पैरा 2.1)*

सेवानिवृति पर 300 दिनों से अधिक एचपीएल के साथ बीमारी अवकाश या अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अवकाश नियामवली/नीति डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी और इसके परिणामस्वरूप 4सीपीएसईस के संबंध में अप्रैल 2006 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 157.91 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अलावा, दो सीपीएसईज (आईओसीएल एवं गेल) ने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के आधार पर ₹ 12.15 करोड़ का अनियमित योगदान दिया। इसके अलावा, गेल ने मार्च 2008 से पूर्व भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण पर ₹ 14.94 करोड़ के कर्मचारी के योगदान हिस्से का समायोजन नहीं किया था।

*(पैरा 8.1)*

## अध्याय I : भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

### भारत हैवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड

#### 1.1 भूमि का गैर-नियमितीकरण तथा पट्टा विलेख के क्रियान्वयन में विलम्ब

नोएडा में आवंटित क्षेत्र से अधिक रखी गई भूमि के 1.22 एकड़ के अवधारण पर निर्णय लेने में असामान्य विलम्ब से भेल पर ₹ 45.44 करोड़ का परिहार्य बोझ संभावित है। टाउनशिप के लिए पट्टा विलेख भूमि के अन्यथा वास्तविक शीर्षक से भेल को वंचित करके क्रियान्वित होना शेष है।

न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथोरिटी (नोएडा) ने 1.06 करोड़ (@ ₹ 175 /वर्गमीटर) के प्रीमियम पर सेक्टर 17, नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड (भेल) को 15 एकड़ भूमि आवंटित की (अप्रैल 1981)। भूमि का कब्जा देते हुए नोएडा ने भेल को निकटवर्ती 15 एकड़ भूमि का स्वामित्व सौंपा जिसे नोएडा द्वारा शॉपिंग कम्प्लेक्स /विद्यालय/पार्क/सड़क आदि के लिए उपयोग किया जाना था। इस निकटवर्ती 15 एकड़ भूमि में से नोएडा ने भेल को विद्यालय के लिए ₹ 4.51 लाख में 1.5 एकड़ भूमि आवंटित की (जुलाई 1987) जिसके लिए पट्टा विलेख को मई 1989 में निष्पादित किया गया था।

भूमि के संरक्षण के लिए, भेल ने इसको आवंटित भूमि के साथ-साथ नोएडा से संबंधित निकटवर्ती भूमि को कवर करने वाली एक चार दीवारी का निर्माण किया (1989-90)। यद्यपि इस चार दीवारी का निर्माण करते समय भेल ने अपने कब्जे के तहत अपने निर्माण को 30 एकड़ भूमि से अधिक बढ़ाया। नोएडा ने भेल से इस चारदीवारी को समाप्त करने के लिए कहा (नवम्बर 1992)। भेल ने नोएडा को सूचित किया (नवम्बर 1992) कि सुरक्षा मामलो के संबंध में चारदीवारी की जगह बदली नहीं जा सकती। भेल के साथ भूमि के संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2000) के दौरान, नोएडा ने पाया कि नोएडा द्वारा सौंपी गई 30 एकड़ भूमि के प्रति 31.22 एकड़ क्षेत्र भेल के कब्जे में थी। तदनुसार, नोएडा ने भेल द्वारा रखी गई 1.22 एकड़ अधिक भूमि के प्रति ₹ 3.45 करोड़ की मांग जारी की (फरवरी 2001)। तथापि, भेल ने नोएडा को इस भूमि की कीमत का भुगतान करने से इस आधार पर मना किया कि अतिरिक्त भूमि केवल सामान्य/समाज कल्याण /खुले क्षेत्र हेतु थी। नोएडा ने इसे स्पष्ट किया (अक्टूबर 2002) कि भेल को या तो चारदीवारी हटानी चाहिए या प्रचलित दरो पर 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए देयो



का भुगतान करना चाहिए। तथापि, भेल को अभी मामले पर निर्णय लेना था तथा नोएडा द्वारा भेल को आवंटित 15 एकड़ प्लॉट का पट्टा विलेख अभी तक अनिष्पादित था (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि समय के साथ सर्कल दरों में वृद्धि के कारण भेल अब अपने पास रखी 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि के संदर्भ में नोएडा द्वारा फरवरी 2001 में पहले ही मांग किए गए ₹ 3.45 करोड़ के बजाय ₹ 48.89 करोड़ (सेक्टर 17 नोएडा जहां प्लॉट स्थिति है, के लिए लागू अगस्त 2014 की नोएडा सर्कल दर के अनुसार ) की अनुमानित राशि की संभावित देयता का सामना करता है।

भेल ने कहा (फरवरी 2013) कि अगस्त 1982 से नोएडा के बार-बार दोहराने तथा अनुसरण के बावजूद पट्टा विलेख को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा उन्होंने अपने स्वामित्व के तहत अतिरिक्त 1.22 एकड़ भूमि के लिए शुल्क का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की थी तथा नोएडा को पट्टा राशि तथा अन्य देयों को सूचित करने का अनुरोध किया था (दिसम्बर 2012)। भेल ने आगे कहा (दिसम्बर 2014) कि पट्टा विलेख के क्रियान्वयन तथा अतिरिक्त भूमि (1.22 एकड़) की कीमत तथा अन्य देयों पर बातचीत करने के लिए गठित (फरवरी 2013) समिति का मत था (अप्रैल 2014) कि सामान्य क्षेत्र (सड़क तथा सड़क के किनारे) के रूप में 1.22 एकड़ भूमि नोएडा से संबंधित थी तथा 1.22 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए भुगतान करना अनावश्यक था क्योंकि भेल द्वारा भूमि आवसीय उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर ने संकेत दिया कि काफी समय बीत जाने के पश्चात भी, भेल अभी भी 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि की कीमत के लिए भुगतान करने या इसे नोएडा को सौंपने के मामले पर दुविधा में था। इसके अलावा, एक उचित वरिष्ठ स्तर पर तथा मंत्रालय के हस्तक्षेप जो नहीं किया गया था, के माध्यम से संभव काफी समय से लम्बित मामले को लेना भेल के हित में था। इसके परिणामस्वरूप भेल अब ₹ 45.44 करोड़ (अगस्त 2014 से लागू नोएडा सर्कल दर पर आधारित ₹ 48.89 करोड़ के अनुमानित मूल्य के लिए अक्टूबर 2002 में ₹ 3.45 करोड़ की मांग में वृद्धि ) की अतिरिक्त संभावित देयता का सामना कर रहा है जबकि भूमि के अन्यथा वास्तविक शीर्षक से भेल को वंचित करते हुए भेल को आवंटित भूमि के 15 एकड़ प्लॉट के लिए पट्टा विलेख अभी तक अक्रियान्वित था (जनवरी 2015)।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

## 1.2 विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारों के भुगतान के प्रति परिहार्य व्यय

हैवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद ने मुम्बई बन्दरगाह से आयातित सामग्री की निकासी में असामान्य विलम्ब के कारण विलम्बन एवं अवरोधन प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 16.27 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सीमाशुल्क नियमावली 2013 के अनुसार, माल के आयातकर्ता को निर्धारित रूप से घरेलू खपत या वेयरहाउसिंग के लिए प्रविष्टि बिल को फाइल करके सीमाशुल्क स्टेशन पर आयात सामान्य मालसूची (आईजीएम) में वर्णित विवरणों के अनुसार माल के आगमन के पश्चात सीमाशुल्क निकासी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है।

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 48 के अनुसार पोर्ट पर माल की उत्तराई के पश्चात, उसकी निर्धारित समय के अन्दर आयातकर्ता द्वारा निकासी की जानी है अथवा पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा उद्घाटित विलम्बन प्रभार को व्यय किया जाना है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मेजर पोर्टों के टैरिफ प्राधिकरण ने दिनांक 31 मई 2000 के आदेश संख्या 77 द्वारा अधिसूचित किया कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मामले में, माल की निकासी के लिए स्वीकृत समय तीन कार्यकारी दिवस या इन तीन कार्यकारी दिवसों की समाप्ति पर पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा उद्घाटित विलम्बन शुल्क का आयातकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, कंटेनरों के लिए अवरोधन प्रभार शिपिंग एजेंटों को अनुबंधात्मक वितरण अवधि से अधिक भुगतान किया जाना है।

क्षेत्रीय परिचालन डिविजन (आरओडी), मुम्बई, भेल की एक इकाई निकासी एजेंटों का प्रबंध करना, माल के वितरण के लिए मालभाड़ा अग्रेषक का प्रबंध करना तथा उससे ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान जैसी संबंधित इकाईयों के लिए सहायक कार्य करती है। बाद में आरओडी सभी आयातित खरीद आदेशों हेतु किए गए व्यय के लिए संबंधित इकाई को डेबिट नोट पास करता है। आईजीएम के फाइल करने के संदर्भ में आरओडी, मुम्बई के साथ एचपीईपी समन्वय दस्तावेज यूनिट या साइट को प्रविष्टि\* के बिल और मालभाड़ा प्रबंधनों के लिए आवश्यक थे। एचपीईपी सीमाशुल्क की निकासी तथा लागू कर रियायतें देने का दावा करने के दस्तावेज अग्रेषित भी करता है। एचपीईपी को पोर्ट पर खेप के लोड होने से पूर्व आरओडी के साथ आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है।

\* हस्ताक्षरित बीजक प्रति, पैकिंग लिस्ट, लोडिंग के बिल/एयरवे बिल, आयात लाइसेंस, क्रेडिट लेटर, मूल प्रमाणपत्र, बीमा दस्तावेज, मशीनरी की तकनीकी राइट अप, स्पेयर आदि।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2010-14 के दौरान मुम्बई पोर्ट पर प्राप्त एचपीईपी द्वारा दिए आर्डर के 144 आयातित खेपो की निकासी में 19 दिनों से 520 दिनों के बीच तीन कार्यदिवसों से अतिरिक्त असामान्य विलम्ब निम्नलिखित कारणों की वजह से था:

- 63 खेपो के संबंध में आरओडी, मुम्बई को सीमाशुल्क का मोड ऑफ एस्सेसमेंट (एमओए) जारी करने में विलम्ब;
- 15 खेपो के संबंध में आवश्यक आयात दस्तावेजों की देर से प्रस्तुति ;
- सीमाशुल्क स्पष्टीकरण/10 खेपो के संदर्भ में संशोधित बीजको एवं लाइसेंसों की प्रस्तुति में विलम्ब ;
- सीमाशुल्क वेयरहाउस/हाई सी सेल/बीई संशोधनों में बांडिड माल, 10 खेपो के संदर्भ में आयात लाइसेंस की देर से प्राप्ति, तथा
- 46 खेपो के संदर्भ में विलम्ब का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, आरओडी, मुम्बई तीन दिनों के अपेक्षित समय के अन्दर खेपो की निकासी नहीं कर सका जिसके कारण 2010-14 की समयावधि के दौरान एचपीईपी द्वारा ₹16.27 करोड़ के विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारों का भुगतान हुआ।

एचपीईपी ने तथ्यों तथा आँकड़ों पर बहस न करते हुए अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारों को एमओए की अनुपलब्धता, सामग्री की प्राप्ति के समय दस्तावेजों तथा लाइसेंसों की अनुपलब्धता, यातायात की सुविधा के अभाव आदि के कारण व्यय किया गया था। इसके अलावा, भेल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित एजेंसियों से सदस्यों को शामिल करने वाली एक क्रॉस फंक्शनल टीम (सीएफटी) को मामलों पर ध्यान देने तथा तंत्र में सुधार का परामर्श देने तथा यूनिट पर विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारों को कम करने के लिए गठित किया गया है। इसके अलावा, यह उत्तर दिया गया कि केवल 4 मामलों में 350 दिनों से अधिक (विलम्बन/अवरोधन प्रभार ₹ 65 लाख व्यय किया गया) तथा एक मामले को 520 दिनों से अधिक (विलम्ब शुल्क ₹ 3.25 लाख) में निपटाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि:-

- सीमाशुल्क प्राधिकारियों एवं विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की ओर से विलम्ब जिन्होंने तकनीकी विवरण पर प्रश्न उठाए, मूल बैंक सत्यापित बीजक जिसमें अधिक समय लगा, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने परियोजना आयात

पंजीकरण अर्थात आयातित मदों के विवरण की मद सूची, सामग्री की परिवर्तित आवश्यकता के कारण व्यक्तिगत पीओ पंजीकरण, 2010 के दौरान सीमाशुल्क निकासी प्रक्रिया में परिवर्तन, के लिए दस्तावेजों की संवीक्षा करने में समय लिया;

- अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने में ग्राहकों की ओर से विलम्ब;
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में परिवर्तन के कारण अग्रिम लाइसेंस के मामले में जारी मूल परियोजना प्रमाणपत्र में संशोधन;
- एक लाइसेंस से संबंधित कार्गो एक ही समय परन्तु विभिन्न बन्दरगाह स्थलों (जेएनपीटी, मुम्बई पोर्ट, मुम्बई /दिल्ली एयरपोर्ट) पर पहुंचती है अंततः जिसके कारण सीमाशुल्क निकासी गतिविधियों को श्रेणी में किया जाना है।

उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की आवश्यकता है:-

- यह एक ज्ञात तथ्य था कि आयातित खेप की निर्धारित समय अर्थात तीन कार्यदिवसों के अन्दर निकासी करनी थी तथा यह विलम्ब से बचने के लिए एक उपयुक्त परिचालन प्रक्रिया के निर्माण हेतु यूनिट के लिए अनिवार्य था। इसका प्रयास केवल जनवरी 2014 में किया गया था।
- उक्त वर्णित रूप में अन्य कारण आयातित सामग्री की निकासी के लिए दस्तावेजों की प्रस्तुति में प्रक्रियात्मक चूके थी जिससे उपयुक्त रूप से निर्मित परिचालन प्रक्रिया को अपना कर बचा जा सकता है।
- यद्यपि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार एफटीपी की प्रक्रियाओं में परिवर्तन था, तथापि पोर्ट से माल की निकासी के लिए अनुमत अनुबंधित समय तीन कार्यकारी दिवस रहा। इसलिए तीन कार्यकारी दिवसों के अन्दर निकासी किया माल प्राप्त करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व था।

इस प्रकार, मुम्बई पोर्ट पर माल की उत्तराई करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों का प्रबंध करने में एचपीईपी के कारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 2010-14 की समयावधि के दौरान ₹ 16.27 करोड़ के विलम्बन तथा अवरोधन प्रभार का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला नवम्बर 2014 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

### 1.3 रेल वैगन की खरीद पर निरर्थक व्यय

भेल द्वारा अपूर्ण योजना तथा बाद में 28 एक्सल विशेष रेल वैगन का उपयोग न होने के परिणामस्वरूप वैगन की खरीद पर ₹ 12.04 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपने थर्मल उत्पादन सेट निर्माण सुविधाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को स्वीकृति दी (जून 2009) जिसमें इसके हैवी इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट प्लांट (एचईईपी), हरिद्वार के लिए 600/660 एमडब्ल्यू टर्बो जनरेटर (टीजी) स्टेटरो के परिवहन हेतु 28 एक्सल विशेष रेल वैगन (वैगन) एवं कैरियर लोडिंग बीम की खरीद शामिल थी। इस वैगन को सड़क की तुलना में सुरक्षित तथा मितव्ययी परिवहन साधन उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित किया गया था क्योंकि इसे संकीर्ण सड़को पर मोड़ो, आपत्तियों/दुर्घटनाओं तथा मानसून के मौसम में जोखिमो को कम करने के अलावा सड़को को मजबूत करने, बाईपास बनाने, पुलो के पुनः व्यवहार आदि से संबंधित क्रियाकलापो की आवश्यकता नहीं थी।

इसी बीच, हीप हरिद्वार ने भी तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) को जून 2010 तक वितरित की जाने के लिए निर्धारित 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर के मौजूदा आर्डर की आपूर्ति के लिए उक्त वैगन के उपयोग की योजना बनाई। तदनुसार हीप हरिद्वार ने वैगन की आपूर्ति के लिए झांसी में अपनी सहायक यूनिट भेल पर एक एकल संविदा निरीक्षण आरम्भ किया (मई 2009) तथा बाद में 24 माह का निर्धारित वितरण उद्धरित करने वाला अपना ऑफर प्रस्तुत किया (जून 2009)। टीएनईबी को 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर के निर्धारित वितरण को ध्यान में रखते हुए, हीप हरिद्वार ने भेल झांसी को वितरण अवधि कम करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2009)। बाद में वितरण अवधि को 24 माह से 18 माह तक कम करने के लिए सहमत हुए (फरवरी 2010)। ₹ 7.95 करोड़ मूल्य का एक क्रय आदेश (पीओ) भेल झांसी को 25 सितम्बर 2011 तक वैगनो के निर्धारित वितरण के साथ जारी किया गया था (मार्च 2010)।

हीप हरिद्वार ने भी यूरो 383871.38 (₹ 2.83 करोड़ लैंडिड लागत) के मूल्य पर इस वैगन से जुड़ने वाले कैरियर लोडिंग बीम की खरीद के लिए मै. टकरक जीएमबीएच, जर्मनी को एक क्रय आदेश दिया (फरवरी 2010)। हीप हरिद्वार में मार्च 2012 में कैरियर लोडिंग बीम प्राप्त किया गया था जबकि वैगन को सितम्बर 2011 के निर्धारित वितरण से 7 माह के विलम्ब के पश्चात केवल अप्रैल 2012 में प्राप्त किया गया था।

₹ 12.04 करोड़\* की लागत के वैगन को अंतिम रूप से भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संस्थान, लखनऊ द्वारा निरीक्षण के पश्चात नवम्बर 2012 में चालू किया गया था।

जैसाकि वैगन की खरीद प्रक्रिया विलम्बित थी अतः हीप हरिद्वार को जून 2011 में सड़क द्वारा टीएनईबी को 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर की आपूर्ति करनी पड़ी। नवम्बर 2012 में वैगन के चालू होने के पश्चात भी वैगन का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका (जनवरी 2015) क्योंकि वैगन को मुख्य रूप से डिजाइन किया गया था तथा इसे रेलवे साइडिंग, ट्रेक के दोनो तरफ आरसीसी प्लैटफार्म, खेप की उत्तराई की सुविधा तथा भारतीय रेलवे से ओवर डिमेंशनल क्लीयरेंस (ओडीसी) प्रमाणपत्र जैसी अपेक्षित सुविधाओं के साथ केवल साइटो पर उपयोग किया जा सकता है। ऊंचाई/चौड़ाई बाधाओं, पुल मार्गों के सीमित होने, लोडिड वैगन की लम्बाई की वजह से ट्रेक की टर्निंग में बाधाओं, लोडिड वैगन की सीमित अधिकतम गति तथा यात्री ट्रेन ट्रेफिक/माल ट्रेन ट्रेफिक की अधिक भीड़ के कारण ओडीसी केवल कुछ जगहों पर ही संभव है। जैसाकि न केवल टीएनईबी को टीजी स्टेटर सड़क द्वारा भेजा जाना था अपितु हीप हरिद्वार को भी 600 एमडब्ल्यू तथा इससे अधिक के अन्य टीजी स्टेटरों के 15 खेपों को मालभाड़े के रूप में ₹ 17.36 करोड़ का व्यय करते हुए दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान सड़क द्वारा वितरित करना पड़ा था। इस प्रकार खरीद में विलम्ब तथा परिचालन तौर तरीकों की दोषपूर्ण योजना तथा भारतीय रेलवे से आवश्यक क्लियरेंस के कारण ₹ 12.04 करोड़ की लागत पर खरीदे गए वैगन तथा सहायक कैरियर लोडिंग बीम को इसकी खरीद के आरम्भिक निर्णय के पांच वर्षों से अधिक के पश्चात भी सार्थक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

भेल (नवम्बर 2014/जनवरी 2015) तथा भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (मार्च 2015) ने कहा कि:

- 600 एमडब्ल्यू तथा इससे अधिक क्षमता के टीजी स्टेटरों हेतु लम्बित तथा आगामी ऑर्डरों के लिए ओडीसी प्राप्त करने तथा वैगन के उपयोग के लिए कठिन प्रयास किए जा रहे थे। वर्तमान में, प्रयागराज परियोजना के लिए टीजी स्टेटरों को वैगन पर लोड किया गया था तथा वितरित किया जा रहा था, तथा

---

\* वैगन के संदर्भ में उत्पादन शुल्क, मालभाड़ा, आकस्मिक तथा परामर्श शुल्क तथा कैरियर लोडिंग बीम के संदर्भ में समुद्री/वायु मालभाड़े तथा आकस्मिक प्रभारों के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात।

- रेल द्वारा उसके वैगन में टीजी स्टेटरो के परिवहन में रेलवे को देय मालभाड़ा, ट्रांस-शिपमेंट (लदान/उत्तराई), साइट के लिए रेल शीर्ष से सड़को के निर्माण आदि के कारण अधिक लागत सम्मिलित है।

उत्तर को इन तथ्यों के प्रति देखा जाना है कि:

- परिवहन के सुरक्षित तथा मितव्ययी साधन प्रदान करने के लिए योजनित वैगन को जनवरी 2015 तक उपयोग नहीं किया गया था भले ही इसे चालू होने के दो से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी तथा इसके चालू होने के पश्चात भेजे गए सभी 15 खेपों को केवल सड़क द्वारा वितरित किया गया। ओडीसी पर प्रतिबंधों तथा देश में रेलवे साइडिंगों पर अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर सीमाओं के कारण, वैगन को भविष्य में सार्थक उपयोग में लगाना भेल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के अनुरोध पर (जनवरी 2015) भेल ने स्वयं के रेल वैगन की तुलना में सड़क द्वारा परिवहन के माध्यम से टीजी स्टेटरो के परिवहन की संभावित लागत बचत का विश्लेषण प्रदान नहीं किया ताकि सड़क के माध्यम से वितरित खेपों पर निवल अतिरिक्त व्यय प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार, वैगन की खरीद के लिए दोषपूर्ण योजना ने सुरक्षित तथा मितव्ययी परिवहन की सुविधा से भेल को वंचित करने के अलावा ₹ 12.04 करोड़ का निरर्थक निवेश किया था।

#### 1.4 बिक्री कर के भुगतान के लिए निधियों का अवरोधन

कारोबार पर कर की रियायत प्राप्त करने के लिए फार्म सी के शीघ्र संग्रहण में हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद की विफलता के परिणामस्वरूप 8 माह से 5 वर्षों के बीच की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान के प्रति ₹ 9.67 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 तथा सीएसटी पंजीकरण तथा कारोबार (आरएंडटी) नियमावली 1957 के अन्तर्गत, राज्य के पंजीकृत डीलर फॉर्म सी में वर्णित घोषणाओं की प्रस्तुति के प्रति अन्तर राज्य संव्यवहारों पर कर रियायतों तथा छूटों को नियत करने के योग्य है। निर्धारितियों को देय तिथियों पर या उससे पूर्व बिक्री कर प्राधिकारियों (प्राधिकारियों) को बिक्री कर जमा करना अपेक्षित है। निर्धारित प्रोफार्मा में बिक्री कर विवरणी को बनाने तथा प्रत्येक माह प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिक्री कर को पंजीकृत डीलर द्वारा जारी होने वाले फॉर्म सी के प्रति

अन्तर राज्य बिक्रियो पर रियायती दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(4)(क) अनुबंधित करती है कि कर की रियायती दर केवल तभी लागू होगी यदि निर्धारित वर्णित फार्म सी में एक घोषणा प्रस्तुत करें।

जैसाकि आंध्र प्रदेश में वितरित माल हेतु लागू बिक्री कर 14.5 प्रतिशत था अतः प्राधिकारियों को फार्म सी की प्रस्तुति न करने से पहले ही उद्धग्रहित दो प्रतिशत सीएसटी के अतिरिक्त 12.5 प्रतिशत अधिक बिक्री कर आकृष्ट हुआ। चूंकि एचपीईपी अन्तर राज्य बिक्री के लिए दो प्रतिशत दरदोपर सीएसटी (अर्थात रियायती दर\* पर) का भुगतान कर रहा था अतः इसे प्राधिकारियों को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ग्राहक रियायती दर पर ये माल प्राप्त करने का पात्र होगा। अन्यथा एचपीईपी को लागू रूप में शेष देय बिक्री कर के साथ जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से एचपीईपी को अपने ग्राहको से शीघ्रता से फार्म सी का संग्रहण तथा ऐसे मामले जहां फार्म सी प्राप्त नहीं हुआ था, में अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एचपीईपी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 (पूर्ण) के लिए ₹ 9.67 करोड़ (₹ 32.99 करोड़ के मांग नोटिस के प्रति बिक्री कर की भिन्नता दर होने के नाते) का व्यय किया। अभिलेखों की जांच से पता चला कि एचपीईपी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (पूर्ण) के लिए ₹ 340 करोड़ (2009-10 में ₹ 214 करोड़ तथा 2010-11 में ₹ 126 करोड़) के रियायती कारोबार के लिए फार्म सी का संग्रहण नहीं किया और इसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, एचपीईपी ने निर्धारण प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात ग्राहको से ₹ 214 करोड़ (वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 158 करोड़ तथा वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 56 करोड़) के कुल कारोबार के लिए फार्म सी का संग्रहण किया। इसने ₹ 126 करोड़ (2009-10 के लिए ₹ 56 करोड़ तथा 2010-11 के लिए ₹ 70 करोड़) के शेष कारोबार के लिए फार्म सी का संग्रहण नहीं किया। ₹ 126 करोड़ के इस शेष कारोबार में से, दो प्रमुख ग्राहको अर्थात (डीवीसी कोडर्मा से ₹ 74 करोड़ तथा पीपीसीएल से ₹ 34 करोड़) से ₹ 108 करोड़ के फार्म सी की प्राप्ति लम्बित थी।

भेल ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2015) कि (i) लम्बित फार्म सी की समीक्षा नियमित आधार पर की जा रही है तथा लम्बित फार्म सी के संग्रहण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं, (ii) संबंधित वर्षों के लिए अपीले अभी भी हैं तथा भेल पूर्व-डिपॉजिट राशि

---

\* क्रेता डीलर प्री-प्रिंटिड फार्म में एक घोषणा प्रस्तुत करके ऐसे लेन-देनो को सुनिश्चित करता है कि उसने बीजक, मद उद्देश्य आदि जैसा सार विवरण देकर ऐसा माल प्राप्त किया है।



के प्रतिदाय का पात्र है, इसलिए ₹ 9.67 करोड़ राशि को तब तक अतिरिक्त व्यय के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता जब तक मामले को अंतिम अपीलीय प्राधिकारण द्वारा समाप्त न किया जाए, (iii) डीवीसी कोडर्मा तथा पीपीसीएल के मामले में, यूनिट ने फार्म सी के संग्रहण हेतु ग्राहको के लगातार सम्पर्क किया गया है।

उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की जाने की आवश्यकता है:

- यद्यपि एचपीईपी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवाद लम्बित अपील के तहत ₹ 9.67 करोड़ की अतिरिक्त मांग का भुगतान किया है तथापि, तथ्य यह है कि फार्म सी को बिक्री कर निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता से पूर्व ग्राहक से संग्रहित किया जाना था।
- एचपीईपी ने स्वयं को एक परिहार्य स्थिति में डाल दिया है अब जबकि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना पूर्ण रूप से इसके ग्राहको पर निर्भर है जो एक बेहतर कार्य प्रणाली नहीं है।

इस प्रकार, एचपीईपी की इसके ग्राहको से फार्म सी के शीघ्र संग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप 8 माह से 5 वर्षों के बीच की अवधि हेतु बिक्री कर के भुगतान के लिए ₹ 9.67 करोड़\* की निधियों का अवरोधन हुआ।

मार्च 2015 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

### **1.5 सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति के बिना मूल्य भिन्नता के आहरण के कारण हानि**

भेल द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयातित सामग्री पर विनिमय दर भिन्नता हेतु निविदा शर्त के अवांछित आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ की हानि हुई।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने रिएक्टेड हैडर एसेम्बली सेट के चार सेट, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी) प्रत्येक के लिए दो सेटों के निर्माण, आपूर्ति, वितरण तथा गारंटी के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से त्रिची में अपने हैवी प्रेशर बॉयलर प्लांट (यूनिट) के माध्यम से ₹ 99.30 करोड़ की कुल लागत पर दो

\* 2006-07 - ₹ 1.68 करोड़, 2007-08 - ₹ 1.95 करोड़, 2008-09 - ₹ 3.23 करोड़, 2009-10 - ₹ 1.39 करोड़ 2010-11 - ₹ 1.42 करोड़।

ऑर्डर प्राप्त किए (अक्टूबर 2010)। आपूर्ति को अप्रैल तथा अक्टूबर 2012 तक पूरा किया जाना था जिसे केएपीपी तथा आरएपीपी हेतु क्रमशः अक्टूबर तथा दिसम्बर 2014 तक बढ़ा दिया गया। संविधा दस्तावेज में सम्मिलित करार की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खण्ड 5.4.3 के अनुसार, मूल्य समायोजन को जीसीसी के खण्ड 5.5 में निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार पूर्वकार्य मूल्य के +/-20 प्रतिशत की सीमा तक आयातित सामग्री घटको\* पर स्वीकृति दी जाएगी।

आर्डर के लिए बोली लगाते समय, यूनिट ने मूल्य भिन्नता (पीवी) से संबंधित संविदा शर्त को माना तथा कुल पूर्व कार्य मूल्य ₹ 98.73 करोड़ तक अनुमानित किया गया था (मार्च 2010) जिसमें ₹ 62 प्रति यूरो की विनियम दर (फरवरी 2010) पर विचार करते हुए ₹ 61.81 करोड़ के एक आयात घटक सम्मिलित थे। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, एनपीसीआईएल ने जीसीसी के खण्ड 5.4 एवं 5.5 की अशर्त स्वीकृति की मांग की (अप्रैल 2010) परन्तु यूनिट के वाणिज्यिक प्रबंधन ने एनपीसीआईएल को इसकी पुष्टि की (मई 2010) कि सामग्री भाग स्थिर था तथा इससे आयातित सामग्री पर विनिमय दर भिन्नता के प्रति सुरक्षा को वापिस लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कार्यकारी निदेशक (ईडी) की स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस निर्णय को सूचित किया। चूंकि मूल्य अनुमानों को यूनिट के ईडी द्वारा स्वीकृत किया गया था, अतः इसमें कोई भी परिवर्तन ईडी की स्वीकृति से किया जाना चाहिए। इसी बीच, यूनिट ने बोली प्रस्तुति के समय अनुमानित ₹ 62 प्रति यूरो के प्रति विनिमय दर भिन्नता जो ₹ 69.12 तथा ₹ 78.38 प्रति यूरो के बीच थी, के कारण ₹ 11.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करते हुए मई 2012 से जून 2013 की समयावधि के दौरान यूरो 97.98 लाख (₹ 72.67 करोड़) मूल्य की सामग्री का आयात किया। परिणामस्वरूप, यूनिट ने आयातित सामग्रियों पर विनिमय दर भिन्नता पर पीवी के आहरण के कारण ₹ 7.38 करोड़ की हानि उठाई।

यूनिट ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ऑफर की प्रस्तुति के समय, विनिमय दरे गिरावट पर थी तथा इसे ध्यान में रखते हुए विनिमय दर भिन्नता को पीवी खण्ड के लिए माना नहीं गया था। तकनीकी मूल्यांकन अवधि के दौरान, बाजार अस्थिरता के कारण यूरो ₹ 62 प्रति यूरो जिस पर बोली प्रस्तुत की गई थी, के प्रति ₹ 58 था। तथापि, तथ्य यह है कि विनिमय दर भिन्नता सुरक्षा संविदा शर्तों में उपलब्ध थी तथा एनपीसीआईएल से किसी आग्रह के बिना प्रबंधन, वाणिज्यिक यूनिट ने अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार स्थिति में तीन माह की पद्धति के आधार पर इसका पूर्णतया आहरण किया तथा यह आशा

---

\* सामग्री तथा श्रम के विभिन्न प्रकार के गुणोंको के शामिल एक तक जोड़े जाने के लिए

व्यक्त की कि यह दो वर्षों से अधिक की अनुबंध अवधि को जारी रखेगा जो कम्पनी के वित्तीय हितों के लिए हानिकारक साबित हुआ। इसके अतिरिक्त, राजस्व पर अधिक प्रभाव वाले ऐसे एक महत्वपूर्ण निर्णय को सूचित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयातित सामग्रियों पर विनिमय दर भिन्नता के लिए निविदा शर्त के अनापेक्षित आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ की हानि हुई।

मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

#### सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

#### **1.6 पर्याप्त वित्त के बिना आरंभ की गई परियोजना विस्तार गतिविधियों के कारण निष्फल निवेश हुआ।**

गैर-संचालन यूनिटों की बिक्री सुविधा के लिए प्रभावी उपायों के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विस्तार गतिविधियों में जोखिम के परिणामस्वरूप ₹ 26.60 का निष्फल निवेश हुआ।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कम्पनी) को पुनः बनाने के लिए, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 90.51 करोड़ के निवेश के साथ कम्पनी की बोकाजन (असम) यूनिट के विस्तार की परिकल्पना वाली एक योजना (दी स्कीम) को मंजूरी दी (3 मई 2006)। योजना के अनुसार विस्तार कार्य को प्रथम चरण में भारत सरकार के वित्तपोषण (₹ 20.02 करोड़) तथा द्वितीय चरण में कम्पनी की सात गैर-परिचालन यूनिटों की बिक्री प्रक्रियाओं से ₹ 70.49 करोड़ के शेष द्वारा आंशिक रूप से किया जाना था। चूंकि बोकाजन यूनिट का आंशिक विस्तार व्यवहार्य नहीं था अतः कम्पनी ने एक चरण में विस्तार परियोजना को करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने मै. प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रिज लिमिटेड (दी कान्ट्रेक्टर) को ₹ 142.40 करोड़ की कुल लागत पर एलओआई की तिथि से 18 माह के अन्दर पूर्ण होने के लिए टर्की आधार पर बोकाजन यूनिट के विस्तार के लिए लेटर ऑफ इन्टेंट (एलओआई) जारी किया (24 सितम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना गतिविधियां भुगतान की शर्तों के अनुसार क्रेडिट पत्र (एलसी) खोलने में कम्पनी की विफलता, ठेकेदार द्वारा खराब परियोजना संघटन, क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था की समस्या तथा ऐसे ही कारकों के कारण प्राथमिक शुरुआत से निर्धारित के पीछे था। इसी बीच, सात गैर-संचालन यूनिटों की परिसम्पत्तियों की बिक्री ₹ 15.22 करोड़ मूल्य की भूमि के शीर्षक विलेखों के अभाव तथा 2,737.10 एकड़ (योजना की मंजूरी के समय पर समाप्त) माप की भूमि के खनन पट्टे के समाप्त होने के कारण नहीं हुई। कम्पनी ने पुष्टि की कि यद्यपि गैर परिचालन यूनिटों की बिक्री के लिए 2008 से प्रयास किए गए थे तथापि, ये सफल नहीं हो सके क्योंकि सभी सफल बोलीदाताओं ने खनन पट्टे के नवीकरण, संबंधित राज्य सरकारों के सांविधिक देयों की निकासी तथा भूमि के शांतिपूर्वक हस्तांतरण की मांग की। कम्पनी वित्तीय संकट के कारण ठेकेदार के बिलों को चुकाने में सक्षम नहीं थी जिसने अंतिम रूप से ठेकेदार को सभी परियोजना गतिविधियों को निलंबित (मई 2014) करने के लिए मजबूर किया। कम्पनी ने अभी तक (मार्च 2015) विस्तार गतिविधियों पर ₹ 26.60 करोड़ का व्यय किया था।

कम्पनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि (i) सात गैर-परिचालन यूनिटों की बिक्री बेहतर प्रयासों के बावजूद भी नहीं की जा सकी जिसने विस्तार कार्य को जोखिम में डाला, (ii) व्यय मूलधन प्रकृति का था तथा परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था और इसका लाभप्रद उपयोग करना होगा, तथा (iii) इसने मामला भारी उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया था तथा गैर-परिचालन यूनिटों की बिक्री पर प्रतिदाय योग्य बीई 2015-16 में ₹ 95.40 करोड़ की सहायता मांगी थी।

उत्तर इस तथ्य को नहीं लेता कि कम्पनी भूमि के शीर्षक विलेखों को नियमित करने तथा पट्टा लाइसेंस के नवीकरण में विफल हुई थी भले ही इसमें योजना की स्वीकृति से एलओआई जारी करने तक चार वर्ष थे। कम्पनी यह जानती थी कि इन मामलों को गैर परिचालन यूनिटों की बिक्री की सुविधा के लिए सुधारा जाना था। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अधिक प्रगति किए बिना, कम्पनी ने विस्तार गतिविधियों को करने का साहस किया जिसने इसे एलसी खोलने तथा ठेकेदार के बिलों को चुकाने के लिए विवश किया। कम्पनी के अनुमान (मई 2014) के अनुसार, लागत वृद्धि के बिना परियोजना को पूरा करने के लिए कम से कम ₹ 216 करोड़ आवश्यक थे (दिए गए कार्यों सहित)। इसके अलावा, बोकाजन यूनिट की व्यवहार्यता संदिग्ध थी क्योंकि घाटे से अधिशेष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मांग परिदृश्य को बदलने के लिए उत्तरी पूर्व (एनई) क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के साथ अधिक क्षमता वृद्धि हुई थी। इसलिए, यह संभव है कि कम्पनी निकट भविष्य में सात गैर परिचालन यूनिटों को बेचने की स्थिति में नहीं होगी तथा विशेष रूप

से कठिन प्रतिस्पर्धा और अधिक परिचालन लागत के साथ चुनौतीपूर्ण बाजार माहौल की पृष्ठ भूमि में वित्तीय सहायता हेतु मंत्रालय को मनाएगा।

इस प्रकार, गैर परिचालन यूनिटों की बिक्री की सुविधा के लिए प्रभावी उपायों के माध्यम से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विस्तार गतिविधियों को करने के परिणामस्वरूप ₹ 26.60 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

### हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 1.7 निष्क्रिय निवेश

कम्पनी ने कछार पेपर मिल पर एफबीसी बायलर चालू करने में विलम्ब के कारण 6 से अधिक वर्षों के लिए ₹ 22.07 करोड़ की अपनी निधि के अवरोधन के अलावा कोयले की खपत पर वार्षिक रूप से ₹ 4.35 करोड़ की परिचालन लागत में बचत का अवसर खो दिया।

कोयले की खपत कम करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने अपनी कछार पेपर मिल (सीपीएम) तथा नौगांव पेपर मिल (एनपीएम) प्रत्येक पर दो 50 टीपीएच मल्टीफ्यूल एफबीसी बायलर संस्थापित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2014) क्योंकि इसके पुराने बायलरों की कोयला खपत अधिक थी। मै. थर्मैक्स बेबकॉक एंड विलकॉक्स लिमिटेड पुणे को ₹ 34.97 करोड़ के कुल मूल्य पर दो पेपर मिलों के लिए दो 50 टीपीएच एफबीसी बायलरों की आपूर्ति के लिए एक आर्डर दिया गया था (मई 2005)। मै. थर्मैक्स इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन कम्पनी लिमिटेड (टीईसीसीएल), पुणे को ₹ 4.19 करोड़ की राशि के बायलरों के निर्माण तथा उसे चालू करने के लिए पृथक आर्डर भी दिया गया था (मई 2005)। बायलर जुलाई 2007 तक चालू होने के लिए नियत थे। यह परिकल्पित किया गया कि प्रत्येक बायलर के संस्थापन द्वारा ₹ 4.35 करोड़ की वार्षिक बचत होगी।

कम्पनी को सीपीएम पर बायलर के चालू करने के लिए टीईसीसीएल को 'सिविल फ्रान्ट' प्रदान करने थे जो खराब मिट्टी की स्थिति की वजह से प्रतिकूल मौसम स्थिति तथा अतिरिक्त संग्रहण कार्य के कारण विलम्बित (18 माह) हुआ। टीईसीसीएल ने विलम्ब के लिए ₹ 0.90 करोड़ की मूल्य वृद्धि का दावा किया (दिसम्बर 2008)। 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात, टीईसीसीएल ने साइट छोड़ दी (अक्टूबर 2009) तथा

बॉयलर के उन कुछ घटकों को बदलने की सूचना (नवम्बर 2009) कम्पनी को दी जो लम्बी अवधि के लिए अनुपयुक्त भंडारण के कारण क्षरित/नष्ट हो गई थी। कम्पनी ने ₹ 0.31 करोड़ मूल्य पर घटकों की खरीद की तथा टीईसीसीएल को शेष कार्य की बहाली का अनुरोध किया (सितम्बर 2010)। तथापि, टीईसीसीएल ने सूचित किया (मार्च 2011) कि वे मूल्य वृद्धि के प्रति अपने दावे के निपटान के पश्चात ही कार्य पुनः प्रारम्भ करेंगे। टीईसीसीएल ने आगे कम्पनी का बताया (जून 2012) कि मौजूदा कार्य आर्डर के अनुसार शेष कार्य का मूल्य ₹ 0.39 करोड़ की तुलना में ₹ 1.24 करोड़ होगा तथा एक संशोधित कार्य आर्डर की भी मांग की। कम्पनी ने टीईसीसीएल के ₹ 0.47 करोड़ के दावे को स्वीकार करने का निर्णय लिया (जून 2012) तथा साइट पर कर्मचारियों की संख्या संघटित करने के पश्चात टीईसीसीएल को ₹ 0.25 करोड़ दिए। बाद में, टीईसीसीएल ₹ 0.35 करोड़ के अपने दावे को निपटाने के लिए सहमत हुआ तथा शेष निर्माण कार्य के लिए कार्य आर्डर के संशोधन के साथ ₹ 0.25 करोड़ के अग्रिम की प्राप्ति के पश्चात कर्मचारियों की संख्या संघटित की।

टीईसीसीएल के माध्यम से शेष कार्य होने के बावजूद, कम्पनी ने कार्य आर्डर रद्द किया (30 अक्टूबर 2013) तथा टीईसीसीएल के जोखिम तथा लागत पर ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर बॉयलर के निर्माण, चालू करने तथा निष्पादन जांच के लिए मै. एम.एस. इरेक्टर, असम (एमएसई) को लेटर ऑफ इन्टेंट (एलओआई) जारी किया (4 नवम्बर 2013)। समापन की नियम तिथि एलओआई से 120 दिन अर्थात् 4 फरवरी 2014 तक थी। तथापि, एमएसई ने अक्टूबर 2014 तक केवल 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष कार्य किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कम्पनी सीपीएम पर बॉयलर चाले करने में विफल हुई क्योंकि अक्टूबर 2009 तक केवल 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। यद्यपि टीईसीसीएल ने घटी हुई कीमत<sup>1</sup> पर अपने दावे का निपटान स्वीकार किया तथापि, कम्पनी ने शेष मामलो का समाधान नहीं किया तथा टीईसीसीएल के आर्डर को रद्द किया। कम्पनी ने ₹ 0.22 करोड़<sup>2</sup> की अतिरिक्त लागत के साथ 16 माह<sup>3</sup> के विलम्ब के पश्चात कार्य चालू करने के लिए अन्य पार्टी को आदेश जारी किया। इसी बीच में बॉयलर के कुछ घटक क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिन्हें एमएसई द्वारा पुष्टि के रूप में बदलने/सर्विसिंग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, बायलर की गारंटी अवधि<sup>4</sup> समाप्त हो गई थी तथा विक्रेता इसको चालू करने के पश्चात किसी भी खराब निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं

<sup>1</sup> ₹ 0.90 करोड़ से ₹ 0.35 करोड़ तक

<sup>2</sup> ₹ 1.46 करोड़ - ₹ 1.24 करोड़ (टीईसीसीएल द्वारा दावित)

<sup>3</sup> जून 2012 से नवम्बर 2013 तक

<sup>4</sup> चालू करने की तिथि से 12 माह या वितरण की तिथि से 24 माह जो भी अवधि पहले समाप्त हो।

होगा। इस प्रकार, सीपीएम पर बायलर को चालू न करने के कारण ₹ 22.07 करोड़ (अगस्त 2014) का निवेश निष्फल था तथा कोयले की खपत को बचाने का उद्देश्य अधूरा था। संयोग से, एनपीएम पर बॉयलर को मार्च 2009 में चालू किया गया था तथा कम्पनी ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान पुराने बॉयलरो के बजाय एएफबीसी बॉयलर के उपयोग की वजह से ₹ 21.59 करोड़ मूल्य के कोयले की खपत पर बचत की थी।

कम्पनी/मंत्रालय ने दावे के साथ कहा (नवम्बर 2013/मई 2014) कि टीईसीसीएल ने कार्य पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई थी तथा सीपीएम पर एएफबीसी बायलर को चालू करने में मुख्यतः उनके ढिलाई बरतने के कारण विलम्ब हुआ था। उपरोक्त तर्क को इस तथ्य के प्रति देखने की आवश्यकता है कि टीईसीसीएल कम्पनी द्वारा आफर किए कम मूल्य पर भी अपने दावे के निपटान के अधीन शेष कार्य पूरा करने में सहमत था। तथापि, कम्पनी ने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की तथा टीईसीसीएल द्वारा ऑफर किए मूल्य की तुलना में ₹ 0.22 करोड़ के अधिक मूल्य पर शेष कार्य के लिए अन्य पार्टी को एलओआई जारी किया। कम्पनी के मत के साथ स्पष्ट रूप से सहमत न होते हुए, मंत्रालय ने कहा कि कम्पनी का बॉयलर के चालू करने के दौरान बॉयलर के घटक यदि क्षतिग्रस्त पाए जाए, तो उनके प्रतिस्थापन की लागत को वहन करना होगा क्योंकि गारंटी अवधि समाप्त हो गई थी। इस प्रकार कम्पनी ने अपनी ₹ 22.07 करोड़ की निधियों के 6 से अधिक वर्षों से अवरोधन के अलावा सीपीएम पर एएफबीसी बायलर के आरम्भीकरण को पूरा करने में मुख्य रूप से स्वयं पर आरोप्य विलम्ब के कारण 6 से अधिक वर्षों की अवधि में ₹ 26.10 करोड़<sup>5</sup> के कोयले की खपत में बचत करने का अवसर खो दिया था।

### सांभर साल्ट लिमिटेड

#### 1.8 साल्ट रिफाइनरी में निरर्थक निवेश

परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में कमियो द्वारा अनुसरित तकनीकी आवश्यकताओं से समझौता करके ठेकेदार को ठेका देने के परिणामस्वरूप आठ वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी वांछित परिणाम दिए बिना साल्ट रिफाइनरी सांभर पर ₹ 5.82 करोड़ का निरर्थक निवेश हुआ।

सांभर साल्ट लिमिटेड (कम्पनी) ने सांभर, राजस्थान में एक लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली साल्ट रिफाइनरी की स्थापना के लिए परिष्कृत/गैर-परिष्कृत, आयोडीन

<sup>5</sup> ₹ 4.35 करोड़\* 6 वर्ष

युक्त/बिना आयोडीन वाले नमक के उत्पादन के लिए बोली आमंत्रित की (फरवरी 2006)। महत्वपूर्ण तकनीकी निविदा शर्तों में से एक यह थी कि बोलीदाता को टर्न की आधार पर सफलता पूर्वक कम से कम 15 टन प्रति घंटा (टीपीएच) से कम न होने वाली क्षमता की साल्ट रिफाइनरी चालू करनी होगी अथवा पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 5 करोड़ से कम न होने वाले मूल्य की साल्ट रिफाइनरी परियोजना क्रियान्वित करनी होगी। चारो बोलीदाताओं में से किसी ने भी आवश्यक तकनीकी मापदण्ड को पूरा नहीं किया। अतः निविदा समिति ने बोलीदाताओं को बातचीत के लिए बुलाया तथा टर्न की आधार पर कार्य के प्रयोजन के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बोलीदाताओं के एक उपक्रम के आधार पर सभी बोलीदाताओं के लिए तकनीकी आवश्यकताओं में छूट की सिफारिश की। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के साथ तकनीकी शर्तों की छूट के पश्चात, टर्न की आधार पर साल्ट रिफाइनरी की स्थापना के लिए एल-1 बोलीदाता, मै. पांडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु (ठेकेदार) को ₹ 4.95 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर अंतिम रूप से एक मांग पत्र जारी किया गया था (अप्रैल 2006)।

कार्य देने के पश्चात, कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य को समय पर पूरा करने दोनों के अनुसार ठेकेदार के निष्पादन में कमी पाई गई थी। ठेकेदार ने 13 मई 2006 की लक्षित तिथि के प्रति नवम्बर 2006 में रिफाइनरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। नवम्बर 2007 तक साल्ट रिफाइनरी की आपूर्ति, निर्माण तथा चालू करने की लक्षित तिथि के प्रति, ठेकेदार ने जून 2008 तक संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति प्रारंभ नहीं की। कम्पनी से बार-बार पत्रों के बावजूद ठेकेदार का निष्पादन धीमा था तथा ठेकेदार द्वारा स्वीकृत मई 2009 के बाद अक्टूबर 2009 के विस्तारित लक्ष्य भी चूक गए थे। कम्पनी की निदेशक समिति द्वारा ठेकेदार के साथ रिफाइनरी परियोजना की धीमी प्रगति की चर्चा की गई थी (नवम्बर 2009) जिसके दौरान ठेकेदार अंतिम रूप से दिसम्बर 2009 तक कार्य पूर्ण करने तथा 15 जनवरी 2010 से पूर्व परीक्षण प्रारम्भ करने पर सहमत हुआ।

यद्यपि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के कार्यक्षेत्र की सहमति के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया गया था तथा कुल ₹ 42.05 लाख का कार्य अक्रियान्वित रहा तथापि, रिफाइनरी को जून 2010 से सीमित उत्पादन के लिए रखा गया। ठेकेदार द्वारा आपूर्त उपकरणों में असंतुलन तथा बेमेलता थी जिसके परिणामस्वरूप परिचालन में लगातार समस्याएं हुईं तथा रिफाइनरी ने कभी भी अपनी योजनित संस्थापित क्षमता पर परिचालन नहीं किया। एक लाख टन प्रतिवर्ष की योजनित संस्थापित क्षमता के प्रति जून 2010 से मार्च 2014 के दौरान रिफाइनरी पर वास्तविक साल्ट उत्पादन 5,041 टन से 19,904 टन प्रतिवर्ष के



बीच था (अर्थात् केवल 11310\* टन प्रति वर्ष का औसत उत्पादन)। ठेकेदार को कम्पनी द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार शेष प्लांट तथा मशीनरी की आपूर्ति तथा उत्पादन को स्थिर करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया। तथापि, यह नहीं किया गया। तदनुसार कम्पनी ने अध्ययन करने तथा संस्थापित क्षमता प्राप्त करने हेतु सिफारिश देने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की (फरवरी 2014) जिसने घटिया सामग्री के उपयोग सहित कार्य के क्रियान्वयन में कई कमियां बताई तथा योजनित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए रिफाइनरी के पुराने पुर्जों को हटा कर नए लगाने का परामर्श दिया। कम्पनी ने ठेकेदार के साथ ठेका समाप्त किया (अक्टूबर 2014) तथा ठेके की शर्तों के तहत अपने जोखिम तथा लागत पर शेष कार्य करने का निर्णय लिया। यद्यपि, ₹ 3.54 करोड़ की लागत पर करने के लिए अनुमानित रिफाइनरी के पुराने पुर्तों को हटा कर नए लगाने तथा क्षमता संवर्धन का कार्य अभी देना था (जनवरी 2015)।

आगे यह पाया गया कि कम्पनी के पास न तो ठेकेदार द्वारा परियोजना के वितरण तथा क्रियान्वयन के समय पर मशीनरी तथा सामग्री के विनिर्देशों की जांच के लिए कोई व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था न ही इसने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा आपूर्त उपकरण तथा मशीनरी एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा निर्धारित अनुसार स्वीकृत निविदा विनिर्देशों की तुलना में घटिया गुणवत्ता की थी। इन कमियों में अन्यो के साथ-साथ उपयोग किए गए बियरिंग की घटिया ब्रांड के अलावा वेट मिल में लीकेज तथा अपनी क्षमता को कम करने वाले अन्य उपकरण, सीपेज के परिणामस्वरूप अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, ड्रायरो की अनुचित डिजाइनिंग तथा मशीनों की स्थापना, विभिन्न उपकरणों/मशीनों की खराब कार्यप्रणाली तथा ढीली वायरिंग सम्मिलित थे।

इस प्रकार, निविदा मूल्यांकन स्तर पर महत्वपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं की छूट तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में चूको के कारण ₹ 5.82 करोड़ (रिफाइनरी की स्थापना के लिए ठेकेदार को किए जा रहे ₹ 2.98 करोड़ के भुगतान तथा भारत सरकार को देय ₹ 2.84 करोड़) की लागत पर स्थापित रिफाइनरी ने कार्य देने के आठ से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए।

कम्पनी ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) कि ठेकेदार द्वारा आपूर्त तथा संस्थापित अधिकतर उपकरण और मशीनरी घटिया किस्म की थी तथा उन्होंने आवश्यक मानकों को

---

\* जून 2010 से मार्च 2014 तक 43,356 टन के वास्तविक उत्पादन के आधार पर संगणित।

पूरा नहीं किया और उसे पुनःस्थापना/पुनः संस्थापन की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया (जनवरी 2013 तथा दिसम्बर 2014) कि उनके पास परियोजना की संस्थापना तथा चालू करने के लिए आवश्यक सक्षम कर्मचारी नहीं थे तथा उन्होंने ठेकेदार द्वारा किए कार्य की मॉनिटरिंग तथा क्रियान्वयन के लिए कुशल/प्रशिक्षित कर्मचारी को संलग्न करने के लिए कार्रवाई भी नहीं थी।

इस प्रकार, परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में कमियों से समझौता करते हुए एक ठेकेदार को ठेका देने के परिणामस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त किए बिना निष्फल होती जा रही रिफाइनेरी में ₹ 5.82 करोड़ का निवेश हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

## अध्याय II : खान मंत्रालय

### हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

#### 2.1 ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट (ईबीएस) के क्रियान्वयन पर आईटी लेखापरीक्षा

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने दूर दराज के स्थानों पर सम्पूर्ण एचसीएल की प्रक्रिया को मानकीकृत करने तथा समान संहिताकरण के लिए तथा प्रसंस्करण को केन्द्रीकृत करने तथा हार्डवेयर अनुरक्षण के लिए समय और लागत को कम करने के लिए अक्टूबर 2008 में ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट (ईबीएस) लागू किया। एचसीएल ने विभिन्न स्थानों पर कम्पनी के सभी व्यवसायिक कार्यों को करने के लिए ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट आर12 ईआरपी प्रणाली को लागू किया है। कम्पनी ने सॉफ्टवेयर लागत के लिए ₹ 4.52 करोड़ तथा हार्डवेयर लागत के लिए ₹ 8.70 करोड़ व्यय किए। ओरेक्ल ईबीएस अनुप्रयोग की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मामले पाए गए थे:

##### 2.1.1 आईटी सम्बंधित मामलें

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामलें पाए गए:

##### आईटी नीतियां

कम्पनी ने अनाधिकृत उपयोग तथा डाटा की हानि के खतरो के लिए प्रणाली को उजागर करते हुए प्रोफाइल निर्माण, पासवर्ड नीति, विफल लॉग इन प्रयासों की संख्या आदि के लिए उपयोगकर्ता वर्गीकरण दर्शाने वाली किसी सूचना सुरक्षा नीति का निर्माण नहीं किया है। प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि वे आईटी सुरक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में थे।

##### तार्किक अभिगम नियंत्रण

##### (i) सीडिड आवेदन उपयोगकर्ता खाता सुरक्षा

ओरेक्ल ई-बिजनेस सुइट के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के संदर्भ में, सीडिड अनुप्रयोग खातों के लिए पासवर्ड को परिवर्तित या निष्क्रिय किया जाना चाहिए। तथापि, यह पाया

गया कि कुछ आवेदन उपयोगकर्ता खातो\* को ओरक्ल कॉरपोरेशन-संस्करण 1.1.1 के ओरक्ल ई-बिजनेस सुइट, रिलीज 12 के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के परामर्श के प्रति उनके डिफाल्ट पासवर्ड के साथ रखा गया था। इसने अनधिकृत अभिगम के जोखिम के संभावित प्रकटन का संकेत दिया। तथ्य को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2014), प्रबंधन ने उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(ii) **अनधिकृत लॉग इन गतिविधि**

नमूना आधार पर उपयोगकर्ता लॉग इन अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- कुछ उपयोगकर्ताओं की उपयोगकर्ता आईडीज को लॉग इन किया गया था जबकि शेयर किए जा रहे उपयोगकर्ता आईडी की संभावना को दर्शाते हुए वास्तविक उपयोगकर्ता अनुपस्थित या छुट्टी पर था।
- ओरक्ल ई-बिजनेस सुइट के लिए सुरक्षित विन्यास गाइड के अनुसार, प्रतिदिन विफल लॉग इन प्रयासों की अधिकतम संख्या पांच के रूप में विन्यस्त की जानी थी। परन्तु यह पाया गया कि असफल लॉग इन को मॉनीटर किया जा रहा था क्योंकि विभिन्न उपयोगकर्ता आईडी के तहत विफल लॉग इन प्रयासों की अधिक संख्या देखी गई थी।

प्रबंधन ने निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) तथा उपयुक्त उपाय करने की प्रक्रिया में था।

**2.1.2 मास्टर डाटा की गुणवत्ता:** मास्टर डाटा फाइले मास्टर डाटा रिकॉर्डों की अखंडता, स्थिरता, संपूर्णता तथा शुद्धता के लिए निर्मित है। मास्टर डाटा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मास्टर डाटा फाइलों में संग्रहित सूचना आमतौर पर वित्तीय तथा परिचालन डाटा की प्रोसेसिंग तथा रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। मास्टर डाटा फाइल स्कैन की शुद्धता कई संबंधित संव्यवहार को प्रभावित करती है तथा इसलिए इसे पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

- मेटेरियल मास्टर:** मेटेरियल मास्टर में विभिन्न डाटा आईडेंटिफिकेशन संख्या, विवरण, कम्पनी द्वारा आवश्यक मेटेरियल की मापन इकाई सम्मिलित है। यद्यपि, यह पाया गया कि:

---

\* ओपी-कस्ट-केयर-एडमिन, ओपी -सिसएडमिन, मोबाइलएडम, आदि।

- उन मल्टीपल आईडीज (749944 आईडी में से 33716 आईडी) को अनुरक्षण के पर्यवेक्षण तथा मास्टर रिकॉर्ड के अद्यतन के अभाव को दर्शाते हुए उस सामग्री के लिए बनाया गया था। प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि उपयोग तथा संव्यवहार के आधार पर, सामग्री कोड को सभी यूनिटों में मल्टीपल इन्वेंट्री संगठनों के लिए निर्धारित किया जाता है।

ii. **वेंडर मास्टर:** वेंडर मास्टर (कर्मचारियों के अलावा अन्य) के विश्लेषण से पता चला कि:

- कई वेंडर आईडीज के लिए किसी पार्टी का नाम संलग्न नहीं था तथा अपूर्ण डाटा को दर्शाते हुए कई वेंडरों के लिए ऐड्रेस फील्ड का भी पता नहीं लगाया गया था।
- कई आपूर्तिकर्ताओं के लिए दो विभिन्न वेंडर आईडी का निर्माण करना यद्यपि ऐसे अलग-अलग आईडी के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन ) एक ही थी। मास्टर में नकली वेंडर आईडी की उपस्थिति ने मान्य नियंत्रण के अभाव का संकेत दिया जिसके कारण विभिन्न वेंडर आईडी के तहत उसी वेंडर को क्रय आदेश दिया गया।

तथ्य को स्वीकारते (अप्रैल 2014) हुए, प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहमत हुआ।

(III) **माप की यूनिट की गलत परिभाषा :** माप इकाई (यूओएम) 'नौ' के साथ सामग्री है। स्टॉक में ऐसी वस्तुओं की संख्या को सम्पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यद्यपि संवीक्षा से कुछ मामलों का पता चला जहां स्टॉक में मात्रा भागों में थी तथापि यूओएम 'नौ' था, जिससे विशिष्ट रूप से निर्माण करने में कमी का संकेत मिला। प्रबंधन ने कोई टिप्पणी नहीं की (अप्रैल 2014) क्योंकि उनको कोई संबंधित वस्तु कोड प्रदान नहीं किया गया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित सूचना उनके ईआरपी सिस्टम में उपलब्ध थी।

### 2.1.3 अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यहास :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अपेक्षित है कि ₹ 5000 या इससे कम मूल्य की किसी परिसम्पत्ति को समावेश के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यहासित किया जाना है। 630 मामलों में यह देखा गया कि ₹ 5000 या इससे कम मूल्य की परिसम्पत्ति को पूर्ण रूप से मूल्यहासित नहीं किया गया तथा ₹ 1.04 लाख की राशि को मूल्यहासित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि आवश्यक सुधार किया

गया है तथा हिसाब दिया गया है। तथापि आगे जांच से पता चला कि सुधार के बिना सिस्टम में ऐसे कुछ मामले अभी भी हैं जो यह दर्शाते हैं कि मूल्यहास के लेखांकन का सिस्टम अभी भी त्रुटियों से प्रवृत्त है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अनुमत मूल्यहास दरों को कम्पनी मैप नहीं कर सकी तथा निर्धारित दरों के आलावा अन्य दर पर मूल्यहास प्रभारित किया। यह पाया गया कि इसमें ₹ 859.79 लाख (₹ 22386.13 लाख मूल्य की कुल 21309 परिसम्पत्ति में से) मूल्य की 83 परिसम्पत्ति आइटम थी जिस पर कम्पनी अधिनियम में निर्धारित मूल्यहास की दरों के अलावा अन्य दर पर मूल्यहास प्रभारित किया गया था। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि इसमें ऐसी परिसम्पत्तियां हैं जो लम्बे समय अर्थात् कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV की प्रस्तावना से पूर्व से उपयोग में हैं तथा वो मूल्यहास दरें जो व्युत्पन्न दरों पर प्रभारित की जा रही हैं, परिसम्पत्ति के अनुमानित समय पर आधारित थीं। प्रबंधन का तर्क सही नहीं है क्योंकि सभी परिसम्पत्तियों को कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित किया जाना आवश्यक है। ₹ 35.08 लाख मूल्य की 1 परिसम्पत्ति के मामले में, मूल्यहास फलैंग को 'हां' पर रखा गया था। तथापि, कोई मूल्यहास दर संलग्न नहीं थी। प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि लेखापरीक्षा के मामले पर आवश्यक सुधार किया गया है। तथापि, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

#### 2.1.4 वित्तीय अभिलेखों में मैनुअल हस्तक्षेप

##### • बिक्री के लिए ग्राहक क्रेडिट बकाया की ट्रैकिंग

कम्पनी की विपणन नीति के अनुसार, कम्पनी से माल उठाने से पूर्व पार्टियों द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, संवीक्षा से पता चला कि तीन ग्राहकों को ₹ 182.55 लाख के मूल्य के माल का वितरण किया गया था, तथापि इससे कोई वास्तविक अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, रियल टाइम ग्राहक भुगतान के सत्यापन हेतु मॉनीटरिंग तंत्र न होने के परिणामस्वरूप उन पार्टियों को सॉफ्ट क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति हुई जो इसके योग्य नहीं थीं। प्रबंधन ने इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था (अप्रैल 2014)।

2.1.5 स्टॉक मदों का मूल्यांकन: कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, कच्चा माल निवल वसूली योग्य मूल्य तथा भारित औसत लागत से कम मूल्य का है। सिस्टम में स्टॉक वस्तुओं के मूल्यांकन की संवीक्षा से पता चला कि:

- ऐसे मामले जहां माल के अंतिम शेष की मात्रा शून्य थी परन्तु कुल मूल्य को शून्य से अधिक लिया गया।
- स्टॉक में वस्तुओं का मूल्य 'शून्य' था तथापि मात्रा उपलब्ध थी।
- स्टोरो में एक समान वस्तुओं का संग्रहण जिन्हें अलग दरों पर मूल्यांकित किया गया था। इसने सिस्टम के माध्यम से तथा विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के प्रति मालसूची प्रबंधन के अभाव को दर्शाया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मात्रा वाले एक ही माल की मौजूदगी से अनुपयुक्त मालसूची नियंत्रण हो सकती है। बिन्दु संख्या (1) के संदर्भ में, प्रबंधन ने शून्य माल मात्रा के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया था (अप्रैल 2014), स्टॉक मूल्य भी शून्य होगा। बिन्दु संख्या (2) के लिए, प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि यूनिट से कम स्टॉक मात्रा वाली सामग्री तथा अचल मदों के लिए मद लागत (मद दर) शून्य थी। प्रबंधन का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था कि सूची में कुछ मदें थी जिसकी मात्रा एक यूनिट से अधिक थी तथा किसी भी माल को अचल मद के रूप में पृथकतः चिह्नित नहीं किया गया था। बिन्दु संख्या (3) के संदर्भ में प्रबंधन ने वे मदें बताई थी (अप्रैल 2014) जिसके लिए मद लागत को दैनिक आधार पर आधारित किया गया था, एक ही मद के लिए भिन्न दर हो सकती है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवेकी मालसूची प्रबंधन के अनुसार माल की एक ही मद के लिए भिन्न दरें नहीं होनी चाहिए।

### 2.1.6 पेट्रोल मॉड्यूल का विलम्ब से क्रियान्वयन

पेट्रोल मॉड्यूल 2008 में खरीदे गए ओरेकल ईबीएस पैकेज के मॉड्यूलों में से एक था। तथा इस पेट्रोल मॉड्यूल को क्रियान्वयन में विलम्ब तथा इसके अभीष्ट लाभों को दर्शाते हुए केवल 2011-12 में लेगेसी पेट्रोल सिस्टम के साथ-साथ सभी यूनिटों में क्रियान्वित किया गया था।

मंत्रालय को फरवरी 2015 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिशित था (मार्च 2015)।

### 2.2 धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन गतिविधियां

कम्पनी के खातों को छिपाने के लिए सिस्टम में दस्तावेजों को नकली बनाकर, उनमें हेर फेर करने के साथ-साथ फर्जी ऐन्ट्रियों को पास करके लाभ में वृद्धि की गई थी।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (दी कम्पनी) द्वारा अनुसरित प्रक्रिया के अनुसार, ग्राहक को कॉपर उत्पाद की खरीद के लिए आरटीजीएस, वेतन आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अग्रिम धन जमा करना पड़ता है। इस प्रकार, वितरण आर्डर जारी करने से पूर्व भुगतान की रसीद/ग्राहक के खाते में पर्याप्त क्रेडिट शेष की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना था।

कम्पनी ने 01 अक्टूबर 2008 से अपने एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के रूप में आरेक्ल ई-बिजनेस सुइट प्रारम्भ की थी। तांबे के उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतानों की रिकॉर्ड रसीद के लिए ईआरपी सिस्टम के एकाउंट रिसीवेबल माड्यूल (एआरएम) को उपयोग किया जाता है जबकि मार्केटिंग माड्यूल (एमएम) को बिक्री संव्यहार की रिकार्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक ग्राहक माल उठाने के लिए भुगतान करता है तो ईआरपी में धन प्राप्ति एन्ट्री रिकॉर्ड की जाती है जिसे ग्राहक को माल उठाने की अनुमति देने के लिए वितरण आर्डर बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है।

ग्राहक फाइलो, वितरण आर्डरों, बैंक स्टेटमेंटों, ईआरपी सिस्टम से डाटा की संवीक्षा तथा आईडीईए पैकेज के माध्यम से इसके विश्लेषण से पता चला कि कुछ ग्राहकों के आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (पूर्व)(आरएसओई), कोलकाता में एआरएम तथा एमएम दोनों में झूठी एन्ट्रियां की गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त ग्राहकों की फाइले अपूर्ण थी तथा इसमें उन ग्राहकों के साथ किए व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज निहित नहीं थे।

यह देखा गया कि ग्राहक के लिए वितरण आर्डर जारी करने के लिए धन रसीदों तथा बैंक विवरणों को बनाया गया था। लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि (2010-11 से 2013-14) के दौरान, कम्पनी ने आरएसओई कोलकाता में 48 ग्राहकों के साथ लेन-देन किया जिसमें से जांच के दौरान अनियमित/अनधिकृत लेन-देन के 3 मामले देखे गए थे। यह पाया गया कि ₹ 282.44 लाख को कपटपूर्ण प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया था जिसके प्रति ₹ 182.55 लाख के वितरण आर्डर जारी किए गए थे (अनुबंध-I)। ऐसी कपटपूर्ण प्राप्तियां बाद में पूर्णतया बदल गईं।

आगे लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इसमें ग्राहक प्रतिदाय के अन्य ग्राहक में हस्तांतरण या अनुचित ग्राहक प्रतिदायों के मामले थे। ईआरपी सिस्टम ने ग्राहक को जारी बीजक के रूप में ऐसे प्रतिदायों का पता लगाया। 73 ग्राहक प्रतिदाय मामलों में से 28 प्रतिदायों को विशिष्ट खाता कोड अर्थात् '25418-बैंक हस्तांतरण' के माध्यम से भेजा गया था जिसे उक्त प्रतिदायों को रखने के लिए एक मध्यस्थ खाते के रूप में उपयोग



किया गया था तथा बाद में इसे अन्य ग्राहको से प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया। ऐसा या तो माल उठाने के लिए अनावश्यक रूप से लाभांशित ग्राहको को सक्षम बनाने या उनके बकाया देयो को समायोजित करने के लिए किया गया था। इस तंत्र के माध्यम से, 34 ग्राहको के संदर्भ में ₹ 241.81 लाख के क्रेडिट शेषो (1 अक्टूबर 2008 तक देय ईआरपी की रहने की तिथि) को 13 ग्राहको के खाते में छलपूर्वक हस्तांतरित किया गया था जिसे 1 अक्टूबर 2008 तक ग्राहक के कारण कुल राशि (₹ 578 लाख) के लगभग 42 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी बताया गया (अनुबंध-11)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मै. एलमेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत ₹ 200 लाख राशि की बैंक गारंटी (बीजी) की छः संख्या में से ₹ 150 लाख मूल्य के पांच बीजी को भुनाया गया तथा सितम्बर 2011 तक समाप्त होने की स्वीकृति दी गई, भले ही उस समय ग्राहक के पास ₹ 257.73 लाख के बकाया देय थे। इस ग्राहक लेजर खाते की संवीक्षा से यह भी पता चला कि ग्राहक से प्राप्त ₹ 50 लाख के चेक को भुनाया नहीं गया था तथा बाद में रद्द किया गया तथा एआईपीएल को ब्याज के कारण एक गलत क्रेडिट मेमो पास करके 8,69,800 का अनुचित लाभ बढ़ाया गया। आगे यह भी देखा गया कि अन्य ग्राहक खाते से अनधिकृत नकली बकाया हस्तांतरण के तरीके से दो ग्राहको अर्थात् एआईपीएल को ₹ 91.78 लाख के तथा मै. श्री बजरंग बली अशोक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 38.16 लाख के अनुचित लाभ को बढ़ाया गया था।

हमने कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में निम्नलिखित कमियां भी देखी:

- प्रत्यक्ष दस्तावेज के साथ मेचिंग प्राप्ति संख्याओ, वित्तीय साधन संख्याओ तथा तिथियों के मूल नियंत्रण का उपयोग नहीं किया गया।
- ग्राहको से चेको की प्राप्ति की रिकार्डिंग के लिए कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप भुनाए गए चेको पर नियंत्रण का अभाव था।
- बैंक गारंटी की मॉनीटरिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि कोई बैंक गारंटी रजिस्टर नहीं बनाया गया।
- ईआरपी सिस्टम के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण में कमी थी क्योंकि वाउचरो, क्रेडिट मेमोज/डेबिट मेमोज, प्रविष्टियों का सुधार या व्युत्क्रमण किया गया था तथा वही उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके अद्यतित किया गया था जो मूल आईटी सुरक्षा मानदण्डो के विरुद्ध थे।

- अधिकारो के प्रत्यायोजन से संबंधित कम्पनी की वर्णित नीति को क्रेडिट नोट जारी करने तथा ग्राहक को प्रतिदायो की स्वीकृति करने के लिए उचित रूप से अनुसरित नहीं किया गया था।
- कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशो के आधार पर, यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तक सहित सभी नियम पुस्तिकाओं को राज्य उत्पादकता परिषद पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था (1 फरवरी 2011) फिर भी इन नियम पुस्तिकाओं को अपनाया नहीं गया था (अगस्त 2014)।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी। जैसाकि यह ये निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि क्या लेखापरीक्षा समिति आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रही है।
- देनदारो के बकायो की समय-समय पर पुष्टि के लिए कोई तंत्र नहीं था तथा इसमें कोई व्यापक धोखाधड़ी नीति नहीं थी।

उक्त सभी संव्यवहारो के ईआरपी रिकॉर्डों की संवीक्षा करते समय, यह देखा गया कि अधिकतर लेन-देन एक उपयोगकर्ता आईडी अर्थात 'आरएसओई-एफआईएल-1' का उपयोग करके किए गए थे। यह पाया गया कि कम्पनी के एक स्थायी कर्मचारी ने अगस्त 2011 तक इस आईडी का उपयोग किया। इसलिए इसी आईडी को अनुबंध कार्यकाल (मार्च 2013) के समापन तक एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के वित्त विभाग की इस आईडी का उपयोग करने हेतु एक अनुबंध कर्मचारी को मंजूरी देने में औचित्य का अभाव था। इसके अलावा, इस आईडी को केवल दस्तावेज बनाने के लिए ही नहीं अपितु इसकी वैधता/स्वीकृति के लिए भी उपयोग किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि अन्य आईडी अर्थात एफआईएन-सीओआरई-1' को सलाहकार (वित्त) द्वारा उपयोग किया गया था। यह भी पाया गया कि जनवरी 2012 में, विपणन (वित्त) में एक नए कर्मचारी को अनुबंध कर्मचारी से कार्य लेने तथा छः माह के अन्तराल के पश्चात अनुबंध कर्मचारी को बदलने के लिए नियुक्त किया गया था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया बल्कि नए कर्मचारी को अन्य अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया गया (जुलाई 2012) जिससे अनुबंध कर्मचारी को 31 मार्च 2013 तक कार्य जारी रखने की अनुमति हुई इस अवधि के दौरान अधिकतर अनियमितताएं हुई थी। यह प्रतीत होता है कि एक स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति के बाद भी अनुबंध कर्मचारी को जारी रखना अपराध में भागीदारी का संकेत देगा।

*2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)*

प्रबंधन ने उक्त सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2015)। तथापि, ऐसी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद, प्रबंधन ने न तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया है न ही किसी कानूनी कर्वाइ की सूचना दी है।

मंत्रालय को फरवरी 2015 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

## अध्याय III: पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

#### 3.1 व्यर्थ व्यय

कम्पनी गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ थी तथा उससे ओआईएल की वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना सामग्री की खरीद की जो पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक था। परियोजना की योजना बनाने से पूर्व भूमि के सटीक क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था। इन सबके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में असामान्य वृद्धि हुई तथा बाद में परियोजना को छोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 17.80 करोड़ का निष्क्रिय निवेश तथा ₹ 2.57 करोड़ की हानि हुई।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने ₹ 44 करोड़ की अनुमानित लागत पर गुवाहाटी हवाईअड्डे पर गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) से विमानन ईंधन स्टेशन (एएफएस) तक 35 किलोमीटर (किमी.) लम्बी विमानन टर्बाइन फ्यूएल (एटीएफ) पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2009) क्योंकि यह रिफाइनरी से एएफएस तक एटीएफ के सुरक्षित, मितव्ययी तथा तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के सामान्य राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में बेतकुच्ची (18 किमी) तक पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी तथा उसके बाद यह एएफएस तक 17 किमी के लिए स्वतंत्र आरओडब्ल्यू में पारगमन करेगा। मेनलाइन पाइपो की आपूर्ति के लिए अप्रैल 2011 में ₹ 14.53 करोड़ मूल्य पर एक आर्डर जारी किया गया था तथा आपूर्ति अगस्त 2011 में समाप्त की गई थी।

हालांकि, प्रबंधन ने अगस्त 2011 में अपने कोरिडोर में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए ओआईएल को सम्पर्क किया। इसके उत्तर में, ओआईएल ने 35 किमी. की सम्पूर्ण लम्बाई के लिए पाइपलाइन बिछाने पर विचार किया। चर्चाओं के कई दौरों के बाद, मई 2013 में पाइपलाइन बिछाने के लिए ओआईएल का वाणिज्यिक ऑफर प्राप्त किया गया था। मेन पाइपलाइन बिछाने के प्रभारों (आरओडब्ल्यू सहित) तथा पीएमसी\*

\* परियोजना प्रबंधन परामर्श

प्रभारो के लिए ओआईएल का ऑफर अनुमानित लागत से ₹ 30 करोड़ (लगभग) अधिक था। परियोजना की योजना बनाते समय, पाइपलाइन बिछाने को सामान्य क्षेत्र में परिकल्पित किया गया था। तथापि, सर्वेक्षण के पश्चात यह पाया गया कि ओआईएल के कोरिडोर के अधिकतर विस्तार दलदली भूमि पर थे जिसके कारण मेनलाइन बिछाने की लागत में उक्त वृद्धि हुई। बाद में परियोजना लागत ₹ 87 करोड़ अर्थात् पूर्व अनुमानित से ₹ 43 करोड़ अधिक तक बढ़ी। इसलिए कम्पनी ने परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013) क्योंकि अधिक निवेश जैसे परिकल्पित लाभ औचित्यपूर्ण नहीं थे। इसी बीच में, मार्च 2014 तक कम्पनी ने इस परित्यक्त परियोजना पर ₹ 21.81 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमें से ₹ 17.80 करोड़ मेनलाइन पाइप की लागत तथा अन्य पूंजीगत स्टोर से संबंधित थे तथा ₹ 1.44 करोड़ नियंत्रण इमारत के निर्माण के लिए थे। सर्वेक्षण आदि के लिए व्यय की गई शेष ₹ 2.57 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाला गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ था तथा उससे ओआईएल की वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप दिए बिना सामग्री की खरीद की जो पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक था। इसके अलावा, परियोजना की योजना बनाने से पूर्व भूमि के सटीक क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था। इन सबके परिणामस्वरूप परियोजना लागत में असामान्य वृद्धि हुई तथा बाद में परियोजना को छोड़ा गया जो विवेकहीन परियोजना नियोजन का संकेत देता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2014) कि परियोजना को उनके सामान्य आरओडब्ल्यू में पाइपलाइन बिछाने के विषय में ओआईएल के साथ चर्चा की शुरुआत के पश्चात ही स्वीकृति दी गई थी। यह भी कहा गया कि पीएमसी के रूप में उन्हें नियुक्त करने की शर्त के साथ सम्पूर्ण कार्य लेने के लिए स्वीकृति देने में ओआईएल के विलम्ब जैसे कम्पनी के नियंत्रण के अतिरिक्त कारको के कारण, परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने से परियोजना लागत बढ़ गई थी। उपरोक्त, उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने परियोजना की स्वीकृति से पूर्व ओआईएल के साथ परियोजना की केवल तकनीकी व्यवहार्यता पर चर्च करने के लिए पहल की थी। वास्तव में, उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए ओआईएल के साथ वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही को ऐसी स्वीकृति के पश्चात प्रारम्भ किया गया था तथा अधिकतर माल की खरीद को भी ऐसी नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप देने से पूर्व किया गया था।

प्रबंधन का अन्य तर्क कि परियोजना के लिए खरीदा गया माल अन्य चालू परियोजनाओं अर्थात् गोवा एटीएफ पाइपलाइन परियोजना, इन्नोर-त्रिची मद्रुरै-(ईटीएम) एलपीजी पाइपलाइन परियोजना आदि में उपयोग करने हेतु प्रस्तावित था एक उत्तर चिन्तन प्रतीत होता है। ईटीएम परियोजना की मेनलाइन पाइप का प्रस्तावित तकनीकी विनिर्देश (डब्ल्यूटी अर्थात् दीवार की मोटाई) गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना की उस मेनलाइन पाइप के समान नहीं था। इसके अलावा, छोड़ी गई गुवाहाटी एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के लिए खरीदी गई मेनलाइन पाइप की लम्बाई 35 किमी थी, जबकि प्रस्तावित गोवा एटीएफ पाइपलाइन परियोजना के लिए यह केवल 9.3 किमी. थी।

यह मामला की जा रही परियोजनाओं के विवरण से बहुत अधिक माल की खरीद के लिए व्यग्रता दर्शाएगा। यह अपव्यय का एक मामला है।

मंत्रालय को नवम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

### **3.2 निर्धारित अवधि के अन्दर टैंकेज सुविधाओं के यांत्रिक समापन का पुनर्निर्धारण न होने के कारण परिहार्य व्यय**

बीओओटी अनुबंध में प्रावधानों के अनुसार एक रिफाइनरी परियोजना के लिए टैंकेज सुविधाओं के यांत्रिक समापन के पुनर्निर्धारण की विफलता के परिणामस्वरूप कोई लाभ पाए बिना ₹ 12.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पाराद्वीप रिफाइनरी परियोजना (पीडीआरपी) के लिए कच्चे तेल तथा तैयार उत्पाद टैंको की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (दी कम्पनी) ने मै. आईओटी उत्कल एनर्जी सर्विसिज लिमिटेड (बीओओटी ठेकेदार) के साथ बिल्ट आन-ऑपरेट ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर एक समझौता किया (जून 2010)। कार्य को फैंक्स ऑफ एक्सेप्टेंस (23 नवम्बर 2009) जारी होने से 24 माह के अन्दर (नवम्बर 2011 तक) पूरा होना था जिसे बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध पर दो माह तक बढ़ाया गया (अर्थात् जनवरी 2012 तक समापन)। अनुबंध के खण्ड 4.4 के अनुसार, यदि कम्पनी उल्लिखित तिथि के अनुसार उपयोगिता की आपूर्ति करने में विफल हुई या ठेकेदार से किसी चूक के बिना कच्चे तेल/उत्पाद की आपूर्ति करने में असमर्थ हुई तो शुरुआत की निर्धारित समय से तीन माह या वास्तविक प्रारम्भ जो भी पहले हो, के पश्चात हुआ माना जाएगा। टैंकेज सुविधाएं जुलाई 2013 में पूर्ण हुई थी। चूंकि रिफाइनरी को चालू नहीं किया गया था तथा अनुबंध के खण्ड 4.4 के अनुसार, कम्पनी ने नवम्बर 2013 (अर्थात् समापन से 3 माह पश्चात ) से बीजको का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध (खण्ड 4.6) के अनुसार, कम्पनी के पास छः माह की टैंकेज सुविधाओं की निर्धारित शुरुआत के बढ़ाने का अधिकार था तथा इस अधिकार को कार्य आदेश की स्वीकृति के छः माह के अन्दर किया जाना था। यह भी देखा गया कि दो माह के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाने हेतु बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार करते समय कम्पनी ने 22 जुलाई 2010 तक निर्धारित शुरुआत को बढ़ाने के अपने अधिकार को दोहराया। हालांकि कम्पनी के परियोजना मूल्यांकन ग्रुप (पीएजी) के पीडीआरपी में अधिक समय तथा सुविधाओं को उपयोग किए बिना ठेकेदार को संभव भुगतान के जोखिम को देखने (नवम्बर 2009) के बावजूद कम्पनी निर्धारित प्रारम्भ का विस्तार करने में विफल हुई।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2014) कि पीएजी द्वारा दर्शाए जोखिम को छः माह की अधिकतम अवधि तक निर्धारित प्रारम्भ के विस्तार के लिए एक प्रावधान को शामिल करके संभाला गया था। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया (फरवरी 2015) कि छः माह तक शुरुआत के विस्तार के लिए संविदा में एक अग्र कार्रवाई के रूप में प्रावधान किया गया था तथा कम्पनी ने उस समय दो माह के विस्तार के लिए इसका उपयोग नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जुलाई 2013 में टैंकेज सुविधा पूर्ण होने के पश्चात कार्यकारी आर्डर में उपकरण की हेल्थ की रक्षा तथा सुविधाओं को बनाए रखने के लिए ओएंडएम गतिविधियां आवश्यक थीं।

उत्तरो की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जानी है कि दो माह के विस्तार को पीएजी द्वारा दर्शाए गए अधिक समय को कम करने के एक उपाय के रूप में नहीं अपितु बीओओटी ठेकेदार के अनुरोध पर मंजूर किया गया था। इसके अलावा, अनिवार्य ओएंडएम गतिविधियों को बीओओटी ठेकेदार द्वारा छः माह की अवधि हेतु उसकी लागत पर किया जाता है, क्या अनुबंध के अनुसार निर्धारित आरम्भ के विस्तार के लिए कम्पनी को चुना गया था। इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पीडीआरपी की सम्पूर्ण प्रत्यक्ष उन्नति जुलाई 2010 की समाप्ति पर निर्धारित 33.31 प्रतिशत उन्नति के प्रति 23.10 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि कम्पनी निर्धारित प्रारम्भ का विस्तार करने के उपलब्ध अवसर का उपयोग करने में विफल हुई जिसे बीओओटी अनुबंध के लिए छः माह हेतु ₹ 12.10 करोड़ के ओएंडएम प्रभारों के भुगतान से रोका जा सकता था।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

**3.3 कर काटने की घटी हुई दर के संदर्भ में एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत करने में कम्पनी की विफलता के साथ संयोजित अपूर्ण निविदा दस्तावेज परिहार्य व्यय का कारण बने।**

कम्पनी के निविदा दस्तावेज अपूर्ण थे क्योंकि बोलीदाताओं से कर तथा शुल्को का समावेशी उद्धरण मूल्य पूछा गया था। इसके अलावा, कम्पनी कर कटौती दर को कम करने के संशोधन के संदर्भ में मूल्य घटाने के लिए मै. बेसेल पोलियोलेफाइन, इटालिया, इटली, एल 1 बोलीदाता से बातचीत करने में विफल हुई जिससे ₹ 9.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (दी कम्पनी) ने पाराद्वीप रिफाइनरी (पीडीआरपी) पर अपनी पोलीप्रोपीलेन (पीपी) यूनिट के लिए प्रक्रिया लाइसेंस की व्यवस्था करने के लिए सीमित निविदा पूछताछ/नोटिस आमंत्रण निविदा (एनआईटी) जारी किया (अक्टूबर 2005)। बोलीदाताओं को 15 फरवरी 2006 तक अपने ऑफर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था तथा पृथक रूप से बोली मूल्य में सम्मिलित डब्ल्यूएचटी की दर तथा राशि को दर्शाने के बजाय सकल कर काटना (डब्ल्यूएचटी) उद्धरित करना आवश्यक था। एल1 बोलीदाता होने के नाते मै. बेसेल पोलियोलिफाइन इटालिया, इटली (बेसेल) को ₹ 169.60 करोड़<sup>1</sup> के मूल्य पर कार्य दिया गया था।

चूंकि बेसेल पहले ही कम्पनी की पानीपत रिफाइनरी में इसी तरह की सेवाएं दे रहा था अतः इसने पानीपत रिफाइनरी के संदर्भ में लागू रूप में ऐसे नियमों तथा शर्तों के साथ मूल्य को स्वीकार किया। पानीपत रिफाइनरी के संदर्भ में लागू डब्ल्यूएचटी की दर रॉयल्टी के लिए तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 20 प्रतिशत थी। तथापि, इस दर को 1 जून 2005 से प्रभावी सहित वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 10 प्रतिशत (अधिप्रभार तथा उपकर को शामिल करने के पश्चात, प्रभावी दर 10.56 प्रतिशत थी।) तक कम हुई थी।

कम्पनी (बोर्ड) के निदेशक मंडल के विचार के लिए ड्राफ्ट एंजेडा नोट को स्वीकृत करते समय, महाप्रबंधक (वित्त) (जीएम) (एफ) ने देखा (अक्टूबर 2006) कि बेसेल की उद्धरित दरे 20 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूएचटी के समावेशी थी तथा तदनुसार 20 प्रतिशत डब्ल्यूएचटी कम करने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। हालांकि कर प्रेषण आयकर अधिनियम के अनुसार प्रचलित दरों पर होगा परन्तु यह टिप्पणी बोर्ड को सूचित

<sup>1</sup> मै. बेसेल द्वारा उद्धरित आरंभिक दर ₹173.30 करोड़ थी। बातचीत के बाद मूल्य ₹ 169.60 करोड़ हो गया।



नहीं की गई जो करों एवं शुल्को सहित ₹ 169.60 करोड़ पर बेसेल को कार्य देने के लिए इसकी स्वीकृति के अनुरूप था (नवम्बर 2006)। कम्पनी ने मार्च 2007 में बेसेल के साथ एक समझौता किया।

करार के खंड 8.8 के अनुसार कम्पनी द्वारा बेसेल को भुगतान की जानी वाली सभी फीस तथा प्रभार समय-समय पर लागू रूप में किसी देय धन पर निर्धारित दरों पर भारत में लागू सभी डब्ल्यूएचटी की कटौती के अधीन थे। इसके अलावा खण्ड 8.7 के अनुसार करार की शर्तों के अनुरूप फीस का भुगतान करने में विलम्ब के मामले में, बेसेल चूक के दावा किए विवरण को निर्दिष्ट करने वाला एक लिखित नोटिस कम्पनी को दे सकता था। यदि ऐसी चूक को ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पश्चात 60 दिनों के अन्दर कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया गया तो बेसेल विलम्ब की अवधि के लिए वित्त प्रभारों (लागू कानून द्वारा स्वीकृत अधिकतम राशि से अधिक नहीं) का आकलन कर सकती है।

जुलाई 2007 तथा जनवरी 2008 के दौरान उठाए बीजकों के लिए कम्पनी ने डब्ल्यूएचटी के प्रति 10.56 प्रतिशत की कटौती के पश्चात बेसेल को भुगतान किया जबकि नवम्बर 2007 तथा मार्च 2008 में उठाए बीजको के लिए इसने 20 प्रतिशत तक डब्ल्यूएचटी में कटौती की। इसके अलावा, कम्पनी ने 20 प्रतिशत की बजाय 10.56 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यूएचटी अपनाने के कारण किए अधिक भुगतान का प्रतिदाय करने के लिए बेसेल को कहा (फरवरी 2008)। बेसेल ने इसे स्वीकार किया तथा यूएसडी 881191 (₹ 3.54 करोड़)<sup>2</sup> का प्रेषण किया (फरवरी 2009)। तथापि, जुलाई 2009 में कर कटौती प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात, बेसेल ने पाया कि कम्पनी ने अपने बीजको से 20 प्रतिशत की कटौती के प्रति कर प्राधिकारियों को डब्ल्यूएचटी का केवल 10.56 प्रतिशत जमा किया था। इसलिए, बेसेल ने करार के खण्ड 8.7 के तहत यूएसडी 5,05,096 (₹ 2.30 करोड़)<sup>3</sup> के वित्त प्रभारों की मांग की (सितम्बर 2010)।

कम्पनी ने भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) से कानूनी मत लिया (दिसम्बर 2010)। एएसजीआई ने मत दिया कि करार की शर्तों के अनुसार, बेसेल कुल यूएसडी 1685382.20 के 9.44 प्रतिशत अन्तर को वापिस करने का हकदार था तथा कम्पनी को बेसेल के साथ बातचीत करके इसे संभव सीमा तक नीचे लाने की सलाह दी। बेसेल ने बीजको से कम किए गए अतिरिक्त डब्ल्यूएचटी के प्रति यूएसडी 1685382.20

---

<sup>2</sup> प्रति यूएसडी की दर पर। 40.1623

<sup>3</sup> दर पर। प्रति यूएसडी की 45.54

(₹ 7.60 करोड़)<sup>1</sup> तथा खण्ड 8.7 के तहत वित्त प्रभारों के प्रति यूएसडी 626869 (₹ 2.83 करोड़)<sup>2</sup> का दावा करने वाला कानूनी नोटिस जारी किया (फरवरी 2011)।

कोई विकल्प न छोड़ते हुए, कम्पनी ने डब्ल्यूएचटी के कारण अधिक कटौती के लिए यूएसडी 1685382.20 (₹ 7.65 करोड़)<sup>3</sup> का भुगतान किया (मई 2011)। कम्पनी ने यूएसडी 358264 (₹ 1.91 करोड़)<sup>4</sup> का भुगतान करके बेसेल के साथ बातचीत के पश्चात वित्त प्रभारों का भी निपटान किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:-

- निविदा दस्तावेज अपूर्ण थे क्योंकि बोलीदाताओं को पृथक रूप से कारार हेतु दर तथा करों के प्राप्त करने के अलावा कर सहित लाइसेंस फीस उद्धरित करना अपेक्षित था।
- कर काटने की दर में कमी के संदर्भ में जीएम (एफ) की टिप्पणी के पश्चात भी कम्पनी ने लाइसेंस करार करने के समय पर डब्ल्यूएचटी की कम की गई दर के मद्देनजर लाइसेंस फीस को कम करने के लिए बेसेल के साथ किसी पत्राचार का विनिमय नहीं किया। इसके बाद, कम्पनी ने ₹ 7.65 करोड़ की सीमा तक कम हुई लाइसेंस फीस प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि लाइसेंस करार को निविदा, लाइसेंस की ऑफर तथा बोर्ड स्वीकृति के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। जीएम (एफ) की टिप्पणियां न तो निविदा दस्तावेज के अनुसार थीं न ही बेसेल के ऑफर के अनुसार थीं तथा इसलिए लिखित दस्तावेज के अभाव में इस पर एजेंडा नोट में विचार नहीं किया जा सकता था।

उत्तर की इस तथ्य के प्रति समीक्षा की जाने की आवश्यकता है कि कर काटने की दर में भिन्नता के विषय में जीएम (एफ) के नोट से यह स्पष्ट संकेत कि इस पर बेसेल तथा लागू वास्तविक दर द्वारा विचार किया जाएगा, पाने के बावजूद कम्पनी ने बेसेल के साथ इस मामले को स्पष्ट नहीं किया तथा ₹ 9.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। चूँकि बेसेल ने उन्हीं नियमों तथा शर्तों को स्वीकार किया था जो पानीपत रिफाइनरी जहां

---

<sup>1</sup> प्रति यूएसडी की दर पर। 45.106

<sup>2</sup> प्रति यूएसडी की दर पर। 45.106

<sup>3</sup> प्रति यूएसडी की दर पर। 45.39

<sup>4</sup> प्रति यूएसडी की दर पर। 53.31

डब्ल्यूएचटी कटौती 20 प्रतिशत थी, के संदर्भ में लागू की गई थी, कम्पनी ने जीएम(एफ) की टिप्पणी का संज्ञान लिया तथा डब्ल्यूएचटी की घटी हुई दर के संदर्भ में करार करते समय बेसेल के साथ आगे बातचीत की तथा ₹ 9.56 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को रोका।

इस प्रकार, अपूर्ण निविदा दस्तावेज तथा कर काटने की घटी हुई दर के संदर्भ में बेसेल के साथ बातचीत करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.56 करोड़<sup>5</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

### 3.4 फ्लू गैस कूलर से परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

कम्पनी बार-बार विफलता के कारण फ्यूल की अधिक खपत के कारण फ्लू गैस कूलर (एफजीसी) से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अलावा ₹ 7.26 करोड़ की लागत पर भेल के परामर्श के विपरीत अकेले एफजीसी की ट्यूबों के बदलाव ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया तथा यह अनावश्यक हो गया है क्योंकि कम्पनी ने नई एफजीसी यूनिट संस्थापित करने का निर्णय किया है।

फ्लू गैस कूलर (एफजीसी) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की बरौनी रिफाइनरी की रिसाइड फ्लूहाइजड केटेलाइटिक क्रैकिंग यूनिट का एक भाग है जिसमें फ्लू गैस की थर्मल एनर्जी को रिफाइनरी की प्रसंस्करण यूनिटों में उपयोग के लिए हाई प्रेशर सुपरहीटिड स्टीम का उत्पादन करके कवर किया जाता है। एफजीसी के कार्यकारी न होने के मामले में, लगभग 75 एमटी/घंटा तक स्तम्भ उत्पादन की हानि होगी जिससे रिफाइनरी की फ्यूल खपत में वृद्धि होगी। आरएफसीसीयू के आरम्भ से एफजीसी की लिकेज का भी प्रायः सामना किया गया। अगस्त 2002 तथा जून 2011 के बीच ऐसी 23 विफलताएं थीं। उक्त लिकेजों के लिए कारको की आरम्भिक रूप से सेमसंग (एलएसटीके ठेकेदार) तथा एल्सटॉम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा जांच (2003 तथा 2004) की गई थी। दोनों एजेंसियों ने बताया कि एफजीसी की ट्यूबे सल्फर वाली गैसों के संघनन के कारण संक्षारण द्वारा क्षतिग्रस्त हुई थी। यह भी बताया गया कि बॉयलर में वाइब्रेशन थी तथा बॉयलर के अन्दर कुछ ट्यूबे अपरिचालन अवस्था में भी दोलन करती पाई गई थी। कम्पनी ने एफजीसी की विफलता के लिए डिजाइन अध्ययन आदि करने के लिए थर्मक्स बेबकॉक एंड विलकॉक (टीबीडब्ल्यू) से अनुरोध किया (नवम्बर 2004)। टीबीडब्ल्यू ने ऐसे

<sup>5</sup> (डब्ल्यूएचटी पर अधिक कटौती के प्रति ₹7.65 करोड़+ वित्त प्रभारों के प्रति ₹1.91 करोड़)

अध्ययन के लिए एफजीसी के तीन माह शटडाउन के लिए प्रस्ताव के साथ अपना ऑफर प्रस्तुत किया (जनवरी/फरवरी 2005)। हालांकि ऐसे प्रस्ताव को एफजीसी की लम्बी आउटेज अवधि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया। भेल जिसको मामला भेजा गया था, ने मत दिया (जुलाई 2006) कि स्टीम/मड इमो के पूर्ण तथा नए डिजाइन तथा एफजीसी की विभिन्न ट्यूबो के साथ पुनः स्थापन एक स्थाई उपाय होगा। आगे यह कहा गया कि अकेले ट्यूबो की पुनः स्थापना एफजीसी की विश्वनीयता को सुनिश्चित नहीं करेगी।

हालांकि, कम्पनी ने जुलाई से नवम्बर 2011 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ की लागत पर एफजीसी ट्यूबो को बदला। ट्यूबो को बदलने के बावजूद इसमें बार-बार विफलताएं थी तथा जनवरी 2012 से जून 2014 की समयावधि के दौरान एफजीसी 257 दिनों तक अक्रिय रहा।

एफजीसी की लगातार विफलता के संदर्भ में, प्रबंधन ने सम्पूर्ण यूनिट को बदलने का निर्णय लिया। कम्पनी ने ₹ 105 करोड़ की अनुमानित लागत पर एफजीसी की पुनः स्थापना के लिए स्वीकृति के अनुसार 20 मार्च 2013 को अपनी 596 बोर्ड बैठक में यह चिंता व्यक्त की कि ऐसी चूक का इंजीनियरिंग सलाहकार अथवा संस्थापन के समय निर्माण दल द्वारा पता नहीं लगाया गया था इसलिए बोर्ड ने अपेक्षा की कि एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए।

बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में, एक विस्तृत जांच की गई थी जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक विनिर्माण चूक थी। समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व में। इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड के नाम की परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) पर था।

यह मामला एफजीसी में चूको को पहचानने में प्रबंधन की विफलता को दर्शाता है। तदर्थ निर्णय जहां नवम्बर 2011 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ का एक निवेश किया गया था, लेने ने भी समस्या के मुख्य कारण का पता नहीं लगाया। इसके अलावा, यह मामला निष्पादन में कमियों हेतु पीएमसी के प्रति उपयुक्त कार्रवाई करने में प्रबंधन की अयोग्यता को दर्शाता है।

मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

### ऑयल इंडिया लिमिटेड

#### 3.5 मानदण्डों से अधिक मूल तलछट तथा जल मात्रा वाले कच्चे तेल की बिक्री पर स्वीकृत छूट के कारण राजस्व हानि

निर्धारित सीमा के अन्दर कच्चे तेल की आपूर्तियों में मूल तलछट तथा जल मात्रा को निहित करने में समय पर सुविधाएं देने में विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 105.55 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (दी कम्पनी) प्राथमिक रूप से देश तथा विदेश दोनों में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन तथा परिवहन में संलग्न है। कच्चे तेल में मूल तलछट तथा जल (बीएस एंड डब्ल्यू) की विद्यमानता तेल रिफाइनरियों को आपूर्ति किए गए तेल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए यह कच्चे तेल की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य डिहाइड्रेशन सुविधाएं बनाने के लिए तेल उत्पादन कम्पनियों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पोस्ट व्यवस्थापन मूल्य तंत्र शासन (2002) के तहत, यह 0.2 प्रतिशत तथा इससे कम पर कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू सामग्री को बनाए रखने के लिए तेल उत्पादन कम्पनियों के लिए आवश्यक हो गया क्योंकि बिक्री मूल्य मानदण्डों से अधिक कच्चे तेल में इसकी सामग्री के मामले में स्लैब दरों पर छूट के अधीन था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2012) कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, कम्पनी का 35 प्रतिशत उत्पादन ग्रेटर तेंगाखत क्षेत्र, 60 प्रतिशत नहर कातिया क्षेत्र तथा शेष 5 प्रतिशत शलमारी तथा मोरान क्षेत्र से था जिसके पश्चात लगभग उत्पादन संस्थापनों में प्रसंस्करण को मेन ट्रंक पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरियों को बढ़ते हुए वितरण के लिए नहर कातिया क्षेत्र में केंद्रीय टैंक फार्म को ट्रांसपोर्ट किया गया हालांकि ऑयल रिफाइनरियों को वितरित कच्चे तेल में अपेक्षित स्तर से ज्यादा बीएसएंडडब्ल्यू निहित थी जिसके लिए कम्पनी ने वर्षों के लिए ग्राहकों को छूट स्वीकृत की थी।

अभिलेखों से यह देखा गया कि:

- कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा का पता लगाने के लिए, कम्पनी ने सुरक्षा मानदण्डों तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नहरकातिया क्षेत्र में मौजूदा केंद्रीय टैंक फार्म पर कच्चे तेल डिहाइड्रेशन सुविधाओं के संस्थापन के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया (मार्च 2005)। समिति ने नहरकातिया क्षेत्र में केंद्रीय टैंक फार्म में एक डिहाइड्रेशन

सुविधा के संस्थापन की सिफारिश की (जून 2005)। चूंकि केंद्रीय टैंक फार्म बहुत पुराना था तथा साइट सुरक्षा मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकी, अतः ऑयल कोलेक्टिंग स्टेशन-3 (ओसीएस-3) पर एक वैकल्पिक साइट को डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ द्वितीय टैंक फार्म के संस्थापन के लिए चयनित किया गया था, हालांकि इसे जल्दी ही पर्यावरण विचारधारणा पर रद्द कर दिया गया तथा नाहोलिया में एक नई जगह का चयन किया गया था। कम्पनी भूमि संबंधी समस्याओं के कारण नाहोलिया पर अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी तथा प्लांट लेआउट की पुनःडिजाइनिंग द्वारा केंद्रीय गैस संग्रहण स्टेशन (सीजीजीएस)(मधुबन चाय एस्टेट, असम के समीप) पर एक नई जगह पर परियोजना को स्थानांतरित किया ताकि प्लांट उपलब्ध भूमि में फिट किया जाए। हालांकि, कथित डिहाइड्रेशन सुविधा को नहरकारिता क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल की केटरिंग के लिए अभी स्थापित किया जाना है (जुलाई 2014)।

- कम्पनी ने मई 2007 में ग्रेटर तेगांखत क्षेत्र में डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ मध्यस्थ टैंक फर्म चालू किया था परन्तु यह मई 2012 तक तेगांखात-शालमरी पाइपलाइन (टीएसपीएल) को चालू करने में विफल हुआ जो अगस्त 2005 में कार्य दल द्वारा आयोजित व्यवहार्यता पर रिपोर्ट के अनुसार मेन ट्रंक पाइपलाइन के अन्दर कच्चा तेल डालने का सर्वोत्तम विकल्प था।
- ग्रेटर तेगांखत क्षेत्र में डिहाइड्रेशन सुविधा चालू करने तथा नहरकारिता क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल के लिए डिहाइड्रेशन सुविधा चालू किए बिना टीएसपीएल परियोजना को विलम्ब से चालू करने के परिणामस्वरूप मेन ट्रंक पाइपलाइन में कच्चे तेल तथा अन्तर मध्यस्थ टैंक फार्म के उपचारित कच्चे तेल के साथ केन्द्रीय टैंक फर्म के कच्चे तेल का अन्तर मिश्रण हुआ।

यद्यपि नहरकारिता क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल के लिए डिहाइड्रेशन सुविधा बनाने के लिए कार्य दल की सिफारिश (जून 2005) से नौ से अधिक वर्ष बीत गए हैं, तथापि सुविधा का निर्माण होना शेष है। कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा घटाने के लिए समय पर अनिवार्य सुविधाओं के निर्माण के लिए कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 की समयावधि के दौरान आपूर्त किए कच्चे तेल के असाधारण मानदण्डों में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा के लिए विभिन्न रिफाइनरियों को स्वीकृत छूट के कारण ₹ 105.55 करोड़ का पूर्वगामी राजस्व हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013/फरवरी 2014) कि:

- ओआईएल प्रबंधन गंभीर रूप से उच्च बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा के कारण कम्पनी की राजस्व हानि से चिंतित था। ओआईएल द्वारा कच्चे तेल के असाधारण मानदण्डों में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा के लिए विभिन्न रिफाइनरियों द्वारा प्रभावित कटौतियों के कारण हानि जानबूझ कर नहीं की गई थी परन्तु यह ओआईएल के नियंत्रण से परे तकनीकी कारको तथा कुछ पर्यावरणीय मामलों के कारण थी।
- नहरकारिता केन्द्रीय टैंक फार्म पर कच्चा तेल डिहाइड्रेशन सुविधा की स्थापना के लिए कार्य दल की सिफारिश की स्थानीय प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई थी तथा ओआईएल ने केन्द्रीय टैंक फार्म तथा श्रेष्ठ सुरक्षा मामलो का संज्ञान लेकर एक वैकल्पिक क्षेत्र तलाशने का निर्णय लिया।
- ओआईएल के कुल उत्पादन का वर्तमान 60 प्रतिशत नहरकारिता पर केन्द्रीय टैंक फार्म में हैंडल किया जा रहा था जहां डिहाइड्रेशन सुविधा के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधा नहीं थी। एक बार द्वितीय टैंक फार्म परियोजना को चालू किया जाए, तो कच्चे माल के वितरण की सभी लाइने जो वर्तमान में नहरकारिता केन्द्रीय टैंक फार्म से जुड़ी थी, को द्वितीय टैंक फार्म से दिशा परिवर्तित किया जाएगा तथा केवल संसाधित कच्चे तेल को रिफाइनरियों को बाद के वितरण के लिए द्वितीय टैंक फार्म से नहरकारिता केन्द्रीय टैंक फार्म को वितरित किया जाएगा। इसलिए, अंतर मध्यस्थ टैंक फार्म तथा द्वितीय टैंक फार्म दोनों को अपेक्षित स्तर से कम बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा रखना अपेक्षित था।
- ओआईएल ग्राहको को गुणवत्ता कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस इच्छा के साथ अन्तर मध्यस्थ टैंक फार्म तथा द्वितीय टैंक फार्म जैसी परियोजनाओं को लिया गया था। नए द्वितीय टैंक फार्म की स्थापना की लागत लगभग ₹ 352 करोड़ थी, कम्पनी प्रतिकूल पर्यावरण के बीच एक केपेक्स तथा ओपेक्स तीव्र बीएसएंडडब्ल्यू कमी यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रयास के अलावा जुर्माना भुगतने पर विचार कर सकती थी। हालांकि, एक विश्वसनीय कम्पनी होने के नाते, ओआईएल ने रिफाइनरी को आपूर्ति किए कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा को कम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना हेतु कार्रवाई आरम्भ की थी। कम्पनी द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई के परिणाम भविष्य में परिलक्षित होंगे।

प्रबंधन/मंत्रालय का तर्क निम्नलिखित के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं है:

- लेखापरीक्षा ने जोर दिया है कि विश्वसनीय कम्पनी होने के नाते ओआईएल उपयुक्त समय के अन्दर तकनीकी कारको तथा पर्यावरणीय मामलो को संबोधित करने में सक्षम होगा तथा यह ग्राहको को गुणवत्ता कच्चा तेल की आपूर्ति करने में लगभग एक दशक नहीं लेगा।
- तथ्य यह है कि कम्पनी को अभी नौ वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी नहरकारिता क्षेत्र के कच्चे तेल के डिहाइड्रेशन के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित करनी हैं जो जून 2005 में कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई थी। तेल संग्रहण स्टेशन-3 पर डिहाइड्रेशन सुविधा के साथ द्वितीय टैंक फार्म के निर्माण के लिए साइट केन्द्रीय टैंक फार्म, नहरकारिता के स्थान पर अगस्त 2005 में अनुबंधगत था। परन्तु इसे अभी चालू किया जाना है क्योंकि पर्यावरणीय तथा तकनीकी आधार पर परियोजना के लिए साइट में बार-बार परिवर्तन थे जिसने परियोजना योजना तथा प्रबंधन में कमियों को दर्शाया।
- किसी भी परियोजना में पर्यावरण तथा भूमि संबंधी समस्याएं सामान्य हैं। ओआईएल इसी पर्यावरण में कच्चे तेल की निकासी तथा उत्पादन जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ जारी है तथा इन मामलों को स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से निपटाया जा सकता था।
- डिहाइड्रेशन सुविधा की स्थापना के लिए ₹ 352 करोड़ के केपेक्स को 31 मार्च 2013 तक नकद वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा ₹ 12,133 करोड़ के समान नकद जैसी अधिक नकद वाली कम्पनी के लिए एक महत्वपूर्ण मामला नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ₹ 92.66 करोड़ के निवेश के पूर्ण लाभ पहले ही अंतर मध्यस्थ टैंक फार्म को दिए गए थे तथा तेंगाखात-शलमारी पाइपलाइन परियोजना केवल तभी संभव होगी जब द्वितीय टैंक फार्म को अन्य विलम्ब के बिना परिचालित किया जाए।
- अन्य अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर कम्पनी, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के संदर्भ में लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2008 की रिपोर्ट संख्या 11 का पैरा 14.7.1 ) में ऐसे मामले बताए गए थे। ओएनजीसी ने कच्चे तेल की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं क्योंकि स्वीकृत छूट को 2009-10 में ₹ 30.47 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7.47 करोड़ तक नीचे लाया गया था। इसके विपरीत, ओआईएल द्वारा स्वीकृत छूट 2008-09 में ₹ 12.53 करोड़ से 2013-14 में ₹ 21.72 करोड़ तक बढ़ी है।



इस प्रकार, नहरकारिता क्षेत्र के कच्चे तेल के डिहाइड्रेशन के लिए आवश्यक सुविधाओं के संस्थापन में विलम्ब के कारण, कम्पनी ने गुणवत्ता मानदण्डों को अनुरक्षण न करने के लिए रिफाइनरियों को छूट के तरीके से पूर्वगामी राजस्व को जारी रखा।

### तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

#### 3.6 देयताओं का परिहार्य पुर्वानुमान तथा चूककर्ता ठेकेदार के साथ निपटान करार में प्रतिकूल शर्तों की स्वीकृति के कारण तेल तथा गैस धारण के दो क्षेत्रों के विकास में परिहार्य व्यय करना

तेल तथा गैस वहन क्षेत्र के गहन तथा उथले जल के विकास के भाग के रूप में इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण कार्यों के लिए एक ठेका देने (नवम्बर 2004) तथा बाद में ठेकेदार द्वारा कार्य को बाधित करने (जून 2006) के कारण ठेके की समाप्ति (जून 2007) के अनुसार, तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने उचित परिश्रम किए बिना चूककर्ता ठेकेदार के साथ एक निपटान समझौता किया था जिससे इसने केवल यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी प्राप्त की जबकि यह अक्टूबर 2008 में अपने बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वीकृति विसामान्यता में करार को लागू करने में यूएसडी 66.34 मिलियन (₹ 342.34 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के अलावा विवादों के 'आउट ऑफ कोर्ट' समाधान के माध्यम से ठेकेदार को निपटान राशि यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) का भुगतान करके समाप्त हुआ। व्यय (₹ 342.34 करोड़) अनियमित था क्योंकि इसके पास बोर्ड की स्वीकृति नहीं थी तथा यह ओएनजीसी के वित्तीय हित में नहीं था। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने उपकरणों के किराए के भुगतान पर यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया था जो पहले ही समाप्त करार के तहत ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए कार्य के लिए प्रदत्त राशि में सम्मिलित था। अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तिथि के प्रति तेल तथा गैस क्षेत्रों के विकास हेतु परियोजना अपूर्ण थी (जनवरी 2015) जबकि ₹ 1500 करोड़ प्रति वर्ष के परिनियोजित राजस्व की वसूली नहीं हुई (जनवरी 2015)।

#### 3.6.1 प्रस्तावना

3.6.1.1 तेल तथा प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) ने यूएसडी 215.25 मिलियन (₹ 992.91 करोड़) की लागत पर कृष्णा गोदावरी घाटी में (i) एक गहरे जल क्षेत्र (जी1) तथा (ii) एक अथले जल क्षेत्र (जीएस 15) के विकास के संबंध में इंजीनियरिंग तथा निर्माण कार्य के लिए नवम्बर 2004 में मै. क्लॉफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, आस्ट्रेलिया (सीईएल) के साथ एकमुश्त टर्नकी आधार पर एक करार किया (नवम्बर 2004)।

समापन की निर्धारित तिथि अप्रैल 2006 थी। यह करार जी1 तथ जीएस 15 क्षेत्रों की समेकित विकास परियोजना का एक भाग था जिसमें विभिन्न ठेकेदार के साथ तेल के कुएं की पूर्णता तथा ऑन लैंड तेल निर्यात पाइपलाइन के लिए करार सम्मिलित थे तथा इसने कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत बनाया। ओएनजीसी द्वारा अपने दम पर ड्रिलिंग की गई थी।

3.6.1.2 चूंकि सीईएल ने जून 2006 से कार्य को बाधित किया था अतः ओएनजीसी ने सीईएल द्वारा प्रस्तुत परफोरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को भुनाने के लिए कार्रवाई करके जून 2007 में करार को समाप्त किया था तथा सीईएल को अधिसूचित किया कि शेष कार्य को बाद के जोखिम तथा लागत पर पूर्ण किया जाएगा। ओएनजीसी के करार समाप्त करते हुए यह अनुमानित किया था कि 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था तथा इसने उसके बाद सीईएल को यूएसडी 142.69 मिलियन (₹ 632.11 करोड़) का भुगतान किया था।

3.6.1.3 सीईएल ने मध्यस्थता के लिए ओएनजीसी द्वारा पीबीजी का उपयोग करने के साथ-साथ करार की समाप्ति का मामला ले लिया (जून 2007)। ओएनजीसी ने अन्य बातों के साथ उपकरणों तथा सामग्री जो सीईएल के साथ थी, का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (अगस्त 2007) ताकि यह वैकल्पिक साधनों के माध्यम से पूर्ण कार्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो सके।

3.6.1.4 इसके 'अन्तरिम' आर्डर (सितम्बर-अक्टूबर 2007) में, उच्च न्यायालय ने शेष परियोजना सामग्री के संरक्षण के संदर्भ में यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया कि न तो ओएनजीसी को संरक्षण प्राप्त होगा न सीईएल किसी परियोजना सामग्री के निपटान में सक्षम होगा। इस आदेश के बावजूद, सीईएल ने कुछ परियोजना सामग्री का निपटान किया तथा ओएनजीसी ने सीईएल के प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष (अक्टूबर 2007) एक अवमानना याचिका दायर की थी।

3.6.1.5 ओएनजीसी ने सीईएल के साथ एक 'आउट ऑफ कोर्ट' समझौते की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008) क्योंकि यह ज्ञात हुआ कि इसने परियोजना पर लगभग ₹ 1,000 करोड़ व्यय किए थे तथा परियोजना समापन में उस सेटबैक तेल तथा गैस के उत्पादन में विलम्ब करेगा। ओएनजीसी ने अपेक्षा की कि तब ये अप्रैल 2010 तक परियोजना के समापन में सक्षम होगा तथा ₹ 1500 करोड़ प्रतिवर्ष के आदेश पर राजस्व भी अर्जित करेगा। तदनुसार, ओएनजीसी ने जून 2008 तथा सितम्बर 2008 के बीच सीईएल के साथ चार बार वार्ता की थी।

3.6.1.6 करार के समापन के प्रति सीईएल द्वारा चर्चा करने पर तथा इसी बीच पीबीजी भुनाने के लिए ओएनजीसी द्वारा प्रयास करने पर, जब ओएनजीसी ने यूएसडी 21.535 मिलियन (₹ 91.39 करोड़) जारी किए तब आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने पीबीजी भुनाने के लिए ओएनजीसी को स्वीकृति दी (जुलाई 2008)।

3.6.1.7 सीईएल के साथ बातचीत निम्न पर केंद्रीय थी (i) ओएनजीसी की उपकरण/सामग्री तथा सेवाओं में शीर्षको तथा अधिकारों की प्राप्ति (ii) सीईएल को देय निपटान राशि तथा (iii) सीईएल के लिए ट्रीनिगटूल (टीआरटी) तथा स्थापना, वर्कओवर और नियंत्रण तंत्र (आईडब्ल्यू ओसीएस) हेतु किराए का भुगतान।

3.6.1.8 ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ बातचीत का चौथा दौर तब किया गया (सितम्बर 2008) जब निम्नलिखित शर्तों पर सहमति हुई:

- (i) सीईएल को देय निपटान राशि यूएसडी 32.7 मिलियन होगी;
- (ii) ओएनजीसी को अब उपकरण/सामग्री से संबंधित निरीक्षण, समापन, नवीनीकरण प्रतिस्थापन, परिवहन तथा बीमा की लागत सहित सभी भारतीय विक्रेताओं तथा उप-ठेकेदारों को सीईएल से देय भुगतान के लिए वित्तीय देयताओं तथा उत्तरदायित्वों का मानना होगा, तथा
- (iii) सीईएल को अपतटीय विक्रेताओं तथा उप-ठेकेदारों के साथ केवल सीईएल के करारों के संदर्भ में वित्तीय देयताओं तथा उत्तरदायित्वों को मानना होगा। यहां भी सीईएल अपतटीय उपकरण/ सामग्री के निरीक्षण, परिवहन तथा बीमा की पूर्व कार्य लागत के प्रति देयताओं का वहन नहीं करेगा।

3.6.1.9 ओएनजीसी ने निपटान की इन शर्तों के लिए अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) से स्वीकृति प्राप्त की (अक्टूबर 2008)। हालांकि निपटान की स्वीकृत शर्तों को सम्मिलित करते हुए ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

3.6.1.10 ओएनजीसी ने सीईएल के साथ आगे बातचीत की थी (नवम्बर 2008) तथा निपटान की आगामी संशोधित शर्तों पर बोर्ड की सहमति के बिना अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की स्वीकृति के साथ सहमति हुई। बोर्ड की स्वीकृति के बिना सीएमडी की अनुमति (जून 2009) सहित सीईएल के साथ निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (दिसम्बर 2009)। निपटान की शर्तें निम्नानुसार थी:

- (i) निपटान राशि यूएसडी 32.7 मिलियन से यूएसडी 32 मिलियन तक कम हुई थी जिसका तात्पर्य यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी है ;

- (ii) सीईएल केवल स्थानों (भारत तथा विदेश) में समझौते में निर्दिष्ट अनुसार उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करेगा बशर्ते वो समझौते के क्रियान्वयन के 42 वें दिन हो;
- (iii) सीईएल तथा ओएनजीसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 39 दिनों के अन्दर उनकी गुणवत्ता तथा विद्यमानता को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट उपकरण/सामग्री की संयुक्त रूप से जांच करेंगे;
- (iv) निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने से 42 दिनों की समाप्ति पर, ओएनजीसी सभी दायित्वों सहित उन सभी वित्तीय तथा अन्य देयताओं को मानेगा जो सीईएल पर पहले लगाई गई थी, तथा
- (v) सीईएल, ओएनजीसी को केवल निर्धारित उपकरण/सामग्री तथा सेवाओं से संबंधित परियोजना दस्तावेजों तथा सत्यापित दस्तावेजों, नियत कब्जा, शीर्षक तथा अधिकार देगा।

ओएनजीसी ने निपटान<sup>1</sup> के लिए दिसम्बर 2009 में यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़ ) का भुगतान किया।

### 3.6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.2.1 लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दिसम्बर 2009 में निपटान करार को ओएनजीसी बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। दिसम्बर 2009 के निपटान करार की शर्तों के साथ सितम्बर 2008 में निर्णित निपटान की शर्तों जो अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थी, की तुलना का निम्नलिखित तालिका में मूल्यांकन किया जा सकता है:

क्रम सं.	मामला	बोर्ड द्वारा स्वीकृत निपटान (अक्टूबर 2008)	दिसम्बर 2009 का निपटान	टिप्पणियां
1.	सीईएल को देय निपटान राशि	यूएसडी 32.7 मिलियन	यूएसडी 32 मिलियन	यद्यपि इसमें यूएसडी 0.7 मिलियन (₹3.26 करोड़) की कमी थी, तथापि ओएनजीसी ने अपतटीय उपकरण/सामग्री की वारंटियों की खरीद, नवीनीकरण/पुनर्मूल्यन के लिए

<sup>1</sup> यूएसडी 32 मिलियन की राशि में सीईएल को प्रदत्त 23 मिलियन यूएसडी तथा कर देयताओं के प्रति आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त यूएसडी 9 मिलियन सम्मिलित है

				अतिरिक्त देयता को स्वीकारते हुए समापन किया।
2.	उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति	सीईएल को सभी 'शेष' तटवर्ती तथा अपतटीय उपकरण/सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी।	सीईएल को केवल उन उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करनी थी जो करार में निर्दिष्ट थी।	ओएनजीसी ने सीईएल को अपनी देयताओं को कम करने की स्वीकृति दी क्योंकि इसे अब केवल उन उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति करना अपेक्षित था जो करार में निर्दिष्ट थी तथा सभी 'शेष' <sup>2</sup> उपकरण/सामग्रियों की नहीं। तदनुसार ओएनजीसी ने लागत का निर्धारण किए बिना स्वयं अतिरिक्त देयता वहन की।
3.	अपतटीय विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों के प्रति वित्तीय देयता	सीईएल को अपतटीय उपकरण/सामग्री की जांच, परिवहन तथा बीमा की लागत को छोड़कर इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्वों को मानना पड़ा।	ओएनजीसी ने करार के 42 दिन समाप्त हो जाने पर अब सभी उत्तरदायित्वों को माना था	इस प्रकार, अपतटीय उपकरण/सामग्री की हालत तथा प्रयोज्यता सीईएल के अलावा ओएनजीसी का उत्तरदायित्व हो गया था। ओएनजीसी ने करार के तहत उनकी वास्तविक हालत या कार्य हेतु आवश्यक संख्या को सत्यापित किए बिना उपकरण/सामग्री को स्वीकार किया, यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिए ओएनजीसी के पास उपलब्ध समय से एक वर्ष अधिक था। यह ओएनजीसी पर लागत के निर्माण के बिना सीईएल को प्रदत्त एक अतिरिक्त लाभ था।

### 3.6.2.2 दिसम्बर 2009 के निपटान करार में ओएनजीसी द्वारा मानी गई अतिरिक्त वित्तीय देयताएं

लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त वित्तीय देयताओं (निपटान राशि में यूएसडी 0.7 मिलियन की कमी की गणना करने के पश्चात) की सीमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो ओएनजीसी ने स्वयं उन लाभों जो दिसम्बर 2009 के करार में सीईएल का दिए गए थे, के कारण लिए थे जिन्हें बोर्ड की स्वीकृति नहीं थी।

<sup>2</sup> ऐसे उपकरण /सामग्री परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक थी जिसका कब्जा सीईएल ने नवम्बर 2004 से जून की मूल करार अवधि के दौरान ओएनजीसी को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

- (i) ओएनजीसी ने स्वीकार किया था (दिसम्बर 2009) कि सीईएल केवल निपटान करार के अनुसार निर्दिष्ट उपकरण/ सामग्री की आपूर्ति करेगा। परिणामस्वरूप जीएस-15-1 डेक फेब्रिकेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक तीन अपतटीय उपकरण/सामग्री\* की सीईएल द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी जिसे यूएसडी 3.46 मिलियन (₹ 16.11 करोड़) की लागत पर ओएनजीसी द्वारा खरीदा जाना था।
- (ii) ओएनजीसी ने निपटान करार के अनुसार 'एज इज वेयर इज' आधार पर सीईएल से उप-समुद्र उपकरण (एसएसई) प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया था (दिसम्बर 2009) यद्यपि इसकी वारंटी समाप्त हो गई थी। सीईएल को अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा स्वीकृत निपटान की शर्तों के अनुसार इन उपकरणों की हालत के लिए उत्तरदायी होना था। हालांकि, ओएनजीसी को मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा एसएसई के नवीनीकरण के कार्य पर यूएसडी 3.52 मिलियन (₹ 16.39 करोड़) का व्यय वहन (जनवरी 2011 से सितम्बर 2012 पर) करना था। यह एक अतिरिक्त देयता थी जिसे ओएनजीसी ने स्वयं लिया था जो अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों से अधिक था।

### 3.6.2.3 दिसम्बर 2009 के लाभहीन निपटान करार के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय

- (i) सभी सामग्री/उपकरणों पर वारंटी समय के साथ समाप्त हो गई थी ओएनजीसी ने उन्हें प्राप्त किया था। ओएनजीसी ने निर्णय किया (फरवरी 2010) कि एसएसई हेतु वारंटी महत्वपूर्ण थी तथा इसके लिए वारंटी खण्ड के पुनःवैधीकरण के लिए ओईएम (कैमरून) से चर्चा की। विक्रेता की तुलना में अवांछनीय स्थिति में होने के नाते, ओएनजीसी मरम्मत या बदलने के लिए ओईएस को खराब एसएसई के सुधार तथा परिवहन पर व्यय करने के लिए सहमत हुआ (सितम्बर 2010) भले ही यह शर्त मानक पद्धति में एक परिवर्तन थी। एसएसई के घटकों में से एक, कैमरून वर्टिकल कनेक्टर (सीवीसी) संस्थापना में विफल हुआ (मार्च 2012) तथा ओएनजीसी को इसके सुधार तथा परिवहन पर यूएसडी 9.80 मिलियन (₹ 56.33 करोड़) का व्यय वहन करना पड़ा (जून 2013)। सितम्बर 2008 की निपटान शर्तों के अनुसार सीईएल सीवीसी सहित अपतटीय सामग्री के लिए उत्तरदायी था तथा यह उस सामग्री जो स्थाई शर्तों वाली थी, की क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकता था। इस उत्तरदायित्व (दिसम्बर 2009 के निपटान करार के अनुसार) को स्वीकार करके, ओएनजीसी यूएसडी 9.80 मिलियन (₹ 56.33 करोड़) के

---

\* प्रेशर रिलीफ वाल्व्स, केमिकल्स इंजेक्शन सकिड तथा वाल्व्स

परिहार्य व्यय के कारण बाद की शर्तों पर ओईएम के साथ चर्चा करने की लाभकारी स्थिति में था।

(ii) ओएनजीसी ने भी अपने घटको के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से पूर्व एसएसई की स्थिति की जांच नहीं की थी। हाइड्रोलिक पावर यूनिट (एचपीयू) नाम वाला एसएसई का अन्य घटक फैक्टरी स्वीकृति जांच (जनवरी 2011) के दौरान विफल हुआ था तथा उसे समय पर संस्थापित नहीं किया जा सका। संस्थापन को सीवीसी में निम्नलिखित यांत्रिक समस्या से 2012 वर्ष में नहीं किया जा सका (मार्च 2012) तथा 2013 वर्ष के लिए पुनःनिर्धारित किया जाना था। संस्थापन को पुनःनिर्धारित करने से निर्धारित परियोजना का अवपथन हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप संबंधित ठेकेदार (सब सी 7) को यूएसडी 50.26 मिलियन (₹ 256.77 करोड़) की वृद्धि का भुगतान हुआ।

**3.6.2.4 सीईएल को प्रदत्त निपटान राशि के एक भाग के रूप में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस के लिए किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) किराए का परिहार्य भुगतान**

सीईएल को प्रदत्त यूएसडी 32 मिलियन (₹ 149.37 करोड़) की निपटान राशि में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस के लिए किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) सम्मिलित था जो ओएनजीसी द्वारा देय नहीं था क्योंकि उपकरणों (टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस) के उपयोग के लिए किराए को पहले ही करार की समाप्ति तक सीईएल द्वारा किए कार्य भुगतान के एक भाग के रूप में सीईएल को भुगतान किया था।

**3.6.2.5 अन्नतः ओएनजीसी ने**

- (i) बोर्ड से संशोधित स्वीकृति प्राप्त किए बिना यूएसडी 0.7 मिलियन (दिसम्बर 2009 के करार में सुरक्षित ₹ 3.26 करोड़) की कमी को समायोजित करने के पश्चात अपतटीय उपकरण/सामग्री की खरीद तथा नवीनीकरण पर यूएसडी 6.28 मिलियन\* (₹ 29.24 करोड़) का अतिरिक्त व्यय किया।
- (ii) इसकी शर्त या प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना अपतटीय उपकरण/सामग्री का उत्तरदायित्व स्वीकार करके यूएसडी 60.06 मिलियन का उत्तरदायित्व लिया। (पैराग्राफ 3.6.2.3(i) में यूएसडी 9.80 मिलियन सहित पैराग्राफ 3.6.2.3(ii) में

---

\* [ दिसम्बर 2009 की शर्तों में प्राप्त यूएसडी 3.46 मिलियन (पैराग्राफ 2.2.1) प्लस यूएसडी 3.52 मिलियन (पैराग्राफ 2.2.2) माइनस यूएसडी 0.7 मिलियन कमी ]

यूएसडी 50.26 मिलियन या ₹ 313.10 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय देयता मानकर।

- (iii) सीईएल को प्रदत्त निपटान राशि के एक भाग के रूप में टीआरटी तथा आईडब्ल्यूओसीएस हेतु किराए के प्रति यूएसडी 13.7 मिलियन (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

3.6.2.6 इस प्रकार, ओएनजीसी ने सीईएल के साथ करार के निपटान में यूएसडी 80.04 मिलियन (₹ 406.13 करोड़) की अतिरिक्त वित्तीय देयता मानी। ओएनजीसी द्वारा प्राप्त यूएसडी 21.54 मिलियन (₹ 91.39 करोड़) की पीबीजी (जुलाई 2008) राशि को भुनाने के लिए लेखांकन, कम्पनी पर निवल अतिरिक्त भार यूएसडी 58.50 मिलियन (₹ 314.74 करोड़) था। अप्रैल 2010 की संशोधित तिथि तक भी समेकित परियोजना की पूर्णता तथा लगभग ₹ 1,500 करोड़ प्रति वर्ष के राजस्व उगाही के ओएनजीसी के अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल कागजों पर ही रहे (जनवरी 2015)।

### 3.6.3 ओएनजीसी का उत्तर

3.6.3.1 ओएनजीसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2015) कि:

- (i) इसने बातचीत के ब्यौरे के रूप में अपने बोर्ड की पृथक स्वीकृति या सुधार की मांग की आवश्यकता महसूस नहीं की तथा दिसम्बर 2009 के निपटान करार को जून 2010 की अपनी बैठक में बोर्ड को प्रतिपादित किया। यह भी बताया गया कि यदि आपसी सहमतियोग्य करार के माध्यम से विवाद नहीं निपटाया गया होता तो पूरे परियोजना कार्यों का फिर से निविदा किया जाता और ₹ 1,000 करोड़ तक का व्यय बेकार पड़ा रहता;
- (ii) इसने सीईएल के प्रस्ताव पर सहमति दी क्योंकि यह एक 'निष्पन्न कार्य' की स्थिति थी चूँकि सीईएल के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करके परियोजना को पुनः शुरू करना बहुत मुश्किल था;
- (iii) सीईएल, परियोजना का सामान केवल 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर देने को तैयार था और परियोजना के विलम्बित पुनर्आरम्भ को स्वीकार नहीं करता। उपकरण की उपयोगिता अथवा 'उपयोगयोग्य' स्थिति की संबंधित ओईएमज द्वारा जांच की जा सकती थी और ओईएम की सिफारिश के आधार पर उसका नवीनीकरण किया जा सकता था। भारत से बाहर पड़े सभी परियोजना उपकरण/सामानों के लिए माँगसूची की संयुक्त जाँच की गई थी और कुछ



उपकरणों की विफलता का अनुमान नहीं लगाया गया था और जो जोखिम का भाग था, जिसे सीईएल के साथ आपसी सहमति समझौता करार करते समय देखना चाहिए था। इसे कैमरॉन की शर्तों को मानना पड़ा जिसे बाद में लागत वसूली, परिवहन और एसएसई की स्थापना में वहन करना पड़ता जैसा कि बाद का ओईएम था। ओएनजीसी के लिए समझौता करार पर हस्ताक्षर से पूर्व उपकरण/सामानों की गुणवत्ता की जांच करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि अधिकांश सामान/उपकरण ओईएम के पास पड़े थे; और

- (iv) सीईएल परियोजना उपकरण/सामानों की संयुक्त जांच/सत्यापन पर सहमत नहीं था। उसने जोर दिया कि ओएनजीसी को 'जैसा है जहां है' के आधार पर उपकरण/सामान लेना चाहिए। सामानों की जांच से परियोजना में देरी भी हो सकती थी। जहां तक संयंत्र जैसे- टीआरटी और आईडब्ल्यूओसीएस के किराए का संबंध था, ओएनजीसी ने बताया कि चूंकि संयंत्र सीईएल के साथ समाप्त करार में प्रदान की गई 221 दिनों की इसकी अभिरक्षा की समाप्ति के अलावा थे, इसे 10.4 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त इसने सीईएल को बातचीत से हल के भाग के रूप में 33 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया जिसकी किराए में परिकल्पना नहीं की गई थी।

### 3.6.4 ओएनजीसी के उत्तर पर टिप्पणियां

- (i) दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों में अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों की तुलना में ओएनजीसी पर बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां और देयताएं थीं। जून 2010 की बोर्ड की बैठक के एजेंडा पेपर में बोर्ड से दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों में कोई सुधार या अनुमोदन माँगना या इंगित नहीं किया गया था। तथ्य यह रह जाता है कि दिसम्बर 2009 में सीएमडी के अनुमोदन के साथ किए गए निपटान की शर्तों के कार्यान्वयन और विवरण से बोर्ड को अवगत नहीं कराया गया था। यह तर्क कि परियोजना में निवेश निपटान करार की आवश्यकता में बेकार पड़ी रही, इसको इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि परियोजना अभी भी (जनवरी 2015) पूरी नहीं हुई थी। ओएनजीसी द्वारा सीईएल के साथ किया गया करार गलत था क्योंकि इस पर बोर्ड का अनुमोदन नहीं था।
- (ii) जहाँ तक दिसम्बर 2009 के निपटान की शर्तों के प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर का संबंध है, तथ्य यह रह जाता है कि ओएनजीसी बिना प्रारम्भिक सावधानी बरते इस पर सहमति दे दी जबकि यह केवल पैकेटों और बाक्सों (केवल विनिर्दिष्ट उपकरण/सामान लिए) को उसमें रखे

उपकरण/सामानों की जाँच किए बिना संयुक्त सत्यापन करने तक सीमित था। इस प्रकार ओएनजीसी ने यथोचित परिश्रम के बिना उपकरण/सामानों की गुणवत्ता या उपयोगिता के प्रति अतिरिक्त देयता का जोखिम उठाया था और अक्टूबर 2008 के निपटान की अनुमोदित शर्तों का उल्लंघन किया था।

- (iii) अतिरिक्त देयता जिसे ओएनजीसी ने 'जैसा है, जहाँ है' के आधार पर उपकरण/सामान स्वीकार करते हुए बिना उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता देखे अपने ऊपर लिया था, ओएनजीसी के पास अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2009 तक का समय था जिसके दौरान जटिल उपकरण/सामानों की स्थिति का सत्यापन किया जा सकता था। टीआरटी और आईडब्ल्यूओसीएस जैसे संयंत्रों के लिए अतिरिक्त 221 दिनों के किराए (10.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के भुगतान के संबंध में तथ्य यह है कि ओएनजीसी द्वारा बार-बार कहने के बावजूद भी सीईएल ने जून 2006 के बाद काम फिर से शुरू नहीं किया था। इसके अलावा संयंत्र भी खराब हो गए थे क्योंकि सीईएल के कार्मिक इन संयंत्रों का संचालन करने हेतु उपलब्ध न होने और जटिल समुद्री परिवेश के कारण 'राइजर के अलग होने पर'\* (अगस्त 2006) ये क्षतिग्रस्त हो गए और गुम हो गए थे। इसके अलावा, टीआरटी और आईडब्ल्यू ओसीएस के लिए किराया ओएनजीसी द्वारा देय नहीं था क्योंकि ठेके की समाप्ति तक सीईएल द्वारा किए गए कार्य हेतु भुगतान के भाग के रूप में सीईएल को पहले ही इसका भुगतान कर दिया गया था। सीईएल को 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि का लाभ हुआ था जिसे ओएनजीसी ने मान लिया था, वह किराए के लिए नहीं था।

### निष्कर्ष

सीईएल के साथ समझौता करार करते समय बिना यथोचित परिश्रम और अपने बोर्ड द्वारा इसके नियम व शर्तों पर अनुमोदित लिए बिना ओएनजीसी ने केवल 0.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की छूट ली जबकि यह भुगतान करने पर समाप्त हो गया (i) ऐसे निपटान हेतु अक्टूबर 2008 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों से विचलन में 66.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 342.34 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद सीईएल के साथ विवाद के 'कोर्ट से बाहर' निपटान हेतु सीईएल को 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 149.37 करोड़) की समझौता राशि/अतिरिक्त वित्तीय देयता (₹ 342.34 करोड़) की धारणा गलत थी क्योंकि इस पर बोर्ड का अनुमोदन नहीं था और यह ओएनजीसी के वित्तीय हित में भी नहीं था।

\* राइजर: यह एक पाइपलाइन है जो एक सब-सी-वेल से सतह ड्रिलिंग सुविधा का अस्थायी विस्तार देती है।

इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने संयंत्रों के किराए के भुगतान पर 13.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 63.79 करोड़) का परिहार्य व्यय किया जिसका समाप्त ठेके के अंतर्गत पहले ही सीईएल को भुगतान कर दिया गया था। तेल और गैस क्षेत्रों के विकास हेतु परियोजना अप्रैल 2010 की संशोधित लक्ष्य तिथि के प्रति अभी भी अपूर्ण थी (जनवरी 2015) जबकि ₹ 1500 करोड़ प्रतिवर्ष का अनुमानित राजस्व अभी भी वसूला जाना था।

मामला मंत्रालय को बताया गया था (मार्च 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (18 मार्च 2015)।

### 3.7 आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड में सामान प्रबंधन माड्यूल के कार्यान्वयन की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा

#### 3.7.1 प्रस्तावना

अक्टूबर 2003 में, आयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड (कंपनी) ने माई एसएपी एण्ड गैस अपस्ट्रीम समाधान के साथ-साथ सभी दस माड्यूलों<sup>1</sup> को शामिल करते हुए दक्षता हेतु सूचना संग्रहण (आईसीई) परियोजना के तहत इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पैकेज, द एसएपी माई एसएपी-फाइनेंसिएल एण्ड लॉजिस्टिक्स का कार्यान्वयन किया गया। आईसीई अक्टूबर 2003 और जनवरी 2005<sup>2</sup> के बीच संगठनों के बीच पहुँचा।

लेखापरीक्षा द्वारा 2005-06 के दौरान कंपनी के ईआरपी प्रणाली में सामान प्रबंधन (एमएम) माड्यूल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी और सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय IV में लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशों का एक सेट बनाया था और कंपनी ने इनमें सुधार करने का आश्वासन दिया था।

कंपनी में ईआरपी पैकेज के एमएम माड्यूल के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी ताकि सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय IV में की गई लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई

<sup>1</sup> वित्तीय (एफआई), नियंत्रण (सीओ), सामान प्रबंधन (एमएम), संयंत्र प्रबंधन (पीएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), निवेश प्रबंधन (आईएम), संपत्ति प्रबंधन (एएम), कोष (एफएम), बिक्री एवं वितरण (एसडी), बिजनेस इंफार्मेशन वेयर हाऊस (बीडब्ल्यू)।

<sup>2</sup> शुरू में एसएपी वर्जन 4.6सी को एसएपी में डाटा जुटाने हेतु आरेकल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ एचपी यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम एण्ड प्लेटफार्म्स पर लगाया गया था जिसे बाद में अपग्रेड करके डाटाबेस के अनुसार ओरेकल 10जी के साथ 2009 में ईआरपी 6.0 कर दिया गया।

की समीक्षा की जा सके। अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु एमएम माइयूल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी।

### 3.7.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं सीमायें

लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली निम्नलिखित है:

- कंपनी के साथ विचार-विमर्श, प्रबंधन को जारी प्रश्नावली एवं पत्राचार तथा इनका फीडबैक।
- मानक और इन-हाउस रिपोर्टों का प्रयोग करके डाटा लेना और एमएस एक्सेल/एमएस एक्सेस का उपयोग करते हुए उनका विश्लेषण।

लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई सीमायें थी:

- लेखापरीक्षा सूचना प्रणाली (एआईएस), एसएपी के साथ युक्तियुक्त और कारोबार तथा सिस्टम लेखापरीक्षाओं की सुविधा हेतु बनाए गए एक लेखापरीक्षण यंत्र का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।
- एसएपी क्वेरी और एसएपी डाटा ब्राउजर तक पहुँच उपलब्ध नहीं थी।

### 3.7.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

#### 3.7.3.1 सिफारिश 1 – समय पर और सटीक डाटा संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत करना

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान विश्लेषण से पता चला कि पिछली लेखापरीक्षा में देखी गई इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता के कारण डाटा में असंगतता लगातार जारी रही जैसा कि नीचे बताया गया है:

#### (क) गलत निर्धारण के साथ खरीद आदेश

स्प्लिट वैल्यूएशन प्रोसीजर (एसवीपी) को स्टोर एवं कलपुर्जो हेतु ईआरपी प्रणाली में शामिल किया गया था जहाँ प्रणाली में शामिल 'वैल्यूएशन टाइप' बताने के आधार पर प्रत्येक 'मैटेरिएल टाइप' के लिए अलग भारित औसत लागत अनुरक्षित किया गया था। भारत के सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.1 में टिप्पणी की गई थी कि इनपुट नियंत्रणों की अपर्याप्तता से क्रय आदेश (पीओज़) में वस्तुओं के

‘वैल्यूएशन टाइप’ की गलत प्रविष्टियां होती हैं जिससे डाटा संग्रहण की कमी और गलत एमआईएस, गलत सामान गणना हुई।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2007) कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में एक वैधीकरण होना चाहिए ताकि स्वदेशी वेंडर आयातित मालों और इसके विपरीत क्रम के लिए निर्धारण प्रकार स्वीकार न करें।

हालांकि अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 2011-14 के दौरान ₹ 7.45 करोड़ मूल्य के 371 मदों हेतु 47 पीओज को पोस्ट किया गया था, जिसमें निर्धारण प्रकार के सामान पीओज प्रकार के साथ भिन्न थे अर्थात् आयातित पीओ के लिए प्रासंगिक निर्धारण प्रकार, स्वदेशी पीओ और इसके विपरीत प्रविष्ट किए गए थे (अनुबंध-III)।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि केवल एक पीओ के मामले को छोड़कर सभी 47 पीओज में प्रविष्ट निर्धारण प्रकार सही था; हालांकि ये पीओज बनाते समय ‘दस्तावेज प्रकार’ प्रविष्ट करते समय त्रुटि के कारण आयातित पीओ और इसके विपरीत की बजाए एक स्वदेशी पीओ बन गया।

इससे पता चलता है कि यह सुनिश्चित करने हेतु वैधीकरण कि स्वदेशी वेंडरों पर पीओज आयातित वस्तुओं और निर्यातित वस्तुओं के लिए निर्धारण प्रकार स्वीकार न करने की व्यवस्था नहीं थी ताकि ऐसी गलतियों को रोका जा सकता, जबकि नवम्बर 2007 में कंपनी द्वारा इसका आश्वासन दिया गया था।

#### **(ख) क्रय आदेश में सुपुर्दगी तिथि**

संबंधित पीओ के नियमों व शर्तों के अनुसार ईआरपी प्रणाली में सामानों की सही निर्धारित सुपुर्दगी तिथि को आवश्यकता, वेंडरों के निष्पादन और पीओज के समापन के प्रति व्यापक रूप से मॉनीटर किया जाना था।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.3 में यह टिप्पणी की गई थी कि पीओज में सामानों की निर्धारित सुपुर्दगी तिथि प्रविष्ट करने हेतु कोई इनपुट नियंत्रण नहीं था जो निर्धारित सुपुर्दगी तिथियाँ कुछ मामलों में पीओ की तिथि से पहले थीं। आगे यह भी देखा गया कि आपूर्तियों की वास्तविक सुपुर्दगी तिथि को प्रणाली में नहीं दर्ज किया जा रहा था।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि वेंडरों द्वारा उद्धृत सुपुर्दगी अवधि पर निर्भर थी और इसके लिए प्रणाली में किसी वैधीकरण की व्यवस्था

करना संभव नहीं था। सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि इसके लिए बनाई गई रिपोर्ट में क्रय अधिकारियों द्वारा हस्तगत प्रविष्टि के माध्यम से दर्ज की जानी थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि आपूर्तियों की वास्तविक सुपुर्दगी तिथि इन-हाऊस विकसित कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाली में दर्ज की जा रही थी। हालांकि नमूना जाँच\* से पता चला कि 159 वस्तुओं हेतु 48 पीओज को 2 से 614 दिनों की अवधि तक पीओ तिथियों से पूर्व की निर्धारित सुपुर्दगी तिथियाँ निश्चित की गई थी। इस प्रकार, पीओज में लगातार गलत निर्धारित तिथियाँ दर्ज होती रही। आगे यह भी देखा गया कि आगामी 'दस्तावेज तिथियों'\* वाले पीओज भी प्रणाली में मौजूद थे जो कमजोर इनपुट नियंत्रण/वैधीकरण जाँच दर्शाते हैं (अनुबंध-IV)।

गलत निर्धारित सुपुर्दगी तिथि दर्ज करने के कारण क्रय और पीओ निष्पादन पर सटीक एमआईएस डाटा नहीं बनाया जा सका, परिनिर्धारित हानि लगातार मैनुअली निकाली गई और सुपुर्दगी में देरी के मामले में स्वचालित अनुस्मारक जारी करने हेतु एसएपी में दिए गए अनुस्मारक विशेषता का उपयोग नहीं किया जा सका।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि सुपुर्दगी तिथियों का वैधीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड क्रय एवं तत्काल क्रय जैसी कुछ स्थितियों में वस्तुओं की सुपुर्दगी के बाद नियमन हेतु पीओ रखा जाना था। कंपनी ने यह भी बताया कि परिनिर्धारित हानियाँ आंशिक रूप से व्यक्तिपरक हैं और इसे पीओ और ठेका शर्तों के आधार पर मैनुअली निकाले जाने की आवश्यकता है। 'दस्तावेज तिथियों' के संबंध में यह बताया गया कि दस्तावेज तिथि के रूप में पीओ के सृजन की तिथि के दोष हेतु प्रणाली आशोधन की ऐसी त्रुटियों से बचने की लिए जांच की जाएगी।

कंपनी का तर्क कि तत्काल क्रय को विनियमित करने हेतु पीओ तिथियों में असंगतता स्वीकार्य नहीं था। लेखापरीक्षा का विश्लेषण सितम्बर 2014/फरवरी 2015 तक अपूर्ण सुपुर्दगी के साथ 2011-14 में पीओज पर आधारित था, इसलिए ये पहले ही प्राप्त वस्तुओं के विनियमन के मामले नहीं हो सकते थे। इसके अतिरिक्त, तत्काल/विनियमन मामलों के मामले में आवश्यकता को पीओज में सुपुर्दगी तिथियों की वैधीकरण करते समय अपवादस्वरूप देखा जाए।

---

\* वस्तुओं की वास्तविक सुपुर्दगी के साथ 2011-14 के दौरान अवमुक्त पीओज सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 को अपूर्ण थी।

\* दस्तावेज तिथि पीओ बनाने की तिथि दर्शाती है।

**(ग) स्थानांतरण में स्टॉक की गैर निकासी**

स्टॉक परिवहन आदेश (एसटीओज़), वस्तुओं के आंतरिक स्थानांतरण हेतु बनाए जाते हैं। जारीकर्ता स्टोर द्वारा दर्ज एक वस्तु निर्गम दस्तावेज लंबित दस्तावेजों को पूरा करने हेतु स्टोर द्वारा एक वस्तु प्राप्ति रसीद प्राप्त करते हुए पूरित होना था जो वस्तु स्थानान्तरण मदसूचियों के अंतर्गत 'स्थानान्तरण में स्टॉक' के रूप में बचे हों।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.5 में यह टिप्पणी की गई थी कि वस्तुओं के आंतरिक स्थानान्तरण के संबंध में माल प्राप्ति दस्तावेजों की विलम्बित प्रविष्टि और गैर-प्रविष्टि की घटनायें हुईं जिसके कारण प्रणाली में प्राप्त सभी स्टॉक की समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने में आंतरिक नियंत्रण का अभाव दर्शाते हुए 'स्थानान्तरण में स्टॉक' में बड़े अधिशेषों की संगणना हुई। यह भी देखा गया था कि स्टॉक स्थानान्तरण के ऐसे मामले थे जहाँ 'स्थानान्तरण में स्टॉक' के अनुसार मदों को शामिल किया गया था जबकि स्थानान्तरित वस्तुओं को वित्तीय अभिलेखों में खपत के रूप में दर्ज किया गया था।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि आगे एसटीओ की अनुमति न देने के लिए प्रणाली में वैधीकरण होना चाहिए जहाँ दो महीने से अधिक पारगमन में सामान बाकी हों और जहाँ साइट पर उपलब्ध स्टॉक औसत दो महीनों से अधिक खपत हो।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि ₹ 75.77 करोड़ वाले 68,904 मदों के लिए स्टॉक स्थानान्तरण छः महीने से दस वर्षों से अधिक तक के स्टॉक स्थानान्तरण की गैर-निकासी अवधि से गैर-निकासी के कारण पड़े थे (अगस्त 2008) (अनुबंध-V)। आगे अगस्त 2014 तक पारगमन में बचे माल निर्गम दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि 89 मामले जिनका मूल्य 0.82 करोड़ रूपय था और स्टॉक स्थानान्तरण में शामिल थे, को पहले ही वित्तीय अभिलेखों में खपत के रूप में दर्ज कर दिया गया था।

कंपनी ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि पिछले चार वर्षों के दौरान यदि बाकी स्टॉक अधिकतम खपत से दोगुने से अधिक हो तो आगे खरीद को रोकने हेतु प्रणाली में वैधीकरण पहले से ही मौजूद था। अधिशेष स्टॉक का आँकड़ा माँगकर्ताओं के पास पड़े गैर-मंजूर स्टॉक स्थानान्तरण दस्तावेजों को शामिल करने के बाद निकाला गया था जिससे स्टॉक स्थानांतरण की मंजूरी हेतु माँगकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया गया। जहाँ तक लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 89 मामलों का प्रश्न है, यह बताया गया कि इनमें से 87 मामलों का निपटान कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथाकथित वैधीकरण, स्टॉक स्थानान्तरण की समय पर निकासी सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं था। इसके अतिरिक्त 'स्थानान्तरण में स्टॉक' के रूप में बचे सामानों की स्थिति की जांच करने हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि खपत दर्ज कर दिया गया था।

**(घ) भौतिक सत्यापन प्रक्रिया**

निश्चित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 'ए' एवं 'बी' श्रेणी परिसंपत्तियों के लिए स्टॉक सत्यापन टीम द्वारा वार्षिक रूप से तथा 'सी' श्रेणी परिसंपत्तियों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष नियमित रूप से किया जाता था। प्रत्येक परिसंपत्ति के सत्यापन पर उपलब्धता की स्थिति को प्रणाली में अद्यतित किया जाता था और प्रणाली में अद्यतन हेतु भिन्न परिसंपत्तियों की पुष्टि/मिलान/पता लगाने के लिए माँगकर्ताओं को भिन्नता रिपोर्ट भेजी जाती थी। भौतिक सत्यापन नीति में यह भी प्रावधान है कि सामानों की श्रेणी के आधार पर स्टॉक में स्टोर, स्पेयर्स और पूँजीगत वस्तुओं (सीआईओएस) का लगातार सत्यापन किया जाए जिससे कि 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के स्टोर्स और स्पेयर्स का क्रमशः वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक सत्यापन किया जा सके।

सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय-VI पैरा 6.7.5 में यह टिप्पणी की गई थी कि परिसंपत्तियों, सीआईओएस और स्टोर्स तथा स्पेयर्स का नियमित और पूर्णतः सत्यापन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों के स्टॉक सत्यापन में बहुत सी कमियां बिना समय विश्लेषण के अंतिम समाधान हेतु पड़ी थी।

कंपनी ने बताया था (जनवरी 2009/जून 2010) कि माँगसूची के नियमित सत्यापन का प्रयास किया जाएगा तथा स्टॉक सत्यापन में कमियों के समय विश्लेषण को भी प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

**(i) परिसंपत्तियों एवं स्टोर्स तथा स्पेयर्स का भौतिक सत्यापन**

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन निर्धारित समयांतराल पर नहीं किया जा रहा था। फरवरी 2015 में ₹ एक लाख प्रति कुल बुक मूल्य से अधिक वाली परिसंपत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि 81564 परिसंपत्तियों (₹ 99,238.49 करोड़) में से 4,052 परिसंपत्तियों (₹ 391.62 करोड़) का पिछला सत्यापन 1992-2013 के दौरान किया गया था (अनुबंध VI, VII और VIII)। आगे यह भी देखा गया कि 4918 मदों (₹ 2864.14



करोड़) के संबंध में पिछली माँगसूची तिथि प्रणाली में नहीं उपलब्ध थी और ₹ एक लाख से अधिक बुक मूल्य वाली 3055 परिसंपत्तियाँ (₹ 164.08 करोड़) घाटे में थी। इसके अतिरिक्त, 417 अचल परिसंपत्तियों जैसे- जमीन, भवनों, गोदामों, वेयरहाउसों, कार्यशालाओं, हेलीपैडों, बंक भवनों, सड़कों, दीवारों, कैंटीनों, बंगलों, ड्रिल साइटों, शेडों, गैरेजों आदि को प्रणाली में घाटे में दर्शाया जा रहा था। स्टॉक में स्टोर्स, स्पेयर्स और पूँजीगत वस्तुओं (सीआईओएस) के संबंध में 2011-14 के दौरान विभिन्न स्थानों पर सत्यापन में 43 से 86 प्रतिशत तक की गिरावट थी (अनुबंध-IX)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि इनमें से कई परिसंपत्तियों को सत्यापन के बिना तत्कालीन उपलब्ध डेटा से आईसीई प्रणाली में अपलोड किया गया था, इन्हें 'घाटे' के रूप में दर्शाया जा रहा है और सभी इकाइयों को ऐसी वस्तुओं की पहचान करके इनका मिलान करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एसेट मास्टर के साथ पूर्णतः मिलान किए गए समर्थित दस्तावेजों के साथ कंपनी की रिएल इस्टेट परिसंपत्तियों को अपलोड करने हेतु आईसीई में एक रिएल इस्टेट माड्यूल बनाया गया था; एक बार मैपिंग और अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के पश्चात् यह उम्मीद थी कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों को कम किया जा सकता था।

उत्तर में यह नहीं बताया गया कि 2003 में अपलोडेड मौजूदा डेटा का दस वर्ष बीत जाने के बाद भी मिलान क्यों नहीं किया जा सका।

#### (ii) *विसंगतिपूर्ण परिसंपत्तियों का समय विश्लेषण*

सभी विलुप्त परिसंपत्तियों (26 सितम्बर 2014 तक) के समय विश्लेषण से पता चला कि 15,525 मर्दें (₹ 221.69 करोड़) बीस वर्ष से अधिक समय से घाटे में थी (अनुबंध-X)। आगे यह भी देखा गया कि 'जबकि वह तिथि जबसे परिसंपत्ति घाटे में थी', इसके पिछले सत्यापन तिथि के बाद नहीं हो सकती थी, 919 परिसंपत्तियों (₹ 15.24 करोड़) के मामले में घाटे की तिथि एसेट मास्टर में पिछली माँगसूची तिथियाँ पाँच वर्षों से अधिक के बाद की थी (अनुबंध-XI)। इसके अतिरिक्त, 1355 मर्दों (₹ 14.61 करोड़) को उनके पूँजीकरण तिथि से घाटे में बताई गई थी।

इस प्रकार, प्रणाली में आवश्यक डाटा इनपुट नियंत्रण नहीं था जिसके कारण गलत एमआईएस और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े संगठनात्मक उद्देश्य नहीं पूरे हुए।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) अधिकांश परिसंपत्तियों को जो लंबे समय से घाटे में थी उनको पूर्ण सत्यापन के बिना मौजूदा उपलब्ध डेटा से एसएपी प्रणाली में स्थानांतरित

कर दिया गया। आगे यह भी बताया गया कि परिसम्पत्ति सत्यापन के आधार पर परिसंपत्ति की स्थिति को अद्यतित करने का कार्यक्रम अधिकांशतः सत्यापन तिथि अथवा उसके बाद होता था; इसे रिपोर्टिंग तिथि के रूप में रखा जाता था और वहाँ हमेशा संभावना थी कि घाटा बताए जाने की तिथि माँगसूची तिथि के बाद थी।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाए कि उपलब्ध डाटा को 2003 में प्रणाली में अपलोड किया गया था और अब तक इसका मिलान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सत्यापन स्थिति का अद्यतन कार्यक्रम सत्यापन तिथि के पश्चात् भी चल सकता था लेकिन सत्यापन तिथि के पाँच वर्ष बाद भी ऐसा नहीं किया जा सका।

### (iii) विसंगतिपूर्ण परिसंपत्तियों का मिलान

एक पूँजीगत माँगकर्ता निर्धारित परिसंपत्तियों की अभिरक्षा और अनुरक्षण हेतु परिसंपत्तियों का अभिरक्षक कहलाने वाले अंतरिम प्रयोगकर्ताओं को जारी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने हेतु सभी खण्डों में प्राधिकृत था। अलगाव/सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण के मामले में एक माँगकर्ता को प्रभार त्यागने से पूर्व अपने स्थान पर प्रभार लेने वाले कर्मचारी के नाम में परिसंपत्तियों का स्थानान्तरण करना चाहिए।

घाटे की 14,502 परिसंपत्तियों (02 सितम्बर 2014 तक) के माँगकर्ता विवरण के विश्लेषण से पता चला कि 954 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 11.79 करोड़) 51 माँगकर्ताओं के नाम थी जो कंपनी में लम्बी अवधि से सेवारत नहीं थे, 1,669 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 30.21 करोड़) 118 माँगकर्ताओं के पास थी जो परिसंपत्तियों के स्थान पर लम्बे समय से कार्यरत नहीं थे, को अक्टूबर 2001 से पीछे की अवधि तक काफी पुराना स्थानान्तरण किया गया, 7,200 घाटे वाली परिसंपत्तिया (₹ 75.34 करोड़) नकली माँगकर्ताओं के पास थी और 2,165 घाटे वाली परिसंपत्तियाँ (₹ 40.31 करोड़) 126 माँगकर्ताओं के पास थी जिनके संबंध में मानव संसाधन (एचआर) मास्टर डेटा<sup>1</sup> से बनाई गई रिपोर्टों में उनकी सेवा/तैनाती की वर्तमान स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं था।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि कर्मचारी की अभिरक्षा में रखी गई परिसंपत्तियों को देखने के लिए डब्ल्यूईबीआईसीई (कर्मचारियों के घरेलू पोर्टल) में परिसंपत्ति अभिरक्षक रिपोर्ट और एसएपी में अन्य रिपोर्ट (जेडएचआरसीएपीआरईपीओ) पहले ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रणाली में नई कार्यप्रणाली स्थानान्तरण या मौजूदा माँगकर्ता के अलगाव

<sup>1</sup> एसएपी टी-कोड्स - जेडएचआर\_ईएमपीएचआईएसटी और जेडएचआरईएमपी\_विवरण

के समय नए माँगकर्ता को परिसंपत्ति सौंपने/स्थानांतरित करने हेतु विकसित की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसका पहले से उपलब्ध रिपोर्ट का प्रयोग करके परिसंपत्तियों को सौंपने हेतु कारोबारी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता।

**(iv) घरेलू विकसित रिपोर्टों में विसंगतियाँ**

श्रीणी और माँगकर्तावार परिसंपत्ति<sup>1</sup> सत्यापन स्थिति सार<sup>2</sup> के साथ-साथ भिन्न परिसंपत्तियों के समय विश्लेषण पर एमआईएस डाटा जुटाने हेतु आईसीई टीम द्वारा घरेलू रिपोर्ट बनाई गई थी। दो रिपोर्टों के तुलनात्मक विश्लेषण (26 सितम्बर 2014 तक) से पता चला कि दो रिपोर्टों में घाटे में 'ए', 'बी' एवं 'सी' श्रेणी की परिसंपत्तियों की संख्या और कुल बुक मूल्य में समानता नहीं पाई गई (अनुबंध-XII) जिसके कारण अपूर्ण एमआईएस और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग हुई।

**3.7.3.2 सिफारिश 2 - प्रणाली के माध्यम से एमआरपी नियंत्रक की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा अधिकतम, न्यूनतम और पुनः मांग स्तरों का निर्धारण करके प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना**

एसएपी में सामान आवश्यकता योजना (एमआरपी) विशेषता थी जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए न्यूनतम, अधिकतम, सुरक्षा और पुनःमांग स्टॉक स्तर निर्धारित किया जा सके ताकि आवश्यकतानुसार उनकी उपलब्धता के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त मांगपत्र रखने में अनावश्यक रूप से निधियों का अवरोधन न हो। जब भी वस्तुओं का स्टॉक स्तर इसके पुनर्मांग स्तर तक पहुँचे, खरीद हेतु एक पीआर निकालने के लिए एमआरपी विशेषता का उपयोग किया जा सके।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.10 के अध्याय VI के पैरा. 6.7.2.1 में यह टिप्पणी की गई थी कि स्टॉक रखने की वास्तविक आवश्यकता अथवा खपत में कोई तालमेल नहीं था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले देखे गए जहां पूँजीगत वस्तुएं लम्बी अवधि से स्टोर में अप्रयुक्त पड़े थे जबकि इसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद इसे प्रयोगकर्ताओं को जारी किया जाना था।

<sup>1</sup> एसएपी टी-कोड्स - जेडएफआईएमडीएफसीटी

<sup>2</sup> एसएपी टी-कोड्स - जेडएफआईवीईआरआईबीसी

कंपनी ने बताया (जनवरी 2009/जून 2010) कि स्वचालित एमआरपी नियंत्रक उच्च तकनीकी प्रकृति की आवश्यकताओं से अलग होने के कारण कंपनी के काम नहीं आ सका, जो कार्ययोजना पर आधारित था। हालांकि नियमित खपत और सामान्य प्रकृति की मदों हेतु विभिन्न स्तरों को तय करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही थी।

यह देखा गया कि ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के बावजूद अधिकतम, न्यूनतम, सुरक्षा और इवेंटरी होल्डिंग का रिकार्ड स्तर निर्धारित नहीं किया गया था, सामान आवश्यकता योजना मैनुअली बनाई जा रही थी जो अभी भी व्यक्तिपरक थी।

#### (क) स्टोर मदें

इवेंटरी होल्डिंग अर्थात् 2011-14 के दौरान 15 ड्रिलिंग संयंत्रों\* में ₹ 732.41 करोड़ के औसत स्टॉक मूल्य वाले 12956 स्टोर मदों की खपत के विश्लेषण से 14 संयंत्रों में फैले 536 स्टोर मदों की खपत 'शून्य' पाई गई जहाँ औसत स्टॉक मूल्य ₹ एक लाख प्रति से अधिक था। 364 में कोई स्टॉक आवाजाही नहीं थी जिसमें से ₹ 42.34 करोड़ का औसत स्टॉक मूल्य था और 14 ड्रिलिंग संयंत्रों में 149 स्टॉक मदें फैली थी जहाँ औसत इवेंटरी होल्डिंग 'शून्य' खपत के बावजूद नई खरीदी जा रही ₹ 16.24 करोड़ मूल्य की वस्तुएं 2011-14 में दस गुने से अधिक वृद्धि दर्शायी।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि तत्संबंधी स्टोर्स/स्पेयर्स मदों के मामले में पिछले चार वर्षों के दौरान अधिकतम खपत की दो गुनी/1.6 गुनी से अधिक स्टॉक होने पर आगे की खरीद रोकने हेतु पहले ही प्रमाणीकरण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तथाकथित प्रमाणीकरण सार्वभौम प्रकृति का था मदों को अधिकतम, न्यूनतम और पुनर्माग स्तर पर निर्धारित करके प्रणाली के ईष्टतम उपयोग के माध्यम से एमआरपी नियंत्रण हेतु विस्थापित नहीं किया जा सकता था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि 149 स्टोर मदों के मामले में औसत इवेंटरी होल्डिंग 'शून्य' खपत के बावजूद नई खरीदी जा रही ₹ 16.24 करोड़ मूल्य की वस्तुओं ने 2011-14 में दस गुने से अधिक वृद्धि दर्शायी।

---

\* अगरतला, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, बड़ौदा, काम्बे, देहरादून, जोधपुर, जोरहट, कराईकल, कोलकाता, मेहसाणा, मुंबई, नाजीरा, राजमुंदरी, और सिलचर

**(ख) पूँजीगत स्टोर्स**

चूँकि पूँजीगत वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित माँगकर्ता को तुरंत जारी किया जाना होता है, ₹ 44.28 करोड़ मूल्य की 1132 पूँजीगत वस्तुएं दस वर्षों से अधिक समय जारी करने हेतु स्टोर में पड़ी थी (अनुबंध-XIII)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि पूँजीगत वस्तुओं की प्राप्ति पर जारी करने वाले आवश्यक दिशा-निर्देश अक्टूबर 1996 में ही जारी कर दिए गए थे, इसके बावजूद भी सीआईओएस मदों को जल्दी से जल्दी विनियमित/समाप्त करने हेतु दुबारा निर्देश दिए जा रहे हैं।

**3.7.3.3 सिफारिश 3 – त्रुटियों में सुधार हेतु विस्थापित मास्टर डाटा शोधन जो ईआरपी प्रणाली में फैला था और मास्टर डाटा की आवधिक समीक्षा हेतु व्यापक प्रक्रियायें स्थापित करना**

2003 में एसएपी ईआरपी प्रणाली लागू करते समय तत्कालीन 'एकीकृत मैटेरिएल प्रबंधन प्रणाली' (आईएमएमएल) से मौजूदा डाटा विस्थापित कर दिया गया था जिसमें संगठन द्वारा की गई मैटेरिएल मास्टर डाटा विस्थापन प्रक्रियाओं में अपूर्ण कोडीफिकेशन विवरणों से संबंधित कुछ कमियाँ देखी गई थी और सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं. 10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.4 में टिप्पणी की गई थी।

कंपनी ने मैटेरिएल मास्टर डाटा के सफाए के बारे में बताया था (नवम्बर 2007) जिससे आगे की खरीद हेतु विवरण के बिना डुप्लीकेट कोड वाले मैटेरिएल को ब्लॉक कर दिया गया था जिसके कारण मैटेरिएल मास्टर डाटा में सुधार करना पड़ा।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.4 में लेखापरीक्षा द्वारा विस्थापित मास्टर डाटा में बताई गई त्रुटियों में सुधार पाया गया।

**3.7.3.4 सिफारिश 4 – प्रयोक्ता जागरूकता का स्तर बढ़ाने और डाटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने तथा अन्तिम प्रयोगकर्ताओं को अद्यतित संचालनात्मक दस्तावेज बनाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना**

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान डाटा और सूचना के विश्लेषण से पता चला कि प्रयोक्ता जागरूकता अभाव और डाटा इनपुट त्रुटियाँ का कारण डाटा अनियमितता जैसा कि

पिछली लेखापरीक्षा में देखा गया था, लगातार जारी रहा जो प्रयोक्ता जागरूकता स्तर बढ़ाने में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई की अपर्याप्तता दर्शाता है जो निम्नवत है:

**(क) पूर्व के लंबित माँगपत्र के साथ नये क्रय माँगपत्र का सृजन**

प्रणाली में क्रय माँगपत्र (पीआर) क्रय गतिविधियों का मूल था और क्रय प्रक्रिया में सृजित मूल दस्तावेज था जो आवश्यकता की यथार्थता दर्शाता है और क्रय हेतु प्रशासनिक अनुमोदन/मंजूरी दर्शाता है।

सीएजी की 2007 की रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.4 में टिप्पणी की गई थी कि एक ओर जहाँ पीआर, किसी खरीद कार्रवाई या समाप्ति के बिना लंबे समय से प्रणाली में लंबित थे, वहीं दूसरी ओर उनमें से कुछ मर्दों के लिए नए पीआरज भी सृजित किए गए थे और उस पर खरीद कार्रवाई की गई थी।

कंपनी ने असंपादित पीआरज को हटाने हेतु एक अंतरण कोड बनाने यदि उसी सामान हेतु माँगपत्रप्रणाली में पहले से हो तथा नए पीआरज की गैर-वसूली हेतु एमआरपी नियंत्रकों के प्रशिक्षण के बारे में बताया था (नवम्बर 2007)।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च 2011 से पहले की सुपुर्दगी तिथि वाले 34,279 मर्दों हेतु 12,774 पीआरज बिना किसी खरीद कार्रवाई या समापन के सितम्बर 2014 को प्रणाली में लंबित थे इसके अतिरिक्त चार संयंत्रों\* में विश्लेषण से पता चला कि जबकि एक ओर 997 मर्दों हेतु 2008-11 के 173 ऐसे पीआरज बिना किसी कार्रवाई के पड़े थे, वहीं दूसरी ओर 45 ऐसी मर्दों हेतु 43 नए पीआरज भी सृजित किए गए और 2011-14 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए (अनुबंध-XIV)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि ऐसे पीआरज को हटाने की कार्यप्रणाली पहले से ही उपलब्ध थी और जहाँ खरीद की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे पीआरज को हटाने का सुझाव हेतु एक परिपत्र भी जारी किया गया था।

**(ख) सामग्री खपत दर्ज करने में देरी**

सामग्री की खपत बुकिंग, सामग्री प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि स्टोर से उपयोगकर्ताओं को जारी सामग्री संचालन में वास्तविक प्रयोग तक माँगसूची का भाग है। वास्तविक खपत पर, प्रणाली में प्रविष्ट करना आवश्यक था ताकि इसे माँगसूची से हटा दिया जाए और इसकी लागत को लेखांकन/वित्तीयसूचना में दर्ज हो सके।

\* अंकलेश्वर परिसंपत्ति, अहमदाबाद परिसंपत्ति, निगम सेवार्य देहरादून और ड्रिलिंग सेवार्य मुंबई

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.1.6 में यह टिप्पणी की गई थी कि सामग्री खपत को समय पर प्रणाली में दर्ज नहीं किया जा रहा था जिसके कारण उपलब्ध वास्तविक भौतिक स्टॉक और प्रणाली में विद्यमान माँगसूची आंकड़ों में समानता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप गलत अवधि में सामग्री खपत की गणना हुई और इस कारण लेखांकन/वित्तीय आंकड़े गड़बड़ हुए।

कंपनी ने बताया था (नवम्बर 2007) कि खपत की समय पर बुकिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में एक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि 2012-13 के दौरान पूर्ण हुए 102 अंशित कुओं में ₹ 143.39 करोड़ की सामग्री कुओं समापन तिथियों के बाद 690 दिनों तक की देरी से खपत के रूप में दर्ज की गई थी (अनुबंध-XV) जिसमें से ₹ 133.98 करोड़ खुदाई प्रक्रियाओं के दौरान खपत की प्रकृति थे (अनुबंध-XVI)। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2013 से पूर्व खपत हुई ₹ 18.26 करोड़ की सामग्री को 2013-14 के दौरान खपत में बुक कर दिया गया था।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि समय से खपत की बुकिंग और लंबित एसटीओज को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी निर्माण केंद्रों को साइट पर उनकी सामग्रियों और खपत की बुकिंग के माध्यम से इसके परिसमापन हेतु नियमित आधार पर पारगमन सामग्रियों के बारे में बता दिया गया है।

#### **(ग) शेष मात्रा वाले खुले क्रय आदेश**

जब सुपुर्द की गई सामग्री की मात्रा, आदेशित मात्रा से थोड़ी कम हो और शेष मात्रा की उम्मीद न हो तो पीओ को अन्यत्र उपयोग हेतु शेष मात्रा से जुड़ी निधि को मुक्त करने के लिए प्रणाली में पूर्णता के रूप में समाप्त किया जाना चाहिए।

सीएजी की 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI के पैरा 6.7.2.3 में टिप्पणी की गई थी कि प्रणाली में ऐसे पीओज की क्लोजिंग का कारण अथवा क्लोज करने हेतु प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं थी।

कंपनी ने बताया (नवम्बर 2007) कि ऐसे पीओज की नियमित समीक्षा हेतु क्रय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

हालांकि, 31 मार्च 2014 से पूर्व की सुपुर्दगी तिथि वाले खुले पीओज और अगस्त 2014 में आदेशित मात्रा की 10 प्रतिशत से कम बची मात्रा के विश्लेषण से पता चला कि बची

हुई मात्रा से जुड़ी ₹ 12.87 करोड़ की निधियों वाले इस प्रकृति के 557 पीओज़ को अभी भी समाप्त नहीं किया था। (अनुबंध-XVII)।

कंपनी ने बताया (मार्च 2015) कि यद्यपि प्रणाली में ऐसे पीओज़ को स्वतः ही समाप्त करने की व्यवस्था थी लेकिन छूट सीमा शून्य प्रतिशत निर्धारित किया गया था क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी पीओज़ की समाप्ति पर विचार किया जाता है न कि स्वचालित रूप से समाप्त किया जाता है।

कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसे पीओज़ की समय पर मैनुअली क्लोजिंग सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रक्रियाएँ होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे खुले पीओज़ को जारी रखने से बची मात्रा पर निधियों का अवरोधन हुआ।

### निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि महत्वपूर्ण समय (आठ वर्षों) के बावजूद पिछली लेखापरीक्षा से पिछली लेखापरीक्षा में बताई गई प्रयोक्ता जाग्यकता अभाव और इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण जाँच, प्रतिपूरक आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं देखा गया ताकि स्टॉक और समय पर डाटा जुटाया जा सके। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई चार सिफारिशों में से कंपनी के 2007-08 के जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बावजूद केवल एक पर कार्रवाई की गई थी।

मामले को मार्च 2015 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

### 3.8 पुनर्निर्माण के बावजूद जल इंजेक्शन प्लेटफार्म का कम-उपयोग

1984 में चालू जल इंजेक्शन प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन), के मुंबई हाई उत्तरी क्षेत्र में मुख्य जल इंजेक्शन हब है। डब्ल्यूआईएन पुनर्निर्माण परियोजना का इसकी सहायक पाइपलाइनो से न जोड़ने और मुख्य इंजेक्शन पम्प की मरम्मत में देरी ₹ 726.50 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परिकल्पित जेक्शन क्षमता को पूरा नहीं किया जा सका।

जल इंजेक्शन एक विकसित क्षेत्र से सतत उत्पादन के लिए बेहतर जलाशय प्रबंधन हेतु प्रयुक्त एक प्रणाली है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) का डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म 1984 में चालू किया गया था और 3,40,000 बैरेल जल प्रतिदिन (बीडब्ल्यूपीडी) की जल इंजेक्शन क्षमता वाले अपने मुंबई हाई उत्तरी (एमएचएन) क्षेत्र में मुख्य जल इंजेक्शन हब है। अधिक समय, अत्यधिक खारे वातारण, कई प्रणालियों की



स्थिति और इस प्रमुख परिसर के मुख्य उपकरण खराब थे और पाइपलाइनों (डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13, एनआर-एन 7 और एन 8-एनक्यूओ) में रिसाव हो गया। परिणामस्वरूप डब्ल्यूआईएन की संचालनात्मक क्षमता 2008 तक घटकर 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी रह गई और प्लेटफार्म एमएचएन क्षेत्र के जलाशयों के लिए जल उठाने की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। इस प्रकार कंपनी ने डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म पर बेहतर सुविधा मुहैया कराने, बेहतर जलाशय प्रबंधन हेतु पाइपलाइनों की मरम्मत/बदलने और पुराने क्षेत्रों से वसूली कारक में भी वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की।

मई 2008 में, कंपनी ने 3,12,720 बीडब्ल्यूपीडी की औसत उच्च जल इंजेक्शन की परिकल्पना करते हुए डब्ल्यूआईएन के पुनर्निर्माण की मंजूरी दी। पुनर्निर्माण कार्य में मुख्य इंजेक्शन पम्पों (एमआईपीएस) के मोटर और अन्य संबंधित उपकरण/औजारों, नियंत्रण प्रणाली का पुनर्निर्माण आदि व्यापक रूप से निहित थे। पुनर्निर्माण परियोजना को 141.24 मिलियन यूएस डालर (₹ 726.50 करोड़) की लागत से मै. लिंटन कांट्रैक्टर्स (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई और मै. दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्रा. लि., नवी मुंबई के संघ को दिया गया था (फरवरी 2011)। डब्ल्यू आईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण की परियोजना जुलाई 2012 में पूरी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म से आउटपुट, लक्षित सुधार की बजाए पुनर्निर्माण के पश्चात और कम हो गया। डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म की परियोजना-पूर्व संचालन दर 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी थी (मार्च 2008) जबकि परियोजना के बाद संचालन दर केवल 2,38,767 बीडब्ल्यूपीडी थी (अगस्त 2012)। हालांकि नवम्बर 2012 तक थोड़ा सुधार हो के 2,54,407 बीडब्ल्यूपीडी हो गया। निष्पादन में परिकल्पित सुधार (3,12,720 बीडब्ल्यूपीडी) अभी तक तो नहीं पूरा हो पाया था (जनवरी 2015)। वास्तव में अगस्त 2012 से नवम्बर 2014 तक माहवार सूचना के विश्लेषण से पता चला कि 2,90,000 बीडब्ल्यूपीडी के परियोजना पूर्व निष्पादन तक भी यह सुविधा कभी नहीं पहुँच पाई थी।
- परियोजना के अनुमोदन के समय (मई 2008) कंपनी को पता था कि वाटर इंजेक्शन हेतु डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म से जुड़ी डब्ल्यूआईएन और डब्ल्यू 13 प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13 पाइपलाइन), एनआर तथा एनआर-7 प्लेटफार्म (एनआर-एन 7 पाइपलाइन) तथा एन 8 एवं एनक्यूओ प्लेटफार्म (एन 8-एनओक्यू पाइपलाइन) से जुड़ी तीन पाइपलाइनों में लीकेज था। हालांकि कंपनी

ने फरवरी 2011 में डब्ल्यूआईएन-डब्ल्यू 13 पाइपलाइन को बदल दिया तथा अप्रैल 2014 में एनआर-एन 7 के क्षतिग्रस्त भाग को आंशिक रूप से बदल दिया। तीसरी पाइपलाइन की अभी तक मरम्मत/बदला नहीं गया था (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, डब्ल्यूआईएन परियोजना के पुनर्निर्माण को इससे जुड़ी पाइपलाइनों को बदलते/मरम्मत की आवश्यकता में तालमेल न होने, जल इजेक्टर्स (डब्ल्यूआईज़) की कमी और दुर्लभ खैये से सुधारात्मक कार्रवाई की योजना के बिना एमआईपीज़ के कायाकल्प में देरी के कारण ₹ 726.50 करोड़ का व्यय करने के बावजूद प्लेटफार्म की अभिकल्पित जल निकासी क्षमता को पूरा नहीं किया जा सका।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2013) कि डब्ल्यूआईएन परियोजना में गिरावट जल इंजेक्शन लाइनों अर्थात् डब्ल्यू 13 डब्ल्यू 12, एनआरएन 7 तथा डब्ल्यूआईएन-एनक्यूओ में रिसाव के कारण था। परिणामस्वरूप 90,330 बीडब्ल्यूपीडी की क्षमता वाली चौथी एमआईपी जल निकासी हेतु उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन ने भी डब्ल्यूआईज़ में गिरावट को माना और बताया कि चौथे एमआईपी के कायाकल्प से डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म की जल निकासी क्षमता बढ़ सकती है।

कंपनी के उत्तर को ढीले और अपर्याप्त कार्यवाही के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे बताया गया है:

- 2008 की शुरुआत से डब्ल्यूआई प्लेटफार्म के जल निकासी लाइनों में समस्याएँ देखी गई थी। यद्यपि पाइपलाइनों की मरम्मत की संकल्पना डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण (मई 2008) हेतु अनुमोदन माँगते समय की गई थी और पाइपलाइनों की जीवनअवधि समाप्त हो गई थी, इस गतिविधि की समाप्ति और सिंक्रोनाइज़ेशन डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के पुनर्निर्माण की समाप्ति पर सुनिश्चित नहीं किया गया था। पाइपलाइनों में रिसाव की मरम्मत की जा रही थी जैसा और जब देखा गया।
- डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म के परिकल्पित पुनर्निर्माण के साथ इसकी लक्षित क्षमता प्राप्त करने हेतु जल निकासी पाइपलाइनों की समुचित कार्यपद्धति आवश्यक थी। कंपनी की पाइपलाइन बदलाव नीति के अनुसार, जल निकासी पाइपलाइन की आयुसीमा इसके चालू होने से 15 वर्ष तक है। डब्ल्यूआईएन से जुड़ी जल निकासी पाइपलाइन भी 1984 प्लेटफार्म के चालू होने के साथ ही चालू हो गई थी इसलिए अक्टूबर 2003 में निर्धारित पाइपलाइन मापदण्ड के अनुसार 15 वर्षों के बाद पाइपलाइन अवश्य बदल दिए जाने थे।

- यद्यपि कंपनी ने पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना (पीआरपी) (2008-11) में एनआर और एन 7 से जुड़ी पाइपलाइन का प्रतिस्थापन शामिल था, अभी तक (जनवरी 2015) एनआर-एन 7 का पूर्णतः प्रतिस्थापन नहीं किया गया था। इसके कारण भी जल निकासी लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। डब्ल्यूआईएन-एनक्यूओ हेतु पाइपलाइन की न तो मरम्मत की गई थी और न ही पीआरपी परियोजना में शामिल किया गया था जबकि पाइपलाइनों से लगातार रिसाव हो रहा था।
- एमआईपीज, डब्ल्यूआईएन प्लेटफार्म जितने पुराने थे। दो एमआईपी का कार्यक्रम दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013 के दौरान पूरा हुआ और उनमें से दो जनवरी 2015 तक लंबित थे। इससे जल निकासी पर भी प्रभाव पड़ा तथा अभिकल्पित क्षमता प्राप्त नहीं हुई।

मामले को फरवरी 2014 में मंत्रालय को बताया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

### 3.9 ठेका देने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव तथा मूल परियोजना में व्यवधान के कारण परिहार्य व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ठेकेदार को ठेका देने के बाद एक तेल परिसर (अर्थात् एसएचपीसी) के पुनर्गठन/पुनर्निर्माण का कार्यक्षेत्र बदल दिया जिससे परियोजना पूरी होने में विलम्ब और ₹ 32.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, अन्य तेल परिसर (अर्थात् एनक्यूपीसी) के पुनर्निर्माण/आशोधन के निष्पादन हेतु कंपनी द्वारा इंटरफेस मुद्दों पर गौर नहीं किया गया जिससे ₹ 55.30 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं विलम्ब हुआ।

अन्य में से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) के साउथ हीरा प्रोसेस कांप्लेक्स (एसएचपी काम्प्लेक्स) और एनक्यू प्रॉसेस कांप्लेक्स (एनक्यूपी कांप्लेक्स) भारत के पश्चिम तटीय मुंबई हाई फील्ड में स्थित दो सबसे पुराने तेल परिसर हैं। पाँच प्लेटफार्मों अर्थात् एसएचक्यू, एसएचपी और एसएचडी वाले एसएचपी परिसर 1984 में शुरू हुआ और एसएचजी, एसएचडब्ल्यू 1994 में शुरू हुआ। इसी प्रकार चार प्लेटफार्मों वाले चार प्लेटफार्म अर्थात् एनक्यूओ और एनक्यूडी 1985 में, एनजीक्यू 1986 में और एनक्यूपी 1994 में शुरू हुई।

अधिक समय और खारे परिवेश के कारण इन परिसरों/प्लेटफार्मों पर लगाई गई कुछ प्रणालियों और उपकरण की दशा खराब हुई जिसके कारण मरम्मत संबंधी समस्याओं में

वृद्धि हुई। तदनुसार, कंपनी ने इन परिसरों/प्लेटफार्मों और संबंधित सुविधाओं के व्यापक पुनर्निर्माण/पुनर्गठन का निर्णय लिया। चूँकि ये तेल परिसर तेल क्षेत्र थे, इनके पुनर्निर्माण में चालू प्लेटफार्मों को बन्द करना आवश्यक था। कार्य देने से पूर्व एक वृहद अध्ययन और योजना बनाना आवश्यक था ताकि कार्य के निष्पादन में देरी और अतिरिक्त लागत को रोका जा सके।

#### A. एसएचपी परिसर का पुनर्निर्माण

कंपनी ने 30 अप्रैल 2006 तक समापन हेतु ₹ 185.37 करोड़ में मै. लार्सन एण्ड टुब्रो (ठेकेदार) को एसएचपी परिसर के पुनर्गठन का कार्य (एसएचआरसी परियोजना) दिया (मार्च 2005)। कार्यक्षेत्र में आग एवं गैस प्रणाली का पुनर्निर्माण, मुख्य तेल लाइन पम्प्स का प्रतिस्थापन, एक प्लेटफार्म, (एसएचक्यू) पर हेलीडेक का स्तर बढ़ाने, पैदल पुल का स्थापन और वितरित नियंत्रण प्रणाली का स्थापन/चालू करना शामिल था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अपने पास उपलब्ध 25 वर्ष पुराने दस्तावेजों/ड्राइंग के आधार पर तैयार डिज़ाइन के आधार पर परियोजना दिया था, इस प्रकार बीच की अवधि में किए गए संशोधन से संबंधित अद्यतित ड्राइंग्स के अभाव में ठेकेदार को दिए गए ड्राइंग में परियोजना के दौरान परिवर्तन करना पड़ा था। परियोजना अंततः 2 वर्षों की देरी से 29 मई 2008 को पूरी हो पायी।

कंपनी ने बार-बार सर्वेक्षण, अपूर्ण ड्राइंग के लिए ठेकेदार की देरी, उपकरण की खरीद तथा समुद्री प्रसार करने तथा उपकरण की खरीद में देरी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ठेकेदार ने कंपनी की दलील को ठुकरा दिया और दावा किया कि देरी का कारण (क) ठेका देने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में बदलाव; (ख) इंजीनियरिंग ड्राइंग की मंजूरी में देरी; (ग) अनुसूची के अनुसार गैर अनुमत एसएचपी परिसर का बन्द होना; (घ) अन्य परमिटों की कार्यपद्धति को अपनाए और जारी करने में मनाही तथा देरी; (ङ.) कार्यस्थल तक पहुँच की मनाही (च) परिणामस्वरूप नाव का स्थिर/अकार्यशील पड़े रहना था। ठेकेदार ने इसके लिए ₹ 85.48 करोड़ का दावा किया।

ठेकेदार ने 18 सितम्बर 2009 को बाहरी विशेषज्ञ समिति\* को दावा भेज दिया। ओईसी की सिफारिश (11 नवम्बर 2010) के आधार पर कंपनी ने ठेकेदार की ₹ 28.31 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (17 अक्टूबर 2011)।

---

\* ओईसी - ठेकेदार और कंपनी के बीच के विवादों को निपटाने हेतु कंपनी द्वारा अपनाया गया एक तंत्र

चूँकि प्लेटफार्म बन्द नहीं हुआ था और सत्र 2005-06 में 14 दिनों के लिए ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया गया था, ठेकेदार को अपना जहाज अतिरिक्त दिनों के लिए तैनात करना पड़ा और अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। ओईसी की सिफारिशों पर कंपनी द्वारा ठेकेदार के ₹ 23.62 करोड़ के दावे के प्रति कम्पनी ने ₹ 3.98 तक भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार को परियोजना का ठेका दिये जाने से पूर्व कंपनी द्वारा कार्य के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, और इसके साथ ही परियोजना का ठेका देने के बाद इसमें बदलाव का प्रस्ताव दिया गया जिसके कारण परियोजना के निष्पादन के दौरान ₹ 32.29 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा देरी हुई।

### **B. एनक्यूपी परिसर का पुनर्निर्माण**

एनक्यूपी परिसर के पुनर्निर्माण का कार्य 08 मई 2008 तक पूरा होने के उद्देश्य से जून 2007 में 76.79 मिलियन यूएस डालर + ₹ 561.71 करोड़ में उपरोक्त 'क' अनुसार उसी ठेकेदार को कार्य का ठेका दिया गया था।

परियोजना के निष्पादन के दौरान तीन मूल परियोजनाओं (अर्थात् एनक्यू-आरसी, एनक्यूडी-पुनर्निर्माण एवं पीआरपी-II) का पुनर्निर्माण विभिन्न ठेकेदारों द्वारा एनक्यूपी परिसर में साथ-साथ निष्पादित की जा रही थी जिसके लिए कई जहाजों की तैनाती की आवश्यकता थी। सभी तीन परियोजनाओं पर चालू कार्य में बीच में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसका कंपनी द्वारा साथ-साथ चल रही तीनों परियोजनाओं का ठेका देने से पूर्व आकलन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप कंपनी पहाजों को केवल एक-एक कर जगह दे सकी जिससे परियोजना की समय पर समाप्ति में बाधा पहुँची। मूल परियोजनाओं में बीच की बाधाओं के कारण ठेकेदार द्वारा 150.6 जहाज दिवसों तक जहाज तैनाती करनी पड़ी। ठेकेदार ने अतिरिक्त दिनों हेतु 18.825 मिलियन यूएस डालर (₹ 84.71 करोड़)\* का दावा किया। इस पर ठेकेदार द्वारा किए गए दावे को एक बाहरी विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया था (11 मार्च 2010)। ओईसी ने 90.4 जहाज दिवसों के लिए कंपनी को जिम्मेदार माना। तदनुसार, कंपनी ने 11.3 मिलियन यूएस डॉलर (₹ 50.85 करोड़ के ठेकेदार के दावे को मान लिया। इसके अतिरिक्त, ओईसी ने यह भी देखा (27 अप्रैल 2011) कि अन्य 30.9 जहाज दिवसों के लिए कार्गो की तैनाती के लिए भी कंपनी जिम्मेदार थी। इससे 0.99 मिलियन यूएस डालर (₹ 4.45 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतः ओईसी की सिफारिश पर कंपनी ने ₹ 55.30 करोड़ का ठेकेदार का दावा मान लिया।

---

\* 125,000 प्रति जहाज दिवस की दर से 150,6 जहाज दिन। 1 यूएसडालर = 45 आईएनआर।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा परियोजना का ठेका दिए जाने से पूर्व मध्यावधि बाधाओं पर गौर नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 55.30 करोड़ का परिहार्य व्यय और विलम्ब हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2013) कि ओईसी ने व्यापक रूप से सब कुछ देखा और दावे की सिफारिश की। ओईसी की सिफारिशों को कंपनी द्वारा समयबद्ध तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद निपटाने के नजरिए से स्वीकार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ओईसी ने ठेकेदार के दावे को पूर्ण रूप से नहीं माना था और इसके निर्णय के अनुसार ठेकेदार के पक्ष में दावे को कंपनी के ऊपर अतिरिक्त लागत का जिम्मेदार ठहराया गया था। लेखापरीक्षा ने ऐसे दावों के केवल कुछ भागों को लिया है जैसा कि ओईएम द्वारा सिफारिश की गई थी और कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया था।

मामले को फरवरी 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

### **3.10 तकनीकी रूप से अपात्र बोलीदाताओं की घटना पर पुनर्निविदाकरण के कारण अतिरिक्त व्यय**

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने दो परियोजनाओं- (i) हीरा एण्ड साउथ हीरा चरण II का पुनर्विकास तथा (ii) सी-सिरीज़ क्लस्टर से न्यूनतम बोलीदाता अर्थात् 'ए' के चरण III के विकास के उन्नतीकरण हेतु निविदा दिया। एक तकनीकी अपात्र बोलीदाता अर्थात् 'बी' द्वारा प्रस्तुतीकरण पर पार्टी 'ए' के साथ बातचीत की गई थी। बातचीत की शर्तों पर सहमति से 'ए' द्वारा मना करने पर कार्य का दुबारा निविदा किया गया जिसके कारण ₹ 19.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (कंपनी) ने 'हीरा पुनर्विकास चरण II पाइपलाइन परियोजना' को अनुमोदन दिया (मार्च 2012)। उसी बैठक में, कंपनी ने 'सी-श्रेणी क्लस्टर के चरण III के विकास के उन्नतिकरण' का भी अनुमोदन दिया। दोनों परियोजनाओं के लिए पाइपलाइनों की खरीद हेतु 29 अक्टूबर 2012 तक अधिसूचना निकालने (एनओए), अनुसूचित प्लेसमेंट तथा 30 अप्रैल 2014 तक परियोजना के अनुसूचित समापन के साथ मई 2012 में एक एक सामान्य निविदा आमंत्रित किया गया था। छः बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की (सितम्बर 2012) जिसमें से पाँच को तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया (दिसम्बर 2012)। पार्टी 'बी' की बोली को तकनीकी रूप से स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि पार्टी अपेक्षित अनुभव मानदण्ड

नहीं पूरा करती थी। पार्टी 'बी' इस निर्णय के विरुद्ध ओएनजीसी के पास गई (दिसम्बर 2012) जिसे खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने 1 जनवरी 2013 को पाँच तकनीकी अर्हक बोलीदाताओं की बोली का मूल्य खोला और पार्टी 'ए' की 190.24 मिलियन<sup>1</sup> यूएस डालर की बोली को न्यूनतम पाया। पार्टी 'बी' ने यह कहते हुए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर्स (आईएम)<sup>2</sup> के सामने दुबारा दलील दी (दिसम्बर 2012) कि यह विवेकाधीन था और कंपनी द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया। आईईएम ने सिफारिश दिया कि स्पष्टीकरण हेतु कंपनी को पार्टी 'बी' का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था और यह कि पार्टी ने पाइपलाइन कार्यों की स्थापना किए बिना ऐसे करने का दावा किया था। पार्टी 'बी' ने कंपनी को यह कहते हुए दुबारा एक पत्र लिखा (जनवरी 2013) कि इसकी बोली, प्राप्त न्यूनतम बोली से 21 मिलियन यूएस डालर कम थी। आईईएम ने निर्णय लिया (जनवरी 2013) कि क्योंकि उन्होंने पार्टी 'बी' की कार्यवाही पर निष्कर्ष दे दिया था और पार्टी 'बी' की बोली को तकनीकी आधार अस्वीकार कर दिया गया था, कंपनी द्वारा बोली मूल्य को नहीं खोला गया, इसलिए एक बिना खुले बोली पर कोई विचार नहीं व्यक्त किया जा सकता था।

निविदा समिति (टीसी) ने निर्णय लिया (जनवरी 2013) कि चूँकि केवल तकनीकी वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य निविदाओं की बोली मूल्यों को खोला गया था और आगामी मूल्यांकन हेतु विचार किया गया था, एक तकनीकी रूप से अस्वीकृत बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य को खोलने पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इसने 190.24 मिलियन\* यूएसडालर की लगभग उद्धृत मूल्य पर पार्टी 'ए' को कार्य का ठेका देने की सिफारिश की। कार्यकारी क्रय समिति (ईपीसी) ने टीसी की सिफारिश प्राप्त करते समय नोट किया (फरवरी 2013) कि चूँकि पार्टी 'बी' द्वारा उद्धृत मूल्य पार्टी 'ए' के उद्धृत मूल्य से काफी कम था इसलिए पार्टी 'ए' से पार्टी 'बी' के बराबर मूल्य हेतु बातचीत की जानी चाहिए। पार्टी 'ए' ने पार्टी 'बी' के मूल्य के अनुरूप अपना मूल्य करने से मना कर दिया (फरवरी 2013) और बिना देरी किए आर्डर देने का अनुरोध किया।

<sup>1</sup> हीरा पुनर्विकास पाइपलाइन परियोजना के भाग हेतु उद्धृत मूल्य 98.67 मिलियन यूएस डालर था।

<sup>2</sup> यह कंपनी की एक आंतरिक व्यवस्था है जिसमें बोली मूल्यांकन ठेका देने आदि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु वरिष्ठ सरकारी कार्मिकों 1 से 3 सदस्यों का एक पैनल है। आईईएम के अवलोकन सिफारिश प्रकृति की है। (स्रोत: 20 और 21 जुलाई 2013 को आयोजित 'कारोबारी साझेदारी' बैठक में ओएनजीसी की प्रस्तुतीकरण।

\* कंपनी द्वारा गणना के अनुसार हीरा परियोजना के लिए 98.67 मिलियन यूएस डालर सहित।

तत्पश्चात् फरवरी 2013 में टीसी जिसका पहले ये मानना था कि तकनीकी रूप से अनर्हक बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य को बिल्कुल भी न माना जाए, उसी ने पार्टी 'ए' की बोली को रद्द करने, निविदा बंद करने और दुबारा निविदा निकालने की सिफारिश की। ईपीसी ने टीसी की सिफारिशें मान ली (मार्च 2013)। चूँकि हीरा पुनर्विकास चरण II परियोजना को फास्ट ट्रैक आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था, ईपीसी ने सुझाव दिया कि इसका अलग से निविदा आमंत्रित किया जाए।

हीरा पुनर्विकास चरण II परियोजना के लिए मार्च 2013 में निविदा आमंत्रित किया गया और निविदाकरण प्रक्रिया में बोलियों के मूल्यांकन पर पिछले निविदा में पार्टी 'ए' के 98.67 मिलियन यूएस डॉलर के प्रति 102.22 मिलियन यूएस डॉलर (लाइक टू लाइक आधार पर कंपनी द्वारा गणना के अनुसार) की न्यूनतम बोली देने पर मुंबई की पार्टी 'सी' को कार्य का ठेका दिया गया (अप्रैल 2013)। समापन की निर्धारित तिथि 15 मई 2014 थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- कार्य में विलम्ब हो गया और कंपनी द्वारा ठेकेदार को आपूर्त किए जाने वाले मुफ्त निर्गम वस्तुओं के अनुपलब्धता के कारण ठेके को पहले ही 15 मई 2015 तक बढ़ा दिया गया।
- पार्टी 'बी' की बोली तकनीकी रूप से अमान्य होने पर कंपनी की सामग्री प्रबंधन नियमावली में आदेशित दो बोली बोलीकरण प्रक्रिया के अनुसार इसके बोली मूल्य को खोला ही नहीं जाना था। इसलिए पार्टी 'बी' की बोली पर विचार नहीं किया जाना था। इसके बावजूद कंपनी ने पार्टी 'ए' को पार्टी 'बी' की बोली मूल्य के अनुरूप करने को कहा। चूँकि पार्टी 'ए' ने इससे मानने से इंकार कर दिया था, निविदा को रद्द कर दिया गया था। दुबारा-निविदा से पिछली निविदा में प्राप्त बोली से अधिक बोली को बढ़ावा मिला।
- ठेके की अधिसूचना (एनओए) अक्टूबर 2012 में निकाला जाना था जिसे नवम्बर 2012 और फिर जनवरी 2013 तक बढ़ाया गया और अंततः मार्च 2013 में योजना बनी। इससे 14 महीनों की मूल परिकल्पित समापन अवधि से 18 महीने कम हो गए। पार्टी 'ए' ने 21 फरवरी 2013 के बाद एनओए के विस्तार को बिना शर्त स्वीकार नहीं किया। निविदा को समाप्त कर दिया गया और 30 मई 2014 से पहले परियोजना की अनिवार्य समाप्ति का उल्लेख करते



हुए कार्य का पुनः निविदा किया गया। हालांकि परियोजना में 15 मई 2015 तक विस्तारित समापन तिथि से विलम्ब हुआ है।

इस प्रकार एक तकनीकी रूप से अपात्र बोलीदाता की बिना खुली मूल्य बोली को महत्व देने और एक तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव की स्वीकार्यता में देरी करके कंपनी ने एक वर्ष की देरी के साथ हीरा-पुनर्विकास चरण II पाइपलाइन परियोजना के प्रति ₹ 19.45 करोड़\* अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार कंपनी ने निविदा को रद्द करके और और पुनर्निविदाकरण से दोनों उद्देश्यों अर्थात् 30 मई 2014 तक समाप्ति तथा न्यूनतम बोली मूल्य प्राप्त करने में विफल रही।

कंपनी ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि पार्टी 'बी' ने पाइपलाइन स्थापन हेतु अपने उप-ठेकेदारों का उल्लेख नहीं किया, इसने अन्य सक्षम उप-ठेकेदार की सहायता से पूर्व में कंपनी की समान परियोजनाओं का निष्पादन किया था, इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी 'बी' द्वारा उद्धृत बोली मूल्य को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने यह भी बताया कि चूंकि पार्टी 'ए' ने परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि नहीं की थी, इसकी बोली को खारिज करने योग्य पाया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बताया कि एकमुश्त टर्नकी (एलएसटीके) निविदाओं में पूरे कार्य हेतु बोलीदाताओं के उद्धरण और उनकी बोलियों का बिना अवयव-तुलना के उनके द्वारा उद्धृत एकमुश्त मूल्य के आधार मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि कार्य का ठेका एलएसटीके आधार पर दिया जाना होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने बोलीदाताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण और तकनीकी बोलियों पर विचार करने के पश्चात निर्णय लिया था कि पार्टी 'बी' तकनीकी रूप से अनर्हक थी। आईईएम ने भी इसे पृष्ठांकित किया था। इसलिए पार्टी 'बी' द्वारा उद्धृत बोली पर विचार करना सही नहीं था। इस तथ्य को कि ठेकेदार ने परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि नहीं की थी, को चार महीनों तक की परियोजना कार्यान्वयन अवधि की तुलना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए तथा इस तथ्य के संदर्भ में भी कि ठेकेदार को कंपनी द्वारा सामग्री की गैर-आपूर्ति के कारण पुनर्निविदाकरण के बाद परियोजना के समापन को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। यदि कंपनी ने टीसी द्वारा सिफारिश के अनुसार जनवरी 2013 में पार्टी 'ए' को कार्य का ठेका दिया होता तो परियोजना समापन तिथि की बिना शर्त स्वीकार्यता की पुष्टि

---

\* (102.22 मिलियन यूएस डॉलर – 98.67 मिलियन डॉलर)\* 10,00,000\*54.76

का प्रश्न ही नहीं उठता। कंपनी ने वर्तमान निविदा के 102.37 मिलियन यूएस डॉलर में मूल्य के दिए गए मूल्य के साथ 'ऑन लाइक टू लाइक' आधार पर कार्य अवयव-वार तुलना द्वारा पार्टी 'ए' (पूरानी न्यूनतम निविदा) का मूल्य 98.67 मिलियन डालर निकाला था। कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को लेखापरीक्षा में लिया गया है और इसलिए यह तर्क कि एलएसटीके ठेके में अवयव-वार तुलना अवैध है, स्वीकार्य नहीं है।

मामले को नवम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.11 रियायती सीमाशुल्क न लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पात्र होते हुए भी ईपीसीजी योजना के तहत रियायती सीमाशुल्क लेने हेतु सितम्बर 2004 में पूँजीगत वस्तुओं की खरीद हेतु निविदा में एक खण्ड शामिल करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 7.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना अगस्त 2004 से ही उपलब्ध थी। इस योजना के पैरा 5.2 के अनुसार उत्पादन-पूर्व, उत्पादन एवं उत्पादन के पश्चात हेतु पूँजीगत वस्तुओं पर तीन प्रतिशत रियायती सीमाशुल्क दर पर आयात अनुमत था बशर्ते कि प्राधिकरण जारी करने की तिथि से आरंभ हो रहे आठ वर्षों में खत्म की जाने वाली योजना के अंतर्गत आयातित पूँजीगत माल बचाये गये आठ गुणा अधिक शुल्क के समान निर्यात ड्यूटी हो।

योजना के तहत ईपीसीजी लाभ लेने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कार्यात्मक जवाबदेही निर्धारित करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया (सितम्बर 2004)। कार्यालय आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ अर्हक आपूर्ति आदेश की पहचान करने वाली प्रणाली, अप्लीकेशन तैयार करना और योजना के प्रावधानों के अनुरूप ईपीसीजी लाइसेंस प्राप्त करना शामिल था। जुलाई 2008 में, कंपनी ने ईपीसीजी का लाभ लेने हेतु मुंबई में एक अलग ईपीसीजी बनाया और सेल की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित किया।

कंपनी ने उरन में एलपीजी-1 संयंत्र पर न्यू प्रोपेन गैस प्रोसेसर परियोजना हेतु दो बोली प्रणाली के तहत खुली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया (जून 2009)। कार्यक्षेत्र में डिजाइन, खरीद और न्यू प्रोपेन गैस कंप्रेसर (मोटर चालित) की स्थापना तथा इसे मौजूदा सुविधाओं से जोड़ना था।

कंपनी ने 31 मार्च 2010 को मै. सेवियर एनर्जी लिमिटेड (सेल), नवी मुंबई को ठेका दिया तथा 29 अप्रैल 2010 को सेल के साथ करार किया। परियोजना को 22 महीनों अर्थात् 30 जनवरी 2012 तक समाप्त होना था जो अंततः 17 जुलाई 2012 को समाप्त हुई।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रण के समय बोलीदाताओं हेतु प्रकाशित ठेका की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में बताया था कि बोलीदाताओं को सीमाशुल्क से कोई रियायत नहीं दी जाएगी इसलिए उनको सुझाव दिया जाता है कि वे आयातित वस्तुओं पर लागू सामान्य सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए अपना मूल्य उद्धृत करें।

ईपीसीजी योजना के तहत अर्हक वस्तुओं पर रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकारियों की कार्यात्मक जिम्मेदारी तय करने (सितम्बर 2004) और इसके लिए क्रय आदेश/ठेकों की पहचान करने हेतु एक संबंधित ईपीसीजी सेल बनाने (जुलाई 2008) के बावजूद भी कंपनी एलपीजी-1 संयंत्र उरन के लिए न्यू प्रोपेन गैस कंप्रेसर की खरीद हेतु निविदा और ठेके में लाभ लेने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने में विफल रही।

सेल के साथ ठेके पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष बाद कंपनी ने 23.75 प्रतिशत<sup>1</sup> की सामान्य दर के बजाए 3.09 प्रतिशत की दर पर रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने की आवश्यकता महसूस की और इसका लाभ लेने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हेतु सेल को आमंत्रित किया (29 अप्रैल 2011)। कंपनी ने मामले पर सेल के साथ विचार-विमर्श किया (मई 2011)। हालांकि सेल ने बताया (अक्टूबर 2011) कि चूँकि (i) ईपीसीजी खण्ड को निविदा के समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था और ठेके का भाग नहीं था और (ख) अनुमोदन लेने में निहित प्रक्रिया बहुत बड़ी थी और इतने कम समय में इसे पूरा करना सम्भव नहीं हो सकता था तथा वेंडर से प्रेषण हेतु मशीन तैयार थी इसलिए इस परिस्थिति में ईपीसीजी विकल्प के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने मामले पर सेल से पुनः विचार-विमर्श किया (नवम्बर 2011)। सेल ने बताया कि चूँकि इस खण्ड को निविदा में शामिल नहीं किया गया था इसलिए तैयारशुदा ठेके के लिए उद्धरण करते समय इस पहलू को अलग नहीं किया गया था। अंततः कंपनी ने मान लिया (नवम्बर 2011) कि ईपीसीजी का लाभ लेने हेतु और कार्रवाई संभव नहीं था।

---

<sup>1</sup> बिल ऑफ एंटी और कंपनी द्वारा अदा सीमाशुल्क के आधार पर।

अतः निविदा शर्तों में ईपीसीजी से संबंधित खण्ड न जोड़कर कंपनी ने रियायती सीमाशुल्क का लाभ लेने का अवसर खो दिया जिसके कारण ₹ 7.41 करोड़<sup>1</sup> का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कंपनी ने बताया (सितम्बर 2014) कि ईपीसीजी लाभ की उपलब्धता को बोली से पूर्व/निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं को विशेष रूप से नहीं बताया गया लेकिन इसके द्वारा ईपीसीजी लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया गया था। यह भी बताया गया कि ₹ 7.41 करोड़ का सीमाशुल्क भारत सरकार के पास गया और किसी निजी पार्टी को वित्तीय लाभ नहीं दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय संपत्ति माँग करती है कि कोई भी व्यय परिस्थिति की माँग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तात्कालिक खरीद में कंपनी ने जरूरत से ज्यादा खर्च किया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि ₹ 7.41 करोड़ का सीमाशुल्क भारत सरकार के खाते में जमा हुआ कंपनी व्यापार करते समय अपने वाणिज्यिक हितों की समुचित सुरक्षा द्वारा इस व्यय को बचा सकती थी।

मंत्रालय ने कंपनी के उत्तर को अग्रेषित किया (12 जनवरी 2015) जिसमें बताया गया था कि पहला मामला था जो कंपनी के ऑफशोर टेक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट्स (ओटीपी) विभाग द्वारा हैंडल किया गया था और निविदा के जीसीसी में ईपीसीजी खण्ड को शामिल न करना अनपेक्षित चूक थी।

मंत्रालय द्वारा अग्रेषित कंपनी के उत्तर को इस तथ्य के प्रति भी देखा जाना चाहिए कि वर्तमान मामले हेतु निविदा 2009 में जारी की गई थी जबकि कंपनी ने 2008 में ही दिए गए आर्डरों पर ईपीसीजी मामलों में रियायती सीमाशुल्क का लाभ लिया था। इसके अलावा मंत्रालय/कंपनी ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में निविदा के जीसीसी में ईपीसीजी खण्ड को शामिल न करने के चूक को मान लिया।

---

<sup>1</sup> ठेकेदार द्वारा अदा ₹ 8.52 करोड़ का वास्तविक सीमाशुल्क ऋण ईपीसीजी के तहत 3.09 प्रतिशत की दर से ₹ 1.11 करोड़ का देय रियायती सीमाशुल्क।

### 3.12 मरम्मत में असामान्य देरी और बताई गई ड्रिल साइटों तथा पहुँच मार्गों को छोड़ देने के कारण किराए का परिहार्य भुगतान

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने 125 ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों जिन्हें फरवरी 2008 और दिसम्बर 2013 के बीच छोड़ दिया गया था, के संबंध में समय पर भूमि मालिकों को भूमि वापस करने और मरम्मत में देरी की जिसके परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को किराए के प्रति ₹ 6 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (कंपनी) ने तेल एवं गैस के उत्पादन हेतु कुएँ खोदने के लिए ड्रिल साइटों हेतु तथा अस्थायी पहुँच मार्गों के लिए भी या तो भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों अथवा भूमि मालिकों से सीधे करार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि का अधिग्रहण शुरू में अस्थायी आधार पर किया जाता है और भूमि मालिकों को वार्षिक किराए का भुगतान किया जाता है। तत्पश्चात्, खुदाई के परिणाम के आधार पर कंपनी द्वारा या तो भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण किया जाता है अथवा पुनर्निर्माण के बाद इसे भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी 2006 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में कंपनी को ड्रिलिंग साइटों की समाप्ति पर मूल स्थिति हेतु ड्रिल साइट के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

फरवरी 2008 से दिसम्बर 2013 के दौरान 125 ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों, जिनके लिए भूमि मालिकों से सीधी व्यवस्था के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कंपनी की तीन परिसंपत्तियों<sup>1</sup> द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें सूखा कुआँ घोषित करने के पश्चात् त्याग<sup>2</sup> दिया गया था। कंपनी ने ऐसी परित्यक्त साइटों/पहुँच मार्गों से संबंधित भूमि को भूमि मालिकों को सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि कंपनी ने अक्टूबर 2014 तक वास्तव में केवल 45 ऐसी ड्रिल साइटों/पहुँच मार्गों से संबंधित भूमि को सौंपा था। शेष 80 परित्यक्त ड्रिल साइटों/सड़क-मार्गों से संबंधित भूमि अभी भी पुनर्निर्माण किया जाना (अक्टूबर 2014) तथा इसे भूमि मालिकों को सौंपा जाना था।<sup>3</sup>

कंपनी की भूमि अधिग्रहण नियमावली, 2009 (एलएक्यू नियमावली) के पैराग्राफ 10 में प्रावधान है कि यदि कुएँ को हाइड्रोकार्बन से रहित पाया जाए और ड्रिलिंग सेवायें/सब-सरफेस टीम (एसएसटी) द्वारा सूखा घोषित कर दिया जाए तो भूमि मालिकों से सीधी

<sup>1</sup> परिसंपत्ति, कंपनी की एक इकाई है जिसमें विकास एवं उत्पादन के साथ-साथ अन्य विशेषताएँ होती हैं।

<sup>2</sup> अंकलेश्वर परिसंपत्ति-51, मेहसाणा परिसंपत्ति-53 और अहमदाबाद परिसंपत्ति-21

<sup>3</sup> अंकलेश्वर परिसंपत्ति-15, मेहसाणा परिसंपत्ति-23 और अहमदाबाद परिसंपत्ति-6

व्यवस्था के तहत अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत भूमि को उनकी सहमति/राय लेने के पश्चात् कंपनी द्वारा उन्हें भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाना चाहिए कि वे कंपनी से जुड़े ठेकेदारों के माध्यम से भूमि का पुनर्निर्माण कराना चाहेंगे अथवा कंपनी से पुनर्निर्माण प्रभार की प्राप्ति पर स्वयं ऐसा कर लेंगे। पुनर्निर्माण प्रभारों के भुगतान की तिथि के बावजूद भूमि मालिकों को तीन माह का किराया देय था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 45 साइटों से संबंधित लौटाई गई भूमि के संबंध में तीन महीनों की अनुमत समय सीमा जिसके लिए कंपनी की एलएक्यू नियमावली के अनुसार किराया देय था, के प्रति भूमि मालिकों को भूमि की वापसी और पुनर्निर्माण में 496 से 2,240 दिनों तक की देरी हुई थी। 80 परिव्यक्त और अभी भी वापस की जाने वाली साइटों (अक्टूबर 2014) से संबंधित भूमि के संबंध में देरी 311 से 2397 दिनों तक थी जो इन स्थानों की वास्तविक वापसी तक हो सकती थी। देरी के कारण साइटों के पुनर्निर्माण हेतु अनुमत तीन माह की समय-सीमा के बावजूद भी परित्याग तिथि से साइटों की वास्तविक वापसी के मामले में वापसी तक तथा अभी भी वापसी की जाने वाले साइटों के संबंध में अक्टूबर 2014 तक ₹ 6 करोड़ के किराए का परिहार्य व्यय हुआ था।

कंपनी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में बताया कि:

- अंकलेश्वर परिसंपत्ति के संबंध में भूमि का पुनर्निर्माण शुरू में इसी के द्वारा किया गया क्योंकि किसानों ने साइट के स्वयं के द्वारा पुनर्निर्माण करने पर जोर नहीं दिया था। हालांकि बाद में किसानों के अनुरोध पर परिसंपत्ति किसानों को पुनर्निर्माण प्रभार का भुगतान करने पर सहमत हो गई। पुनर्निर्माण प्रभारों के भुगतान को 2 भागों में करने का निर्णय लिया गया था अर्थात् शुरू में 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था और बाकी का पुनर्निर्माण की समाप्ति पर किया जाना था। निर्णय में इस परिवर्तन से पुनर्निर्माण कार्यों में 2-3 वर्षों की देरी हुई और परिणामस्वरूप किसानों को किराया देना पड़ा। परिव्यक्त कुओं की संख्या बढ़ गई क्योंकि चालू पुनर्निर्माण मामलों को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के आवश्यक प्रमाणीकरण एमओईएफ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन तक समाप्त नहीं माना जा सकता था। परिसंपत्ति ने फिर से निर्णय लिया (मई/जून 2014) कि ऐसी सभी ड्रिल साइटों का पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा किया जाएगा और किसानों को और अधिक पुनर्निर्माण लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा। मेहसाणा और अहमदाबाद परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसा किया गया था।

- सभी तीन परिसंपत्तियों में शीर्ष प्राथमिकता पर पुनर्निर्माण कार्यवाही पूरी करने की कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया को विनियमित किया गया था। उन मामलों में जहाँ भूमि पुनर्निर्माण चालू था वहाँ एलएक्यू नियमावली के अनुसार प्रक्रिया का पालन तथा एमओईएफ/जीपीसीवी दिशा-निर्देशों को अनुपालन के पश्चात् इसे पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच, उन मामलों में जहाँ पुनर्निर्माण की समाप्ति तक मालिकों को क्षतिपूर्ति के रूप में किराए का भुगतान किया जा रहा था वहाँ इसे अपरिहार्य कारोबार व्यय माना गया था।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- अंकलेश्वर परिसंपत्ति ने मार्च 2009 तक भूमि मालिकों को पुनर्निर्माण प्रभारों का भुगतान किया। मार्च 2009 में, परिसंपत्ति ने स्वयं ही पुनर्निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया। भूमि मालिकों ने इस व्यवस्था को नहीं माना और जुलाई 2011 में भूमि मालिकों को पुनर्निर्माण प्रभारों को भुगतान करना बहाल कर दिया गया। मई/जून 2014 से परिसंपत्ति ने स्वयं पुनर्निर्माण करने की अपनी बदल दी। भूमि के पुनर्निर्माण की नीति में लगातार बदलाव से देरी हुई।
- यह कि पुनर्निर्माण कार्य में देरी के परिणामस्वरूप 2 भागों में पुनर्निर्माण प्रभारों का भुगतान करना पड़ा, यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी कंपनी की एलएक्यू नियमावली में प्रावधान के अनुसार समय-सीमा में भूमि मालिकों/परिसंपत्ति द्वारा पुनर्निर्माण कार्य करने में विफलता के कारण थी।
- अहमदाबाद परिसंपत्ति में केवल 6 साइटों को वापस किया गया था और 15 साइटों को अभी लौटाया जाना था जबकि मेहसाणा परिसंपत्ति के संबंध में 23 साइटों की भूमि वापस कर दी गई थी और बाकी 30 साइटों के लिए अभी भी वापस की जानी थी।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

**ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड**

**3.13 ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम देकर त्रुटिपूर्ण ठेकों और सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य की प्रगति से उनकी वसूली को जोड़ने के कारण ब्याज की हानि हुई**

ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड (कंपनी) तीन ठेकेदारों के साथ त्रुटिपूर्ण करार किया और मार्च 2009 से नवम्बर 2011 के दौरान ब्याजमुक्त अग्रिम मुहैया कराया तथा समयबद्ध तरीके से वसूली करने के बजाए सीवीसी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में संबंधित परियोजना की प्रगति से इन अग्रिमों की वसूली को जोड़ दिया, इस कारण फरवरी 2012 से अक्टूबर 2014 तक ₹ 49.63 करोड़ ब्याज की हानि हुई। इसके बावजूद कंपनी को ब्याज की और हानि उठाते हुए अक्टूबर 2014 तक ठेकेदारों से ₹ 144.20 करोड़ की ऐसी अग्रिम वसूली करनी थी।

ओएनजीसी पेट्रो एडीसन्स लिमिटेड (कंपनी) प्राकृतिक तेल एवं गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) तथा गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (जीएसपीसी) का एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) है। कंपनी दहेज, गुजरात में एक बुनियादी मेगा पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स बनाने में संलग्न है। काम्प्लेक्स बनाने हेतु कंपनी ने तीन उच्च मूल्य के ठेके दिए (दिसम्बर 2008 से जून 2011) जिसमें ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम देने का प्रावधान था:

क्र. सं.	ठेका	जिसको दिया गया	ठेका मूल्य (₹ करोड़ में)	देने की तिथि	निर्धारित समापन
1.	इयूअल फीड क्रैकर यूनिट और संबंधित इकाईयां (डीएफसीयू और एयू)	मै. लिंडे एजी जर्मनी और मै. सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कोरिया का संघ	6,835.20	23 दिसम्बर 2008	22 अगस्त 2012
2.	लीनियर लो डेंसिटी पॉली- एथीलीन/हाई डेंसिटी पॉली- एथीलीन (एलएलडीपीई/ एचडीपीई) स्विंग यूनिट और पॉली- एथीलीन (पीपी) इकाईयां	मै. टेक्नीमॉटस्पा, इटली और टेक्नीमॉट आईसीबी प्राइवेट लि. का संघ	2,075.80	03 जून 2011	02 अक्टूबर 2013
3.	कैप्टिव पॉवर प्लांट का चरण I एवं II	मै. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंडिया	1,840.00	23 सितम्बर 2010 15 अप्रैल 2011	15 अक्टूबर 2013



इन तीन ठेकों की शर्तों के अनुसार, कंपनी ठेकेदारों के अनुरोध पर बिना शर्त, बिना वसूली और अनर्हक बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति ठेके पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत ब्याजमुक्त अग्रिम का भुगतान करेगी। उक्त अग्रिम की वसूली मूलधन के प्रति प्रत्येक इंवाइस (रनिंग बिल के रूप में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत) के कुल मूल्य में 10 प्रतिशत पर की जाएगी। संबंधित परियोजना की समाप्तिपर अथवा बकाया मूलधन की किसी भी शेष राशि की वसूली कंपनी द्वारा कंपनी के अपने और पूर्णतः विवेक पर बीजी लेकर/या अंतिम इंवाइस से की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी ने इन तीन परियोजनाओं के ठेकेदारों को ₹ 1075.10 करोड़ की ब्याजमुक्त अग्रिम का भुगतान किया (मार्च 2009 से नवम्बर 2011) सभी तीनों परियोजनाओं में देरी हुई और अभी भी पूरी की जानी थी (अक्टूबर 2014)। हालांकि, चूँकि अग्रिमों की वसूली ठेकागत रूप से कार्य की प्रगति से जुड़ी थी, ₹ 144.20 करोड़ का अग्रिम 31 अक्टूबर 2014 तक ठेकेदारों के प्रति अभी भी बकाया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2007) में प्रावधान था कि यद्यपि ब्याजमुक्त संसाधन अग्रिम की मंजूरी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, फिर भी यदि किसी ठेकेदार को दिया जाता है तो ऐसे अग्रिमों की समयबद्ध वसूली की जानी चाहिए न कि इसे कार्य की प्रगति से जोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए यदि ठेकेदार कार्य का निष्पादन नहीं कर रहा था अथवा धीमी गति से कर रहा था तो वसूली शुरू की जा सकती थी और ऐसे अग्रिमों के दुरुपयोग को कम किया जा सकता था। हालांकि उपरोक्त तीन ठेकों के संबंध में, कंपनी ने कार्य की प्रगति से जोड़ते हुए ब्याज मुक्त अग्रिम अनुमत करके त्रुटिपूर्ण करार किया था, जो सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। इसके कारण कंपनी को अक्टूबर 2014 तक संबंधित परियोजना की निधीरित समापन तिथि के बाद ठेकेदारों के पास अवरूद्ध अग्रिम राशि पर ₹ 49.63 करोड़\* के ब्याज की हानि हुई।
- वसूली को कार्य की प्रगति से जोड़ने के कारण दीर्घकालिक अवधि ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम दिया गया और इससे ठेकेदारों को परियोजना के समापन में देरी हेतु प्रोत्साहन मिला जो विशेष रूप से सीवीसी द्वारा प्रतिबंधित था।

---

\* 10.5 प्रतिशत/प्रतिवर्ष की दर से जिस दर पर कंपनी ने परियोजना हेतु निधि उधार लिया था।

- परियोजना की समापन (अगस्त 2012: एक परियोजना, और अक्टूबर 2013: दो परियोजनाओं) के प्रति कोई भी परियोजना अक्टूबर 2014 तक पूरी नहीं हो पायी थी। उस तिथि तक, ठेकेदारों के प्रति ₹ 144.20 करोड़ का अग्रिम बकाया था जिससे कंपनी को और ब्याज हानि हुई।

कंपनी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) बताया कि:

- क) कंपनी को एक गैर-सार्वजनिक क्षेत्र जेवी स्थापित करने की मंशा से प्रोत्साहित किया गया था। कंपनी की लगभग 58 प्रतिशत इक्विटी को फर्म्ड अप करना था जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत इक्विटी को नीतिगत इक्विटी और शुरूआती सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से टाई अप किया जाना था। चूँकि कंपनी एक गैर-सरकारी कंपनी है, सीवीसी दिशानिर्देश इस पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं थे।
- ख) सभी तीनों मामलों में बोलीदाताओं ने ऐसे अग्रिम की माँग की। डीएफसीयू और एयू ठेके (तालिका के क्रमांक 1) के निविदा के मामले में दूसरी बोली-पूर्व संगोष्ठी (पीबीसी) 10 दिसम्बर 2007 को आयोजित की गई थी जिसमें बोलीदाताओं ने ब्याजमुक्त अग्रिम प्रदान करने हेतु अनुरोध किया था। एलएलडीपीई/एचडीपीई और पीपी ठेके (तालिका के क्रमांक 2) के लिए आमंत्रित सीमित निविदा के संबंध में अधिकांश बोलीदाताओं ने पीबीसी में अग्रिम की माँग की। परियोजना की जटिलता को देखते हुए सीपीपी पैकेज (तालिका के क्रमांक 3) नामित आधार पर भेल को दिया गया था जिसने भी अग्रिम देने का अनुरोध किया था। ठेकेदारों के अनुरोध के आधार पर कंपनी अग्रिम भुगतान पर सहमत हुई थी।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- शुरू में कंपनी ने दहेज में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ओएनजीसी, जीएसपीसी और वित्तीय संस्थानों (एफआईज़)/नीतिगत साझेदारों द्वारा एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) आमंत्रित किया गया था। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 2:55:1 की डेट इक्विटी अनुपात की परिकल्पना करते हुए ₹ 13,540 करोड़ का अनुमानित आउटले था। एसपीवी में इक्विटी में (क) ओएनजीसी: ₹ 992 करोड़ (26 प्रतिशत), (ख) जीएसपीसी: ₹ 190 करोड़ (5 प्रतिशत) और (ग) एफआईज़ एवं नीतिगत साझेदार (₹ 2632 करोड़, 69 प्रतिशत) का योगदान किया जाना था। एसपीवी की इक्विटी में 19 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ गेल मार्च 2009 में जुडा और एफआईज़ की हिस्सेदारी में कटौती हुई। हालांकि, समय के साथ एफआईज़ द्वारा अपेक्षित इक्विटी योगदान

हेतु जोर दिये बिना एसपीवी में आंशिक निधियों को शामिल करके ओएनजीसी और गेल द्वारा विलय कर लिया गया। परिणामस्वरूप एसपीवी की 100 प्रतिशत दत्तमत पूँजी (₹ 2021.92 करोड़) अर्थात् 31 मार्च 2014 तक कंपनी को ओएनजीसी (₹ 997.96 करोड़, 49.36 प्रतिशत), गेल (₹ 994.94, 49.21 प्रतिशत) तथा जीएसपीसी (₹ 29 करोड़, 1.43 प्रतिशत) द्वारा योगदान दिया गया था। कंपनी एफआईज और नीतिगत साझेदारों को जोड़कर रखने में विफल रही। व्यक्तियों से ₹ 2.5 लाख का मामूली योगदान विलय तक यथावत था।

- उपरोक्त के अतिरिक्त ओएनजीसी द्वारा कंपनी की इक्विटी के प्रति अग्रिम के रूप में ₹ 670.92 करोड़ दिया गया था (मई 2013) जिसका मार्च 2014 तक ओएनजीसी को शेयर आबंटित नहीं किया गया था। कंपनी का संचालन वास्तव में ₹ 2.5 लाख का मामूली योगदान करके पूरी तरह से सार्वजनिक निधियों अर्थात् ओएनजीसी, गेल और जीएसपीसी के माध्यम से चल रही है।
- सभी तीन ठेकों के संबंध में बोलीदाताओं ने केवल ब्याजमुक्त अग्रिम का अनुरोध किया था और कार्य की प्रगति से वसूली को जोड़ने पर जोर नहीं दिया था। इसलिए कार्य की प्रगति से वसूली को जोड़ने का पर्याप्त औचित्य प्रतीत नहीं होता।
- कंपनी चयनित आधार पर सीवीसी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही थी। इसने दो मामलों (जनवरी/जून 2011 में दिए गए मै. विजय टैंक्स वैसल्स लिमिटेड और सैमसंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के ठेके) में ब्याजमुक्त अग्रिम नहीं दिया जबकि बोलीदाताओं ने ऐसे अग्रिम की मांग की थी।
- इस प्रकार चयनित आधार पर सीवीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करने के बजाए कंपनी को इन दिशा-निर्देशों का एक तरह से पालन किया जाना चाहिए था विशेष रूप से तब, जबकि इसके इक्विटी शेयरधारक अर्थात् ओएनजीसी, गेल और जीएसपीसी इन दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन थी और इसका पालन कर रही थी।

अतः तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों को ब्याजमुक्त अग्रिम प्रदान करते हुए तथा इसकी वसूली को कार्य प्रगति से जोड़कर त्रुटिपूर्ण करार किया और इससे ब्याज की हानि हुई।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

## अध्याय IV: विद्युत मंत्रालय

### दामोदर वैली कार्पोरेशन

#### 4.1 मीटरिंग एवं बिलिंग

##### 4.1.1 प्रस्तावना

दामोदर वैली कार्पोरेशन (कार्पोरेशन), डीवीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोर सेक्टर जैसे ट्रैक्शन (रेलवे) इस्पात, कोयला और दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर 33, 132 तथा 220 किलो-वोल्ट (केवी) की अन्य लोड श्रेणियों में तथा संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से घाटी क्षेत्रों के अलावा भी कुछ स्थानों पर अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है। कार्पोरेशन का ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क झारखण्ड राज्य के सात जिलों में और पश्चिम बंगाल के छः जिलों में फैला है। 31 मार्च 2014 तक कार्पोरेशन के पास 283<sup>\*</sup> उच्च क्षमता (एचटी) उपभोक्ताओं के साथ 3156.195 मेगा वोल्ट एम्पियर्स (एमवीए) ठेका मांग थी जो 41 उप-स्टेशनों और तीन वोल्टेज स्तरों अर्थात् 220/33 केवी (73 उपभोक्ता), 132/33 केवी (208 उपभोक्ता) और 132/25 केवी (दो उपभोक्ता) से संचित हो रहे थे। एचटी उपभोक्ताओं के अलावा, निगम के ऊर्जा संयंत्र के आसपास बनी इसकी कालोनियों के निम्न क्षमता (एलटी) बुनियादी ढाँचे में भी बिजली की खपत होती है।

##### 4.1.2 लेखापरीक्षा कार्ययोजना

###### 4.1.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

1999-2000 से 2002-03 की अवधि को शामिल करते हुए “ऊर्जा प्रभारों के मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण” पर एक समीक्षा की गई थी और डीवीसी, 1948 के नियम 31 के अनुसार वर्ष 2002-03 के निगम के वार्षिक रिपोर्ट में इसे शामिल किया गया था। उपरोक्त रिपोर्ट में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे थे:

- आधुनिक मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी।

\* 31.03.2014 तक उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में निगम के विभिन्न डिवीज़नों/अनुभागों द्वारा दिए गए आँकड़े अलग-अलग थे। हमने व्यापक दृष्टिकोण पर 283 उपभोक्ताओं (निगम के वाणिज्यिक अनुभाग द्वारा प्रस्तुत) को लिया।

- अनुचित डेटर्स अनुपात।
- खराब मीटरों के सुधार हेतु समय-सीमा का अभाव।  
इन मुद्दों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) अभी तक नहीं प्राप्त हुई (अक्टूबर 2014)। इसी बीच विद्युत उत्पादन क्षमता, उपभोक्ताओं की संख्या और विद्युत की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई। निगम ने आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू किया था जैसे- मौजूदा 0.2 सटीक वर्ग मीटरों को उन्नत करके या बदल कर रिमोट स्वचालित मीटर रीडिंग (आरएएमआर) तथा प्रणाली ऊर्जा मापन लेखांकन तथा लेखापरीक्षण (एसईएमए) का स्थापन/कार्यान्वयन/इन विकासों के बैकअप में, निगम की मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) की अवधि शामिल थी।

#### 4.1.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए था कि क्या:

- निगम द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के उपभोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त मीटरिंग प्रणाली थी और यह प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।
- निगम वितरण हानि की बिलिंग और निगरानी में दक्षता प्राप्त करने हेतु एक समय-सीमा आधार पर माँग के अनुसार इलक्ट्रॉनिक राजस्व सुरक्षा प्रणाली लगाने/बनाने में समर्थ रहा।
- उपभोक्ताओं से बकाया संग्रहण पर्याप्त और प्रभावी था।

#### 4.1.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाए गए थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अधिसूचना;
- निगम के आंतरिक आदेश/परिपत्र; और
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के टैरिफ आदेश/अधिसूचनाएँ।

#### 4.1.2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने निगम के विभिन्न विभागों में अनुरक्षित अभिलेखों की जाँच की। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने ग्रिड संचालन और अनुरक्षण प्रभागों (जीओएमडीज़) के अंतर्गत 41

उप-स्टेशनों में से नौ (22 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच भी किया। 9 उप-स्टेशनों में से 7 में निजी उपभोक्ता प्रभावी थे जबकि बाकी 2 उप-स्टेशनों में पीएसयू उपभोक्ता प्रभावी थे।

#### 4.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निगम के सभी उच्च क्षमता वाले उपभोक्ताओं पर 1952 से मीटर लगाए जा रहे थे। 31 मार्च 2014 तक, सक्रिय ठेका माँग (सीडी) के साथ 283 एचटी विद्युत उपभोक्ता थे। एचटी उपभोक्ताओं के सभी टैरिफ मीटर 0.2S\* सटीकता वाले थे जैसा कि सीईए विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट था। इसके अलावा, निगम के पास अपनी कालोनियों में निम्न क्षमता (एलटी) उपभोक्ता (कर्मचारी, बाहरी और वाणिज्यिक स्थापना) थे। निगम के एलटी उपभोक्ता इसके ऊर्जा संयंत्र के पास बिन कालोनियों में स्थित हैं और अधिकांश ने मीटर नहीं लगवाया था।

##### 4.1.3.1 आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में अनुत्पादक निवेश

निगम उच्च टी एण्ड डी हानियों से अवगत था (2000) और ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इसी बीच सीईए ने सभी स्थानों पर सिस्टम एनर्जी लेखांकन और लेखापरीक्षा (एसईएमए) मीटर लगाना अधिसूचित किया (2006)।

##### (क) प्रणाली ऊर्जा मापन (लेखांकन एवं लेखापरीक्षा) - सेमा

निगम के 33केवी और 415वी स्तर के वितरण नेटवर्क पर ऊर्जा लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु सेमा (चरण-1) के स्थापन हेतु कार्य दिसम्बर 2009 तक की निर्धारित समाप्ति के साथ ₹ 6.38 करोड़ की लागत पर दिया गया (दिसम्बर 2007)। हालांकि, कार्य 41 महीनों की देरी से मई 2013 में पूरा हुआ था। निगम ने माना (जनवरी 2015) कि देरी का मुख्य कारण इसके कार्य के भाग का निष्पादन था। हालांकि, निगम की ऊर्जा प्रणाली के 132केवी एवं 220केवी स्तर की सेमा (चरण-II) योजना का कार्यान्वयन लंबित था (मार्च 2014)।

जून से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए लगभग 15 से 47 उपभोक्ताओं हेतु सेवा प्रणाली (चरण-1) द्वारा जुटाए गए आंकड़े से यह देखा गया कि सेमा ऊर्जा और उपभोक्ता ऊर्जा के बीच (-) 1 प्रतिशत से (+) 6.14 प्रतिशत तक का अंतर था। निगम ने बताया

---

\* 0.25 वर्ग सटीकता मीटर की सटीकता +/- 0.2 प्रतिशत है जबकि मीटर की सटीकता 120 प्रतिशत की प्रवाह दर के भीतर और >5 प्रतिशत के बैंड के भीतर हो (अधिकतम प्रवाह जो कंपाईट सर्किट आदि को जुकसान पहुँचाए बिना विनिर्दिष्ट दशा के अंतर्गत लगातार प्रयोग किया जा सके)।

(नवम्बर 2014) कि दर्शाया गया अंतर मैनुअली डाटा फीड करने (सॉफ्टवेयर के बिना) के कारण अपर्याप्त सटीकता, सम्प्रेषण नेटवर्क के त्रुटिपूर्ण कार्य चालन, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (सीएसएम) टेक्नॉलाजी में सहायक उपकरणों के बाहर होने के कारण संपर्क टूटने, ऊर्जा के सहायक कालोनी खपत की गैर-उपलब्धता और सेमा प्रणाली के अंतर्गत नए उपभोक्ताओं को शामिल न करने के कारण था। यह भी बताया गया कि फरवरी 2014 के बाद से ऊर्जा लेखांकन अध्ययन नहीं किया जा रहा था।

आगे यह भी देखा गया कि टी एण्ड डी हानियों में 2011-12 में 3.91 प्रतिशत से 2013-14 में 4.30 प्रतिशत तक की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई। अभिलेखों से पता चला कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने 2012-13 के अपने अस्थायी आदेश में निगम हेतु तीन प्रतिशत की टी एण्ड डी हानि की मंजूरी दे दी। चयनित उप-स्टेशनों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 2.66 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के साथ 2013-14 के दौरान (अर्थात् सेमा के कार्यान्वयन के बाद) 6.32 एमयू टी एण्ड डी हानि (तीन प्रतिशत के बावजूद) हुई। इस हानि को निगम द्वारा रोका जा सकता था, यदि इसने यह सुनिश्चित किया होता कि सेमा ठीक से कार्य कर रहा था। इस प्रकार मूल उद्देश्य जिसके लिए परियोजना शुरू की गई थी, नहीं पूरा हुआ और ₹ 6.38 करोड़ का निवेश बेकार गया।

निगम का तर्क (जनवरी 2015) कि टी एण्ड डी हानि की बढ़ती प्रवृत्ति कुछ उपभोक्ताओं के सीडी में वृद्धि और जेएसईबी द्वारा अधिक ऊर्जा लेने के कारण था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपनी सीडीज से अधिक बिजली ली थी जिसे सेमा के कार्यान्वयन द्वारा रोका जा सकता था।

#### **(ख) मोबाइल संप्रेषण मीटरिंग (जीएसएम) हेतु ग्लोबल प्रणाली**

रिमोट मीटरिंग के माध्यम से सटीक और तीव्र बिलिंग हेतु राजस्व सुरक्षा प्रणाली लागू करने और इसके द्वारा नकद प्रवाह चक्र में सुधार करने के साथ प्रबंधन चक्र को देखते हुए निगम ने जीएसएम मीटरिंग प्रणाली शुरू की (सितम्बर 2007)। जीएसएम मीटरिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य महीने की पहली तारीख को उपभोक्ता को बिल जारी करना तथा बिलिंग चक्र को कम करना था। प्रणाली का अन्य उद्देश्य उपभोक्ता की लोडिंग प्रवृत्ति, छेड़छाड़ की घटनाएँ, यदि कोई हो तो, की निगरानी के साथ-साथ हानि संभावना प्रणाली अवयवों की पहचान करना था सेमा हेतु बुनियादी ढाँचा तैयार करना था। कुल 283 उपभोक्ताओं में से 250 उपभोक्ताओं के संबंध में विभिन्न स्थलों पर जीएसएम संपर्क स्थापित करने तथा उसे चालू करने के साथ रिमोट स्वचालित मीटर रीडिंग प्रणाली (आरएएमआर) को पूरा करना था (मार्च 2014)।

हालांकि लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बिन्दु देखा:

- (i) आरएएमआर के कार्यान्वयन के बावजूद भी 92 ऐसी घटनायें थी जहाँ निगम ने महीने की पहली तारीख को सटीक उपभोक्ता बिलों की माँग नहीं की और 1 से 9 महीनों की देरी के साथ ₹ 12.51 करोड़ के ऊर्जा समायोजन बिल की माँग की। ऐसी देरी का मुख्य कारण उपस्टेशनों की रीडिंग के साथ आरएएमआर की रीडिंग का मिलान न करना था जिसके कारण या तो खराब मीटर अथवा जीएसएम प्रणाली के सहायक उपकरणों का न होना था।
- (ii) कई उपभोक्ता अपनी ठेका माँग (सीडी) से अधिक बिजली ले रहे थे। जून 2011 से मार्च 2014 तक प्रत्येक माह के उपभोक्ताओं के संबंध में बिजली लेने की 9094 घटनाओं में से 2558 घटनायें (9094 घटनाओं का 28 प्रतिशत) में अधिक बिजली ली गई थी। 2558 घटनाओं में से 473 घटनाओं में उपभोक्ता अपनी सीडी से 100 से 28901 प्रतिशत तक बिजली ली थी। यद्यपि पूर्वी क्षेत्र लोड वितरण केंद्र (ईआरएलडीसी) ने बिजली अधिक लेने की घटनाओं पर निगम को चेतावनी दी थी, जीएसएम लागू होने के बाद भी यह लगातार जारी रहा। इसमें 2011-12 में 1711388 केवीए से 2013-14 में 7533718 केवीए तक अत्यधिक वृद्धि हुई।

निगम ने माना (जनवरी 2015) कि जीएसएम प्रणाली की निगरानी और अनुरक्षण करके इसमें सुधार किया जा सकता था।

#### 4.1.3.2 अनुचित डेटर्स के अनुपात के कारण चालू पूँजीगत ऋण में वृद्धि

विद्युत अधिनियम 2003 (10 जून 2003) से प्रभावी) लागू होने से पूर्व निगम डीवीसी अधिनियम, 1948 की धारा 20 के तहत अपना टैरिफ निर्धारित हेतु प्राधिकृत था। हालांकि निगम ने अपने उपभोक्ताओं को अपने निर्धारित टैरिफ दर पर बिल लगाना जारी रखा और समय पर टैरिफ निर्धारित करने हेतु सीईआरसी से संपर्क नहीं किया। सीईआरसी ने स्व-विवेक के आधार पर कार्रवाई करते हुए मार्च 2006 तक दो वर्षों की संक्रमण अवधि अनुमत करते हुए 2006-2009 की अवधि हेतु प्रभावी दर निर्धारित किया। निगम ने इसे नहीं माना और कानूनी सहारा लिया। उपभोक्ताओं को निगम के अपने टैरिफ दर पर बिल देना जारी रहा। इसी बीच, 2009-14 हेतु सीईआरसी का टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था जिसे निगम ने मान लिया था और तदनुसार उपभोक्ताओं को बिल जारी किया गया। हालांकि 2006-09 और 2009-14 के लिए लागू टैरिफ के संबंध में बकाया उपभोक्ता का मिलान लंबित था (मार्च 2014)। इसने उपभोक्ताओं से पुराने बकाए की वसूली को प्रभावित किया। बिजली प्रभारों जैसे- बिक्री,



औसत संग्रहण अवधि और 31 मार्च 2014 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए निगम की बुक, डेट की स्थिति निम्नलिखित है:

वर्ष	बिक्री (₹ करोड़ में)	डेटर्स (₹ करोड़ में)	डेटर्स से बिक्री की प्रतिशतता	औसत संग्रहण अवधि (माह में)	वर्तमान परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	डेटर्स से वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
2011-12	7,067.40	5,318.21 <sup>1</sup>	75.25	7.80	8,108.44	65.59
2012-13	10,603.87	6,538.03 <sup>2</sup>	61.66	6.80	11,297.77	57.87
2013-14	11,672.08	8,605.02	73.72	7.89	13,486.91	63.80

इस प्रकार 31 मार्च 2014 को तीन वर्षों से अधिक बकाया ₹ 3260.57 करोड़ पहुँच गया जो ₹ 8605.02 करोड़ के कुल ऋणकर्ताओं का 38 प्रतिशत था। उच्च राजस्व संग्रहण अवधि से जुड़े बकाये के परिणामस्वरूप निगम के चालू परिसंपत्ति ऋण में वृद्धि हुई जिसके कारण ब्याज बढ़ा। अभिलेखों से पता चला कि 2011-12 में ₹ 1602 करोड़ का अल्पावधि ऋण 2013-14 में ₹ 3,349 करोड़ पहुँच गई और निगम को 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 577.79 करोड़ का ब्याज भरना पड़ा जिसके बदले में प्रति मेगावाट बिजली\* की अल्पावधि ऋण लागत बढ़ गई।

निगम ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में मुख्य रूप से अभियोग वाले ऋणकर्ताओं की गणना की। हालांकि, उन्होंने 2006-09 की अवधि हेतु सीईआरसी टैरिफ न लागू करने और 2006-09 के साथ-साथ 2009-14 के लिए सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के पश्चात ऋण के गैर-मिलान पर कुछ नहीं कहा।

#### 4.1.3.3 ईंधन मूल्य समायोजन बिल की माँग करने में देरी

मूल ईंधन लागत वाले ऊर्जा प्रभारों हेतु ईंधन लागत समायोजन (एफपीए), यदि कोई हो तो उसके साथ उपभोक्ताओं से मासिक बिल की माँग की जानी चाहिए।

यह देखा गया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 178.92 करोड़ राशि एफपीए बिल जारी करने में देरी की। नमूना जाँच में एक से इस माह तक की देरी

<sup>1</sup> ₹ 919.82 करोड़ की बिना बिल वाली राशि को छोड़कर।

<sup>2</sup> ₹ 1,103.87 करोड़ की बिना बिल वाली राशि को छोड़कर।

\* अल्पावधि ऋण ब्याज की लागत: 2011-12 में ₹ 50/मे.वा., 2012-13 में ₹ 80/मे.वा. और 2013-14 में ₹ 100/मे.वा.

का पता चला। ऐसी देरी का मुख्य कारण निगम के थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) द्वारा देरी से ईंधन आंकड़ा प्रस्तुत करना था। इसके कारण उपभोक्ताओं से समायोजन की वसूली में देरी हुई। जिसे रोका जा सकता था, यदि समय पर एफपीए बिल माँग करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र और/या सूचना प्रणाली होती।

निगम ने टीपीपीज़ से मासिक कोयला मूल्यों की गैर प्राप्ति हेतु और कोयला खपत हेतु निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) मूल्य की उपलब्धता केवल वर्ष की समाप्ति पर एफपीए की माँग करने में देरी की परिकल्पना की (जनवरी 2015)। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कोयल की खपत से संबंधित टीपीएस से सूचना का प्रवाह एफपीए बिलो की समय पर माँग करने हेतु व्यवस्थित करना तथा मजबूत करना संभवा हो सकता है। इसके अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) जिससे निगम अच्छी तरह से परिचित था, के आधार पर वार्षिक ठेकागत मात्रा (एसीक्यू) मानने के पश्चात कोयला खपत के पीआई के उचित निर्धारण की संभावना थी।

#### 4.1.3.4 गलत मीटर रीडिंग (एचटी)

निगम ने एचटी उपभोक्ताओं के साथ बिजली खरीद करार (पीपीए) के अनुसार बिजली खपत निर्धारण और उसका बिल बनाने हेतु दो मीटर (एम1 और एम2) और एक जाँच मीटर लगाया था। मीटरों के ठीक से कार्यचालन और स्टीक बिलिंग सुनिश्चित करने हेतु एम1 तथा एम2 दोनों मीटरों को नियमित रूप से लिया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित उप-स्टेशनों के 155 एचटी उपभोक्ताओं में से 106 उपभोक्ताओं की एम2 मीटर रीडिंग ही नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त 29 उपभोक्ताओं जिनका एम1 और एम2 मीटर रीडिंग दोनों नियमित रूप से ली गई थी, के संबंध में जाँच से पता चला कि एम2 मीटर रीडिंग की तुलना में मीटर रीडिंग के विचलन (नकारात्मक व सकारात्मक) दोनों के संबंध में एम1 मीटर की रीडिंग से उनके बिजली खपत की बिलिंग की गई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में उपरोक्त मीटर रीडिंग का विचलन मीटर की सटीकता श्रेणी से बहुत अधिक था। ऐसे विचलन का कोई विश्लेषण अभिलेख में नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त, निगम ने उप-स्टेशनों हेतु यह कारण स्पष्ट नहीं किया कि क्यों दोनों मीटरों की रीडिंग नहीं ली गई थी।

निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि एम1 और एम2 मीटर रीडिंग के बीच 0.4 प्रतिशत से अधिक अंतर के मामले में निगम औसत आधार पर बिल की माँग की और एम1 मीटर में 0.4 प्रतिशत से अधिक अंतर के मामले में मीटर रीडिंग जाँच, अंवेक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी। उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति पर नहीं कहा गया जो एम1

और एम2 मीटरों की रिड गलत रीडिंग और इसके उचित कार्यचालन की गैर निगरानी पर था।

#### 4.1.3.5 खराब मीटरों के सुधार में समय सीमा न अपनाना

सीईए विनियम, 2006 के अनुसार, यदि मीटर खराब पाया गया और त्रुटि, संबंधित मानक में अनुमत सीमा से परे हो तो उसकी जगह तुरन्त दूसरा मीटर लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में निगम ने कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा की गई 61 शिकायतों में से 55 मामलों में मीटर बदलने की आवश्यकता थी। खराब मीटरों को जिसे सीईए विनियमों के अनुसार सभी मामलों में तुरन्त बदल जाना था, 32 मामलों में एक से 12 सप्ताह का समय लिया गया (अनुबंध-XVIII)। यह भी देखा गया कि अपेक्षित मीटर बदलने हेतु मासिक स्टॉक स्थिति पर्याप्त थी।

निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि 70 प्रतिशत मामलों में खराब मीटर 11 दिनों की समय-सीमा में ही बदल दिए गए थे। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खराब मीटरों को सटीक रीडिंग और बिजली बिल जारी करने हेतु विनियमों के अनुसार तत्काल बदला जाना था। यह तर्क कि खराब मीटरों को 2 सप्ताह के भीतर बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, सीईए विनियमों के अनुरूप नहीं था इसलिए स्वीकार्य नहीं है।

#### 4.1.3.6 डिस्कनेक्शन एवं री-कनेक्शन प्रभारों की गैर-वसूली

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (भुगतान विफलता में आपूर्ति काटना) के अनुसार, निगम एक चूककर्ता उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति रोक देने का हकदार था जब तक कि ऐसे प्रभार एवं अन्य राशि सहित इसकी आपूर्ति रोकने एवं आपूर्ति के पुनर्बहाल करने पर किए गए किसी व्यय का भुगतान नहीं कर दिया जाता। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान डिस्कनेक्शन के 110 मामले थे जिसमें से 89 मामलों में लाइन दुबारा जोड़ी गई थी। डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन के बहुत से मामलों में निगम ने सिंगल सर्किट (एस/सी) फीडर और डबल सर्किट (डी/सी) फीडर से उपभोक्ताओं के डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन के लिए क्रमशः ₹ 4.55 लाख और ₹ 8.51 लाख का अनुमान लगाया था (सितम्बर 2011)। लेखापरीक्षा के तहत ली गई अवधि के दौरान निगम ने डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन पर कुल ₹ 4.33 करोड़ का व्यय किया था, जिसकी वसूली नहीं की गई थी।

निगम का मानना (जनवरी 2015) कि जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता विनियम, 2005 में कोई डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभार नहीं हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे प्रभारों की वसूली हेतु डब्ल्यूएसईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता में कोई प्रतिबंध नहीं था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भी निगम उपभोक्ताओं से डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभारों की वसूली का हकदार था और इसकी गैर-वसूली से ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया।

#### 4.1.3.7 एलटी उपभोक्ताओं को मीटर न लगाने के कारण राजस्व की हानि

निगम एलटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी आवासीय कालोनियों, आवासों में रहने वाले बाहरी एजेंसियों के कर्मचारियों, अपने कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक व्यवस्थाओं, वाणिज्यिक स्थापनाओं, दुकानों आदि को बिजली की आपूर्ति करता है। निगम के छः क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीटीपीएस, एमटीपीएस\*, मैथिल एवं पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निवासियों (कर्मचारियों सहित) बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने का न तो कोई तंत्र था और न ही आवासीय क्वार्टरों हेतु व्यक्तियों द्वारा खपत की गई बिजली को मापने हेतु कोई कार्यात्मक मीटरिंग व्यवस्था की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा ली गई अवधि के दौरान वास्तविक बिजली खपत के आधार पर कर्मचारियों को न तो बिल जारी किया गया और न ही प्रभारों की वसूली की गई। उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के वेतन बिलों से उनके ग्रेड पे के आधार पर ₹ 7/10/15/20 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह का मामूली शुल्क की वसूली की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान सभी छः इकाईयों के कर्मचारियों से संग्रहीत कुल राशि ₹ 9,69,937/- थी। ऐसे संग्रहण निगम द्वारा एक दशक पहले निर्धारित किए गए स्थायी दरों के आधार पर थे और अस्थायी दरों को अंतिम दरों के रूप में नहीं बदला गया था (अक्टूबर 2014)। यद्यपि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु मुफ्त बिजली यूनिट मार्च 2009 में ही सीलिंग दर निर्धारित किया गया था लेकिन किसी मीटरिंग प्रणाली के अभाव में सीलिंग का अनुपालन नहीं किया जा सका। जुलाई 2012 के दौरान एमटीपीएस में निगम द्वारा किए गए मूल्यांकन से पता चला कि निगम के क्वार्टरों में रहने वाले पूर्व-कर्मचारियों की यूनिट का 590 वाट से 9560 वाट का लोड का मूल्यांकन किया गया था। सभी इकाईयों के क्वार्टर में रह रहे बाहरी लोगों ने या तो लोड निर्धारण आधार पर अथवा निर्धारित प्रभार/यूनिटों हेतु निर्धारित प्राभारों के आधार पर भुगतान किया। कुछ वाणिज्यिक स्थापनायें जैसे- बैंक, एटीएम आदि में मीटर लगाए गए

\* बीटीपीएस = बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, सीटीपीएस = चन्दपुरा थर्मल पावर स्टेशन,  
डीटीपीएस = दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन और एमटीपीएस = मेजा थर्मल पावर स्टेशन।

थे किन्तु अधिकांश वाणिज्यिक स्थापनाओं (दुकानों सहित) को नियत आधार पर बिल जारी किए गए थे जो वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था। निगम ने वाणिज्यिक स्थापनाओं को लोड निर्धारण के आधार पर बिल जारी करने के लिए लोड निर्धारण शुरू किया (2011) जो मैथन के दुकानदारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने इसे गैर-सैद्धांतिक माना और मीटर लगाने की माँग की। वाणिज्यिक दुकानों में मीटर केवल बीटीपीएस में लगाया गया था (2012)। परिणामस्वरूप, निगम के लिए 2011-12 की तुलना में 2013-14 की बिलिंग और वसूली 498 प्रतिशत तक बढ़ गई। बिजली की वास्तविक खपत सुनिश्चित करने के लिए एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर न लगाने के कारण लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान बिजली प्रभारों के प्रति निगम ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं कर पाया (अनुबंध-XIX)।

लेखापरीक्षा आपतियों को स्वीकार करते हुए निगम ने बताया (जनवरी 2015) कि बिजली मीटर लगाने के पश्चात वास्तविक बिजली खपत के अनुसार एलटी उपभोक्ताओं पर बिलिंग शुरू की जाएगी।

### निष्कर्ष

2003 में निगम की लेखापरीक्षा द्वारा की गई समीक्षा में बताई गई अधिकांश खामियाँ लगातार थीं। आधुनिकीकृत मीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन अर्थात् सेमा और जीएसएम के लिए निगम द्वारा किया गया निवेश अभी भी अनुत्पादक और अप्रभावी रहा जिसके कारण उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। निगम ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ याचिका की समय-सीमा का पालन नहीं किया जो उपभोक्ताओं से बकाया बड़ी राशि के कारणों में से एक था। एम1 और एम2 दोनों मीटरों की नियमित रूप से जाँच नहीं की गई थी और खराब मीटरों को बदलने में अनावश्यक रूप से देरी हुई थी। निगम ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अनुमत अपने उपभोक्ताओं से डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन प्रभारों का संग्रहण नहीं किया तथा अधिकांश एलटी उपभोक्ताओं के संबंध में मीटर भी नहीं लगाया। एलटी उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर न लगाने से निगम बिजली की वास्तविक खपत सुनिश्चित नहीं पाया जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में ली गई अवधि के दौरान निगम बिजली प्रभारों के प्रति ₹ 142.72 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

मामले को जनवरी 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

## 4.2 इंजन अवरोधन प्रभारों की वसूली की हानि

उपयुक्त ठेकागत प्रावधान के अभाव में ठेकेदार के कम निष्पादन के कारण निगम को इंजन अवरोधन प्रभारों के माध्यम से भुगतान किए ₹ 24.25 करोड़ की वसूली की संभावना की हानि हो गई थी।

दामोदर वैली निगम (निगम) का मेजा थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) रेल वैगनों के माध्यम से थोक मात्रा में कोयला प्राप्त करता है। रेल प्राधिकरण विनिर्दिष्ट निर्धारित समय-सीमा के बाद रैकों की अनलोडिंग में देरी के लिए विलम्ब शुल्क वसूल करता है। इसके अतिरिक्त, इंजन अवरोधन प्रभार (ईडीसी) भी वसूला जाता है यदि अनलोडिंग में ऐसी देरी के लिए रेल इंजनों को रोका जाता है। चूँकि एमटीपीएस के पास अपना लोको नहीं है, इसके पास कोयले की अनलोडिंग के लिए ट्रैक पट्टियों पर वैगनों की व्यवस्था हेतु रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए लोको को ही लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

निगम ने एमटीपीएस इकाईयों # 1 से 6 के संबंध में लोडिंग बिन्दुओं पर कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग बिन्दुओं पर अनलोडिंग के पर्यवेक्षण सहित विभिन्न सेवाओं के लिए एक ठेकेदार से साथ करार किया (जून 2009)। ठेके का मूल्य एक वर्ष की अवधि हेतु ₹ 20.88 करोड़ इस शर्त के साथ था कि इसे और एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठेके के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को लोडिंग बिन्दुओं पर बाहरी सामानों, बोल्डर्स और पतले मसालों आदि के बिना निश्चित आकार (200 मिमी. से नीचे) की लोडिंग सुनिश्चित करना था। यह भी प्रावधान था कि कोयले की अनलोडिंग में देरी के कारण रेलवे को देय विलम्ब शुल्क की वसूली भी ठेकेदार से की जानी थी। हालांकि रैकों की अनलोडिंग में ऐसी देरी के लिए ठेकेदार से रेलवे द्वारा वसूले गए ईडीसी की वसूली के प्रति करार में कोई प्रावधान नहीं था। निगम ने जून 2009 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान ₹ 35.31 करोड़ राशि का ईडीसी का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि ₹ 24.25 करोड़ की ईडीसी पत्थर/बोल्डरों, बड़े आकार के कोयले और पतले मसालों वाले कोयले की अनलोडिंग में देरी के कारण था जिसे लोडिंग के समय ठेकेदार का कम निष्पादन माना गया था। चूँकि करार में कोई प्रावधान नहीं था इसलिए निगम ठेकेदार से इसकी वसूली नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उपरोक्त ठेका करते समय प्रबंधन ने निगम के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं देखा क्योंकि कोयले की अनलोडिंग में देरी के लिए ठेकेदार से ईडीसी वसूल करने के लिए करार में कोई खण्ड नहीं था। यह भी देखा गया कि उपरोक्त ठेके को समय-समय पर

बढ़ाया गया था लेकिन निगम ने ठेकेदार से ईडीसी की वसूली के प्रति उपयुक्त खण्ड शामिल करने पर विचार नहीं किया।

निगम ने अपने उत्तर (जुलाई 2014) में तर्क दिया कि ईडीसी वास्तव में इंजन किराया प्रभार था और इसे मालभाड़े में शामिल किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इसे उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना था और इसलिए ईडीसी के लिए निगम को कोई हानि नहीं थी।

यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडीसी निर्धारित मुक्त समय-सीमा के बाद लोको के अवरोधन हेतु रेलवे को देय था जबकि इंजन किराया प्रभार रेलवे वैगनों के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक परिवहन किए गए सामानों के लिए देय है। इसके अलावा ईडीसी और विलम्ब शुल्क प्रभार रेलवे द्वारा मालभाड़ा बिल के अलावा अलग-अलग लगाए गए थे। उनका अगला तर्क ईडीसी उपभोक्ताओं से वसूलीयोग्य था, भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडीसी, सीईआरसी द्वारा निर्धारित बिजली प्रभारों का भाग नहीं था और इसलिए यह निगम से लिया जाना था।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि ठेके की शर्तों में ईडीसी की वसूली का प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसे बोलीदाताओं के उद्धृत मूल्यों में बढ़ाया गया होता और कुल ठेका मूल्य बढ़ जाता और तब कोई भी ऐसी अपरिहार्य लागत वहन नहीं करता। आगे यह बताया गया कि बढ़े हुए दर पर मुक्त समय (अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले/आयातित कोयले की अनलोडिंग) के बाद इंजन अवरोधन का भुगतान न करने के मामले में तब भी आलोचना की जाती।

मंत्रालय की उपर्युक्त दलील कि ईडीसी की वसूली के किसी प्रावधान से बोलीदाताओं का उद्धृत मूल्य बढ़ जाता, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है और आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं है। जो ठेकेदार द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। यह भी नोट करना प्रासंगिक है कि ठेकेदार को ईडीटी से बचने के लिए कोई और कार्य नहीं करना था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आपत्ति न केवल पूरे ईडीसी से संबंधित है बल्कि ईडीसी की घटना पर जिसे विलम्ब शुल्क की वसूली जैसी ठेकेदारों की विफलता के कारण व्यय किया गया था। इस प्रकार, करार में उपयुक्त खण्ड के अभाव में निगम के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं की गई थी। यह तथ्य कि मंत्रालय ने बताया कि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र के तहत ईडीसी के समावेश की अगले ठेके के कार्य के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के दौरान समीक्षा की जाएगी, भी एक तर्कपूर्ण स्वीकार्यता है कि ठेकेदार के साथ करार में खामियाँ थीं।

इस प्रकार ठेका करार में एक उपयुक्त प्रावधान के अभाव के कारण निगम को ठेकेदार के कम-निष्पादन से होने वाले ईडीसी के प्रति ₹ 24.25 करोड़ की वसूली के अवसर की हानि हुई।

### 4.3 अतिरिक्त यूआई प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय

निगम द्वारा ग्रिड अनुरक्षण अनुशासन हेतु आईईजीसी विनियमों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त गैर-अनुसूचित अंतरण प्रभारों के प्रति ₹ 16.21 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (आईईजीसी विनियम) के प्रणाली सुरक्षा पहलुओं के अनुसार, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) यह सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव कदम उठाएगा कि ग्रिड आवृत्ति हमेशा 49.5 से 50.2 हर्ट्स बैंड के भीतर बनी रहे। उपरोक्त विनियम के उद्देश्य से निगम के सेंट्रल लोड डिस्पैच, मैथल (सीएलडी) को एसएलडीसी का कार्य करना है तथा इसके अपने सृजन की अनुसूचीकरण/प्रेषण की पूरी जिम्मेदारी होगी। सीएलडी के ग्रिड से अपनी कमांड क्षेत्र की बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने हेतु भी कार्रवाई करनी चाहिए जब प्रणाली की आवृत्ति 49.7 हर्ट्स से कम हो जाए। यह भी प्रावधान था कि यदि ग्रिड की आवृत्ति 49.5 हर्ट्स या उससे कम हो तो निगम के सीएलडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित लोड घेरा इसके अपने कमांड क्षेत्र में हो ताकि अधिक बिजली नहीं ली जा सके। सीईआरसी विनियम<sup>1</sup> में प्रावधान था कि ग्रिड आवृत्ति 49.5 हर्ट्स से कम होने पर कम बिजली लेने अथवा अधिक बिजली लेने पर लागू यूआई प्रभारों<sup>2</sup> से अधिक लागू विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त गैर-निर्धारित अंतरण (यूआई) प्रभार लागू होगा।

लेखापरीक्षा न देखा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान निगम ने कई बार अधिक बिजली लिया जब ग्रिड की आवृत्ति 49.5 या उससे नीचे थी, जिसके लिए इसे अतिरिक्त यूआई प्रभारों के प्रति ₹ 16.21 करोड़ का भुगतान करना था। इससे पता चला कि निगम के सीएलडी ने अपने कमांड क्षेत्र में बिजली लेने पर प्रतिबंध लगाने हेतु उचित कार्रवाई नहीं की जबकि ग्रिड की आवृत्ति 49.7 हर्ट्स पहुँच गई थी और सीईआरसी द्वारा

<sup>1</sup> केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (गैर-निर्धारित अंतरण प्रभार और संबंधित मामला संशोधन) विनियम 2010, दिनांक 28.04.2010

<sup>2</sup> यूआई प्रभार ग्रिड अनुशासन बनाए रखने का एक वाणिज्यिक तंत्र है। यूआई प्रभार इस आधार पर देय हैं कि ऊर्जा सृजकों/वितरकों द्वारा दिए गए निर्धारित आहरण से कितना विचलन हुआ और उस समय पर ग्रिड की स्थिति के विषयगत भी होगा।



निर्धारित अपेक्षित लोड क्षमता भी नहीं बनाए रख सकी जबकि आवृत्ति 49.5 हर्ट्स या उससे नीचे तक गिर गई।

मंत्रालय ने अतिरिक्त यूआई प्रभारों के भुगतान का तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (जून 2014) कि यादृच्छिक लोड घेरा केवल एक सीमित लोड की मात्रा में किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रबंधन के मत का समर्थन करते हुए आगे बताया (अक्टूबर 2014) कि निगम अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करने वाले कुछ कोर क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति करता रहा है और इसकी जटिलता के कारण लोड घेरा का सहारा नहीं लिया गया था।

प्रबंधन और मंत्रालय के उपरोक्त कथन को ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में देखा जा सकता है। बिजली लेना जब ग्रिड की आवृत्ति 49.5 हर्ट्स अथवा उससे नीचे हो, एक गंभीर अनुशासनहीनता है। ऐसे कार्यों से ग्रिड स्थायित्व को खतरे में डालने के अलावा अतिरिक्त यूआई प्रभारों के माध्यम से ₹ 16.21 करोड़ का अत्यधिक व्यय भी करना पड़ा।

#### पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

#### 4.4 गलत निर्धारण और ठेका एक वित्तीय रूप से कमजोर फर्म के संयुक्त उद्यमों को ठेका देना

पावर ग्रिडकार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने आंतरिक मूल्यांकन समिति द्वारा अपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर एक कमजोर फर्म के संयुक्त उद्यमों को फरवरी 2010 और जुलाई 2010 के बीच ₹ 927.69 करोड़ का सात ठेके देने के कारण लागत बढ़ गई और कार्य समापन में देरी हुई तथा ट्रांसमिशन बाधाएं आईं।

पीजीसीआईएल ने फरवरी से जुलाई 2010 के दौरान एसपीआईसी-एसएमओ<sup>1</sup>, सदरन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी), चेन्नई के एक डिवीजन द्वारा चलाई जा रही तीन संयुक्त उद्यमों (जेवी<sup>2</sup>) को ₹ 927.69 करोड़ मूल्य के सात टावर के ठेके दिए।

एसपीआईसी-एसएमओ और सुजाना के संयुक्त उद्यम को सासन तथा मुंद्रा यूएमपीपीज के लिए प्रणाली मजबूतीकरण योजना से जुड़े टावर टीडब्ल्यू-03 हेतु पहला ठेका देने से प्रबंधन की सिफारिश कि ठेके के निष्पादन हेतु बोलीदाता के पास अपेक्षित क्षमता थी

<sup>1</sup> (i) एसपीआईसी-एसएमओ एण्ड सुजाना का जेवी (ii) एसपीआईसी-एसएमओ तथा (iii) एसपीआईसी-एसएमओ बीएस ट्रांसकाम का जेवी

<sup>2</sup> सदरन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसी), चेन्नई का अनुरक्षण संगठन डिवीजन

और दक्षता थी, के आधार पर एसपीआईसी-एसएमओ (एल1 बोलीदाता) को पीजीसीआईएल के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा ₹ 99.34 की मंजूरी दी गई (दिसम्बर 2009)।

तत्पश्चात् जनवरी 2010 में एसपीआईसी-एसएमओ द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त उद्यम को उत्तरी ग्रिड के केंद्रीय भाग से जुड़े टावर ए2 और ए8 के लिए दो और ठेकों की मंजूरी देते समय बोर्ड ने देखा कि यद्यपि मै. एसपीआईसी न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (एमएएटी) तथा चल परिसंपत्तियों की बोली मूल्यांकन मापदण्ड को पूरा करती थी, और ठेके देने से पूर्व उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए एसपीआईसी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। तदनुसार, एसपीआईसी की विश्लेषण के साथ एसपीआईसी-एसएमओ का मूल्यांकन करने के लिए 27 जनवरी 2010 को पीजीसीआईएल द्वारा एक आंतरिक मूल्यांकन समिति\* का गठन किया गया था।

मूल्यांकन समिति ने जनवरी 2010 में चेन्नई में एसपीआईसी में चेन्नई के कार्यालय का दौरा करने के पश्चात बताया (फरवरी 2010) कि 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान एसपीआईसी के उर्वरक कारोबार में काफी हानियों के बावजूद उनका शुद्ध संपत्ति सकारात्मक थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एसपीआईसी की शुद्ध संपत्ति की गणना करते समय मूल्यांकन समिति ने न केवल एसपीआईसी की समेकित हानियों को नजरअंदाज कर दिया था जैसा कि संबंधित अवधि के लिए उनके वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था, बल्कि एसपीआईसी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की योग्यता के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया था। यदि समेकित हानियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की योग्यता के प्रभाव पर ध्यान दिया जाता तो एसपीआईसी की शुद्ध संपत्ति 'नकारात्मक' होती जैसा कि मूल्यांकन समिति द्वारा बताए गए 'सकारात्मक' के प्रति नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	मार्च 2008 को समाप्त वर्ष (18 माह)	सितम्बर 2006 को समाप्त वर्ष (18 माह)	2004-05
1	शेयर पूँजी	120.45	120.45	120.45	100.55
2	आरक्षित	237.71	237.71	237.71	101.45
3	समेकित लाभ (हानी)	(1755.21) <sup>s</sup>	(880.32) <sup>^</sup>	(219.22) <sup>*</sup>	(325.51)
4	शुद्ध संपत्ति (1+2-3)	(1397.06)	(522.16)	138.94	123.51

\* वित्त, इंजीनियरिंग और पीजीसीआईएल के ठेका सेवा विभाग के प्रतिनिधि शामिल करते हुए।

\* सांविधिक लेखापरीक्षक की योग्यता को ध्यान में रखने के पश्चात उस अवधि के लिए उसकी रिपोर्ट के पैरा 5 (ix) के तहत ₹ 44.13 करोड़ की राशि। वर्ष के दौरान समेकित हानि ₹ 533.79 करोड़ को पुनःमूल्यांकन आरक्षित के प्रति समायोजित कद दिया गया था।

^ सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5 (vii) ए एवं बी के अनुसार

§ सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रभावी योग्यता लेने पर उनकी रिपोर्ट के पैरा 4 (vii) ए एवं बी के तहत

यह बताते हुए कि एसपीआईसी पिछले दो से तीन वर्षों में संतोषजनक वित्तीय स्थिति हुए थी, मूल्यांकन समिति ने देखा कि एसपीआईसी की वित्तीय स्थिति का इसके एसएमओ डिवीजन के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो जेवी व्यवस्था के तहत ट्रांसमिशन लाइनों को खड़ा करते हुए उत्तरदायी था। टावर पैकेजों के लिए पहले ही दिए गए तीन ठेकों के अतिरिक्त मूल्यांकन समिति ने यह कहते हुए एसपीआईसी-एसएमओ द्वारा चलाई जा रही जेवी को डी1, डी2, ए1 और ए3 टावरों हेतु चार ठेके देने की सिफारिश की कि एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के कार्यक्षेत्र का वार्षिक मूल्य 2009 के दौरान उनके ₹ 125 करोड़ के कारोबार का लगभग 1.5 गुना था। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करते हुए बोर्ड ने एसपीआईसी द्वारा चलाई जा रही जेवी को ₹ 625.76 करोड़ के चार और टावर के ठेके देने की मंजूरी दी (फरवरी से जुलाई 2010)।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि एसपीआईसी द्वारा चलाई जा रही जेवी को सात पैकेजों का ठेका देने से ठीक पहले निगम ऋण पुनर्गठन तंत्र\* के तहत एसपीआईसी के ऋण का पुनर्गठन किया गया था और अक्टूबर 2009 में एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा एसपीआईसी के 'पुनःकार्य पैकेज' की मंजूरी दी गई थी। 'पुनःकार्य पैकेज' में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान था कि एसपीआईसी को 31 मार्च 2011 तक या उससे पूर्व अपना एसएमओ डिवीजन बेचना था। इस प्रकार, जब मूल्यांकन समिति ने जनवरी 2010 में एसपीआईसी कार्यालय का दौरा किया था, एसपीआईसी को 'पुनःकार्य पैकेज' के अनुसार अपना एसएमओ डिवीजन बेचना था। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में एसपीआईसी की पुनर्गठन योजना के अनुमोदन का उल्लेख था किन्तु एसपीआईसी-एसएमओ की बिक्री से संबंधित किसी और विवरण पर कुल नहीं कहा गया। एसपीआईसी-एसएमओ को सितम्बर 2011 में मै. मिराडोर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीएल) को बेच दिया गया। इस प्रकार परियाजनाओं के निष्पादन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान एसएमओ डिवीजन के स्वामित्व/प्रबंधन में

---

\* निगम के ऋण पुनर्गठन या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए सीडीआर को सभी समस्याओं के लाभ हेतु समस्या से जुड़ा रही व्यवहार्य निकायों के निगम ऋण के पुनर्गठन हेतु समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना था।

बदलाव से होने वाली अनिश्चितताओं को मूल्यांकन समिति द्वारा बोर्ड के संज्ञान में नहीं लाया गया और फलस्वरूप बोर्ड ने सूचित निर्णय लेने का अवसर खो दिया। मै. एसपीआईसी द्वारा अपर्याप्त संसाधन संग्रह और कमजोर वित्तीय स्थिति ठेकाओं के निष्पादन में देरी का एक प्रमुख कारण था क्योंकि एसपीआईसी के संसाधन पीजीसीआईएल द्वारा कार्य की वांछित दर प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त अत्यधिक भारयुक्त पाया गया। एमसीपीएल द्वारा अगस्त 2011 से एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन का कार्यभार लेने के बाद भी उपरोक्त ठेके के लिए संसाधनों की तैनाती में ढीलेपन के कारण समापन में और देरी हुई। सात में से चार ठेके 22 से 30 महीनों की देरी से पूरे हुए तथा तीन ठेके 23 से 28 महीनों की देरी के बावजूद भी अभी तक निष्पादन के अध्यक्षीन है (मार्च 2015)। चार पूर्ण ठेकों में से ₹ 41.79 करोड़ की उपार्जित हानियों को ठेकेदार से उनकी ओर से किए गए विलम्ब के कारण उनसे वसूले जाने थे जबकि बाकी तीन ठेकों के संबंध में उपार्जित हानियों की वसूली पर पीजीसीआईएल का निर्णय प्रतीक्षित था (मार्च 2015)। निष्पादन के तहत एक ठेके को ठेकेदार की घटिया निष्पादन के कारण मई 2014 में पीजीसीआईएल द्वारा समाप्त कर दिया जाना था और अभी फिर से दिया जाना था (दिसम्बर 2014) जिससे और अधिक देरी होगी।

उपरोक्त ठेकों के तहत ट्रांसमिशन लाइनों की समाप्ति में देरी के कारण न केवल ₹ 53.50 करोड़ तक लागत बढ़ गई बल्कि ट्रांसमिशन प्रणालियों में भी बाधा आई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि तलवंडी साबू और राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन को मार्च 2014 में सिंक्रोनाइज किया गया था लेकिन संबंधित लाइनों को टावर ए1 और ए3 से क्रमशः मई 2014 और अगस्त 2014 में ही जोड़ा गया था और शुरू किया गया था। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने अन्य बातों के साथ-साथ तलवंडी साबू और राजपुरा थर्मल पावर स्टेशन से बिजली निकालने हेतु पंजाब ट्रांसमिशन प्रणालियों के चालू करने में देरी के कारण बिजली निकालने में बाधा देखी गई (अप्रैल 2014)। टावर ठेके डी1 और डी2 से जुड़ी 400केवी की वर्धा औरंगाबाद ट्रांसमिशन लाइनों के चालू न होने के कारण वर्धा पर्ली और वर्धा अकोला ट्रांसमिशन लाइनों में कई गड़बड़ियाँ देखी गई।

पीजीसीआईएल ने बताया (मार्च 2013/मार्च 2015) कि (i) ठेके मै. एसपीआईसी-एसएमओ के जेवी और अन्य टावर विनिर्माताओं को दिए गए थे। वित्तीय संदर्भ में मै. एसपीआईसी-एसएमओ और टावर विनिर्माताओं की जिम्मेदारी का अनुपात 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत था (ii) यद्यपि मूल्यांकन के समय एसपीआईसी का वित्तीय निष्पादन उतना उत्साहजनक नहीं था, इसकी एसएमओ डिवीजन का निष्पादन संतोषजनक था और यह महत्वपूर्ण सहारा था (iii) मूल्यांकन समिति द्वारा बताए गए तथ्यों पर

पीजीसीआईएल के बोर्ड द्वारा जेवी और एसपीआईसी के पक्ष में ठेका देने की मंजूरी से पूर्व विचारविमर्श किया गया था और (iv) एसपीआईसी द्वारा एसपीआईसी के एसएमओ डिवीजन की बिक्री का विवरण मूल्यांकन समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

उत्तर को इन तथ्यों के प्रति देखा जाए कि (i) जटिल और विशेष प्रकृति के कार्य अर्थात् टावर खड़ा करने तथा तार खींचने के लिए मै. एसपीआईसी-एसएमओ, जेवी का प्रमुख उत्तरदायी साझीदार था इसके अलावा, उसकी शुद्ध संपत्ति में गिरावट और नकारात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए एसपीआईसी को वित्तीय रूप में 45 प्रतिशत की वित्तीय जिम्मेदारी देना कम-निष्पादन के खतरे से खाली नहीं था; (ii) बोर्ड के जनवरी 2010 के निर्णय के अनुसार, मूल्यांकन समिति को मै. एसपीआईसी की वित्तीय स्थिति का समेकित मूल्यांकन करना था और अलग से एसएमओ डिवीजन के निष्पादन को देखना उचित नहीं था, (iii) बोर्ड का निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर था जिसमें एसपीआईसी की निवल संपत्ति की गलत जानकारी दी गई और परियोजनाओं के निष्पादन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नए मालिक को एसएमओ डिवीजन बेचने की अद्यतित स्थिति नहीं बताई गई, और (iv) एसपीआईसी पुनर्गठन की मौजूदा स्थिति को जानते हुए यह पीजीसीआईएल के हित में था कि वह एसपीआईसी से प्राप्त जानकारी पर ही यकीन के बजाए स्वतंत्र स्रोतों से एसपीआईसी के पुनर्गठन की मौजूदा स्थिति को स्वयं जाने।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में एसपीआईसी के सकारात्मक शुद्ध संपत्ति के संबंध में उल्लेख असावधानीपूर्ण था और इसने वित्तीय निष्कर्ष को प्रभावित नहीं किया होगा क्योंकि नकारात्मक संपत्ति वाली कंपनियों को भी ठेके दिए गए थे। हालांकि मंत्रालय ने माना कि एसपीआईसी-एसएमओ के स्वामित्व में परिवर्तन और एमसीपीएल की अनिच्छा से कार्य के निष्पादन में देरी हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि पीजीसीआईएल ने प्रणालीगत सुधार किया था और पीजीसीआईएल ठेकों में ठेकेदार के निष्पादन के आधार पर कार्यकारी निदेशक स्तर पर स्थायी समिति द्वारा बोलीदाताओं की क्षमता का मूल्यांकन शुरू किया गया था।

तथ्य यह है कि बोर्ड का निर्णय मूल्यांकन समिति की पक्ष में सिफारिशों के आधार पर था जिसमें एसपीआईसी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को कम और एसपीआईसी एसएमओ की बिक्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने पर था।

इस प्रकार मूल्यांकन समिति द्वारा बोर्ड को गलत और अपूर्ण जानकारी देने के कारण वित्तीय रूप से कमजोर फर्म द्वारा चलाई जा रही जेवी को ठेके देने के परिणामस्वरूप लागत बढ़ गई और ट्रांसमिशन गड़बड़ियों के साथ दिए गए कार्य के समान में देरी हुई।

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

**4.5 आरजीजीवीवाई के तहत सॉफ्ट लोन के वितरण के कारण ब्याज की हानि**

आरईसी को दिसम्बर 2014 तक ₹ 153.36 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने आरजीजीवीवाई के तहत सॉफ्ट लोन देने पर भिन्नता वाले ब्याज की क्षतिपूर्ति हेतु एमओपी से संपर्क नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को अधिसूचित किया (18 मार्च 2005) और इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) को नियुक्त किया।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋण प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई विशेष शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि आरजीजीवीवाई को आरंभ करते समय, अन्य विषयों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विवरणिका में यह शामिल किया गया कि 'आरईसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक मुख्य एजेंसी के रूप में स्थापित की गई है। 'कार्यक्रम के लिए सभी निधियां आरईसी द्वारा चैनलाईज की जाएगी जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजीगत सब्सिडी के अतिरिक्त आसान शर्तों पर ऋण सहायता के रूप में शेष निधियां प्रदान करेगी'।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिये जाने वाले आसान ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर पर आगे के निर्देशों के लिए विद्युत मंत्रालय को आग्रह करने और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋणों पर सामान्य उधार दर और प्रभारित ब्याज की दर के बीच महत्वपूर्ण ब्याज दर अंतर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन करने की अपेक्षा, 8 प्रतिशत की दर प्राप्त करने की अपेक्षा ब्याज राज्य सरकारों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त विवरणिका के आधार पर, अपने निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक (30 अगस्त 2005) में स्वयं यह निर्णय लिया। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ब्याज की रियायती दर प्रभारित करने का निर्णय लेते समय कोई लागत और प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया।

7 सितम्बर 2007 को बोर्ड द्वारा दोबारा आसान ऋणों के मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ऋणों की बढ़ी हुई लागत के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि आरजीजीवीवाई के अंतर्गत उधार दरों को उर्ध्वगामी परिशोधन आवश्यक

हैं और टी और डी योजनाओं के अंतर्गत आरईसी द्वारा प्रभारित किये जा रहे केवल 50 आधारभूत बिंदुओं तक आसान रखा जाना चाहिए।

दिसम्बर 2014 तक, समय-समय पर आरईसी ऋणों पर लागू सामान्य दरों पर लागू दरों की अपेक्षा कम दरों पर प्रभारित ब्याज के संबंध में आरईसी को ₹ 153.36 करोड़\* की हानि उठानी पड़ी। ब्याज की हानि आरजीजीवीवाई ऋण के बकाया शेषों के पुनर्भुगतान और आगामी आसान ऋण के वितरण/पुनर्भुगतान तक आगे भी बढ़ती रहेगी यदि कोई है तो। आरईसी, एक अलग सूचीबद्ध वाणिज्यिक सत्व होने के कारण विद्युत मंत्रालय के साथ आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋणों पर विभिन्न ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति का मामला लिया जाना चाहिए था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2014) कि:

- 'एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण' योजना जिसे आरजीजीवीवाई के साथ बाद में जोड़ दिया गया था, के अंतर्गत दिये गये ऋण पर प्रभारित की जा रही ब्याज की दर 5 प्रतिशत थी। आरईसी ने 9 सितम्बर 2007 तक तीन वर्षों हेतु केवल 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ₹ 557 करोड़ निर्मुक्त किये। इसके बाद, टी और डी योजनाओं हेतु प्रचलित उधार दर की अपेक्षा केवल 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम पर ऋण निर्मुक्त किये गये। ब्याज की प्रचलित वर्तमान दरों की अपेक्षा 0.5 प्रतिशत कम की परिवर्तित ब्याज दर उधार की लागत के साथ-साथ आरईसी हेतु उपयुक्त वृद्धि को समुचित मात्रा में कवर किया था।
- आरजीजीवीवाई का ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का सामाजिक उद्देश्य है और आरजीजीवीवाई की आरईसी एक भारत सरकार उद्यम है और आरजीजीवीवाई की एक प्रमुख एजेंसी भी है। इसके अतिरिक्त, सभी आरजीजीवीवाई ऋण राज्य सरकार को संस्वीकृत हैं और न कि उपादेयताओं को। इन ऋणों के मुख्य लाभोक्ता बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड आदि राज्य हैं और इन राज्यों में

---

\* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वितरित ऋणों के समय आरईसी के ब्याज (8 प्रतिशत से 10.90 प्रतिशत) की प्रचलित दर और प्राप्त ₹ 93.88 करोड़ की हानि और 31 जनवरी 2005 से 8 अगस्त 2007 के बीच आरजीजीवीवाई ऋणों पर प्रभारित की गई 5 प्रतिशत की दर के बीच अंतर के आधार पर 27 सितम्बर 2007 से 31 दिसम्बर 2014 के बीच वितरित ऋणों पर टीएंडडी योजनाओं के अंतर्गत ब्याज की दर की अपेक्षा 50 बेसिस बिंदुओं तक आसान ब्याज दर को प्रभारित किये जाने के कारण प्राप्त ₹59.48 करोड़

विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बुरी हालत में है क्योंकि ये राज्य वित्त की कमी के कारण आधारभूत संरचना विकसित करने में सक्षम नहीं हैं।

- सरकार कम दर पर धारा 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड और धारा 88 आधारभूत संरचना बांडों द्वारा निधियां इकट्ठे करने के लिए अनुमोदन देते हुए आरईसी को सहयोग कर रही है।

प्रबंधन का उत्तर तथ्यों के प्रति दृष्टिगत करना है कि

- आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किसी प्रभाव विश्लेषण के बिना पूर्व योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत की ब्याज दर की स्वीकृति तर्क संगत नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बढ़ाये गये आसान ऋणों के संबंध में हानि को झेलने के लिए आरईसी को निर्देश नहीं दिये थे। 10 सितम्बर 2007 से आरजीजीवीवाई ऋणों पर ब्याज दर की वृद्धि के बाद भी, आरईसी को लगभग ₹ 59.48 करोड़ की हानि हुई।
- आरईसी ने पुष्टि की कि उस समय सीएसआर अवधारणा के अभाव में वे सीएसआर व्यय के रूप में आसान ऋणों की अंतरीय लागत का दावा करने के योग्य नहीं थे। इसलिए, आरईसी के लिए यह अपेक्षित था कि आसान ऋणों के वितरण से पहले वह अपने वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित कर ले।
- धारा 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों का लाभ आरजीजीवीवाई के आरंभ करने से पूर्व भी आरईसी को उपलब्ध था और विद्युत मंत्रालय ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी द्वारा आहरित किए जाने वाले आसान ऋण के लिए एक क्षतिपूर्ति के रूप में आरईसी को सस्ती निधियां इकट्ठा करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं करवाये।

इस प्रकार, दिसम्बर 2014 तक आरईसी को ₹ 153.36 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बढ़ाये गये आसान ऋणों पर अंतरीय ब्याज की क्षतिपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को आग्रह नहीं किया। हानि आगे बढ़ जायेगी जब तक कि मौजूदा ऋण की पूर्णतः पुनर्दायगी नहीं की जाने के साथ-साथ भविष्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आसान ऋण वितरण पर भी आधारित होगी, यदि कोई है तो।

दिसम्बर 2014 में यह मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।



## अध्याय V : इस्पात मंत्रालय

### स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

#### 5.1 संयुक्त उद्यम में सेल का निवेश

##### 5.1.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के ₹ 778.82 करोड़ के कुल निवेश के साथ 31 मार्च 2014 तक 23 संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसीज) थीं। 23 जेवीसीज में से, केवल सात<sup>1</sup> पूर्णतः क्रियाशील हैं जिनमें से तीन<sup>2</sup> नियमित रूप से लाभ अर्जित कर रही हैं। कंपनी के कुल इक्विटी निवेश का उन्नासी प्रतिशत (₹ 614.28 करोड़) केवल दो विद्युत जेवीसीज अर्थात् एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) में था। नौ जेवीसीज केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयूज) और राज्य सरकार/राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ सहभागिता में बनाई गई। शेष 14 संयुक्त उद्यम 50 प्रतिशत या निजी उद्यमों जिन पर प्रबंधन नियंत्रण भी था, से अधिक की इक्विटी सहभागिता के साथ-साथ बनाये गये थे। चार जेवीसीज<sup>3</sup> को समाप्त कर दिया गया। नवम्बर 2013 में कंपनी ने एमओयूज/जेवीसीज में प्रवेश कर अपनी नीति दिशा-निर्देश तैयार किये।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकना था कि क्या जेवी भागीदारों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट और कंपनी के हितों के लिए अलाभकारी नहीं थी और जेवीसीज ने उनके निर्माण से कोई अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है। लेखापरीक्षा जांच में 2007-2013 के दौरान बनाई गई 15<sup>4</sup> जेवीसीज को कवर किया गया, जिनके रिकॉर्ड कंपनी के पास

<sup>1</sup> एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल), बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल), एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, बोकारो जे पी सीमेंट लिमिटेड (बीओजेसीएल), भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड, सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड और सेल एससीएल केरल लिमिटेड

<sup>2</sup> एनएसपीसीएल, बीपीएससीएल और एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

<sup>3</sup> नॉर्थ बंगाल डोलोमाईट लिमिटेड, युईसी-सेल आईटी लिमिटेड, रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड और नार्थ ईस्ट स्टील एंड गेलवेनिसिंग (पी) लिमिटेड

<sup>4</sup> भिलाई- जेपी सीमेंट लिमिटेड, बोकारो –जेपी सीमेंट लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड, एसएंडटी माईनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, सेल राईटस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड एमओआईएल फैंरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड, सेल-एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोब आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड, सेल –बंगाल एलाय कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी

उपलब्ध थे। कंपनी के उत्तर पर (जनवरी 2015) इस प्रतिवेदन में समुचित रूप से विचार किया गया।

### 5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 5.1.2.1 जेवीसी दायित्वों के निबंधन और शर्तें सेल के लिए अलाभकारी थी

कंपनी ने दो जेवीसीज<sup>5</sup> अप्रैल 2007 और मार्च 2008 क्रमशः में एक भिलाई और एक बोकारो में जेपी सीमेंट लिमिटेड (जेसीएल) के साथ स्थापित की जिसका 74 प्रतिशत इक्विटी भाग और प्रबंधन नियंत्रण था। जेवीसीज को सीमेंट बनाने के लिए सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में उत्पादित एक गौण उत्पाद स्लैग का प्रयोग करना था। प्रत्येक संयंत्र को पहले 12 महीनों के लिए संबंधित जेवीसीज को 8 लाख टन स्लैग और इसके बाद सीमेंट संयंत्र आरंभ होने के बाद पाँच वर्षों के लिए 10 लाख टन प्रतिवर्ष आपूर्त करना था।

जेवीसीज की स्थापना से पहले, बीएसपी और बीएसएल गिलायी/खुली निविदा द्वारा बाजार भाव पर स्लैग बेच रही थी। समझौते के अंतर्गत, बीएसपी और बीएसएल से जेवीसी को आपूर्त किये जाने वाले स्लैग का आरंभिक विक्रय मूल्य प्रचलित बाजार भाव के आधार पर ₹ 160 और ₹ 312 प्रति टन की परस्पर स्वीकृत दर पर निर्धारित किया गया था। स्लैग का विक्रय मूल्य वार्षिक परिशोधन बाजार पर निर्भर नहीं था परंतु आरबीआई द्वारा जारी सीमेंट सूचकांक में परिवर्तनों से जुड़ा है। यह तालिका -I से देखा जा सकता है कि जेवीसी समझौते से पूर्व और बाद के वर्षों में स्लैग बाजार में अस्थिरता थी। जेवीसीज की स्थापना के बाद, स्लैग का बाजार भाव तेजी से बढ़ा जो जेवीसी से प्रभारित सूचकांकित विक्रय मूल्य की अपेक्षा 2-3 गुणा अधिक था। इसी समय, बीएसपी और बीएसएल ने प्रचलित बाजार भाव पर अन्य विक्रेताओं को अतिरिक्त स्लैग भी बेचा। भिलाई पर निर्भर जेवीसी ने ₹190.27 प्रति टन के आरबीआई सूचकांकित मूल्य पर 8,50,426 टन के अतिरिक्त ₹ 750 प्रति टन पर जेवीसी समझौते के बाहर जाकर बीएसपी से 2013-14 के दौरान 60,642 टन स्लैग खरीदा।

---

लिमिटेड , टीएमटी एसएल सेल जेवी लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड और एसपीयू जेवी प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड

<sup>5</sup> बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड (बीओजेसीएल) और भिलाई जेपी सीमेंट लिमि.,

तालिका 1: स्लैग आरूटपुट, जेवीसीज और अन्य क्रेताओं को बेचा गया स्लैग और विक्रय मूल्य

31 मार्च तक समाप्त वर्ष	बोकारो स्टील संयंत्र					भिलाई स्टील संयंत्र				
	कुल उत्पादित स्लैग (टन)	बेचे गये स्लैग की मात्रा (टन)		प्रति टन बेचे गये स्लैग का विक्रय मूल्य ₹		कुल उत्पादित स्लैग (टन))	बेचे गये स्लैग की मात्रा (टन)		प्रति टन बेचे गये स्लैग का विक्रय मूल्य ₹	
		अन्य विक्रेता	जेवीसी	जेवी सी	अन्य विक्रेता		अन्य विक्रेता	जेवीसी	जेवीसी	अन्य विक्रेता
2006	732765	724351	-	-	244-351	1363871	1637900	-	-	155-161
2007	711471	642050	-	-	256-369	1345160	1563911	-	-	155-161
2008	791497	746165	-	-	275-305	1601651	1561210	-	-	155-207
2009	756046	760718	-	-	275-305	1571425	1682978	-	-	207-228
2010	819380	808517	-	-	320-705	1708756	1649163	3551	160	207-400
2011	693758	669598	-	-	500-758	1761920	1324674	416386	160.00	400
2012	592361	309275	244961	336.65	517-768	1696888	896589	835509	172.68	450
2013	660705	21028	690004	351.04	1220	1693352	961378	850330	180.05	520-750
2014	915708	3,670	834193	444.24	1220	1736283	706626	850426	190.27	750-800

बीएसएल के लिए जुलाई 2009 से और बीएसपी हेतु दिसम्बर 2009 से निर्धारित विक्रय मूल्य 5 वर्षों के बाद विशेष शर्तों की पूर्ति के अन्तर्गत परिशोधित किये जाने थे जो कंपनी के स्वयं निर्धारण के अनुसार बीओजेसीएल के मामले में संभवतः पूरा नहीं किया गया। 2006-07 में निर्धारित आरंभिक विक्रय मूल्य जेवीसीज को स्लैग के विक्रय पर सेल को काफी हानि के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस प्रकार, अलाभकारी स्थानांतरण मूल्य निबंधन के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 तक कंपनी को ₹ 156.58 \* करोड़ की हानि हुई।

कंपनी ने कहा (जनवरी 2015) कि दोनों संयंत्रों में जेवीसी भागीदार खुली निविदा द्वारा चुने गये थे, और उच्चतम प्रीमियम प्रस्तुत किया गया, प्रबन्धन द्वारा निर्धारित आरंभिक विक्रय मूल्य और बाद में किये गये परिशोधन निविदा दस्तावेजों में शामिल थे; स्लैग के विक्रय मूल्य में अस्थिरता थी और स्लैग के बाजार भाव का अंदाजा लगाना कठिन था, आरबीआई/आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी सीमेंट सूचकांक पर आधारित मूल्य विभिन्नता खंड एक मानक खंड है जो खुली निविदा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को आपूर्त किये जा रहे स्लैग मूल्यों के परिशोधन के लिए सेल संयंत्रों द्वारा संचालित है, और नवम्बर 2014 में सेल; और जेएल ने बीओजेसीएल का अपना कुल इक्विटी भाग अन्य कंपनी को बेच दिया।

\* जेवीसीज से प्रभारित सूचित विक्रय मूल्य (लिया गया भारत औसत) आरबीआई/आर्थिक सलाहकार की अपेक्षा अन्य विक्रेताओं से प्रभारित बाजार चालित विक्रय मूल्य (लिया गया भारत औसत) की अधिकता से गुणित जेवीसीज को बेचा गया स्लैग

उत्तर को अग्रलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना आवश्यक है:

जेवीसी स्थापना के प्रारंभ में बनाया गया या बाद में दो सत्वों के बीच करार में कोई वाणिज्यिक पारिभाषिक शब्द नहीं होने चाहिए जिसमें आर्म्स लैंथ लेन-देन का सिद्धांत शामिल न हो। स्लैग का स्थानांतरण मूल्य वही होना चाहिए जिस पर दो कंपनियां स्वतंत्र रूप से शामिल थी। इस प्रकार, स्लैग का विक्रय मूल्य बाजार गतिशीलता पर छोड़ देना चाहिए। जेवीसीज के अतिरिक्त उपभोक्ता को खुली निविदा के अंतर्गत स्लैग की आपूर्ति के लिए एमओयू अपेक्षाकृत कम मात्रा और थोड़े समय के लिए था। बीओजेसीएल ने जुलाई 2011 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया। 2012-13 और 2013-14 के दौरान, बीओजेसीएल ने अधिकतम स्लैग बीएसएल से खरीदा और बीएसएल (बाजार भाव की तुलना में) द्वारा स्लैग को 2-3 गुणा कम भाव पर प्रभारित किया गया, जिससे जेसीएल ने न केवल ₹ 136 करोड़ और ₹ 30.62 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया बल्कि इसका इक्विटी पूंजीकरण भी ₹ 133.65 करोड़ से ₹ 892.78 करोड़ तक बढ़ गया हालांकि उच्च पूंजीकरण से जेसीएल को ₹ 561.76<sup>1</sup> करोड़ का लाभ प्राप्त किया, सेल अपने विक्रय की 26 प्रतिशत इक्विटी पर ₹ 197.37<sup>2</sup> करोड़ का लाभ प्राप्त कर पाई।

#### 5.1.2.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों का निष्पादन

31 जनवरी 2015 तक, 12 जेवीसीज<sup>3</sup> ने ₹ 42.77 करोड़ की इक्विटी सहभागिता के साथ अपने वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किये। जेवीसी स्थापना के अभिप्रेत संचालनात्मक उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। जेवीसी भागीदारों के बीच प्रतिबद्धता का अभाव था, जेवीसीज को वित्तीय सहयोग और माल/सेवाओं के प्रावधानों के लिए वाणिज्यिक निबंधन स्थापना पूर्व स्पष्ट रूप से नहीं बनाये गये थे। इन जेवीसीज की वर्तमान स्थिति नीचे इस प्रकार दर्शाई गई है:

<sup>1</sup> 74 प्रतिशत इक्विटी के प्रति किया गया योगदान ₹98.90 करोड़ पर इक्विटी शेयरों (₹660.66 करोड़) का अधिक विक्रय मूल्य

<sup>2</sup> 26 प्रतिशत इक्विटी के प्रति किया गया योगदान ₹34.75 करोड़ से अधिक (₹232.12 करोड़) का अधिक विक्रय मूल्य

<sup>3</sup> एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, सेल राईट्स बंगाल वेंगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड एमओआईएल फैंरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोब आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड, सेल बंगाल एलाय कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड और एसपीयू जेवी प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड

(क) इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड (आईसीवीएल)

आईसीवीएल को सेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) और एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ मई 2009 में जेवी भागीदार स्थापित किया गया था ताकि वे विदेशों से धातु कर्म कोयले और थर्मल कोयला परिसम्पत्ति को खरीद सके। मुख्यतः सेल द्वारा नामित कार्यकारियों द्वारा अधिशासित आईसीवीएल संचालन के आरंभिक पाँच वर्षों में कोई विदेशी कोयला परिसंपत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। आईसीवीएल को 2011-12 तक सेल और आरआईएनएल के 2019-20 के लिए आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत की सीमा तक धातु कर्मिय कोयले की आपूर्ति अपने विदेशी परिसंपत्तियों से करने का अंदाजा था। आईसीवीएल का लक्ष्य जुलाई 2014 तक भी केवल पेपर तक ही सीमित था जब इसने रियो टिंटो कोल मोजंबिक की कोयला परिसंपत्ति को लिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच जेवीसी भागीदार, सीआईएल और एनटीपीसी ने विदेशी अधिग्रहण में कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उनकी प्राथमिकता थर्मल कोयला था और न कि धातु कर्मिय कोयला। परिणामस्वरूप आईसीवीएल को सेल का वित्तीय सहयोग 30 सितम्बर 2014 तक सहमत 28.6 प्रतिशत से अनुपात हीन रूप से 49.43 प्रतिशत (₹ 182 करोड़) तक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, सेल ने आईसीवीएल में ₹ 1,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को अनुमोदन (जुलाई 2014) दे दिया।

कम्पनी ने कहा कि (i) वाणिज्यिक विवेक के मामले के रूप में, उसने 2014 से पहले विदेशी कोयला परिसंपत्तियां नहीं खरीदी क्योंकि धातु कर्मिय कोयले का मूल्य 2009 से 2015 के दौरान काफी अधिक था; (ii) आईसीवीएल ने जुलाई 2014 में पहली बार कोयला परिसंपत्तियों अर्थात् रियो टिंटो कोल मोजंबिक अधिग्रहीत किया; और (iii) आईसीवीएल पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन था जिसमें सीआईएल और एनटीपीसी शामिल नहीं थी।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना आवश्यक है:-

- (i) जेवीसी ने 2010-14 के दौरान आस्ट्रेलिया और मोजंबिक में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु बोली प्रक्रिया में भाग लिया। बोलियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया क्योंकि परियोजना अवनत बाजार स्थिति के कारण विक्रेता द्वारा रोक दी गई थी; जेवीसी कोकिंग कोयले के भावों में तीव्र गिरावट को देखते हुए बोली प्रक्रिया से पीछे हट गई; और जेवीसी बोली प्रक्रिया में अत्यधिक कीमत ले रही थी,
- (ii) विलम्बित अधिग्रहण के कारण, संभावित लाभ प्राप्त नहीं किये गये थे, और

(iii) दो भागीदारों के अलग होने से जेवी में कंपनी का वित्तीय जोखिम बढ़ गया।

**(ख) एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल)**

शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के साथ भागीदारी में एक जेवीसी (मई 2010) की स्थापना के लिए कंपनी का नीयत लक्ष्य अपने संयंत्रों के लिए आयातित कोकिंग कोयले की शिपिंग के लिए जहाजों को अधिग्रहीत करना था जिसे स्थापना के 4 वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जहाज के अधिग्रहण पर निर्णय लंबित था क्योंकि एससीआई ऋण उठाने के लिए जेवीसी को कार्पोरेट गारंटी प्रदान करने की स्थिति में नहीं थी और भारत में 'केपसाईज' जहाजों से कार्गो की बर्थिंग /निस्सरण के लिए अवसंरचना पर एक अध्ययन अपेक्षित था। वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों, आधारभूत आवश्यकताओं और ऋण प्रबंधनों के संबंध में समुचित प्रबंधन भी एससीआई के साथ अग्रिम रूप से निश्चित नहीं किये गये थे। जेवीसी जहाजों के किरायेदार सेल ने कहा कि एससीआई द्वारा प्रस्तावित 'कॉस्ट प्लस' प्रबंधन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दरें प्रचलित बाजार भाव की अपेक्षा अधिक होंगी। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि बाजार परिस्थितियां वैसी थी जैसी जेवीसी की स्थापना के समय पर थीं और कंपनी को जेवी मोड में प्रवेश करने से पहले वित्तीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए था।

**(ग) सेल और एमओआईएल फैंरो एलॉयज (प्रा.) लिमिटेड (एसएमएफएएल)**

कंपनी ने अपने इस्पात संयंत्रों में अबद्ध उपयोग के लिए फैंरो मैगनीज (एफई -एमएन) और सिलिका मैगनीज (एसआई-एमएन) के उत्पादन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक सीपीएसयू अर्थात् मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल) के साथ एक जेवीसी की स्थापना (जुलाई 2008) की। पूंजी की लागत ₹ 365 करोड़ थी और परियोजना को 22 महीनों में पूरा किया जाना था। हालांकि, कंपनी अपनी आवश्यकताएं बदलती रही। प्रारंभिक संयंत्र विन्यास में एसआई-एमएन के लिए 2x27 एमवीए और एफई-एमएन के लिए 1x16.5 एमवीए की भट्टियां शामिल थीं। एल -1 निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, कम्पनी ने जेवीसी को केवल 2 x 45 एमवीए की एसआई-एमएन भट्टियां बनाने के लिए कहा (अगस्त 2012) जिसका अनुकरण नहीं किया गया। सेल और आरआईएनएल की एसआई-एमएन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 3x45 एमवीए भट्टियां बनाने के लिए एसएमएफएएल और आरआईएनएल-एमओआईएल (आरआईएनएल के साथ एमओआईएल की अन्य जेवीसी) के विलय के लिए इस्पात मंत्रालय का प्रस्ताव (अक्टूबर 2013) भी विद्युत की प्रचलित लागत के कारण व्यवहार्य

नहीं था और पीपीपी मोड में अबद्ध विद्युत संयंत्र हेतु एक प्रस्ताव जेवीसी के विचाराधीन था। इस प्रकार, 2008 में स्थापित एक जेवीसी सेल को एसआई-एमएन का सीमित आपूर्तिकर्ता बनने के नियत उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही। कंपनी का उत्तर कि वह केवल जेवीसी द्वारा प्रस्तावित फैंरो एलॉय का भाव बाजार भाव से कम होने की स्थिति में ही खरीद सकती थी और यह इसकी बढ़ाई गई आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसआई-एमएन के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही थी, यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में जेवीसी अपने संचालन प्रारंभ नहीं कर सकती है।

**(घ) एस एंड टी माइनिंग कंपनी**

कंपनी ने कोयला खनन में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 50:50 इक्विटी सहभागिता के साथ सितम्बर 2008 में टाटा स्टील के साथ एक संयुक्त उद्यम (एस एंड टी माइनिंग कंपनी) स्थापित किया। जेवीसी जिसे 20 लाख टन प्रति वर्ष साफ कोयला उत्पादित करने के लिए आधुनिक वॉशरी के साथ 50 लाख टन प्रति वर्ष खनन करना था; में प्रवेश करने से पहले परियोजनाओं की उपयुक्तता के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया। कच्चा माल उपलब्धता को सुरक्षित रखने का प्राथमिक उद्देश्य खत्म करते हुए ₹ 25.88 करोड़ के निवेश के छः वर्षों के बाद भी जेवीसी द्वारा कोई कोकिंग कोयला ब्लॉक स्थापित नहीं किया गया। प्रारंभ में जेवीसी अबद्ध उपयोग के लिए केन्द्रीय कोलफिल्ड लिमिटेड के मध्यम कोकिंग कोल ब्लॉक विकसित करना चाहती थी परंतु सफल नहीं हो सकी। बाद में इसने कोकिंग कोयले के 6.83 मिलियन टन रिजर्व वाली 40 वर्ष पुरानी भूटगोरीया कोयला खानों को पुनः चलाने के लिए भारत कोकिंग कोयले के साथ समझौता किया जो नवंबर 2010 तक भी आरंभ नहीं हुआ। जेवीसी को 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 13.41 करोड़ की राशि की हानि उठानी पड़ी और तब से कंपनी के निवेश का 52 प्रतिशत पूर्णतः समाप्त हो गया।

**(ङ) निजी उपक्रमों के साथ जेवीसी के रूप में स्थापित ईस्पात प्रकरण इकाईयां (एसपीयूज)**

कंपनी ने निजी उपक्रमों और प्रबंधन नियंत्रण के 74 प्रतिशत इक्विटी भाग के साथ जेवी मोड में 5 एसपीयूज स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक एसपीयू को अर्धनिर्मित इस्पात (बिलैट्स) को एक लाख टीएमटी बार/राउंड प्रतिवर्ष में परिवर्तित करना था। तालिका 2 में इन 5 सीपीयूज में सेल का वित्तीय खुलासा दर्शाया गया है:-

तालिका 2: 31 दिसम्बर 2014 तक 5 सीपीयूज को सेल का वित्तीय खुलासा

(इकाई: ₹ लाख में)

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	जेवी भागीदार	स्थापना की तिथि	इक्विटी सहसभागिता (प्रतिशत)	कुल निवेश	वर्तमान वित्तीय खुलासा (प्रतिशत) *
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर)	सेल	फरवरी 2012	26	79.30	96
	एसएएल		74	3.70	4
वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन)	सेल	अक्टूबर 2012	26	27.18	35
	वीएसएल		74	49.45	65
प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमि. (ग्वालियर)	सेल	दिसम्बर 2012	26	260.00	26
	पीजीआई		74	740.00	74
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड (बाराबंकी)	सेल	फरवरी 2012	26	1.30	26
	एसएएल		74	3.70	74
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड (होशंगाबाद)	सेल	मई 2012	26	56.00	100
	अभिनव		74	निरंक	0

\*इक्विटी के प्रति भूमि की लागत और अग्रिम के प्रति सहयोग सहित

हालांकि स्थापना से पहले चार जेवीसीज<sup>1</sup> के लिए कंपनी द्वारा जमीन का प्रबन्ध किया गया था, तीन जेवीसीज<sup>2</sup> ने संयंत्र अधिग्रहण गतिविधियां भी आरंभ नहीं की थी। अन्य स्थानों की अपेक्षा बाराबंकी के चयन का कारण रिकॉर्ड में नहीं पाया गया और स्थापना के बाद जेवीसी ने कोई प्रगति नहीं की।

(i) जेवीसी स्थापना में निम्नलिखित अयोग्यताएं देखी गईं:

- जेवीसी भागीदारों ने सहमत अनुपात में इक्विटी पूंजी में सहयोग नहीं किया। जैसाकि तालिका 2 में देखा जा सकता था, तीन जेवीसीज में कंपनी का वित्तीय खुलासा सहमत इक्विटी भागीदारी अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक था। कंपनी

<sup>1</sup> एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर), वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन), प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड (ग्वालियर) और अभिनव -सेल जेवीसी लिमि. (होशंगाबाद)

<sup>2</sup> एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर), वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन), और अभिनव -सेल जेवीसी लिमि. (होशंगाबाद)



को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि निजी उपक्रमों को सहमत अनुपात पर सदृश निधीयन/परिसंपत्तियां लानी चाहिए;

- शेयरधारकों के समझौते के अनुसार, जेवीसीज को समय माप विस्तृत परियोजना लागत अनुमान, वित्तीय अनुमान और शेयरधारकों से वित्त की योजना और पूंजीगत सहयोग का समय दर्शाते हुए स्थापना के 60 दिनों के अंदर एक व्यापार योजना तैयार और स्वीकार करनी थी। हालांकि, यह उनकी स्थापना के 2 वर्षों के बाद तक भी नहीं किया गया;
- कंपनी ने उज्जैन के लिए एक जेवी भागीदार के रूप में मै. वीएसएल का चयन किया जो अन्य संविदा के अंतर्गत टीएमटी में परिवर्तन के लिए 'सेमीज' को सौंपने में दुरविनियोजन शामिल था जिसमें ₹ 8.51 करोड़ वसूल किये जाने शेष थे। मामला अभी भी अभियोग के अंतर्गत है जो जेवी भागीदार के चयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाता है।

### 5.1.2.3 निगरानी तंत्र और कार्पोरेट शासन मामले

नीतिगत संबंधन और संयुक्त उद्यमों पर सेल बोर्ड उप-समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए गठित की गई थी। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य जेवीसीज के बोर्ड में थे। 2007 से 2014 के दौरान, सेल बोर्ड ने जेवीसीज का निष्पादन केवल दो बार अर्थात् अगस्त 2012 और जून 2014 में ही किया। उपयुक्त प्रबंधन संरचना के बावजूद जेवीसीज के मामलों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं रखी गई थी और भागीदारी का जेवी मोड सफल नहीं हुआ। 23 स्थापित जेवीसीज में से केवल सात ही क्रियाशील थीं, 12 वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं कर पाईं और चार को बंद कर दिया गया।

### निष्कर्ष

- बीओजेसीएल और बीजेसीएल को स्थानांतरित स्लैंग का वार्षिक मूल्य परिशोधन सूत्र सेल के लिए लाभप्रद नहीं था क्योंकि यह बाजार से प्रभावित नहीं था।
- ₹ 42.77 करोड़ के निवेश सहित 12 जेवीसीज ने वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ नहीं किया।
- सीआईएल और एनटीपीसी को हटाने के कारण हुए पुनर्गठन के बाद आईसीवीएल में सेल के वित्तीय जोखिम में वृद्धि होगी।

- एसएंडटी माइनिंग कंपनी में सेल के निवेश के 52 प्रतिशत से अधिक को समाप्त कर दिया।
- उपयुक्त प्रबन्धन संरचना के बावजूद, जेवीसीज के मामलों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं रखी गई थी।

जनवरी 2015 में मामला मंत्रालय को सूचित किया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

## 5.2 कोक ओवन बैटरीज का निष्पादन

### 5.2.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) के अपने पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों<sup>1</sup> में मार्च 2014 तक 33 कोक ओवन बैटरीज (सीओबीज या बैट्री) थी। सीओबीज का मुख्य कार्य कोक को कोयले में परिवर्तित करना है जिसे प्राथमिक ईंधन और गर्म धातु के उत्पादन के लिए ब्लास्ट भट्ठी (बीएफ) में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। सीओबी में कोयले के कार्बनीकरण प्रक्रिया के कुछ उत्पाद (क) 'कोक ओवन गैस' (सीओ गैस) जिसका एक उच्च क्लोरोफिक मूल्य होता है और गर्म करने के उद्देश्यों के लिए बीएफएस और रॉलिंग मिल्स<sup>2</sup> जैसी उत्पादन दुकानों में एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, (ख) कोयला रसायन जैसे अमोनियम सल्फेट, क्रुड टार और क्रुड बेंजोल जो कुछ प्रक्रिया के बाद बाजार में विक्रय योग्य हैं। इसलिए, सीओबीज का कुशल निष्पादन अन्नप्रवाह संयंत्रों में इस्पात बनाने में महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक बैटरी औसत 60-90 ओवनस<sup>3</sup> के साथ फिट की गई है। किसी बैटरी का उत्पादन निष्पादन संस्थापित ओवनों की तुलना में संचालन के लिए उपलब्ध ओवनों की संख्या के साथ-साथ मानक नियमों के प्रति वास्तविक कोकिंग अवधि<sup>4</sup> और वास्तविक ओवन

<sup>1</sup> भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) बोकारो स्टील प्लांट (वीएसएल) राऊरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी), इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

<sup>2</sup> रॉलिंग मिल वे इकाईयां हैं जहाँ तैयार इस्पात उत्पादित किया जाता है।

<sup>3</sup> विभिन्न संयंत्रों में सीओबीज में संस्थापित ओवनों की संख्या अलग-अलग है जैसे बीएसपी में 10 सीओबीज में से 8 सीओबीज में 65 ओवन और 9वीं और 10वीं सीओबी में 67 ओवन, बीएसएल की 8 सीओबीज में 69 ओवन, डीएसपी की 5 सीओबीज में 78 ओवन, आरएसपी में 6 सीओबीज में से बैटरी 1 से 3 में 70 ओवन जबकि 5 बैटरी में 80 ओवन और बैटरी 6 में 67 ओवन और आईएसपी में 3 बैटरियों में 78 ओवन और 1 बैटरी में 74 ओवन।

<sup>4</sup> सीओबी द्वारा कोयले का कोक में बदलने की अवधि कोकिंग समय कहलाता है।

पुशिंग्स<sup>5</sup> की अवधि पर निर्भर करता है। कुछ ओवन खराब हालत में थे और अन्य किसी मरम्मत में होने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए संस्थापित ओवनों की सं. की अपेक्षा उपलब्ध ओवन की संख्या कम थी। सीओबीज की खराब स्थिति के कारण कम ओवन पुशिंग ने बीएफ कोक के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला जिसने गर्म धातु उत्पादकता का प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि को कवर करते हुए पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में पुननिर्मित बैटरियों (2007 से 2012) के निष्पादन सहित सीओबीज के निष्पान का कंपनी द्वारा लागू उपयुक्तता मरम्मत की प्रभावशीलता और रख-रखाव उपायों का आकलन किया और 31 मार्च 2014 तक की स्थिति को अद्यतित किया। क्रमशः फरवरी 2013 और मार्च 2014 में प्राप्त कंपनी/मंत्रालय के उत्तरों को उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

## 5.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 5.2.2.1 सीओबीज का उत्पादन निष्पादन

कंपनी के कोक निर्माण पर विशेषज्ञ समिति (ईसीसीएम) ने प्रतिदिन ओवन पुशिंग की संख्या, कोक ओवन गैस उत्पादन और अन्य उप-उत्पादों, ऊर्जा खपत आदि के लिए वार्षिक रूप से नियम निर्धारित किये। इस आकलन के आधार पर, बीएफ कोक के उत्पादन हेतु वार्षिक योजना तैयार की जाती है। कंपनी 8.708 मिलियन टन (एमटी) के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई और 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीएफ कोक की 3.320 एमटी की कमी हो गई।

कोक के कम उत्पादन के कारणों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया और यह देखा गया कि उत्पादन कम ओवन पुशिंग के कारण घटा था। पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में प्रतिदिन वास्तविक ओवन पुशिंगों के एपीपी में निर्धारित नियम इस प्रकार थे:

---

<sup>5</sup> कोक ओवनों से कोक हटाने की प्रक्रिया ओवन-पुशिंग कहलाती है।

## तालिका 1

## आयोजित बनाम वास्तविक ओवन पुशिंग

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजित	2023	2081	2082	1858	1870
वास्तविक	1963	2032	1869	1759	1855

यह देखा गया कि संबंधित संयंत्र प्रबंधनों द्वारा निर्णित ओवन पुशिंगों हेतु लक्ष्यों को सीओबीज की संचालन स्थिति में गिरावट आने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण 2.125 एमटी बीएफ कोक के उत्पादन की हानि हुई। सीओबीज की स्थिति में गिरावट नियमित और समयबद्ध मरम्मत और रख-रखाव में विलम्ब के कारण आई थी (पैरा 2.2)।

पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में संस्थापित 33 सीओबीज<sup>1</sup> में से 26 सीओबीज दो नई<sup>2</sup> सीओबीज सहित 31 मार्च 2014 तक कार्यशील थीं, दो सीओबीज पुनर्निर्माण (बीएसएल#7, और आरएसपी#3) के अंतर्गत थीं, तीन सीओबीज कोल्ड<sup>3</sup> मरम्मत (बीएसपी #9, बीएसएल #3, और आईएसपी #8) के अंतर्गत थी, एक सीओबी हॉट<sup>4</sup> मरम्मत (डीएसपी#1) के अंतर्गत थी और एक सीओबी बंद (आईएसपी #9) थी। तालिका 2 दर्शाती है कि संचालित 26 सीओबीज में से 7 1/2 (29 प्रतिशत), 8 1/2 (33 प्रतिशत) और 9 1/2 (37 प्रतिशत) सीओबीज क्रमशः 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में अपनी प्रभावी क्षमता<sup>5</sup> के अनुसार निष्पादन नहीं कर रही थी।

<sup>1</sup> 2013 में आरएसपी और आईएसपी में संस्थापित

<sup>2</sup> जब ओवन काम्पलैक्स के लगभग सभी क्षेत्रों में नुकसान की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि और मरम्मत की कोई सीमा सीओबी को चालू नहीं रख सकती, तब पुनः निर्माण योजनाओं को चालू किया जाता है।

<sup>3</sup> कोल्ड मरम्मत ओवनों को ठंडा करके की जाती है और तब की जाती है जब हॉट मरम्मत करना संभव नहीं होती और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता बैटरी पुनर्निर्माण की अपेक्षा कोल्ड मरम्मत के पक्ष में होती है।

<sup>4</sup> हॉट मरम्मत बैटरी के शेष भाग में कोक उत्पादन का रख-रखाव करते हुए कार्ययोग्य सीमाओं के अंदर रहकर बैटरी आयामोंको सम्मिलित करने के लिए हॉट अवस्था के अंदर की जाती है।

<sup>5</sup> किसी सीओबी की प्रभावी क्षमता मानक नियमों, जो कि बैटरियों की वास्तविक स्थितिको ध्यान में रखकर संयंत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, के प्रति संचालन हेतु उपलब्ध कोक ओवनों की तुलना में स्थापित ओवनों के साथ-साथ वास्तविक कोकिंग समय और वास्तविक ओवन पुशिंगों द्वारा मापी जाती है।

तालिका 2

2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी में सीओबीज का प्रभावहीन निष्पादन

संयंत्र	2011-12								2012-13								2013-14										
	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी											
(क) उपलब्ध ओवनों की तुलना में संस्थापित ओवनों की स्थिति																											
बैटरी कम सं.	1	7	10	3	7	1	4	9A	7	10	3	5	6	8	1	4	9A	7	10	3	5	6	8	1	4	6	9A
संस्थापित ओवन	65	65	67	69	69	78	78	39	65	67	69	69	69	69	78	78	39	65	67	69	69	69	69	78	78	78	39
औसत उपलब्ध ओवन	58	29	38	54	50	58	40	37	44	45	35	57	65	59	57	61	37	55	63	22	38	42	60	48	59	57	37
(ख) औसत <sup>6</sup> वास्तविक कोकिंग समय की तुलना में निर्धारित प्रतिमान																											
कोकिंग समय के लिए नियम	18	18	18	25	22	20	20	23	18	18	25	19	19	20	20	20	23	18	18	25	20	22	21	20	20	20	22
औसत वास्तविक कोकिंग समय	22	24	18	23	23	21	20	23	22	19	25	22	21	20	20	20	21	28	21	25	22	20	19	22	22	21	23
(ग) औसत <sup>6</sup> वास्तविक ओवन पुशिंग की तुलना में निर्धारित प्रतिमान																											
प्रतिदिन पुशिंग हेतु नियम	87	87	89	46	74	85	61	40	87	89	36	85	84	83	72	61	35	87	89	25	37	61	71	30	63	60	21
औसत वास्तविक ओवन पुशिंग	65	30	51	52	45	67	48	38	48	57	34	58	71	66	67	72	42	47	72	21	41	45	72	52	66	65	39

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी स्थापित ओवनों की संख्या की तुलना में संचालन हेतु उपलब्ध ओवन काफी कम हैं। कोकिंग समय अधिक और/या ओवन पुशिंग प्रत्याशित प्रतिमान से कम होने के कारण बैटरियों का कम उत्पादन निष्पादन किया गया।

5.2.2.2 सीओबीज की मरम्मत और रख-रखाव में विलम्ब

सीओबीज को उनके संचालनों के 20-25 वर्षों के बाद पुनः निर्मित किया जाता है। नई या पुनः निर्मित सीओबीज का औसत सामान्य जीवन लगभग 20-25 वर्ष है जिसे बैटरी अवस्था के अनुसार एक प्रभावी रख-रखाव पद्धति, हॉट मरम्मतों या कोल्ड मरम्मतों द्वारा 30-35 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 14 सीओबीज अपनी स्थापना या पिछले पुनः निर्माण से 20-42 वर्ष पुरानी थीं।

<sup>6</sup> औसत के छः महीनों या अधिक के लिए संचालित बैटरियां गणना के लिए तालिका 1 में शामिल की गई हैं।

खराब निष्पादन दे रही सीओबीज की पूंजीगत मरम्मत करने में विलम्ब हो रहा था। कंपनी ने योजना के अनुसार सीओबीज का रख-रखाव नहीं किया क्योंकि उपलब्ध सीओबीज की संख्या कोक के योजनाबद्ध उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप, उनका निष्पादन खराब हो रहा था व अन्य कार्यशील सीओबीज की स्थिति को भी प्रभावित कर रहा था। पुनर्निर्माण/मरम्मत योजनाओं की संयंत्र वार स्थिति और उनके कार्यान्वयन में विलम्ब इस प्रकार नीचे दर्शाया गया है:

(क) बीएसपी, भिलाई

सीओबी # 5	1965 में स्थापित, 1998 में इसने उत्पादन बंद कर दिया, बोर्ड ने 2004 में पुनः निर्माण के लिए अनुमोदन किया। हालांकि निर्धारित समाप्ति जनवरी 2007 में थी, बैटरी को 32 महीनों के विलम्ब के बाद अगस्त 2009 में आरंभ किया गया। आधारभूत और विस्तृत अभियांत्रिकी, उपस्करों की आपूर्ति और संकाय भागीदारों के बीच सहयोग की कमी के कारण विलम्ब हुआ।
सीओबी # 6	1966 में स्थापित, अक्टूबर 1994 में इसने उत्पादन बंद कर दिया। बोर्ड ने 14 वर्षों के बाद पुनःनिर्माण (जुलाई 2008) के लिए अनुमोदन किया। यद्यपि निर्धारित समाप्ति मार्च 2010 में थी, बैटरी को 15 महीनों के विलम्ब के बाद जून 2011 में पूरा किया गया। फायर क्ले, सिलिका ईटों और उपस्कर की विलम्ब आपूर्ति और नामंजूरी के कारण विलम्ब हुआ।
सीओबी # 9	इसे 1998 में आरंभ किया गया और बैटरी की हॉट काम्पलैक्स मरम्मत 1999-2002 के दौरान की गई। हॉट काम्पलैक्स मरम्मत के बाद बैटरी का संभावित जीवन लगभग 6-7 वर्ष है। विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता प्रतिवेदन (सीपीएफआर) के अनुसार सीओबी-9 का 2008-09 से 2010-2011 की अवधि में पुनः निर्माण किया जाना था लेकिन पुनर्निर्माण को कोक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थगित किया गया। परिणामतः, आगे भी इस बैटरी की हालत में गिरावट आई और इसे अप्रैल 2011 में बंद कर दिया गया। कंपनी ने 15 महीनों की चूक के बाद जुलाई 2012 में कोल्ड मरम्मतों के लिए अनुमोदन दिया।

सीओबी-5 और 6 के पुनर्निर्माण में असामान्य विलम्ब का अन्य संचालित बैटरियों की हालत और निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण कोक की उपलब्धता कम हुई। अक्टूबर 2004 में योजनाबद्ध सीओबी-1 का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। सीओबी-4 (2006-07 के लिए योजनाबद्ध) की कोल्ड मरम्मत स्थगित कर दी गई। अपेक्षित मरम्मतों के बिना सीओबी-7, सीओबी-8, सीओबी-9 और सीओबी-10 के दीर्घकालीन उपयोग के कारण उनकी हालत काफी हद तक खराब हो गई और परिणामस्वरूप खराब बैटरियों का समूह बन गया।

(ख) बीएसएल, बोकारो

सीओबी # 5	बोर्ड ने पहले पुनर्निर्माण हेतु 1997 में सिद्धांततः अनुमोदन दिया। यद्यपि, अवनत बाजार परिस्थितियों के कारण, निविदा 2002 तक 5 वर्षों के लिए विलम्बित हो गई। इसके बाद निविदाएं उच्चतर मूल्यों के कारण रद्द कर दी गई थीं। आगे भी 2 वर्षों के विलम्ब के बाद, नया सिद्धांततः अनुमोदन मई 2004 में दिया गया। बैटरी सितम्बर 2007 से पहले, अर्थात् पुनः निर्माण के लिए पहचाने जाने के 10 वर्षों के बाद भी आरंभ नहीं की जा सकी।
सीओबीज # 1 और # 2	ठेकेदार को साईट को देरी से सौंपने, ड्राईंग्स के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन ओवन मशीनों और रिफैक्टरी ईटों की आपूर्ति और रिफैक्टरी निर्माण कार्य के आरंभ में विलंब जैसे कारणों के कारण सीओबी-1 और सीओबी-2 के पुनर्निर्माण में 16 और 24 महीनों का विलम्ब देखा गया।
सीओबी # 3	यह 13 वर्ष पुरानी थी जब से इसे पिछली बार पुनः निर्मित किया गया था और ओवन पुशिंगों की संख्या अपनी संचालनात्मक हालत में गिरावट के कारण कम हो रही थी। इसकी दिसम्बर 2013 से पहले कोल्ड मरम्मत नहीं की गई थी।
सीओबी # 6 और # 8	सीओबी-6 और सीओबी-8 अपने प्रारंभ होने से क्रमशः 32 और 21 वर्ष पुरानी थी और पुनर्निर्माण/मरम्मत के अभाव में दोनों बैटरियों की हालत खराब हो गई थी।

(ग) डीएसपी, दुर्गापुर

सीओबी # 1 और # 4	संचालनात्मक बैटरियों की संख्या कम होने की दलील पर उनके पिछले पुनः निर्माण से 20 वर्षों से अधिक की चूक हुई। सीओबी 1 (2003) और सीओबी 4 (2001) की कोल्ड मरम्मत उनके निष्पादन में सुधार नहीं कर पाई। परियोजना व्यवहार्यता प्रतिवेदन (2007) के अनुसार, सीओबी 1 और 4 क्रमशः 2011-13 और 2008-11 के दौरान पुनः निर्मित किये जाने थे। पुनर्निर्माण के स्थान पर, केवल सीओबी-1 को हॉट मरम्मतों (दिसम्बर 2013) के लिए रखा गया था।
सीओबीज # 2, # 5 और # 4	तीन सीओबीज (2, 5 और 4) जो 2011 तक पूरी की जानी थी, के लिए डीएसपी ने पुनर्निर्माण योजना तैयार की। परंतु आरंभिक रूप से केवल एक बैटरी (सीओबी-2) का पुनर्निर्माण नवम्बर 2013 में पूरा किया गया जबकि सीओबी-5 (ब्लॉक 5ए और 5बी) का पुनर्निर्माण नवम्बर 2012 (30 महीनों के कार्यान्वयन अधिसूची के साथ) से पहले अनुमोदित नहीं किया गया था और सीओबी-4 का पुनर्निर्माण अभी भी आरंभ (फरवरी 2015) किया जाना है।

**(घ) आईएसपी, बर्नपुर**

सीओबी # 9क	जब से इसका पुनर्निर्माण हुआ है तब से इसे 22 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इसे आगे मरम्मतों या पुनर्निर्माण, हेतु नहीं रखा जा सका क्योंकि अन्य बैटरी (सीओबी-8) की कोल्ड मरम्मतों का समापन लम्बित था। इसके परिणामस्वरूप इसकी संचालन हालत में और गिरावट हुई जब तक कि यह मार्च 2014 में पूर्णतः बंद नहीं कर दि गयी।
सीओबी # 8	कार्य योजना 2011 के अनुसार, सीओबीज की हालत और सीओबी 8 की ओवन पुशिंग में सुधार करने के लिए अप्रैल 2012 से 18 महीनों में हॉट मरम्मतें पूरी की जाने की योजना थी। यद्यपि, उक्त मरम्मत अभी की जा रही थी (फरवरी 2015)।
सीओबी # 10	बोर्ड ने सीओबी-10 जिसे निर्धारित समापन से 11 महीनों के विलम्ब सहित 2010 में पूरा किया गया, के पुनर्निर्माण का अनुमोदन (2006) में किया था। विलम्ब का कारण ठेकेदार (एचएससीएल) के खराब निष्पादन जिसके कारण ठेका निरस्त हुआ; के अतिरिक्त सिविल कार्यों के अनुमानों, जो वास्तविक अनुमान से अधिक थे, में सलाहकार (एमईसीओएन) की विफलता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएफ कोक की पर्याप्त और बिना रूके आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लघु अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी ने विशेष रूप से मरम्मत/पुनःनिर्माण हेतु अपेक्षित काम बंदियां में विलम्ब किया। समयबद्ध मरम्मत/पुनःनिर्माण के बिना सीओबीज के दीर्घकालीन और अति उपयोग के कारण अन्य संचालित सीओबीज के साथ-साथ इनकी हालत में भी गिरावट आई।

### 5.2.2.3 सीओबीज की खराब हालत का बीएफ कोक और गौण-उत्पादों के उत्पादन पर प्रभाव

सीओबीज से बीएफ कोक का उत्पादन खराब ओवन-पुशिंग (पैरा 2.1) के कारण कम था जिसके परिणामस्वरूप अनुप्रवाह संयंत्रों में इनपुटों की कम उपलब्धता हुई। अंतः तीन इस्पात संयंत्रों बीएसपी, बीएसएल और डीएसपी ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान बाजार (अंतर संयंत्र स्थानांतरण के अलावा) से 2.487 एमटी बीएफ कोक की खरीद की।

कोक ओवन गैस (सीओ गैस) का बनाना जो कि सीओबीज में कोयले के कार्बनीकरण के दौरान उत्पन्न हुआ एक गौण उत्पाद है, जो 2009-14 के दौरान निर्धारित वार्षिक नियमों से कम था। सीओ गैस की कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी की रॉलिंग मिलों में उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और परिणामतः विक्रय योग्य इस्पात का 2.430 एमटी की उत्पादन हानि उठानी पड़ी।



इसके अतिरिक्त, सीओ गैस के कम उत्पादन के कारण 2009-13 के दौरान प्लेट मिल में सीओ गैस के विकल्प के रूप में 39,134 किलोलीटर भट्ठी तेल की खरीद पर बीएसपी ने ₹ 202.85 करोड़ का व्यय किया।

सीओ गैस के कम उत्पादन का अर्थ है कोयला रसायन जैसे अमोनियम सल्फेट, क्रूड टार और क्रूड बेंजोल, जो सीओबीज में कोयले के कार्बनीकरण के दौरान गौण-उत्पाद के रूप में उत्पादित होते हैं, का भी कम उत्पादन होना। ये गौण-उत्पाद कुछ प्रकमणों के बाद बाजार में विक्रय योग्य थे और कुछ मात्रा को अतिरिक्त रूप से उपयोग किया गया था। गौण-उत्पादों का उत्पादन निर्धारित वार्षिक नियमों की तुलना में सभी संयंत्रों में कम था। परिणामतः कंपनी 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 517.79 करोड़ के संभावित बाजार मूल्य वाले 64309 टन क्रूड टार, 77282 टन क्रूड बेंजोल/बेंजोल उत्पाद और 121897 टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन नहीं कर पाई।

#### 5.2.2.4 बीएसएल और आईएसपी में हाल ही में निर्मित बैटरियों का निष्पादन

बीएसएल में पुनः निर्मित सीओबीज 5, 1 और 2 और आईएसपी में सीओबी 10 का निष्पादन उनके निश्चित निष्पादन मानदंडों से नीचे था जिसके कारण बीएफ कोक की उपलब्धता में कमी हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) बीएसएल की सीओबीज-5, 1 और 2 को क्रमशः सितम्बर 2007, जून 2011 और फरवरी 2012 में पुनः निर्मित किया गया और कोकिंग समय और पुशिंग 16.9 घंटे और 98 ओवन प्रतिदिन क्रमशः के लिए मानदंड निश्चित किये गये। सीओबी-5 में 2007 में इसके पुनर्निर्माण के तुरंत बाद कमियों को देख लिया गया था। बैटरी 2007-08 से 2011-12 के दौरान 21.40 – 22.21 घंटों के बीच कोकिंग समय और 74 से 78 पुशिंग समय तक पहुंच गई थी। बाद में 2012-13 के दौरान इसका निष्पादन 58 ओवन पुशिंग तक घट गया। सितम्बर 2013 में हॉट काम्प्लैक्स मरम्मत के बाद भी, मार्च 2014 तक इसकी पुशिंग 70 ओवन प्रतिदिन और कोकिंग समय 21.16 से 23.46 घंटों तक हो गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, सीओबी-1 और 2, की प्रतिदिन की औसत 65-90 ओवन पुशिंग तक पहुँच गई और औसत कोकिंग समय 18 से 19 घंटे या अधिक तक हो गया।
- (ii) आईएसपी की सीओबी-10 को अगस्त 2010 में पुनः निर्मित किया गया और 104 पुशिंग प्रतिदिन और कोकिंग समय 18 घंटे परिकल्पित निष्पादन मानदंड थे। 2011-12 और 2013-14 के दौरान वास्तविक ओवन पुशिंग प्रतिदिन 83 से 91 की

रेंज के बीच थी और इसी अवधि के दौरान कोकिंग समय 20.4 घंटों से 22.5 घंटों के बीच था। ईसीसीएम ने विचार दिया (जनवरी 2012) कि एक नई आरंभ की गई बैटरी में ऐसे उच्च कोकिंग समय से न केवल कोक गुणवत्ता घटी बल्कि सीओबी की हालत को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

#### 5.2.2.5 सीओबीज निष्पादन की चौकसी और निगरानी अपर्याप्त थी

यद्यपि कंपनी ने बैटरियों, कोक की भावी आवश्यकताओं, सीओबीज की हालत सुधारने के लिए कार्य योजना और ओवन पुशिंगों की स्थिति पर 29 नवम्बर 2011 को हुई 377वीं बोर्ड की बैठक में चर्चा की, वर्तमान संयंत्र स्तर चौकसी प्रबंधनों जैसे ईसीसीएम प्रभावहीन रही। मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित समयबद्ध कामबंदी को विनिर्दिष्ट करते हुए सीओबीज की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी।

कंपनी ने अपने उत्तरों (फरवरी 2013) में स्वीकार किया कि बीएफ कोक और अन्य गौण-उत्पादों का उत्पादन कम होने के मुख्य कारण ओवन बैटरियों की खराब हालत के कारण कम ओवन पुशिंग थीं, और कुछ संयंत्रों में सीओबीज की कम कुल उपलब्धता मरम्मत के बिना उनकी दीर्घकालीन संचालन के कारण उनकी मरम्मत की बंचिंग के कारण थी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा कि अपेक्षित मरम्मतों या पुनर्निर्माण के लिए सीओबीज के बंद होने से कोक की खरीद पर अधिक निर्भरता को बढ़ाते हुए कोक उत्पादन कम हो जाएगा। सीओबीज की हॉट/कोल्ड मरम्मतों और पुनर्निर्माण की योजना बीएफ कोक की लगातार और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कंपनी के विचारों को दोहराया है।

उत्तर केवल लेखापरीक्षा अवलोकन को और सुदृढ़ करता है कि कंपनी ने मरम्मत /पुनर्निर्माण हेतु सीओबीज को समयबद्ध रूप से बंद नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण सीओबीज के संचालनात्मक निष्पादन में लगातार कमी आने के साथ-साथ अन्य सीओबीज की संचालन हालत भी प्रभावित हुई।

#### निष्कर्ष

लेखापरीक्षा विचारानुसार, ईसीसीएम द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और योजनाबद्ध उत्पादन को सामान्य रूप से प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि इन सीओबीज के निष्पादन प्रतिमान निर्धारित क्षमता से काफी कम थे और सीओबीज की उपलब्धता और इनकी वर्तमान संचालनात्मक हालत का आकलन करने के बाद निर्धारित किये गये थे। यद्यपि, कंपनी इन नियमों का पालन नहीं कर पाई जिसके कारण योजना के प्रति 2009-14 के दौरान

सीओबीज से 3.320 एमटी बीएफ कोक कम निकाला गया। इस कारण इसी अवधि के दौरान बीएसएल, बीएसपी और डीएसपी नामक तीन संयंत्रों में 2.487 एमटी बीएफ कोक (अंतर संयंत्र स्थानांतरण छोड़कर) की बाजार खरीद करनी पड़ी। सीओबीज की खराब हालत के कारण कम ओवन पुशिंगों के परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान 2.125 एमटी बीएफ कोक का कम उत्पादन हुआ। बैटरियों की कम उपलब्धता अपेक्षित मरम्मतों के बिना दीर्घकालीन संचालनों के कारण बंचिंग की कारण भी थी। सीओबीज की मरम्मत/पुनर्निर्माण में विलम्ब ने अन्य बैटरियों की हालत पर गहरे प्रभाव डाले और बीएफ कोक की तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित मरम्मत को टालने और दीर्घकालीन उपयोग के कारण इनकी स्थिति और खराब हो गई। सीओबीज की अच्छी संचालनात्मक हालत सुनिश्चित करने हेतु सभी इस्पात संयंत्रों में प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ सीओबीज की मरम्मत और पुनर्निर्माण की एक दीर्घ-अवधि योजना की आवश्यकता है।

### 5.3 अंतरीय उत्पाद शुल्क पर ब्याज की वसूली न करना

एमओयू में उचित खंड के अभाव में भारतीय रेल को आपूर्ति की गई लंबी रेलों पर उत्पाद शुल्क की विलंबित अदायगी पर ₹ 61.94 करोड़ के ब्याज प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने में कंपनी विफल रही।

अपने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से लंबी रेलों/पैनलों की आपूर्ति हेतु भारतीय रेल (भा रे) के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) ने एक समझौता ज्ञापन किया (2003)। एमओयू के अनुसार, अध्यक्ष, रेल बोर्ड; भा रे और कंपनी की संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिश पर अंतिम मूल्य का निर्णय करेंगे।

जनवरी 2005 से मार्च 2012 अवधि हेतु अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कंपनी ने 51.79 लाख टन रेलों की आपूर्ति हेतु ₹ 61.94 करोड़ ब्याज राशि सहित भारत सरकार को ₹ 353.99 करोड़ का अंतरीय उत्पाद शुल्क अदा किया है। कंपनी ने भा रे से अंतरीय उत्पाद शुल्क की वसूली की परंतु ब्याज प्रभारों की वसूली में निष्फल रही क्योंकि भा रे के साथ एमओयू में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रेलों के निर्धारित मूल्य माल को भिजवाने के बाद 6 महीनों से 69 महीनों में भारतीय रेल द्वारा अनुमोदित किये गये। आपूर्ति के लिए निर्धारित किये गये अंतिम मूल्य प्रावधानित मूल्यों से या तो अधिक थे या कम थे। परिणामस्वरूप, कंपनी ने अंतरीय उत्पाद शुल्क और उस पर ब्याज अदा किया जबकि अंतिम रूप से अनुमोदित मूल्य

प्रावधानित मूल्यों से अधिक थे। 1 अप्रैल 2012 के बाद आपूर्त किये गये रेलों हेतु अंतिम मूल्य रेलवे बोर्ड (फरवरी 2015) द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे।

कंपनी ने भा रे के साथ जनवरी 2005 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु ब्याज प्रभारों की वसूली या ₹ 30.77 करोड़ के ब्याज प्रभारों के अपने दावे को सुरक्षित करने के लिए एमओयू में कोई उचित शर्त जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किये। बाद में कंपनी को अपनी गलती का अहसास हुआ और जुलाई 2010 से मार्च 2012 की अवधि हेतु ₹ 31.17 करोड़ के ब्याज की क्षतिपूर्ति करने के लिए भा रे को एक पत्र (मई 2014) लिखा जिसे बाद में यह कहते हुए नकार (जुलाई 2014) दिया कि वे ऐसे किसी ब्याज को अदा करने के जिम्मेदार नहीं हैं। निचली अदालत में केस हारने के बाद कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय (अक्टूबर 2010) में एसएलपी दाखिल की, उससे भी कंपनी को कोई राहत नहीं मिली।

रेल मूल्यों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के लिए भा रे को उत्तरदायी ठहराते हुए, कंपनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि उन्होंने भा रे से अंतरीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त ब्याज की मांग की थी, मंत्रालय ने कंपनी के विचारों को दोहराया (फरवरी 2015)।

तथ्य यही है कि कंपनी भा रे द्वारा रेलों के मूल्य को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण उत्पन्न हुये उत्पाद शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भा रे के साथ एमओयू में उचित खंड को न जोड़ने से अपने वित्तीय ब्याज को सुरक्षित रखने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹61.94 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पडा ।

#### 5.4 विद्युत प्रभारों की कम वसूली

कंपनी ने बोर्ड अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए खान टाऊनशिप में कर्मचारियों को आपूर्त की गई विद्युत हेतु राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज) से न्यूनतम घरेलू टैरिफ पर विद्युत प्रभार वसूल नहीं किये जिसके कारण कर्मचारियों को ₹30.32 करोड़ के लाभ प्राप्त हुए। कंपनी ने औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति लाईनें भी अलग-अलग नहीं की।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संबंधित एसईबीज से विद्युत खरीदती है और वित्तीय सहायता प्राप्त दर पर खानों में कंपनी की टाऊनशिप में रहने वाले कर्मचारियों को आपूर्त करती है। एसईबीज से खरीदी गई विद्युत लागत (अर्थात कंपनी की लागत) कर्मचारियों से वसूली गई राशि से काफी अधिक थी। विद्युत सब्सिडी को तर्क संगत करने

के उद्देश्य से, सेल ने निर्णय लिया (23 मार्च 2002) कि टाऊनशिप में कर्मचारियों को आपूर्त विद्युत के लिए प्रभार योग्य दर 1 अप्रैल 2002 से लागू एसईबीज के घरेलू टैरिफ की न्यूनतम दर के समान होगी। लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2013-14 के लिए टाऊनशिप (नंदिनी और हिरी खानों को छोड़कर) वाली सभी खदानों\* के अभिलेखों की समीक्षा की और पाया कि:

- (i) बरसुआ और काल्टा खदानों के खदान प्रबंधनों ने बोर्ड का निर्णय लागू किया। समय-समय पर कर्मचारियों से वसूली योग्य विद्युत प्रभार जो एसईबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम घरेलू टैरिफ के बराबर या ज्यादा थे; को उन्होंने संशोधित किया। प्रभावी मार्च 2003 और अगस्त 2003, केआईओएम-एमआईओएम और बीओएम क्रमशः ने एसईबी के न्यूनतम घरेलू टैरिफ के अनुसार कार्यकारियों के विद्युत प्रभार संशोधित किये। संबंधित एसईबी द्वारा अपनी न्यूनतम घरेलू दरें बढ़ाने के बावजूद भी इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई। यद्यपि, आठ खदानों ने बोर्ड का निर्णय लागू नहीं किया और कर्मचारियों से वसूले गये विद्युत प्रभार एसईबीज द्वारा निर्धारित न्यूनतम घरेलू टैरिफ से कम था। कर्मचारियों से मासिक रूप से निर्धारित की गई राशि प्रभारित की गई जो एसईबीज और/या विद्युत की वास्तविक खपत सहित पूर्वनिर्धारित इकाईयों से किसी संयोजन के बिना न्यूनतम घरेलू टैरिफ से कम थी। परिणामस्वरूप खदान कर्मचारियों को 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 30.32 करोड़ राशि का लाभ प्राप्त हुआ।
- (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विद्युत उच्च हाईटेंशन वोल्टेज सेवाएं (एचटी कनेक्शन) उपलब्ध करवा गई और घरेलू खपत की प्रभारित की गई दर से अधिक दर पर प्रभारित की गई। राजहरा खदानों ने टाऊनशिप को विद्युत आपूर्ति के लिए घरेलू कनेक्शन से औद्योगिक कनेक्शन को अलग कर दिया। यद्यपि, अन्य खदानों में इन्हें अलग नहीं किया गया और वे औद्योगिक दर पर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत प्रभारों की अदायगी करते रहे। इस संबंध में, अतिरिक्त व्यय की गई राशि घरेलू दर पर प्रभार योग्य दर के अभाव में परिणाम योग्य नहीं थीं।

2007 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 11 में यह रिपोर्ट दी गई कि सेल का उपर्युक्त निर्णय (2002) बोलनी माईन में कार्यान्वित नहीं किया गया। यद्यपि विद्युत प्रभार कार्यकारियों

---

\* किरिबुरु आयरन ओर माईज (केआईओएम); मेघाहटुबुरु आयरन ओर माईज (एमआईओएम); बोलनी ओर माईज बीओएम); बरसुआ आयरन ओर माईज(बीआईएम) ; काल्टा आयरन ओर माईज (केआईएम); गुआ ओर माईज (जीओएम); कुटेश्वर लार्डमस्टोन माईज (केटीआर); तुलसीदमार डोलामाईट माईज (टीडीआर); चसनला कोयला खान; और राजहरा माईज

के लिए 1 अगस्त 2003 से प्रभावी बोर्ड निर्णय के अनुसार संशोधित किये गये थे, इन्हें समय-समय पर संशोधित नहीं किया गया जब एसईबी ने इन दरों को बढ़ाया था। अगस्त 2008 में विगत संशोधन की पूर्व-निर्धारित दरों पर विद्युत प्रभार गैर-कार्यकारियों से वसूले जाते रहे।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2015) कि: (i) कार्यकारी कर्मचारियों के लिए विद्युत की वसूली दरों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दिया गया ताकि सेल बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके, (ii) गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए विद्युत प्रभारों के संशोधन की प्रक्रिया को छः महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, और (iii) कार्यात्मक मुश्किलों, औद्योगिक लाइनों से घरेलू खपत को अलग करना केआईओएम, एमआईओएम और जीओएम के मामले में व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर इन तथ्यों के प्रति देखा जा सकता है कि (i) लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2014 में मंत्रालय द्वारा यह मामला इंगित करने के बाद, 5 अक्टूबर 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित केवल बीओएम, केआईओएम, एमआईओएम, केटीआर और बीएनपी-टीडीआर खदानों के मामले में कार्यकारियों हेतु सेल प्रबंधन ने वसूली निदेश जारी किये, जबकि बोर्ड का निर्णय अप्रैल 2002 से प्रभावी था और कार्यकारी और गैर कार्यकारियों दोनों के लिए था। राजहरा खदान और चसनल्ला कोयला खदानों के मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, (ii) बिना किसी तकनीकी अध्ययन के केआईओएम, एमआईओएम और जीओएम के मामले में औद्योगिक लाइनों से घरेलू खपत को अलग करने में कार्यात्मक मुश्किलों को देखना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औद्योगिक और घरेलू खपत के बीच लाइनों को अलग करना राजहरा खदान में संभव नहीं था जबकि यह बीआईएम और बीओएम टारुनशिप में प्रगति अधीन है। शेष खदानों\* में लाइनों को अलग करने पर उत्तर पूर्ण नहीं था।

इस प्रकार, सेल ने विद्युत की घरेलू खपत के लिए एसईबीज द्वारा न्यूनतम प्रभारित दर पर खदानों में टारुनशिप में अपने कर्मचारियों को प्रभारित करने का मार्च 2002 का अपना निर्णय लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2008-14 के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹ 30.32 करोड़ की राशि का लाभ प्रदान किया।

---

\* भवनतपुर -तुलसीदमार डोलामार्डट माईज (बीएनपी-टीडीआर), कुटेश्वर लाईमस्टोन माईज (केटीआर), काल्टा आयरन ओर माईज (केआईएम) और चसनल्ला कोयला-खदान

### 5.5 निधियों का अवरोधन

पुरानी बैटरी साईक्लोन की प्रतिस्थापना हेतु सिंटर मशीनों को अपेक्षित और समय पर कामबंदी प्रदान करने के लिए प्रबंधन की विफलता के कारण जुलाई 2010 तक इलैक्ट्रो स्टेटिक अवक्षेपकों पर कार्य का निलम्बन किया गया जिसके परिणामस्वरूप साढ़े तीन वर्षों से अधिक तक ₹ 26.91 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। बीएसएल भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियत स्त्राव प्रतिमानों का पालन नहीं कर सकी।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में सिंटर संयंत्र में 3 सं. सिंटर मशीनें हैं। प्रत्येक मशीन विंड बाक्सिज, वैक्यूम चैम्बरज, विंड मेन डक्टस, 2 बैटरी साईक्लोन और कंट्रोल डस्ट स्त्राव के 2 एग्जोस्ट फैनों से जुड़ी है। सिंटर मशीनों में छः बैटरी साईक्लोन अपना उपयोगी जीवन खत्म कर चुके थे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित 150 एमजी/एनएम के वैधानिक प्रतिमान की अपेक्षा संयंत्र से डस्ट स्त्राव अधिक (250-280 एमजी/एनएम<sup>3</sup>) था। सेल ने इलैक्ट्रो स्टेटिक अवक्षेपकों (ईएसपीज) के साथ बैटरी साईक्लनों की प्रतिस्थापना 'सिद्धांत अनुसार' (जनवरी 2015) अनुमोदित की। कार्य के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने में विलम्ब के बाद, संविदा को ₹ 75.16 करोड़ की कुल लागत पर तैयारशुदा आधार पर एक संकाय एम/एस एमन रिसर्च कोटरैल, यूएसए (संकाय अध्यक्ष) और एम/एस श्रीराम ईपीसी लिमिटेड (एसईपीसी), इंडिया (संकाय सदस्य) को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2007)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निस्सरण स्तर में कुल कमी के बताये गये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये क्योंकि केवल एक ईएसपी को ही अब तक प्रतिस्थापित किया गया, और शेष पाँच ईएसपीज को स्थापित करने की संविदा में बताये गये कामबंदी प्रबंध के प्रबंधन की विफलता के कारण साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय तक ₹ 26.91 करोड़ अवरूद्ध रहा। विस्तृत अवलोकन इस प्रकार है:

- संविदा के अनुसार, कार्यान्वयन के कार्यक्रम में अपेक्षित है कि एक के बाद एक छः ईएसपीज को स्थापित किया जाएगा। सिंटर मशीन 3 की पहली बैटरी साईक्लोन सं. 6 अलगाव के बाद विघटित की जानी थी। नई ईएसपी-6 संबंधित डस्ट डिस्पोजल पद्धति और डक्विंग के साथ इस बैटरी के स्थान पर ही स्थापित की जाएगी। इसके बाद, ईएसपी सिंटर मशीन सं. 3 के साथ जोड़ी जाएगी और आरंभ की जाएगी। एक इग्जोस्टर को विघटन और स्थापित गतिविधियों के लिए 5 महीनों की अधिकतम अवधि हेतु बंद किया जाएगा। सिंटर मशीन सं. 3 के

दूसरा बैटरी साईक्लोन को विघटित किया जाएगा और इएसपी के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, सिंटर मशीन सं. 2 और 1 के बैटरी साईक्लनों को एक के बाद एक प्रतिस्थापित किया जाएगा। सिंटर द्वारा बिना रूके भट्ठियों को चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिंटर मशीन की कामबंदी चरणों में की जाएगी। संविदा ने दर्शाया कि एम/एस एचआरसी संकाय को प्रत्येक मशीन के लिए प्रत्येक साईक्लोन के निर्माण और स्थापना और इएसपी को अपने स्थान पर आरंभ करने के लिए 5 महीनों की कामबंदी (एक सप्ताह कामबंदी से पहले और एक सप्ताह कामबंदी के बाद सहित) की आवश्यकता होगी।

- परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार, इएसपी-6 की पहली कामबंदी अप्रैल 2008 में की जानी थी। यद्यपि, बीएसएल ने जनवरी 2010 में पहली कामबंदी प्रदान करने के लिए 21 महीनों का समय लिया। ठेकेदार द्वारा प्रारंभिक कार्यों में विलम्ब के अतिरिक्त, बीएसएल द्वारा काफी अधिक विलम्ब किया गया क्योंकि कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन था; और ठेकेदार द्वारा कामबंदी से पहले कुछ 'आफ - इएसपी' साईट (संविदा समझौते से बाहर) कार्य करने थे जिन्हें मुख्य इएसपी निर्माण कार्य के साथ किया जा सकता था। इएसपी-6 को स्थापित उपयोग करने के बाद और ₹ 11.41 करोड़ की लागत लगाने (जून 2010) के बाद बीएसएल ने सिंटर उत्पादन में कमी की दलील पर अन्य पाँच इएसपीज को प्रतिस्थापित करने के लिए कामबंदी नहीं कराई। बीएसएल ने नई इएसपी-1 का स्थान भी बदल दिया जो ठेके में उल्लिखित नहीं था, जिसकी वजह से अन्य इएसपीज के स्थानों में आवश्यक परिवर्तन और भावी लागत व समय में बदलाव जरूरी हो गया।
- इसी बीच ₹ 26.91 करोड़ की बकाया राशि शेष इएसपीज को लगाने हेतु परियोजना साईट पर आदमियों, सामग्री और लाई गई मशीनों के लिए ठेकेदार को अदा (जुलाई 2011 तक) की गई, जो पिछले साढ़े तीन वर्षों (जुलाई 2011 से फरवरी 2015) से अधिक के लिए अवरूद्ध थी। जून 2010 से निष्क्रिय रहे आदमियों और मशीनों के कारण, ठेकेदार ने जनवरी 2011 में साईट से हटने का निर्णय लिया और एक मध्यस्थता नोटिस जारी किया जिसे रोक दिया गया। दो वर्षों के विलम्ब के बाद, बीएसएल ने इएसपी-5 की स्थापना के लिए जून 2013 से प्रभावी कामबंदी करने का निर्णय (मई 2013) लिया। इस कामबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इएसपी के स्थान संशोधित हो चुके थे।



- यह देखा गया कि सीपीसीबी (जुलाई 2011) ने सिंटर संयंत्रों के साथ स्थापित किये गये वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों में कमी उजागर की और नीयत निस्सरण प्रतिमानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इएसपी को आरंभ करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बीएसएल को निर्देश जारी किये। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालना में बीएसएल के विफल रहने पर, सीपीसीबी ने न केवल ₹ 50 लाख की (जनवरी 2014) की बैंक गारंटी जब्त कर ली जबकि ₹ 50 लाख की और बैंक गारंटी की भी मांग (अगस्त 2014) की। सीपीसीबी ने यह भी पाया (दिसम्बर 2014) कि सिंटर संयंत्र पर इएसपीज के संबंध में कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक थी और बीएसएल को अगस्त 2015 तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये।
- कंपनी ने कहा कि (i) इएसपी का स्थान उत्पादन आवश्यकताओं के कारण बदला गया था, और (ii) शेष इएसपीज के लिए कामबंदी नहीं कराई जा सकी क्योंकि ठेकेदार इएसपी-6 की त्रुटियों को निर्धारित नहीं कर पाया, उन्होंने 50 एमजी/एनएम<sup>3</sup> का डस्ट कांटेंट प्राप्त को साबित करने के लिए इएसपी-6 पर निष्पादन गारंटी मानदंड लागू नहीं किये और प्रबंधन इएसपी के लिए कामबंदी करके सिंटर उत्पादन को जोखिम नहीं ले सकते थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) इएसपीज के कार्य का कार्यक्षेत्र और स्थान पहले ही निर्धारित किये जाने थे और न कि ठेका देने के बाद (ii) नई इएसपी-6 को 17 जून 2010 से बिना रुके संचालित किया जा रहा था और न केवल सीपीसीबी के 150 एमजी/एनएम<sup>3</sup> की स्टैक निस्सरण प्रतिमानों का पालन किया बल्कि धीरे-धीरे 50 एनजी/एनएम<sup>3</sup> के गारंटी निस्सरण मानदण्ड तक भी पहुंच गई। यह टर्नकी ठेका था और छः इएसपीज की प्रतिस्थापना का क्रम और अपेक्षित कामबंदी ठेके में निर्धारित की गई थी। अंतः मौजूदा इकाई की कामबंदी कार्य को क्रमानुसार करने के लिए ठेके की आवश्यकता थी। बीएसएल के परियोजना विभाजन ने भी शेष पाँच इएसपीज को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता विभाग से कामबंदी की मांग की जिसे उत्पादन में बाधा के रूप में मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया। उत्पाद में गिरावट से बचने के लिए कामबंदी में बिलम्ब न केवल ठेकेदारी प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि यह इस निवेश से सभी छः बैटरी साइक्लोन में डस्ट स्राव स्तर प्राप्त करने के निर्धारित लक्ष्यो अर्थात् 250-280 एमजी/एनएम<sup>3</sup> से 150 एमजी/एनएम<sup>3</sup> से कम, को प्राप्त न करने का कारण भी था।

इस प्रकार, सिंटर मशीनों को अपेक्षित और समय पर कामबंदी में बीएसएल की विफलता न केवल सीपीसीबीज निस्सरण प्रतिमानों के उल्लंघन का कारण बनी बल्कि साढ़े तीन वर्षों से अधिक के लिए ₹ 26.91 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

जनवरी 2015 में मंत्रालय को यह मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।

### 5.6 आईएसपी/सेल में परिहार्य व्यय

बॉयलर में एक विस्फोट जो ठेके के डिजाइन मानदंडों और उपस्कर आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित बॉयलर संचालन के लिए परामर्श की अननुपालना के कारण हुआ; के बाद मुख्य मरम्मत पर ₹ 26.40 करोड़ का परिहार्य व्यय कम्पनी को करना पडा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (कंपनी) का इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) ने पावर और ब्लोईंग स्टेशन जिसमें प्रत्येक तीन बायलरों की 200 टन प्रतिघंटा क्षमता शामिल है, की स्थापना के लिए अक्टूबर 2007 में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) को एक ठेका दिया। ठेका समझौते के खंड 01.02.01 के अनुसार बायलरों को ब्लास्ट भट्ठी (बीएफ) गैस, बेसिक ऑक्सीजन भट्ठी (बीओएफ) गैस, कोक ओवन (सीओ) गैस और मुख्य ईंधन के रूप में कोल बैड मिथेन (सीबीएम) आग लाने के लिए डिजाइन किया गया था। लाईट डिजल ऑयल (एलडीओ) 10 प्रतिशत दर क्षमता से आरंभिक रूप से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता था।

बीएफ और बीओएफ से गैस बीएफ और बीओएफ परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थी। कोक ओवन बैटरी-11 तैयार थी और बॉयलरों से भाप की आपूर्ति पूर्व-आरंभ गतिविधियों के लिए एक तकनीकी आवश्यकता थी। बॉयलर भी तैयार थे। बॉयलरों के डिजाइन मानदंडों का ध्यान रखते हुए, भेल और आईएसपी प्रबंधन ने 15 फरवरी 2012 को हुई बैठक में परस्पर सहमत हुए कि बॉयलर केवल एलडीओ पर लगातार नहीं चलेंगे, बॉयलर कोक ओवन बैटरी के पहले चैंबर की चार्जिंग के लिए अधिकतम 7 दिनों तक लगातार; और 15 से 30 दिनों के अंतराल के बाद, इसके अतिरिक्त दूसरे चैंबर की चार्जिंग के लिए अधिकतम 7 दिनों के लिए एलडीओ पर चलेंगे। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आईएसपी प्रबंधन के मानव जीवन और उपस्कर के जोखिम सुरक्षा डिजाइन मानदंडों को नहीं मानने और भेल से बॉयलर संचालन निर्देशों पर बार-बार दी गई पूर्व चेतावनियों और सलाहों की अनदेखी के परिणामस्वरूप एक बॉयलर में एक विस्फोट हो गया।

आईएसपी प्रबंधन की विशेष मांग पर, भेल ने 5 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2012 से 14 दिनों के लिए लगातार बॉयलर-3 को चलाने की अनुमति एक शर्त के साथ दी कि बाद की तिथि पर निष्पादन मानदंडों में किसी भी गिरावट के लिए केवल कंपनी ही जिम्मेदार होगी। यह शर्त संविदा के खंड 26.2 के अनुसार थी जो दर्शाती है कि 'किसी पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण कार्य के उपयोग पर नियोक्ता का स्वामित्व या उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसा स्वामित्व या उपयोग संविदा के अनुसार किसी न किये गये कार्य की स्वीकृति नहीं समझी जाएगी। यद्यपि, ऐसे प्रावधान या उपयोग का केवल ऐसे कार्य का कोई नुकसान नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी'। 21 दिसम्बर 2012 को आईएसपी प्रबंधन को भेल ने याद दिलाया कि बॉयलर केवल एलडीओ पर नहीं चल सकते और अन्य ईंधन लाईनों अर्थात् बीएफ और बीओएफ गैस की शीघ्र पूर्णता के लिए आईएसपी प्रबंधन को सलाह दी।

बॉयलर -3 को 10 जनवरी 2013 को दोबारा आरंभ किया गया और 24 जनवरी 2013 को बॉयलर में एक छोटा विस्फोट हुआ क्योंकि केवल एलडीओ के साथ बॉयलर को दीर्घकालीन समय तक चलाने से ईंधन भार निर्माण और विस्थापन के कारण दूसरा विस्फोट हुआ। मरम्मत के बाद भेल विशेषज्ञ ने बॉयलर की 3-4 दिनों की कामबंदी सहित आंतरिक सफाई और धुलाई के लिए प्रत्येक 10 दिनों की कुछ अतिरिक्त अनुवृद्धियां बॉयलर के पुनःप्रचालन के बाद 4 फरवरी 2013 को दोबारा आरंभ किया गया और यह एलडीओ के साथ लगातार चल रही थी और वाल्वों की अवरोधन/बिना जले हुए एलडीओ का विस्थापन भी देखा गया। यद्यपि, कंपनी ने उसको साफ करने के लिए भेल द्वारा 3 मार्च 2013 को कामबंदी के अनुरोध को नहीं माना और 37 दिनों तक लगातार चलाने के बाद, 12 मार्च 2013 को एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण बॉयलर-3 खराब हो गया।

भेल ने ठेके के खंड 26.2 के प्रावधानों को देखते हुए बिना किसी अतिरिक्त लागत के बॉयलर की मरम्मत करने के लिए मना कर दिया। बीमाकर्ता ने भी बॉयलर के संचालन में लापरवाही देखते हुए बीमा दावों\* को दोबारा निरस्त कर दिया। अंतः कंपनी ने कर और शुल्कों सहित ₹ 26.40 करोड़ की कुल लागत पर बॉयलर की मरम्मत के लिए भेल को एक ठेका दे दिया।

बॉयलर को चलाने में लापरवाही को मना करते हुए, कंपनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि बॉयलर विस्फोट की घटना केवल एक दुर्घटना थी और बॉयलर का चलाने के लिए

---

\* भेल द्वारा ली गई बीमा नीति

अपेक्षित सभी तकनीकी मानदंडों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया था। बीमाकर्ता के साथ एम/एम भेल और आईएसपी द्वारा दावे के निपटान पर चर्चा प्रक्रियाधीन है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भेल और बीमाकर्ता ने बॉयलर के संचालन में आईएसपी द्वारा विनिर्मित निर्देशों का उल्लंघन देखा जिसे विस्फोट का कारण पाया गया।

भेल ने आईएसपी को सूचित (मई 2014) किया कि बीमाकर्ता ने कारणों जो कि भेल द्वारा न तो आरोप्य या न ही समर्थनीय था; को देखते हुए दावों को निरस्त कर दिया। बीमा दावा (फरवरी 2015) के प्रति किसी राशि की वसूली नहीं हुई।

यह देखा गया कि कंपनी ने विनिर्माता सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए बॉयलर संचालित किया जिसके परिणामस्वरूप बॉयलर में विस्फोट हुआ। परिणामतः कंपनी को खराब बॉयलर के पुनस्थापन पर ₹ 26.40 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

नवम्बर 2014 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।

## अध्याय VI : कपड़ा मंत्रालय

### नेशनल टैक्सटाईल, कार्पोरेशन लिमिटेड

#### 6.1 निपटान में कमी के कारण हानि

वाणिज्यिक व्यवहारिकता सुनिश्चित किये बिना भूतपूर्व मालिक के साथ भूमि के सहभाजन के लिए निपटान समझौते में शामिल होने के कारण ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत कार्य करने वाली नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन (एम एम) लिमिटेड (कंपनी) को 1993 में रूग्ण कंपनी घोषित किया। इसके पश्चात, टैक्सटाईल उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत, श्री मधुसूदन मिल्स (मिल), मुंबई सहित कंपनी की विभिन्न कपड़ा मिलों को राष्ट्रीकरण कर दिया गया। मिल पुनर्निर्माण हेतु एक योजना औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा 2002 में संस्वीकृत की गई और परिकल्पित योजना के अनुसार, मिल का अलाभकारी मान लिया गया, जिसे बंद किया जाना था और लाभकारी मिलों के पुनरुद्धार निधि देने हेतु निपटान किया जाना था।

इसी बीच, मिल के पिछले मालिक अर्थात् हॉल और एंडरसन लिमिटेड (एचएएल) ने अपने राष्ट्रीयकरण को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (अक्टूबर 2004) में एक रिट याचिका दाखिल की। एचएएल ने औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण प्राधिकरण (एएआईएफआर) में बीआईएफआर ₹ द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार योजना को इस आधार पर चुनौती (2005) भी दी कि मिल को अलाभकारी घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। एएआईएफआर (जुलाई 2006) को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल (2006) की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के प्रति खारिज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2006) द्वारा पास किये गये एक अंतरिम आदेश द्वारा निर्देशानुसार संपत्ति को नहीं बेचना चाहिए। बाद में, एचएएल ने उच्चतम न्यायालय में मिल को एसपीवी/जेवी के रूप में अधिकार में लेने के लिए अनुमोदन करते हुए एक आवेदन-पत्र (जून 2008) दाखिल की। उच्चतम न्यायालय ने आदेश (22 जुलाई 2008) दिया कि यदि याचिकाकर्ता ने मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए कंपनी को अनुमोदन के साथ आग्रह किया तो उक्त पर विचार किया जा सकता था और उस पर लिये गये निर्णय को उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, एचएएलने

मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए कपड़ा मंत्रालय (एमओटी) और कंपनी के साथ मिल के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए एक प्रस्ताव (02 अगस्त 2008) रखा।

एमओटी ने किसी समझौते को मानने से पहले कंपनी को विधिक सलाह लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, कंपनी द्वारा भारत के महान्यायवादी (एजीआई) की विधिक सलाह ली (अक्टूबर 2008) गई। एजीआई के विचारानुसार, कंपनी को विधिक संरचना के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यवहार्यता और योग्यता सहित प्रस्ताव के सभी पहलुओं की पूर्ण जांच और संवीक्षा के बाद मैत्रीपूर्ण निपटान हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता था।

मिल की भूमि एक अन्य मिल नामतः कोहीनूर मिल के मामले में किये गये विगत समझौते के अनुरूप ही एनटीसी और एचएएलके बीच 65:35 के अनुपात में सहभाजित किये जाने के निर्णय (नवंबर-दिसंबर 2008) के मामले की जांच के लिए कंपनी द्वारा एक समिति गठित की गई। विचारानुसार, एचएएल बीआईएफआर योजना में उल्लिखित ₹ 83.86 करोड़ की भूमि के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर 33.05\* करोड़ (वाहन विलेख के कार्यान्वयन/पंजीकरण के लिए सभी लागतों, प्रभारों, स्टॉप शुल्क के साथ ₹ 83.86 का 35 प्रतिशत अदा करेंगी। एमओटी ने एजीआई के परामर्श के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में एनटीसी के संतुष्ट होने पर की शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित (जनवरी 2009) किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निदेशकमंडलके निर्णयानुसार उच्चतम न्यायालय में (फरवरी 2009) में समझौते की शर्त दाखिल की। 33.05 करोड़ की समझौता राशि अप्रैल से जुलाई 2009 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त की गई।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच के लिए एजीआई के सुस्पष्ट विचार और एमओटीज की पुनरावृत्ति (जनवरी 2009) के बावजूद कंपनी को भारत के महान्यायवादी के परामर्श के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए, अभिलेख में यह दर्शाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि एनटीसी ने अपने वाणिज्यिक हित की जांच की और संरक्षित किया। तथ्य से यह स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा प्राप्त बीआईएफआर योजना में विनिर्दिष्ट समझौता राशि ₹ 83.86 करोड़ के आधार पर एनटीसी द्वारा किये गये दावे के रूप में परिसंपत्तियोंके विक्रय से प्राप्त संभावित वसूलीनहीं थी बल्कि योजना की लागत पूरी करने के लिए कवेल एक संतुलन आंकड़ा था। तथ्य की पुष्टि इदस बात से

---

\*भारत के केन्द्रीय बैंक को अदा किये गये ₹2.16 करोड़ और वैधानिक शुल्क ₹1.54 करोड़ सहित

की गई कि मिल का मूल्य 2002 में ₹ 157.91 करोड़ पर उक्त बीआईएफआर योजना में लगाया गया था और स्टांप ड्यूटी रेडी रेकोवर मुंबई (2009) के अनुसार विकसित भूमिदर ₹ 86,300 प्रति वर्ग मीटर थी।

- एचएएल के साथ अनुचित समझौते के कारण ₹ 86,300 प्रति वर्ग मीटर की दर के आधार पर एनटीसी को ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई। उसी क्षेत्र में अन्य मिल (भारत मिल) की भूमि हेतु उसी वर्ष अर्थात् नवंबर 2009 के दौरान एनटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य के आधार पर हानि लगभग ₹ 577.02 करोड़\* (अनुग्नक-XX)।
- विस्तृत समझौता शर्तों को एमओटी द्वारा न किये गये मूल्यांकन के आधार पर समझौता राशि एमओटी (दिसम्बर 2008) को एनटीसी द्वारा प्रेषित की गई थी और समझौते का अनुदान इस शर्त के साथ एमओटी (जनवरी 2009) द्वारा किया गया कि एनटीसी एजीआई के परामर्शानुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगी।

एनटीसी ने कहा (फरवरी 2014) कि चूंकि यह एक समझौता है और एक विक्रय लेन-देन नहीं रखा गया और केवल भूमि का सहभाजन ही समझौते का अंतिम परिणाम था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि, यह एक समझौता था और कोई विक्रय लेन-देन नहीं, वाणिज्यिक व्यवहारिकता की जांच करते समय कंपनी/मंत्रालय भूमि के किसी स्पष्ट मूल्य तक पहुँचने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य पर समझौता प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम रहा।

इस प्रकार, इस तथ्य एमओटी/एनटीसी का कि संपत्ति पूर्णस्वामित्व भूमि थी; की अनदेखी कर एमओटी/एनटीसीका समझौता करने के निर्णय के कारण अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का समुचित आकलन किये बिना कंपनी को कम से कम ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

नवंबर 2013 में मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित (मार्च 2015) था।

---

\*भारत टैक्सटाईल मिल्स, के लिए आरक्षित मूल्य के संदर्भ में हानि निकाली गई। यद्यपि भारत टैक्सटाईल मिल्स को ₹1505 करोड़ में बेच दिया गया (सितंबर 2010 में अपने आरक्षित मूल्य से दूगने से अधिक)।

## अध्याय VII : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय

### नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

#### 7.1 परियोजनाओं को रद्द करने में असामान्य विलम्ब

ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये जाली दस्तावेजों के पाये जाने पर नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड ने छः सड़कों के लिए ठेकों को रद्द किया तथा अन्य 30 सड़कों के ठेकों को रद्द करने में अत्यधिक विलंब किया। इसके फलस्वरूप 19 सड़कों के संबंध में अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकों की पुनः संविदा पर ₹ 16.42 करोड़ का अतिरिक्त लागत लगी।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार राज्य में सड़कों के निर्माण, आरंभ करने और प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय), भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ सभी-मौसम सड़क संयोजकता द्वारा आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच द्वारा ग्रामीण विकास बढ़ाने के लिए एक नियतयोजना के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता किया (अगस्त 2004)। कार्यान्वयन एजेंसी के कप में एनपीसीसी को मंत्रालय से दिये गये कार्यों (निर्माण और पाँच वर्ष प्रबंधन हेतु) की कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर पर फीस प्राप्त करनी थी। एनपीसीसी को 2004-05 से 2009-10 के दौरान ₹ 1,431.63 करोड़ की लागत पर 692 सड़कों के निर्माण के कार्यान्वयन वाली परियोजनाएं सौंपी गईं। तदुसार, एनपीसीसी ने मानक बोली दस्तावेज<sup>1</sup> (एसबीडी) के अनुसार खुली निविदा आंमत्रित की और समय-समय पर विभिन्न ठेकेदारों को कार्य सौंपे।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) से ज्ञात हुआ कि एनपीसीसी ने सितंबर 2010 से अगस्त 2013 के दौरान ₹ 81.59 करोड़ के मूल्य वाली 36 सड़कों<sup>2</sup> के संबंध में ठेके रद्द कर दिये। इस संबंध में यह अवलोकन किया गया कि:

<sup>1</sup> राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा तैयार और बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया मानक बोली दस्तावेज।

<sup>2</sup> बक्सर (8), भोजपुर (9), रोहतास (7), पटना (6) और नालंदा(6)।



- भाग-2 का खंड 12.1-एसबीडी के अंतर्गत बोलीदाता योग्यता निर्देश, अनुभव, निर्माण उपस्कर की स्वामित्व आदि के पक्ष में दस्तावेजों सहित बोली के साथ विभिन्न दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाते हैं। एनपीसीसी ने एसबीडी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना छः<sup>3</sup> सड़कों (सितंबर 2009) के संबंध में मै. बिरेंद्र तिवारी कंस्ट्रक्शन की बोलियां स्वीकृत की। बाद में, जांच करने पर कि ठेकेदार ने निविदाओं के प्रति जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, एनपीसीसी ने सितंबर 2010 और दिसंबर 2010 में तीन-तीन सड़कों के लिए ठेके रद्द कर दिये।
- एसबीडी के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की तिथि कार्य आरंभ करने के 12 महीनों के बाद थी। यद्यपि, ठेकेदारों ने शेष 30 सड़कों के संबंध में कार्य को निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया। हालांकि एनपीसीसी ने इन गैर-निष्पादित ठेकों को रद्द करने हेतु समयबद्ध कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, एनपीसीसी ने निर्माण/ठेके के पूरे होने की नियत तिथियों के बाद 744 दिनों और 1838 दिनों की बीच के अत्यधिक विलंब के बाद इन ठेकों को रद्द किया।
- ठेकेदार की गलती के कारण ठेके को रद्द करने के मामले में, एसबीडी के अंतर्गत ठेकेकी सामान्य शर्त संख्या 24 कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत के संबंध में ठेकेदार से अपूर्णकार्य की मूल्य 20 प्रतिशत की वसूली दर्शाती है। एनपीसीसी ने 20 प्रतिशत की ठेकेदार की देयता से अधिक ₹ 16.42 करोड़ की अतिरिक्त निर्माण लागत सहित 36 सड़कों के लिए रद्द किये गये ठेकों में से 19 सड़कों के संबंध में अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए जुलाई 2013 से जनवरी 2014 के दौरान नई निविदाएं आमंत्रित की। इस अतिरिक्त निर्माण लागत में एम/एस बिरेंद्र तिवारी कंस्ट्रक्शन को पहले दिये गये छः सड़कों में से पाँच के ठेकों के संबंध में ₹ 1.88 करोड़ शामिल हैं।
- एनपीसीसी ने नौ सड़कों के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत के रूप में ₹ 11.16 करोड़ की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय से अनुरोध (जनवरी 2014) किया। एनपीसीसी के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने पाया (फरवरी 2014) कि कंपनी की ओर से ठेकों को रद्द करने में लापरवाही की गई थी क्योंकि इसने 2007-08 में दिये गये ठेकों के प्रति 2012-13 में ठेकों को रद्द करने में पाँच वर्षों का समय लिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि

---

<sup>3</sup> बक्सर (3) और भोजपुर (3)

त्रिपक्षीय समझौते के खंड 12 (सी) के अनुसार एनपीसीसी के विलंब/लापरवाही के कारण वृद्धि के मामले में लागत भी एनपीसीसी द्वारा ही वहन की जाएगी।

- दोबारा एनपीसीसी ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में स्पष्टीकरण भेजा और नौ सड़कों को रद्द किये गये ठेकों की अतिरिक्त लागत के लिए संस्वीकृति के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया (फरवरी 2014)। तत्पश्चात्, एनपीसीसी ने शेष 10 सड़कों के संबंध में ₹ 5.26 करोड़ की अतिरिक्त निर्माण लागत की संस्वीकृति हेतु मंत्रालय से अनुरोध (मार्च 2014) किया। जनवरी 2014 और फरवरी 2014 के एनपीसीसी के पूर्व अनुरोध को देखते हुए मंत्रालय ने कहा कि नौ सड़क कार्यों में की अतिरिक्त लागत कार्य के कार्यक्षेत्र में सामग्री परिवर्तन के कारण नहीं थी बल्कि केवल अधिक समय के कारण थी और रद्द किये गये ठेकों के लिए अतिरिक्त लागत वहन करने और जल्द संतोषजनक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये (मार्च 2014)।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया को निष्ठापूर्वक अपनाये बिना एक अयोग्य ठेकेदार को छः सड़कों के संबंध में ठेकों का दिया जाना और अन्य अपूर्ण ठेकों को रद्द करने में अत्यधिक समय के फलस्वरूप 19 सड़कों के अपूर्ण निर्माण कार्य का पूरा करने के संबंध में समय और ₹ 16.42 करोड़ सहित अधिक लागत लगानी पड़ी। 17 सड़कों के लिए शेष ठेकों से संबंधित कार्य की प्रगति 20 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के बीच थी और इन सड़कों के अपूर्ण कार्य का भविष्य अभी भी तय किया जाना (मई 2014) था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त लागत की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय द्वारा मना किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अतिरिक्त लागत एनपीसीसी द्वारा वहन की जाएगी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2014) कि एसबीडी के अनुसार, तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन बोली खोलने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अंदर पूरा किया जाना था और समय प्रतिबंध के कारण दस्तावेजों के सत्यापन में कोई गुंजाईश नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई सड़कें दुरस्थ गांवों में स्थित थी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विधि और आदेश समस्या में विलंब का कारण बनें। इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने कहा (मई 2014) कि सामग्रियों की लागत में वृद्धि और बिहार में संचालित खदानों के बंद होने तथा मंत्रालय से निधि के अपर्याप्त निकास के कारण ठेकेदारों ने कार्यको धीमा कर दिया। चूंकि ये कारक उनके नियंत्रण से बाहर थे, उन्होंने कार्य को पूरा करने में समय की अवधि बढ़ा दी प्रबंधन ने कहा कि मंत्रालय को 19 सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागत संस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया था और एनपीसीसी कार्य नहीं करेगी यदि मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त लागत की संस्वीकृति नहीं दी जाती। एनपीसीसी ने आगे यह भी

कहा कि उसने इन 19 ठेकों के कार्य को किसी एजेंसी को नहीं दिया था और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित के रूप में अतिरिक्त लागत का कोई भार नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली मूल्यांकन के लिए समय सारणी एसबीडी के अनुसार थी और उनका पालन किया जाना था। अतिरिक्त लागत कार्य या मात्राओं में बदलाव के संबंध में नहीं थी बल्कि जैसा कि मंत्रालय ने कहा कि यह केवल अधिक समय के कारण थी। प्रबंधन द्वारा ठेकों का विलंब से रद्द किये जाने के कारण नौ सड़कों के संबंध में ₹ 11.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत अगस्त 2014 के त्रिपक्षीय समझौते के खंड 12 (सी) की शर्तों के अनुसार एनपीसीसी द्वारा वहन की जानी है। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसलिए जिम्मेदारी एनपीसीसी पर आ गई।

दिसम्बर 2014 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2015)।

**अध्याय VIII- लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीएसईज़ द्वारा हकदारियों और वसूलियों, शोधन/सुधारों के भुगतान में अनियमितताएं**

8. लेखापरीक्षामें पाई गई सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के विभिन्न हकदारियों और भत्तों के भुगतान में अनियमितताओं की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:

ऑयल एंड नेचूरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, हिंदूस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्सइंडिया लिमिटेड

**8.1 अर्ध-वेतन अवकाश/अर्जित अवकाश/बीमारी अवकाश के नकदीकरण सहित अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ पर नियोक्ता'के भाग के प्रतिअनियमित भुगतान**

डीपीई दिशा-निर्देशों से विचलन के कारण अर्ध-वेतन अवकाश/बीमारी अवकाश/अर्जित अवकाश के नकदीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 157.91 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, सीपीएसईज़ ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (मार्च 2008) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के कारण ₹ 12.15 करोड़ का अनियमित योगदान किया। इसके अतिरिक्त, एफसीपीएसई ने मार्च 2008 से पहले अदा किये गये अवकाश नकदीकरण पर ₹ 14.94 करोड़ राशि का नियोक्ता का सहयोग समायोजित नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (ईएल) के अधिकतम संग्रहण को 300 दिनों तक बढ़ाने के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 1997) के अनुसार डीपीई ने सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के लिए 300 दिनों तक की (ईएल संग्रहण को बढ़ाने की स्वीकृति (अगस्त 2005) प्रदान की। पोतपरिवहन मंत्रालय द्वारा दिये गये संदर्भानुसार, डीपीई ने 26 अक्टूबर 2010 को सभी सीपीएसईज़ को स्पष्ट किया कि सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को 300 दिनों से अधिक ईएल संग्रहण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और सीपीएसईज़ को अपने कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के समय पर 300 दिनों से अधिक के अवकाश का नकद देने की अनुमति नहीं है।

सितंबर 2008 में, दोनों प्रकार के अवकाश एक साथ लिये जाने के लिए 300 दिनों की सीमा के संबंध में जनवरी 2006 से प्रभावी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु नकदीकरण

के लिए अर्जित छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी (एचपीएल) दोनों को मानने के लिए भारत सरकार ने संस्वीकृत दी। 17 जुलाई 2012 को दिये गये एक अन्य स्पष्टीकरण में डीपीई ने अप्रैल 1987 के अपने निर्देशों का संदर्भ दिया और दोहराया कि सीपीएसईज कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति पर 300 दिनों की कुल सीमाके विषय में ईएल और एचपीएल को नकदीकरण के लिए ध्यान में रखा जा सकता था और एचपीएल हेतु भुगतान योग्य समान नकद अर्ध-वेतन सहित महंगाई भत्ते के लिए स्वीकार्य के रूप में अवकाश वेतन के समान होगा और एचपीएल का रूपांतरण किसी सीपीएसईज कर्मचारी के 300 दिनों के कम क्रेडिट को ईएल में कमी के मामले में बढ़ा अनुमत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार बीमारी अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं देती जिसे भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2012 और फरवरी 2014 में भी दोहराया गया।

क. लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निम्नांकित सीपीएसईज डीपीई दिशा-निर्देशों से विपथित हो गई और एचपीएल/ईएल सेवानिवृत्ति/समाप्त विनियोजन और 300 की अधिकतम सीमा से ऊपर एचपीएल/ईएल के प्रति अपने कर्मचारियों को ₹ 157.91 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

क्र.सं.	प्रशासनिक मंत्रालय	सीपीएसईज का नाम	अवधि	₹ करोड़ में
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ऑयल एंड नेचूरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल 2007 से मार्च 2013	110.76
		हिंदीस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		10.39
		भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		17.64
		इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	अप्रैल 2006 से मार्च 2014	19.12
<b>कुल</b>				<b>157.91</b>

ओएनजीसी ने कहा (सितंबर 2013) कि सरकार द्वारा जारी निर्देश स्वतः ओएनजीसी पर लागू नहीं होते और एक महारत्न पीएसयू के होने के कारण इसने कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं आदि से संबंधित अवसंरचना और कार्यान्वयन योजनाओं को सशक्त किया। शक्तियों के इस प्रत्योजन के मद्देनजर,

ओएनजीसी बोर्ड कार्मिक और मानव संसाधन योजनाओं जैसे अच्छा स्वास्थ्य इनाम योजना से संबंधित योजनाएं आरंभ करने में अक्षम है।

एचपीसीएल ने कहा (जनवरी 2014) कि जब तक ऐसा विशेष रूप से न कहा हो, केन्द्रीय सरकार कार्यालयों/स्थापनाओं में छुट्टियों और अवकाश नियमावली से संबंधित निर्देश और प्रावधान औद्योगिक डीए पैटर्न सीपीएसईज़ पर स्वतः लागू होंगे। एचपीसीएल में एचपीएल नीति चिकित्सा आधार पर व्यवस्थित की जाती है।

बीपीसीएल ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013)में कहा कि एचपीएल का नकदीकरण वर्ष के अंत में था सेवा निवृत्ति के समय पर अवकाश समाप्त करने के उद्देश्य से अनुपस्थिति की अनदेखी कर उपभोक्ता को पेट्रोलियम उत्पादों को बिना रूके आपूर्ति करना सुनिश्चित करना आरंभ किया। इसने अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए कर्मचारियों के लिए एक इनाम का कार्य भी किया और जिन्होंने 'पूर्ण वेतन' बीमारी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं हुई उनको चौबीस घंटे कार्य की सुविधा प्रदान की गई।

ईआईएल ने कहा (सितंबर 2014)कि सेवा-निवृत्ति के समय पर बीमारी छुट्टी विनियमन प्रावधान और इसका नकदीकरण संगठन की संचलनात्मक आवश्यकताओं और कार्य अपेक्षाओं के कारण आरंभ किया गया और दिनांक अप्रैल 1987के डीपीई परिपत्र के अंतर्गत छुट्टी नियमावली तैयार करने के लिए सीपीएसईज़ को सशक्तिकरण/लचीलेपन के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया था। इसमें आगे यह जोड़ा गया कि दिसंबर 2012 तक यह कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया था कि बीमारी छुट्टी /अर्ध-वेतन छुट्टी का सेवा-निवृत्ति के समय पर नकदीकरण नहीं कराया जा सकता। भारत सरकार में भी सेवा-निवृत्ति के समय पर, रूपांतरित अवकाश नकदीकरण योग्य नहीं है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य इनाम और उक्त को बाद में अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों की अधिकतम सीमा तक सीमित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार की सारीनीति के बाहर छुट्टी नकदीकरण अप्रैल 1987 के डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 26 अक्टूबर 2010 के डीपीई के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि सीपीएसईज़ को 300 दिनों की कुल उच्चतम सीमा के बाहर छुट्टी का नकदीकरण करना अनुमत नहीं था। जुलाई 2012 में जारी एक अन्य स्पष्टीकरण में, अप्रैल 1987 के निर्देशों का संदर्भ देते हुए डीपीई ने दोहराया कि ईएल और एचपीएल सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण पर विचार किया जा सकता था बशर्तेकियह300 दिनों की कुल सीमा तक हो। इसके बावजूद, जुलाई 2012में डीपीईद्वारा जारी स्पष्टीकरण ने विशेषतः बीमारी छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति नहीं

दी। इसके अतिरिक्त, यह तर्क कि भारत सरकार में भी, रूपांतरित छुट्टी नकदीकरण योग्य नहीं है क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य ईनाम तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है क्योंकि भारत सरकार सेवाओं में, केवल अर्ध वेतन पर अवकाश (एचपीएल) सेवा निवृत्ति के समय 300 दिनों की विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के कम पड़ने पर अर्जित छुट्टी का नकदीकरण की सीमा तक ही नकदीकरण किया जाना अनुमत है और एचपीएल को नकदीकरण के उद्देश्य हेतु रूपांतरित किया जाना अनुमत नहीं है।

इसलिए, 300 दिनों की कुल उच्चतम सीमा से बाहर सेवा-निवृत्ति/विनोयजन पर कर्मचारियों को एचपीएल नकदीकरण डीपीई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था और इसलिए अनियमित था।

सितंबर 2013 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को मामला सूचित किया गया, एचपीसीएल और बीपीसीएल के मामले में अनियमित भुगतान से संबंधित उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2015) था, जबकि एमओपीएनजी जुलाई 2014 में ओएनजीसी के विचारकी पुष्टि की।

ख. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और मिश्रित प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार ईपीएफ के सहभाजन में किसी कर्मचारी को अदा किये गये मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) के 12 प्रतिशत की दर पर नियोक्ता का भाग और कर्मचारी के वेतन वसूल की किये गये भाग के समान राशि शामिल है। कर्मचारियों को अदा की गई अवकाश नकदीकरण की राशि को मूल वेतन के रूप में सम्मिलित करने के समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न पणधारकों द्वारा बहस की गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय<sup>1</sup> (सितंबर 1994) और कर्नाटक उच्च न्यायालय<sup>2</sup> (अक्टूबर 2003) ने निर्णय दिया कि छुट्टी नकदीकरण को ईपीएफ में सहयोग के उद्देश्य हेतु मूल वेतन के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी छुट्टी नकदीकरण पर (ईपीएफ सहयोग की वसूली 2005) दिया। मामले के अधिनिर्णयन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया<sup>3</sup> (12 मार्च 2008) कि मूल वेतन को छुट्टी नकदीकरण हेतु प्राप्त राशि को शामिल करने के लिए कमी भी निर्धारित था 'और निदेश दिया कि' यदि कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका था, इसे भविष्य देयताओं हेतु समायोजित किया जा सकता है और किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा क्योंकि निधि अब भी चल रही है।' उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के

<sup>1</sup> हिंदूस्थान लीवरकर्मचारी यूनीयन बनाम प्रादेशिक भविष्य निधि कमिश्नर (आरपीएससी) के मामले में

<sup>2</sup> मनीपाल अकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन बनाम भविष्य निधि कमिश्नर (आरपीएससी) के मामले में

<sup>3</sup> मनीपाल अकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन बनाम अपील (सिविल) सं. 1832 से 2004 के मामले में

अनुसार उक्त निर्णय के अनुसार, इपीएफओ ने तुरंत प्रभाव से छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि सहयोग बंद करने के लिए अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया (मई 2008) जा चुका था; उक्त को भावी देयताओं के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकनकिया किगेल (लिमिटेड लिमिटेड) नवंबर 2009 तक ₹ 5.28 करोड़ की छुट्टी नकदीकरण राशि का कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का सहयोग करती रही और मार्च 2008 से पूर्व तक पहले ही अदा किये गये अवकाश के सहयोग को नियोक्ता के भाग को समायोजित नहीं किया। इसी प्रकार, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भी मार्च 2009 तक ₹ 6.89 करोड़ छुट्टी नकदीकरण राशि का नियोक्ता सहयोग करती रही और कार्यरित कर्मचारियों के संबंध में 2005-06 से 2007-08 तक पहले ही अदा किये जा चुके छुट्टी नकदीकरण पर ₹ 14.94 करोड़ राशि के सहयोग में नियोक्ता के भाग को समायोजित नहीं किया।

आईओसीएल ने कहा (दिसम्बर 2014) कि क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर (आरपीएफसी) से कंपनी द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं की और इपीएफओ से केवल एक जांच निर्णय ही कंपनी की जानकारी में आया। ऐसे किसी उत्तम रूप से परिवर्तन/निर्णयों का प्रत्याशित कार्यान्वयन लागू किया जा सकता है और तदुसार अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि कटौती 1 अप्रैल 2009से बंद कर दिया गया था।

गेल ने कहा (नवंबर 2014) कि पीअर संगठनों के साथ केवल चर्चा के दौरान ही क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर (आरपीएफसी) द्वाराजारीसूचना उनकी जानकारी में आई। इसके बाद, कंपनी ने इपीएफओ से स्पष्टीकरण मांगा और आरपीएफसी एक छूट प्राप्त स्थापना के रूप में कंपनी, की इस सूचना/स्पष्टीकरण की उपयुक्तता से संबंधित थी। स्पष्टीकरण नवंबर 2009 में प्राप्त किया गया था और तदुसार अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि कटौती 1 दिसंबर 2009 से बंद कर दी गई थी।

उत्तर तर्क संगत नहीं हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ इपीएफओ के मई 2008के अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि सहयोग बंद करने के निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू किये जाने थे और पहले ही कर दिये गये अधिक सहयोगों के भावी देयताओं के प्रति समायोजन भी किया गया था। इपीएफओ निर्देशों को लागू करने को स्थगित करना और पहले ही किये गये अधिक भुगतानों के समायोजन की अपेक्षा कंपनी नहीं कर सकती थी।



इस प्रकार, मार्च 2008से पहले किये गये अवकाश नकदीकरण और सहयोगों के गैर-समायोजन पर अप्रैल 2008 से नवंबर 2009 के दौरान ₹ 12.15 करोड़ राशि के भविष्य निधि सहयोग का भुगतान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन था और इसलिए अनियमित था।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### 8.2 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर वसूलियां

चार सीपीएसईज़ से संबंधित पाँच मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹ 28 करोड़ की राशि इंगित की जिसकी वसूली की जानी थी। सीपीएसईज़ का प्रबंधन 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 27.59 करोड़ (98.5 प्रतिशत) की राशि की वसूली की जिसका विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

इंसमेंटेशन लिमिटेड, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और फ़ैरो स्क़ैप निगम लिमिटेड

### 8.3 लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सूधार/संशोधन

विगत नमूना जांच के दौरान, नियम/विनियम, दिशा-निर्देशों की अननुपालना के उल्लंघन से संबंधित मामलों का अवलोकन किया गया था और प्रबंधन के ध्यान में लाया गया था। लेखापरीक्षा के अनुरोध पर उनके नियमों/विनियमों आदि में प्रबंधन द्वारा किये गये परिवर्तनों के मामलों का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

## अध्याय IX

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीपीएसईज के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में खातों और रखे गये अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। अंतः यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समयबद्ध उत्तर प्राप्त हो।


लोक सभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल विभिन्न पैराग्राफों मूल्यांकनों पर सभी मंत्रियों को उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षा) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ऐसी-टिप्पणियां उन पैराग्राफों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी जिन्हें विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चयनित नहीं किया गया था। अपने दूसरे प्रतिवेदन (1998-99-बाहरवीं लोक सभा) में कोपू ने उपर्युक्त निर्देशों को दोहराते हुए सिफारिश की कि:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएनज़) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी सेल की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत पीएसयूज की संख्या से संबंधित पैरों वाले प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएनज़ के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक निगरानी सेल की स्थापना; और
- संसद में प्रस्तुत किये गये सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुवर्ती कार्रवाई एटीएनज़ के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः महीनों के अंदर समिति को प्रस्तुतीकरण।

सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में आगामी तीन महीनों के अंदर सीएजी लेखापरीक्षा पैरों और पीएससी सिफारिशों पर लंबित एटीएनज़/एटीआरज़ को स्पष्ट करने के विशेष प्रयास करनेका निर्णय लिया गया। इस निर्णय का (जुलाई 2010) की सूचना देते हुए, वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कोपू ने अपने पहले प्रतिवेदन (1999-2000- तेरहवीं लोक सभा) ने अपनी पहले वाली सिफारिशें पुनः दोहराई कि डीपीई को प्रत्येक उपक्रमपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में दिये गये अवलोकनों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए स्वयं डीपीई में एक अलग निगरानी सेल की स्थापना करनी चाहिए। डीपीई ने सूचित किया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभाग द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर अनुवर्ती कार्रवाई निगरानी के लिए एक अलग निगरानी सेल की स्थापना की गई है। डीपीई ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने विभागों को अपने विभागों में सीपीएसई पर अधिकार क्षेत्र रखते हुए निगरानी सेल की स्थापना करने के लिए लंबित एटीएन की समीक्षा करने के लिए अनुरोध तीन निगरानी बैठकों का आयोजन भी किया।

लेखापरीक्षा में एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों से 41 एटीएनज प्रतीक्षित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।




(प्रसेनजीत मुखर्जी)

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष,  
लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक: 28 मई 2015

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 29 मई 2015

परिशिष्ट  
एवं  
अनुबंध

परिशिष्ट - I

(पैरा 8.2 देखें)

2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां

मंत्रालय/विभाग का नाम	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई)	संक्षिप्त में लेखापरीक्षा आपत्तियां	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि वसूली	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
इस्पात	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड वीआईएसपी भद्रावली	डीपीईबी के माध्यम से आयातित माल के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लेना	213.84	213.84
सड़क परिवहन और राजमार्ग	नेशनल हाईवेज ऑथरिटी ऑफ इंडिया	छ: लेन चौड़ाई कार्य के संबंध में बैंक गारंटी को न भुनाना	839.00	839.00
शहरी विकास	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएच-5 के गुडगलानु-राजामुन्त्री क्षेत्र से संबंधित 4/6 लेन चौड़ाई कार्य के लिए संविदा निष्पादित न करना और बोली प्रतिभूति जप्त न करना	1617.00	1617.00
जल संसाधन	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बोनस और पारितोषिक के बदले अनुग्रहपूर्वक का अनियमित भुगतान	127.00	86.00
		बैंक से कम ब्याज की प्राप्ति	3.40	2.84
<b>जोड़</b>			<b>2800.24</b>	<b>2758.68</b>

परिशिष्ट-II

(पैरा 8.3 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा मामले में संशोधन/सुधार

मंत्रालय /विभाग का नाम	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एन्टरप्राइजिज (सीपीएसई) का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा आपत्ति/परामर्श	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
भारी उद्यम एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग	इस्ट्रूमंटेशन लिमिटेड, कोटा	भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान की दरों को 8.33 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (संशोधन) उपबंध, 1997 को दिनांक 22 सितम्बर 1997 की भारत सरकार, राजपत्रित अधिसूचना द्वारा जारी किया गया जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 को 22 -9-1997 से प्रभावी किया गया है। कम्पनी जो 01.6.1989 से 10 प्रतिशत की	लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर कम्पनी ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कर्मचारी के भविष्य निधि में योगदान की दर को सितम्बर 2014 से प्रभावी रूप में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम किया गया है।

		<p>दर पर योगदान कर रही थी, ने दिनांक 22.9.1997 की अधिसूचना के अनुसार 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा वृद्धि कर्मचारियों के भविष्य निधि में योगदान की दरों में कम्पनी द्वारा की गई वृद्धि भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस-35019/1/97 -एसएस 11 दिनांक 9 अप्रैल 1997 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी जिसके अनुसार पीएफ में कर्मचारी की भागीदारी की दर में वृद्धि स्थापना के लिए व्यवहार्य नहीं थी अर्थात् (i) 20 से कम कर्मचारियों वाले स्थापन (ii) कोई रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तथा (iii) कोई स्थापना जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के अन्त पर सम्पूर्ण निवल सम्पत्ति के बराबर अथवा उससे अधिक संचित हानि है।</p> <p>चूंकि कम्पनी को बीआईएफआर द्वारा 1 जनवरी 1994 को रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया है तथा दिनांक 9 अप्रैल 1997 की अधिप्रति अधिसूचना की अधिसूची 11 के तहत आने वाले आईएल के द्वारा बढती दर क्रमानुसार नहीं थी।</p>
--	--	---

इस्पात	स्टील ऑफ लिमिटेड ऑथोरिटी इंडिया	कम्पनी ने संयुक्त एचपीएल तथा ईएल दोनों की 300 दिनों की समग्र सीमा से अधिक अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी थी।	कम्पनी ने अपने छुट्टी नियमों में संशोधन किया था तथा 300 दिनों (दोनों ईएल तथा एचपीएल को एक साथ लेकर ) की सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण को प्रतिबंधित किया था।
इस्पात	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	कम्पनी ने संयुक्त एचपीएल तथा ईएल दोनों की 300 दिनों की समग्र सीमा से अधिक अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी थी।	कम्पनी ने अपने छुट्टी नियमों को संशोधित किया था तथा अनुशासनात्मक आधार के अलावा अन्य पर सेवा निवर्तन /सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों (संयुक्त ईएल तथा एचपीएल) की अवकाश नकदीकरण को प्रतिबंधित किया था तथा एचपीएल को रूपान्तरित नहीं किया जाएगा।



परिशिष्ट-III

(अध्याय IX देखें)

2014 से पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए ऐक्शन टेकन नोट लम्बित है

रिपोर्ट की संख्या तथा वर्ष	रिपोर्ट का नाम	पैरा संख्या
<b>भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.2
<b>आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1
<b>खान मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1 तथा 13.1
<b>पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.6
2012-13 की 11	ओएनजीसी लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडलोन रिपोर्ट
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 12.1 (02 कम्पनियां)
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1 (02 कम्पनियां), 13.2, तथा पैरा 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 तथा 11.8

<b>विद्युत मंत्रालय</b>		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 (02 कम्पनिया)
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1
<b>सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय</b>		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.2 तथा 14.3
<b>वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग</b>		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.1
<b>जहाजरानी मंत्रालय</b>		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.2 तथा 16.3
<b>सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय</b>		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
<b>इस्पात मंत्रालय</b>		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 तथा 14.3
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.2, 17.1, 17.2 तथा 17.3
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>		
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय X
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	18.1

**अनुबंध - I**  
(पैरा 2.2 देखें)

**क. वितरण आदेश (डीओ) जारी करने के लिए नकली धन रसीद का निर्माण**

ग्राहक का नाम	नकली एमआर का ब्यौरा		नकली एमआरके प्रतिजारी डीओ का विवरण		प्राप्त किया गया वास्तविक भुगतान		विस्तार किया गया अनुचित क्रेडिट (दिनों)	टिप्पणी
	दिनांक	₹ लाख में	दिनांक	₹ लाख में	दिनांक	₹ लाख में		
मै. महेश्वरी मेटल एंड एल्योय (पी) लिमिटेड	21.12.12	14.90	21.12.12	14.66	15.01.13	14.90	25	अन्य ग्राहक से रसीद की हेरफेर से बनाई बैंक स्टेटमेंट द्वारा निर्मित एमआर
	26.12.12	6.10	26.12.12	5.88	17.01.13	6.10	23	₹ 11.88 लाख के डीओ के प्रति केवल ₹ 6.10 लाख का भुगतान प्राप्त किया गया।
	08.01.13	6.50	08.01.13	5.73	-	-	24	पार्टी से पूर्व रसीदका उपयोग करके बनाई गई नकली एमआर
मै. मारसन्स	15.01.13	15.00	15.01.13	11.67	-	-	-	कम्पनी ने नकली रसीद के प्रति
	22.01.13	15.00	22.01.13	14.19	-	-	-	सामग्री के वितरण के कारण ₹ 25.86

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

लिमिटेड									लाख की हानि बहन की
	15.01.13	15.50							बाद में प्रविष्टियां
	21.01.13	15.50							
	28.01.13	15.50							
	02.01.13	10.00							बाद में प्रविष्टियां
	17.12.12	14.50							
	29.01.13	20.86							
मै. मेसकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07.12.12	14.00	07.12.12	11.93	10.12.12	14.00	3		नकली एमआर को ₹ 11.89 लाख मूल्य की सामग्री उठाने के लिए ग्राहक को अनुमति देने के लिए निर्मित किया गया।
	18.12.12	5.00	-	-	-	-	-		नकली एमआर पूर्व दिनांकित थी तथा इसे एक इस्ट्रूमेंट संख्या में हेरफेर करके बनाया गया जिसे पहले प्राप्त किया गया था।
	19.12.12	28.00	21.12.12	28.71	-	-	-		नकली एमआर को एक इस्ट्रूमेंट संख्या में हेरफेर करके बनाया गया जिसे पहले प्राप्त किया गया था।
उप-जोड़		196.86		98.77					

A. जाली बैंक विवरण जारी करना

मै. महेश्वरी मेटल एण्ड एलॉय लिमिटेड	22.01.13	10.03	22.01.13	9.76	11.02.13	10.03	21	एक जाली बैंक विवरण के आधार पर जाली एमआरजी किया गया
	29.01.13	12.50	29.01.13	11.42	20.02.13	12.05	23	-वही -
	01.02.13	12.05						तत्पश्चात् आरक्षित
	12.02.13	6.50	12.02.13	5.81				-वही -
मै. मार्सेन्स लिमिटेड	12.11.12	14.50	12.11.12 & 18.12.12	13.95 & 14.48	17.12.12	14.50	36	एक जाली बैंक विवरण के आधार पर जाली एमआरजी किया गया और कंपनी को ₹ 14.07 लाख की हानि हुई
	29.11.12	14.50		14.28	26.11.12	14.50		डीओ जारी करने के पश्चात् इस मूल रसीद को आरक्षित रखा गया था
	05.12.12	15.50	05.12.12	14.08				एक जाली बैंक विवरण के आधार पर जाली एमआरजी किया गया और कंपनी को ₹ 14.08 लाख की हानि हुई
<b>उप-जोड़</b>		85.58		83.78				
<b>कुल जोड़</b>		<b>282.44</b>		<b>182.55</b>				

**अनुबंध - II**  
(संदर्भ पैरा 2.2)

**धोखे से/औचित्यविहीन ग्राहक प्रतिदाय**

ग्राहक जिन्हें प्रतिदाय किया गया			ग्राहकों को जाली रसीद			अभ्युक्तियाँ
मामला	ग्राहक का नाम	₹ लाख में		ग्राहक का नाम	₹ लाख में	
1.	ईस्टर्न क्वाइल्स (.प्रा)लिमिटेड	0.85	1.	माहेश्वरी मेटल एण्ड एलाय लिमिटेड	0.85	
2.	खेतान इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0.13	2.	खेतान वायर प्रोडक्ट्स प्रा . लिमिटेड (केडब्ल्यूपीपीएल)	6.93	
3.	खेतान इलेक्ट्रॉनिक्स -यूनिट)II(	6.80				
4.	बैको लॉरी लिमिटेड	1.52	3.	वर्सटाइल मेटल कांस्पेक्ट प्रा . लिमिटेड	10.30	
5.	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	2.36				
6.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.32				
7.	भागलपुर हाईटेक केम इ)) (प्रा.) लिमिटेड	0.09				
8.	टिस्को	23.64	4.	वर्सटाइल वासर्य लि.	41.58	
9.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड ) . (यूनिट	15.46				
10.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड	2.48				
11.	वर्सटाइल मेटल कांस्पेक्ट प्रा. लिमिटेड	10.91	5.	वर्सटाइल वासर्य लि.	10.91	
12.	इंडोरिव- रिफैक्टरीज (प्रा.) लिमिटेड	1.01	6.	वरुणवांजज्य प्राइवेट लिमिटेड	6.12	
13.	बंसल सीमेंट प्रालिमिटेड .	5.11				
14.	बंटिया मेटल्स	1.00	7.	एनीरॉक्स पिगमेंट्स लिमिटेड	1.00	
15.	सेंट्रल रेलवे	0.43	8.	द इंडियन आयरन स्टील	102.96	मै. इ इंडियन आयरन स्टील का बही खाता ईआरपी प्रणाली में नहीं मिल सका
16.	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इ)	8.21				
17.	सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी	17.52				
18.	टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड	24.75				
19.	सेलइस्को स्टील प्लांट-	25.50				
20.	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	26.56				

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

	लिमिटेड					
21.	बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.30	9.	टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड	24.75	मै. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित राशि उसी ग्राहक को धोखे से प्रतिदाय के रूप में दर्शायी गई राशि के समान थी जैसा कि मामला सं.8 में दर्शाया गया है।
22.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1.12				
23.	देवेसमेन – इंडिया	1.76				
24.	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	2.45				
25.	टेलीलिक निक्को लिमिटेड	2.71				
26.	प्रो.और इंड . इं.लि .	2.83				
27.	द एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड	3.31				
28.	मधु प्रोसेसर	2.67				
29.	के एम इंटरप्राइजेज़	7.60				
30.	आर .डी. इंडस्ट्रियल	6.42	10.	आर .डी. केमिकल्स	1.90	मै. आर.के. इंडस्ट्रीज का बही खाता ईआरपी प्रणाली में नहीं मिला।
			11.	आर .के .इंडस्ट्रीज	4.52	
31.	नेशनल स्टील कार्पोरेशन	1.83	12.	मीमा वायर्स	6.73	
32.	जनरल इंटरप्राइजेज़	4.90				
33.	श्री साई कृष्ण ब्लास्टिंग वर्क्स	22.46	13.	आरओईस्ट-एकेशनडिकेशन/ ऑफ स्टीडिफॉल्ट .	22.46	औचित्यविहीन प्रतिदाय
34.	श्री माधव एजेंसियां (प्रा.) लिमिटेड	0.80	-	-	0.80	धोखाधड़ी वाले खाते द्वारा औचित्यविहीन प्रतिदाय
<b>कुल</b>		<b>241.81</b>			<b>241.81</b>	

अनुबंध - III  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (ए))

गलत मूल्यांकन प्रकार वाले क्रय आदेश

पीओ की प्रकृति	मूल्यांकन प्रकार	पीओज की संख्या	निहित वस्तुओं के मर्दों की संख्या	पीओ में मर्दों का मूल्य (₹ करोड़ में)
घरेलू	आयातित	2	27	0.01
आयातित	घरेलू	45	344	7.44
कुल		47	371	7.45

अनुबंध - IV  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (बी))

क्रय आदेश में दस्तावेज तिथि

डाटा के नमूना जांच की तिथि	क्रय आदेश सं.	दस्तावेज तिथि
25-अगस्त-2014	4070025506	31-अगस्त-2014
08-सितम्बर-2014	4070025935	15-सितम्बर-2014
08-सितम्बर-2014	4070025979	20-सितम्बर-2014
08-सितम्बर-2014	4070025988	31-अक्टूबर-2014
08-सितम्बर-2014	5060084986	31-मार्च-2015
25-अगस्त-2014	4010027637	08-नवम्बर-2200
25-अगस्त-2014	4010006638	31-मार्च-2904



अनुबंध - V  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (सी))

‘स्थानांतरण में स्टॉक’ की गैर निकासी

क्र. सं.	गैर निकासी अवधि	एसटीओ मदों की सं.	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	छः महीने से एक वर्ष	5012	29.49
2	एक वर्ष से दो वर्ष	11547	22.99
3	दो से तीन वर्ष	10275	4.26
4	तीन से चार वर्ष	9404	1.30
5	चार से पांच वर्ष	8179	3.93
6	पांच से छः वर्ष	5682	2.78
7	छः से सात वर्ष	4533	1.27
8	सात से आठ वर्ष	4602	2.97
9	आठ से नौ वर्ष	4043	4.10
10	नौ से दस वर्ष	3632	2.02
11	दस वर्ष से अधिक	1995	0.66
<b>Total</b>		<b>68904</b>	<b>75.77</b>

अनुबंध - VI  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (डी) (i))

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन - वर्ग 'ए' परिसंपत्तियों की सत्यापन स्थिति

क्र. सं.	घाटे वाली परिसंपत्तियों की सं.	कुल बुक मूल्य (₹ करोड़ में)	पिछली सत्यापन की तिथि
1	3	1.06	1996-97 से 2007-08
2	16	39.42	2010-11
3	3	5.41	2011-12
4	17	88.41	2012-13
<b>कुल</b>	<b>39</b>	<b>134.30</b>	<b>--</b>

अनुबंध - VII  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (डी) (i))

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन - वर्ग 'बी' परिसंपत्तियों की सत्यापन स्थिति

क्र. सं.	घाटे वाली परिसंपत्तियों की सं.	कुल बुक मूल्य (₹ करोड़ में)	पिछली सत्यापन की तिथि
1	1	0.12	2005-06
2	3	0.51	2006-07
3	3	1.52	2007-08
4	2	0.32	2008-09
5	14	3.70	2009-10
6	232	57.33	2010-11
7	13	3.85	2011-12
8	272	66.97	2012-13
<b>कुल</b>	<b>540</b>	<b>134.32</b>	--

अनुबंध - VIII  
(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (डी) (i))

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन - वर्ग 'सी1' परिसंपत्तियों की सत्यापन स्थिति

क्र. सं.	घाटे वाली परिसंपत्तियों की सं.	कुल बुक मूल्य (₹ करोड़ में)	पिछली सत्यापन की तिथि
1	17	0.54	1991-92 से 1994-95
2	216	7.03	1995-96 से 1999-00
3	175	6.35	2000-01 से 2004-05
4	456	17.19	2005-06
5	11	0.42	2006-07
6	5	0.06	2007-08
7	2549	89.91	2008-09
8	8	0.32	2009-10
9	36	1.18	2010-11
<b>कुल</b>	<b>3473</b>	<b>123.00</b>	--

अनुबंध - IX

(संदर्भ पैरा 3.7.3.1 (डी) (i))

स्टोर, पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं का भौतिक सत्यापन

स्टोर की प्रकृति	वेयर हाऊस	लक्ष्य	उपलब्धि	गिरावट की प्रतिशतता
स्टॉक में पूंजीगत वस्तुएं	अगरतला	97	96	1%
	अहमदाबाद	334	224	33%
	बड़ौदा	26	17	35%
	बोकारो	8	0	100%
	केकेएन ओडालारेवू	170	0	100%
	माधोपुर	23	10	57%
<b>कुल</b>		<b>658</b>	<b>347</b>	<b>47%</b>
स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स - वर्ग ए	अहमदाबाद	780	430	45%
	बड़ौदा	4	1	75%
	बोकारो	34	0	100%
	खंभात	102	7	93%
	चेन्नई	8	5	38%
	देहरादून	88	0	100%
	जोधपुर	39	30	23%
	केकेएन ओडालारेवू	17	0	100%
	माधोपुर	135	126	7%
<b>कुल</b>		<b>1207</b>	<b>599</b>	<b>50%</b>
स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स - वर्ग बी	बोकारो	1	0	100%
	खंभात	1	0	100%
	जोधपुर	5	1	80%
<b>कुल</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>86%</b>
स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स - वर्ग सी	अहमदाबाद	108	44	59%
	बोकारो	3	0	100%
	खंभात	9	1	89%
	चेन्नई	4	1	77%

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

	देहरादून	15	0	100%
	जोधपुर	3	1	67%
	कराईकल	52	47	10%
	केकेएन ओडालारेवू	8	0	100%
	मेहसाणा	49	46	6%
	शिवसागर	126	75	40%
	उरण	16	10	38%
	<b>कुल</b>	<b>393</b>	<b>225</b>	<b>43%</b>

अनुबंध - X

(पैरा 3.7.3.1 (घ) (ii))

परिसंपत्तियों का मौलिक सत्यापन त्रुटिपूर्ण परिसंपत्तियों का आयु विश्लेषण

घाटे की अवधी	परिसंपत्तियों की सं.	सकल बही मूल्य (₹ करोड़ में)
एक वर्ष तक	1905	39.03
एक से तीन वर्ष	2628	52.92
तीन से पाँच वर्ष	4795	37.13
पाँच से दस वर्ष	4842	77.78
दसे से बीस वर्ष	354	5.41
20 वर्षों से अधिक	1001	9.42
<b>कुल</b>	<b>15525</b>	<b>221.69</b>

**अनुबंध - XI**

(परिसंपत्तियों में भौतिक सत्यापन 3.7.3.1 (घ) (ii)) देखें

अंतिम इंवेटरी तिथि के बाद से घाटे की तिथि की अवधि

अंतिम इंवेटरी तिथि के बाद से घाटे की तिथि की अवधि	घाट वाली परिसंपत्तियों के मद	सकल बही मूल्य (₹ करोड़ में)
तीन महीनों तक	758	12.02
तीन से छः महीने	115	2.47
छः से एक वर्ष	10	0.05
एक से पाँच वर्ष	18	0.66
पाँच वर्षों से अधिक	18	0.04
<b>कुल</b>	<b>919</b>	<b>15.24</b>

**अनुबंध - XII**

(पैरा 3.7.3.1 (घ) (iv)) देखें

इन-हाऊस विकसित प्रतिवेदनों में विसंगतियां

प्रतिवेदन (26 सितंबर 2014 तक)	घाट वाली परिसंपत्तियों के मद	सकल बही मूल्य (₹ करोड़ में)
असंगत परिसंपत्तियों <sup>1</sup> के आयू विश्लेषण पर प्रतिवेदन	15525	221.69
परिसंपत्ति सत्यापन घाटा सार प्रतिवेदन <sup>2</sup>	13965	196.78

<sup>1</sup> एसएपीटी-कोड-जैडएफआईएएमडीएफसीटी

<sup>2</sup> एसएपी टी-कोड-जैडएफआईएएमडीएफसीटी

**अनुबंध - XIII**

(पैरा 3.7.3.2 (बी))

**सामग्री खरीद योजना-स्टोरो में पड़े हुए पूंजीगत मद**

क्र.सं.	मुख्य स्टोरो में पड़े रहने की अवधि	मदों की सं.	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	6महीनेसे एक वर्ष	431	18.52
2	एक से तीन वर्ष	230	08.55
3	तीन से पाँच वर्ष	164	06.05
4	पाँच से दस वर्ष	288	11.00
5	दस वर्षों से अधिक	19	00.16
<b>कुल</b>		<b>1132</b>	<b>44.28</b>

**अनुबंध - XIV**

(पैरा 3.7.3.4 (क) देखें)

**पूर्व मांग लंबित के साथ नये पीआर का निर्माण**

संयंत्र का नाम	अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान निर्मित लंबित		पीक्यूज के साथ जारी उसी सामाग्री के लिए अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के दौरान निर्मित पीआरज	
	पीआरज की सं.	पीआरज में शामिल सामंगी	पीआरज की सं.	पीआरज में शामिल सामंगी
ट्रिलिंग सेवाएं मुंबई	50	229	4	4
अहमदाबाद परिसंपत्ति	54	191	13	17
अंकलेश्वर परिसंपत्ति	28	202	3	2
कार्पोरेट सेवाएं दोहराए	41	375	23	22
<b>कुल</b>	<b>173</b>	<b>997</b>	<b>43</b>	<b>45</b>

**अनुबंध - XV**

(पैरा 3.7.3.4 (बी) में संदर्भित)

**सामग्री खपत की रिकार्ड करने में विलंब**

क्र.सं.	कुंए पूर्ण होने के बाद की अवधि	कुक की गई जिस खपत के लिए कुंए थे	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	एक महीने तक	94	63.30
2	एक से तीन महीने	80	46.01
3	तीन से छः महीने	53	20.97
4	छः महीने से एक वर्ष	38	10.34
5	एक से दो वर्ष	22	02.77
<b>कुल</b>		<b>102</b>	<b>143.39</b>

**अनुबंध - XVI**

(पैरा 3.7.3.4 (बी) में संदर्भित)

**सामग्री खपत की रिकॉर्ड करने में विलंब**

क्र.सं.	सामग्री गुप	सामग्री का विवरण	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	01	ड्रिलिंग पाईप	07.02
2	02	केसिंग पाईप	60.17
3	03	अन्य पाईप और फिटिंग्स	00.27
4	04	ड्रिल बिट्स	20.18
5	06	अन्य ड्रिलिंग स्टोर	01.46
6	09	तेल कुआं सीमेंट	10.70
7	10	गाद रसायनों सहित रसायन	11.03
8	11	तेल ग्रीस और लुबरिकेंट्स	04.74
9	15	ट्यूबिंगपाईप और फिटिंग्स	18.41
<b>कुल</b>			<b>133.98</b>

अनुबंध - XVII

(पैरा 3.7.3.4 (ग) (में संदर्भित)

शेष मात्रा के साथ खुली खरीद आदेश

पीओ की प्रकृति	पीओज़ की संख्या	मदों की सं.	पीओ में मदों का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	पीओ में मदों का बकाया मूल्य (₹ करोड़ में)
स्वेदशी	531	1092	1110.34	11.19
आयातित	26	246	794.19	01.68
कुल	557	1338	1904.53	12.87



अनुबंध - XVIII

(पैरा 4.1.3.5 देखें)

खराब मीटर की मरम्मत/प्रतिस्थापन में लिये गये समय के विश्लेषण को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	मीटर सं.	जीओएमडी/उप-स्टेशन	उपभोक्ता द्वारा शिकायत की तिथि	मीटर के मरम्मत/प्रतिस्थापन की तिथि	उपभोक्ता द्वारा शिकायत की तिथि से मरम्मत/प्रतिस्थापन में लिये गये दिनों का समय	प्रतिस्थापन/मरम्मत	प्रतिस्थापित मीटर की प्रकार	मीटर की जांच की तिथि	मीटर में खराबी की पृष्टि की तिथि
1	कॉस्मिक फैंरो एलॉय	एपीएमए 1136	बरजोरा	19-05-2011	26-05-2011	7	प्रतिस्थापित	जांच	26-05-2011	26-05-2011
2	एलाएल फैंरो	एपीएमए 1053	गिरडीह	01-07-2011	08-07-2011	7	प्रतिस्थापित	एम 1	08-07-2011	08-07-2011
3	जेएसईबी हुपु	डीवीसीएम 0035	गोला	29-11-2012	06-12-2012	7	प्रतिस्थापित	एम 1	06-12-2012	06-12-2012
4	जेआईपीएल	एपीएमए 0119	कल्याणश्वरी	25-05-2011	02-06-2011	8	प्रतिस्थापित	एम 1	03-06-2011	03-06-2011
5	जय बालाजी	एपीएमए 1050	दुर्गापुर	10-07-2013	19-07-2013	9	प्रतिस्थापित	एम 1	19-07-2013	19-07-2013
6	एससीपीएल	एपीएमए 99653	कल्याणश्वरी	25-05-2011	03-06-2011	9	प्रतिस्थापित	एम 1	03-06-2011	03-06-2011
7	सीआईपीएल	एपीएमए 99680	कल्याणश्वरी	25-05-2011	03-06-2011	9	प्रतिस्थापित	एम 1	03-06-2011	03-06-2011
8	सरो इंटरनेशनल	एपीएमए 0101	कल्याणश्वरी	11-07-2013	20-07-2013	9	प्रतिस्थापित	एम 1	16-07-2013	16-07-2013
9	एचएमएफएल	डीवीसीएम	पुटकी	17-03-	26-03-2012	9	प्रतिस्थापित	एम 1	26-03-2012	26-03-2012

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

	भल्ली	0021		2012									
10	अर्जुनदास	एपीएमए 1166	बरजोरा	30-08- 2011	09-09-2011	10	प्रतिस्थापित	एम2	09-09-2011	09-09-2011			
11	भारत हाईटेक	डीवीसीएम 0066	पुरुलिया	07-03- 2012	17-03-2012	10	प्रतिस्थापित	एम 1	17-03-2012	17-03-2012			
12	दिनमान पोली बैंक	एपीएमए 1143	दुर्गापुर	06-08- 2011	17-08-2011	11	प्रतिस्थापित	एम2	17-08-2011	17-08-2011			
13	इंपैक्स स्टील	डीवीसीएम 0205	कल्याणश्वेरी	27-09- 2011	08-10-2011	11	प्रतिस्थापित	एम 1	08-10-2011	08-10-2011			
14	JSEB Koderma	डीवीसीएम 0449	कोडर्मा	20-07- 2012	31-07-2012	11	प्रतिस्थापित	एम2एफ2	31-07-2012	31-07-2012			
15	एमवीएल एफडीआर	डीवीसीएम 0075	राईट बैंक	10-12- 2012	21-12-2012	11	प्रतिस्थापित	जांच	21-12-2012	21-12-2012			
16	सतपुरिया एलॉथ	एपीएमए 1063	गिरडीह	26-11- 2011	12-12-2011	16	प्रतिस्थापित	एम2	12-12-2011	12-12-2011			
17	एफपीएल	एपीएमए 1104	बुडवान	29-05- 2013	15-06-2013	17	प्रतिस्थापित	एम2	15-06-2013	15-06-2013			
18	यूएमएसपीएल	एपीएमए 1074	कल्याणश्वेरी	02-11- 2013	19-11-2013	17	प्रतिस्थापित	एम 1	19-11-2013	19-11-2013			
19	यूएमएसपीएल	एपीएमए 1212	कल्याणश्वेरी	02-11- 2013	19-11-2013	17	प्रतिस्थापित	एम2	19-11-2013	19-11-2013			
20	एचसीपीएल	एपीएमए99642	कल्याणश्वेरी	02-11- 2013	20-11-2013	18	प्रतिस्थापित	एम 1	20-11-2013	20-11-2013			
21	एमएसपीएल	डीवीसीएम 0207	कल्याणश्वेरी	02-11- 2013	20-11-2013	18	प्रतिस्थापित	एम2	20-11-2013	20-11-2013			
22	विकास मेटल	एपीएमए 1187	पीएचएस	26-05- 2011	16-06-2011	21	प्रतिस्थापित	एम2	16-06-2011	16-06-2011			
23	वार स्टील	एपीएमए 1115	रामगढ	05-09- 2012	27-09-2012	22	प्रतिस्थापित	एम2	27-09-2012	27-09-2012			

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

24	बालश्री मैटलस	एपीएमए 1024	रामगढ़	05-09- 2012	27-09-2012	22	प्रतिस्थापित	एम2	27-09-2012	27-09-2012
25	शूमाएसपीएल	एपीएमए 1188	कल्याणश्वेरी	13-09- 2013	07-10-2013	24	प्रतिस्थापित	एम 1	07-10-2013	07-10-2013
26	सुमी ट्यापार	एपीएमए 1074	रामगढ़	20-11- 2012	22-12-2012	32	प्रतिस्थापित	एम2	22-12-2012	22-12-2012
27	श्री रामरती	एपीएमए9637	बरजोरा	15-10- 2012	22-11-2012	38	प्रतिस्थापित	एम 1	22-11-2012	22-11-2012
28	रामस्वरूप निर्माण	एपीएमए 1163	दुर्गापुर	15-10- 2012	23-11-2012	39	प्रतिस्थापित	एम 1	23-11-2012	23-11-2012
29	जी एं ए मैटल	एपीएमए 1132	बरजोरा	26-10- 2013	07-12-2013	42	प्रतिस्थापित	एम 1	28-10-2013	28-10-2013
30	टयूलिप फैब्रिक	एपीएमए 1155	बरजोरा	26-10- 2013	07-12-2013	42	प्रतिस्थापित	एम2	28-10-2013	28-10-2013
31	दयाल स्टील	डीवीएसीएम 0473 (एम-11)	रामगढ़	05-11- 2013	11-01-2014	67	प्रतिस्थापित	एम2एफ2	11-01-2014	11-01-2014
32	बीएसएल	एफएफएफ 20	सीपीपीएस	30-04- 2013	25-07-2013	86	प्रतिस्थापित	एम 1	03-05-2013	03-05-2013

अनुबंध - XIX

(पैरा 4.1.3.7 देखें)

2011-12 से 2013-14 के वर्षों के दौरान डीवीसी की कालोनियों (बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीटीपीएस, एमटीपीएस मथॉन, पंचेट) में नॉन-मिट्रिंग के कारण हानि दशाने वाला विवरण

कॉलोनी का नाम	हानि ₹ में
बीटीपीएस	35,94,17,871
सीटीपीएस	31,30,79,253
डीटीपीएस	8,77,13,760
एमआईपीटीएस	13,74,22,314
मथॉन	40,21,26,825
पंचेट	12,74,35,476
कुल	<b>1,42,71,95,499</b>

अनुबंध - XX

(पैरा 6.1)

निचल हानि दर्शाने वाला विवरण

विवरण	क्षेत्र वर्ग मीटर में	हानि यदि भारत टैक्सटाईल मिल्स आरक्षित मूल्य से तुलना की जाये (करोड़ ₹ में)	हानि यदि स्टॉप इयूटी रेडी रैकोनेर के अनुसार विकसित जमीन के प्रति वर्ग मीटर दर से तुलना की जाए (करोड़ ₹ में)
हाल एंड एंडरसन शेयर ऑफ लैंड (कुल जमीन का 35 प्रतिशत)	27585.36 <sup>s</sup> (पी)		
मधूसूदन मिल्स वाली जोन में स्थिति भारत मिल्स (प्रकिया घर) के संबंध में एनटीसी (2009) द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य के अनुसार ₹ प्रति वर्ग मीटर में दर	221155.46 (क्यू)		
स्टॉप इयूटी रेडी रैकोनेर मुंबई 2009के अनुसार विकसित जमीन का प्रति वर्ग मीटर दर	86300 (आर)		
भारत टैक्सटाईल मिल्स (पी x क्यू) के आरक्षित मूल्य से तुलना की जाए		610.07	
निपटरव के अंतर्गत एचएएल को दी गई भूमि का मूल्य			

2015 की प्रतिवेदन संख्या 21 (खण्ड II)

यदि स्टांप ड्यूटी रेडी रैकोनर मुंबई 2009 (पी x आर) के अनुसार विकसित जमीन की प्रति वर्ग मीटर दर के साथ तुलना की जाए			238.06
कम: प्राप्त प्रतिफल		33.05*	33.05*
निवल हानि		<b>577.02</b>	<b>205.01</b>

\$- कुल जमीन क्षेत्र - 78815.3 (78815.3 का 35% = 27585.36)

\*सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को भुगतानकी गई ₹ 2.16 करोड़ राशि और वैधानिक देय ₹ 1.54 करोड़ शामिल हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
वेबसाइट : [www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)